FOR REFERNCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 26, अंक 6

सोमवार, 22 जुलाई, 2002
31 आषाढ़, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 13/6/2003

(खण्ड 26 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 6, सोमवार, 22 जुलाई, 2002/31 आषाढ़, 1924 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	101, 102, 104, 107, 111 और 112	5-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	103, 105, 106, 108 से 110 और 113 से 120 .	27-53
अतारांकित प्रश्न संख्या	1013 से 1217 .	53-376
सभा पटल पर रखे गए पत्र		376-381
कार्यमंत्रणा समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		381
इम्पीरियल लाइब्रेरी (इंडेंचर्स वैलीडेशन) निरसन विधेयक—पुर:स्थापित		381
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	महाराष्ट्र के गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 के भाग नौ के अंतर्गत अलग जनजाति के रूप में माने जाने की आवश्यकता	
	श्री चिन्तामन वनगा .	385
(दो)	विभिन्न प्रकाशनों में स्त्रियों के अशिष्ट रूपण के प्रतिषेध की दृष्टि से स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नियम बनाये जाने की आवश्यकता	
	श्री अनादि साहू .	386
(तीन)	राजस्थान में अजमेर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो० रासा सिंह रावत .	387
(चार)	हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य में और अधिक आंगनवाड़ी खोले जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश चन्देल .	387
(पांच)	राजस्थान में जोधपुर में रेल उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	387
(छह)	देश में पान मसाले की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	388

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(सात)	केरल के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के विनिवेश संबंधी प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
	श्री जार्ज ईडन	388
(आठ)	गुजरात के साबरकांठा लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्पर्क सड़क बनाए जाने की अनुमति दिए जाने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मधुसूदन मिस्त्री .	389
(नौ)	बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुबोध राय .	389
(दस)	हैदराबाद से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के लिए एयर इंडिया की और अधिक उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चाडा सुरेश रेड्डी	390
(ग्यारह)	देश में चमड़ा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामजी लाल सुमन .	390
(बारह)	तमिलनाडु में विरुदनगर-राजापलयम बड़ी लाइन परियोजना को सेनगोट्टा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस० मुरूगेसन .	391
(तेरह)	महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पनहाला हिल स्टेशन में एच.पी.टी. रिले स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक .	391
(चौदह)	बिहार के भोजपुर जिले में आरा में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री राम प्रसाद सिंह	392
(पन्द्रह)	टेलीविजन कार्यक्रमों का बेहतर प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए शिमला के खड़ा पत्थर में उच्च शक्ति डिश एंटीना लगाए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य	392

लोक सभा

सोमवार, 22 जुलाई, 2002/31 आषाढ़, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 101 ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय हमने एक सूचना दी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे डा० रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, श्री राजो सिंह, श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, श्री एस० जयपाल रेड्डी, श्री पवन कुमार बंसल, श्री भेरूलाल मीणा, श्री के०ए० सांगतम, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी, श्री अवतार सिंह भडाना, श्री मनशीभाई मकवाना, श्री बी०के० हान्दिक, श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, श्री मधुसूदन देवराम मिस्त्री, श्री एम०ओ०एच० फारूक और श्री दह्याभाई पटेल आदि माननीय सदस्यों से प्रश्न काल को निलंबित करने के बारे में सूचनाएं मिली हैं।

कुल 17 माननीय संसद सदस्यों ने मुझे प्रश्न-काल निलंबित करने के बारे में सूचनाएं दी हैं। जब तक कोई एक सदस्य उठकर मुझे यह नहीं बताएगा कि वह प्रश्न-काल निलंबित कराना क्यों चाहता है तब तक मेरे लिए इस मुद्दे पर निर्णय लेना कठिन होगा। अत: क्या मैं केवल एक संसद सदस्य से अनुरोध कर सकता हूं कि वह मुझे खड़ा होकर यह बताए कि वह प्रश्न-काल का निलंबन कराना क्यों चाहता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई एक संसद सदस्य खड़ा होकर बताए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, प्रश्न-काल को निलंबित करने की सूचनाएं सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार दी गई हैं। हम प्रश्न-काल का निलंबन इसलिए चाहते हैं क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों और एक राज्य या क्षेत्र विशेष के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी इस देश में एक मुद्दा सूची में उल्लिखित अन्य प्रश्नों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

विपक्ष, केवल आज ही नहीं बल्कि सदन के प्रारंभ से ही राष्ट्र के इस मुद्दे को अन्य सभी विषयों को स्थगित कराकर वरीयता के आधार पर लगातार उठाता रहा है।

अब, राज्य सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुच्छेद 355 लगाए जाने का संकल्प पारित करने के पश्चात गुजरात में क्या हुआ ? तकनीकी रूप से संविधान के अनुच्छेद 355 से इस बात की जानकारी मिलती है कि गुजरात में साम्प्रदायिक सौहार्द पूर्णतया नष्ट हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे गुण-दोषों का बखान न करने का अनुरोध कर सकता हूं ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसके बावजूद संसद को गुजरात में राहत, पुनर्वास, आश्रय और सुरक्षा की ताज़ा स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। *(व्यवधान)* सरकार ने आज तक भी कुछ नहीं बताया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया गुण-दोषों की बात न करें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, हम राज्य के राज्यपाल की विधानसभा भंग करने की संवैधानिक शक्ति का समर्थन और प्रशंसा करते हैं। हमें उसपर कोई प्रश्न नहीं उठाना है। हम संवैधानिक शक्ति के वास्तविक उपयोग पर भी प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अवसरों पर राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठ-बन्धन के कई साझीदारों सहित सदन का ध्यान आकर्षित किया है। *(व्यवधान)* अभी तक वह सभा का अभिप्राय नहीं समझ पाए हैं। *(व्यवधान)* उन्हें विधानसभा या राज्य के प्रति उत्तरदायित्व के बिना ही कार्यवाहक बनाया गया है। *(व्यवधान) यह संविधान के विरुद्ध है, यह वहां के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध (व्यवधान)* अत: वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इससे नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कैसे होता है ?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यहां पहले से ही अनुच्छेद 355 का प्रावधान है। कल भी उन्होंने विधानसभा भंग होने के पश्चात स्पष्ट रूप से यह कहा था कि लोक सभा में वाद-विवाद से समस्या उत्पन्न हुई है। *(व्यवधान)* महोदय, यह इस सदन का अपमान है। *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदय, गुजरात के मुख्यमंत्री को लोक सभा का अपमान करने के कारण लोक सभा के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी ने एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। वे कहते हैं कि गुजरात का मामला इतना महत्वपूर्ण है कि प्रश्न-काल निलंबित किया जाना चाहिए। उनका यह अनुरोध है। मैंने उन्हें बहुत ध्यान से सुना है। मुझे विश्वास है कि सदन का वरिष्ठ संसद सदस्य होने के नाते वे यह जानते होंगे कि जब तक कोई बहुत विशेष मामला प्रस्तुत न हो जाए तब तक हम आम तौर पर प्रश्न-काल निलंबित नहीं करते।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : यह एक विशेष मामला है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदन में आने से पूर्व मैंने इस तरह के मुद्दों पर पूर्व निर्णयों का अध्ययन किया है और मेरे विचार से अभी तक केवल विशेष मामलों में ही प्रश्न-काल निलंबित किया गया है। अन्यथा हमेशा पूरे सदन की यह इच्छा रही है कि प्रश्न-काल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके शब्द हैं : ''प्रत्येक बैठक का पहला घन्टा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा।'' मुझे इस मुद्दे को उठाए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।

इस सदन में वाद-विवाद के माध्यम से मुद्दे हल किए जा सकते हैं। यदि आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो प्रक्रियानुसार 'शून्य काल' में मुझे इसे उठाए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आपको, जैसा कि आपने अभी कहा, मांग करने का अधिकार है और सरकार को उत्तर देने का अधिकार है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं; मुख्यमंत्री परिस्थितियों को उचित समझकर विधानसभा भंग कर सकते हैं। अब, संसद सदस्य इस मुद्दे को उठा सकते हैं। वस्तुत: यह राज्य का मामला है और यह मामला हमेशा एक अलग मंच पर उठाए जाते हैं। परंतु इसी के साथ-साथ मुझे आपके द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं इसे 'शून्य-काल' में उठाए जाने का भी अनुरोध करूंगा और उस समय मैं सरकार से भी अनुरोध कर सकूंगा कि वह इस मुद्दे का समुचित उत्तर दे। मेरा यही अनुरोध है और अब मैं प्रश्न-काल आरंभ करता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात राज्य में इस संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। *(व्यवधान)* और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी मैंने आपको बताया कि क्वैश्चन ऑवर को सस्पैंड किये जाने का कब-कब प्रोसीजर होता है।

[अनुवाद]

यह भी सत्य है कि पिछली बार 1990 में प्रश्न-काल निलंबित किया गया था और उसके बाद अभी तक कभी भी प्रश्न-काल निलंबित नहीं किया गया है।

उस समय अलग मामला था। मैंने यह भी देखा है कि उस समय सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों ही प्रश्न-काल का निलंबन किए जाने पर सहमत थे। इसलिए, विपक्षी दल ने अपना मन बना लिया है और उन्होंने मुझसे प्रश्न-काल का निलंबन किए जाने का अनुरोध किया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा करें। मैं सत्ताधारी दल से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे प्रश्न-काल को निलंबित किए जाने का विरोध कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल निलंबित किए जाने से सहमत होने का प्रश्न ही नहीं है। महोदय, जैसा कि आपने कहा दोपहर बारह बजे शून्य काल में इसे उठा सकते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप इन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, गुजरात के मुख्यमंत्री जनता से चुने हुए मुख्य मंत्री हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : उन्होंने लोक सभा पर आरोप लगाया है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : संविधान के तहत उन्हें अधिकार है और उसी के अंतर्गत उन्होंने विधान सभा का विसर्जन किया है। गुजरात के राज्यपाल ने इस सिफारिश को मान लिया है। गुजरात की विधान सभा विसर्जित हो चुकी है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, हम अलग-अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हम राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आवश्यकता पर बोल रहे हैं। क्योंकि गुजरात में संवैधानिक तन्त्र पूर्णतया नष्ट हो चुका है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, वे उस बात पर भी आएंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : इसलिए पहले तो यहां इस विषय पर किसी प्रकार की बहस की गुंजाइश नहीं है। आपने विपक्ष के नेता से कहा है कि आप शून्य काल में उन्हें बोलने की अनुमति देंगे। क्योंकि मैं सिर्फ प्रश्न काल तक मर्यादित हूं। श्री जयपाल रेड्डी जी मांग कर रहे हैं। *(व्यवधान)* उसमें अगर अभी फैसला करना है तो मैं एक मिनट में जवाब दे दूंगा फिर शून्य काल में उठाने के लिए यह विषय नहीं रहेगा। आपको राष्ट्रपति शासन पर सरकार का जवाब चाहिए तो मैं एक मिनट में जवाब दे दूंगा, फिर आपने इसे शून्य काल में नहीं

उठाना है। अगर आप शून्य काल में नहीं उठाना चाहते हैं तो मैं अभी जवाब दे देता हूं। *(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : यह धमकी दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : किस बात की धमकी, जवाब देना कोई धमकी हो गया। आप लोक सभा के सम्माननीय सदस्य हैं। आप मुख्य मंत्री को बार पर लाने की बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे विपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : इसलिए प्रश्न काल को स्थगित करने के लिए सरकारी पक्ष की और से कोई सहमति नहीं है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि प्रश्न काल को चलने दें, 12 बजे इस विषय को उठायें और तब श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी और श्री जयपाल रेड्डी जी ने जो राष्ट्रपति शासन की मांग की है, उसका जवाब हम सरकार की ओर से जरूर देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह मुख्य प्रश्न है। *(व्यवधान)* इसलिए हम आपसे यह चाहते हैं कि आप प्रश्न-काल निलंबित करें। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र मोदी के रहते हुए गुजरात में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 101 – श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.12 बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

+

*101. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिप्पणियां/विचार जानने के लिए परिचालित किए गए नागर विमानन नीति के प्रारूप को अब अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो विमानन नीति बनाई गई है, उसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विमानन नीति बनाते समय दो बातें प्रमुख होती हैं। विमानन नीति के दो अंग होते हैं, प्रथम सुरक्षा और दूसरा व्यापार होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसलिए सुरक्षा पर मैं बोलना नहीं चाहता। मैं व्यापार नीति पर बोलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं पिछले 40 सालों में देश के अंदर कितने नये एयरपोर्ट बने हैं और इन एयरपोर्ट को बनाने के लिए कितने किसानों की जमीनें ली गई हैं। पिछले चालीस वर्षों में देश में विमानन नीति का जितना प्रसार होना चाहिए था, जितने एयरपोर्ट बनने चाहिए थे, उतने एयरपोर्ट बने हैं या नहीं। महाराष्ट्र में 10 करोड़ जनता है और मुम्बई को छोड़कर बाकी तीन एयरपोर्ट औरंगाबाद, पुणे और नागपुर महाराष्ट्र में बनाये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र की दस करोड़ जनता के लिए इतने एयरपोर्ट काफी हैं। क्या महाराष्ट्र में कोई नया एयरपोर्ट बनाने की सरकार की योजना है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठिये। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि अभी आप बैठ जाइये। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस विषय को अलाऊ किया जाए। गुजरात के साथ ही अब उत्तर प्रदेश की बारी है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष जी, इसके लिए जो पॉलिसी बनी हुई है, उसकी गाइडलाइन्स के तहत ही सरकार काम करती है और 1997 से पॉलिसी बनाने पर हम विचार कर रहे हैं। 11 सितंबर के बाद परिस्थितियों में कुछ बदलाव आया है, इसलिए हम इस पर फिर से विचार कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज़ बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप जानते हैं कि जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आपको बैठना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा सभी माननीय संसद सदस्यों से एक अनुरोध है। मैं इस मुद्दे पर आपकी भावनाओं को समझता हूं। मैं यह भी समझ सकता हूं कि आप इस मुद्दे पर बहुत उद्वेलित हैं। जैसा

कि आप जानते हैं कि हाल में शून्य-काल के दौरान जोनों के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इस मुद्दे पर इस सदन में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था। प्रत्येक संसद सदस्य को बोलने का अवसर मिला था। अब आप इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। उसके बाद मेरा विचार है कि जिन संसद सदस्यों ने बहुत पहले अपने प्रश्नों की सूचना दी है उन्हें भी अपने प्रश्न पूछने का अधिकार है। सदन को नियमानुसार चलना चाहिए। इसलिए मेरा सभी माननीय संसद सदस्यों से यह विनम्र अनुरोध है कि यह मामला उठाया जा सकता है। मैं आपको शून्य काल के दौरान बोलने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। यदि सब कुछ ठीक-ठाक चलता है तो उस समय भी मैं सरकार से उत्तर देने का अनुरोध कर सकूंगा। तब मैं सरकार के माननीय मंत्री जी से भी उत्तर देने का अनुरोध कर पाऊंगा। इसलिए, जिन संसद सदस्यों ने काफी पहले अपने प्रश्नों की सूचना दे रखी है उन्हें भी उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, आप समुचित रूप से सदन चलने देने के लिए कह रहे हैं जबकि भारतीय संविधान का उल्लंघन किया गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब अन्य लोग कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे थे तो मैं यही कहना चाहता था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है और आप बोल रहे हों तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आपकी बात ठीक से सुनी जाए। श्री जयपाल रेड्डी, मैं चाहता हूं कि आपकी बात सुनी जाए। इसलिए इसे सही समय पर उठाया जाना चाहिए। यदि आप अभी बोलते हैं तो सदस्यों का मन आपको सुनने का नहीं है। इस ओर बैठे सदस्य शायद आपको यह मामला न उठाने दें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : देश का प्रमुख प्रश्न पहले पूछा जाना चाहिए। देश का प्रमुख प्रश्न यह है कि संवैधानिक शक्तिओं का भारी दुरुपयोग हुआ है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूं कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं नियमानुसार चल रहा हूं। मैं नियमों से परे जाकर कुछ नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किरीट सोमैया जी, प्लीज़ आप बैठिए। मैं वही बात कह रहा हूं जो आप कहना चाहते हैं। वही बात मैं बोलता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमेशा नहीं करते हैं और हमेशा करेंगे भी नहीं।

[अनुवाद]

यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, वे इसे उठाना चाहते हैं। मैं उन्हें आश्वस्त कर दूं कि मैं उन्हें बाद में समय देने के लिए तैयार हूं। प्रश्न-काल चलने दें। उन लोगों को प्रश्न पूछने दें जो वास्तव में प्रश्न पूछने की तैयारी करके आए हैं। मंत्रीगण भी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। उन्हें उत्तर देने दिया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा। किसी ने भी कहा तो यह बात कही कि क्वैश्चन आवर चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि एक या दूसरा दल ऐसा कर रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : स्पीकर साहब, आप इस पर रूलिंग दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं रूलिंग दे दूंगा तो क्या आप मानेंगे ?

श्री रामदास आठवले : क्वैश्चन आवर सस्पेन्ड करके आप इस विषय पर बहस कराइए।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि रूलिंग दे दीजिए। मैं रूलिंग दे सकता हूं।

[अनुवाद]

इस मुद्दे पर निर्णय स्पष्ट है। मैं नियमों में नहीं जा रहा क्योंकि यह सभी के समझने की बात है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि आपका मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसपर चर्चा की जानी चाहिए। आपको इसे उठाने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैंने कहा कि शून्य काल के दौरान मैं आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दूंगा। इसलिए, अब कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम आपकी चिंता को समझते हैं। विपक्ष के नेता भी प्रश्न-काल को निलंबित करने के पक्ष में हैं। अब मुख्य प्रश्न क्या है ? हमारे अनुसार मुख्य प्रश्न गुजरात में संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया जाना है। नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान एक समय तक निर्दोष लोगों की हत्या की जाती रही है। *(व्यवधान)*

इसलिए, आपको प्रश्न काल निलंबित करना चाहिए और सरकार से उसके रुख का स्पष्टीकरण देने के लिए कहना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र सभी राज्यों में प्रगतिशील होते हुए और 10 करोड़ की आबादी होते हुए भी वहां केवल तीन ही एयरपोर्ट बनाए गए हैं क्या इन्हें निजी विमान सेवाओं से जोड़ने पर मंत्री महोदय विचार करेंगे और क्या वहां अन्य शहरों में भी एयरपोर्ट बनाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि हमारी जानकारी के अनुसार कई जगह एयरपोर्ट बनाने हेतु जमीन एक्वायर की गई है, लेकिन उसे एक्वायर किए हुए 25-30 वर्ष हो गए और अभी तक उस पर एयरपोर्ट नहीं बनाए गए है, क्या उस जमीन को किसानों को वापस किया जाएगा ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सर, वर्तमान में जो स्थिति बनी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक पालिसी ड्राफ्ट की है। इस पालिसी को हम जल्दी ही सदन के सामने रखने वाले हैं।

जहां तक एयरपोर्ट बनाने की बात है मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत सरकार राज्य सरकार के आग्रह पर ही एयरपोर्ट बनाती है। *(व्यवधान)*

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों की तुलना में जैसे चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली के मुकाबले दुग्ध का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्या मंत्री महोदय कारगो विमान द्वारा दुग्ध सप्लाई को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई विचार कर रहे हैं ? इस सुविधा से किसानों को, आम जनता को राहत मिलेगी और दूध सस्ता मिलेगा तथा दुग्ध व्यवसाय में तेजी आएगी। *(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार ने कारगो के बारे में एक पालिसी बनाई है जिसे विचार हेतु शीघ्र ही सदन में पेश किया जाएगा। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.22 बजे

(इस समय, श्री अवतार सिंह भडाना और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से वैल में आना आपको शोभा नहीं देता है। पूरा देश देख रहा है। यह आपको शोभा नहीं देता है मैंने आपको अपनी बात कहने का अवसर दिया है। मैं प्रश्न-काल के बाद फिर आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस प्रकार प्रैशराइज नहीं कर सकते। यह बात ठीक नहीं है। आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं। बहुत जिम्मेदार पार्टी से संबंधित हैं। आपने देश पर लंबे समय तक शासन किया है। अत: आपको अपनी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि सदन में किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार से मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। मैं प्रश्न काल जारी रखूंगा।

(व्यवधान)

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

***102. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में उनकी लंबाई कितनी है;

(ख) राज्य सरकारों, विशेषकर राजस्थान सरकार द्वारा राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और सुधार हेतु केंद्रीय सड़क कोष (सी०आर० एफ०) से कितनी राशि प्रदान की गई है, और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) राजमार्गों को चार लेनों और छह लेनों में विस्तार करने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य का ठेका देते समय, कार्य और गुणवत्ता में एकरूपता बनाए रखने के संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (च) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ब्यौरे दर्शाने वाला एक अनुबन्ध संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए विभिन्न राज्यों से 316 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 25 प्रस्ताव राजस्थान से प्राप्त हुए थे। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंडों के आधार पर आगे समीक्षा के लिए ये प्रस्ताव जून, 2002 में संबंधित राज्य सरकारों को वापस कर दिए गए हैं। धनराशि के अभाव के कारण इस समय देश में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि

की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार कर सकती है।

(घ) केंद्रीय सड़क निधि (सी०आर०एफ०) के अंतर्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 23,814 कि०मी० लंबे नए राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल किए गए हैं और नेटवर्क की वर्तमान लंबाई 58,112 कि०मी० है। लगभग 2300 कि०मी० में चार/छह लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(च) कार्य की एकरूपता और गुणता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी निर्माण कार्य सड़कों और पुल कार्यों के लिए मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार किए जाने होते हैं।

अनुबन्ध

क्रम सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (कि०मी०)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4,5,7,9,16,18,43,63,202,205, 214और 218	4038
2.	अरुणाचल प्रदेश	52,52ए और 153	392
3.	असम	31,31बी,31सी,36,37,37ए,38,39, 44,51,52,52ए,52बी,53,54,61,62, 151,152,153 और 154	2836
4.	बिहार	2,19,28,28ए,30,30ए,31,57,77, 80,81,82,83,84,85,98,99,100, 101,102,103,104,105,106 और 107	3502
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6,12ए,16,43,78,200,202,216 और 217	1774
7.	दिल्ली	1,2,8,10 और 24	72
8.	गोवा	4ए,17,17ए, और 17बी	269
9.	गुजरात	एनई-1,6,8,8ए,8बी,8सी,8डी,8ई, 14,15 और 59	2461
10.	हरियाणा	1,2,8,10,21ए,22,65,71,71ए,72 और 73	1361
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए,20,21,21ए,22,70,72 और 88	1188
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए,1बी,1सी	823
13.	झारखंड	2,6,23,31,32,33,75,78,80,98,99 और 100	1413
14.	कर्नाटक	4,4ए,7,9,13,48,63,206,207,209, 212 और 218	3570
15.	केरल	17,47,47ए,49,208,212,213 और 220	1440
16.	मध्य प्रदेश	3,7,12,12ए,25,26,27,59,59ए,69, 75,76,78,79,86,92	4664
17.	महाराष्ट्र	3,4,4ख,6,7,8,9,13,16,17,50,69, 204 और 211	3626
18.	मणिपुर	39,53 और 150	954
19.	मेघालय	40,44,51 और 62	717
20.	मिजोरम	44ए,54,54ए,54बी,150 और 154	927
21.	नागालैंड	36,39,61 और 150	369
22.	उड़ीसा	5,5ए,6,23,42,43,60,200,201, 203,215 और 217	3301
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1,1ए,10,15,20,21,22,64,70,71 और 95	1553
25.	राजस्थान	3,8,11,11ए,12,14,15,65,76,79, 89 और 90	4597
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4,5,7,7ए,45,45ए,45ख,46,47,49, 66,67,68,205,207,208,209,210, 219 और 220	3758
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तरांचल	58,72,72ए,73,74,87,94,108 और 109	1075
30.	उत्तर प्रदेश	2,2ए,3,7,11,19,24,24ए,25,25ए, 26,27,28,29,56,56ए,56बी,58, 72ए,73,74,75,76,86,87,91,92, 93,96,97	4942
31.	पश्चिम बंगाल	2,6,31,31ए,31ग,32,34,35,41, 55, 60, 80 और 81	1951
		जोड़	58112

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दूरदर्शन का सीधा प्रसारण बन्द कर दिया जाए।

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, मैं एन०डी०ए० की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि शेरशाह सूरी के बाद प्रथम बार सारे भारत को पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण से मिलाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के बनाने का निर्णय लिया गया है जो सराहनीय कदम है। इस योजना पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों को सुनने को तैयार हूं। पहले आप बैठिये।

(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, सोनिया जी बैठी हुई हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको सुनने के लिए तैयार हूं लेकिन पहले आप बेठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनने को तैयार हूं। मैं विपक्षी दलों से अच्छे संबंधों की अपेक्षा करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जयपुर से अजमेर तक छः लाइन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में विलम्ब क्यों हो रहा है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उसमें किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं है। *(व्यवधान)* हम उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। *(व्यवधान)* बाकी का काम 2003 तक पूरा किया जायेगा। *(व्यवधान)* प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का जहां तक सवाल है, वह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उस राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के लिए सरकार के पास 22 प्रस्ताव पैंडिंग पड़े हुए हैं, जो राज्य सरकार से आए हैं। *(व्यवधान)* क्या सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ? *(व्यवधान)* इसी के साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि सी०आर०एफ० को जो राशि है, वह किन आधारों पर दी जाती है तथा क्या आप उनमें सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे ? *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसे करने का प्रयास करेंगे। *(व्यवधान)* हमने सुझाव भेजा है। *(व्यवधान)* आपको भी सुनना चाहिए। *(व्यवधान)* दसवीं पंचवर्षीय योजना में फाइनलाइज होने के बाद जितने भी राष्ट्रीय राजमार्गों का सवाल है। *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुम्बई बंगलौर मार्ग के बारे में जो प्रस्ताव हैं। *(व्यवधान)* मंत्री जी इस संबंध में क्या करेंगे ? *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि *(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान माननीय भूतल परिवहन मंत्री, श्री खंडूरी जी के अनथक प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्गों में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है और निरंतर होता जा रहा है। *(व्यवधान)* मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जहां-तहां ढाबों का बनना ट्रकों, बसों, व अन्य वाहनों के वर्कशापों का बनना, पार्किंग सुविधा न होने के कारण गाड़ियां राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर ही पार्क की जाती हैं जो बहुत बड़ी समस्या है। *(व्यवधान)* इसके अतिरिक्त ऐसे मार्गों पर शौचालय की सुविधा न होने से, विशेषकर तीर्थस्थलों पर, यात्रियों द्वारा जहां-तहां गड़ियां को खड़ा करना, आदि दुर्घटना का कारण बनती है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़-कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वारघाट नामक स्थान पर ट्रकों को जहां-तहां खड़ा करने से घंटों ट्रेफिक जाम रहता है। *(व्यवधान)* मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे संबंधित प्रान्तीय सरकारों को इस प्रकार के निर्देश देंगे की जिन ढाबा मालिकों अथवा वर्कशाप मालिकों आदि के पास निजी पार्किंग की सुविधा नहीं है, उन पर प्रतिबंधन लगाया जाए ?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। *(व्यवधान)* राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी प्रकार के ऐसे कार्यों की इजाजत नहीं है। *(व्यवधान)* हम प्रदेश सरकारों के माध्यम से बराबर इस बारे में कोशिश करते रहते हैं। *(व्यवधान)* मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि हमने कोशिश की है कि प्रदेश सरकारों के माध्यम से इसे रोका जाए। *(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह : मंत्री जी का उत्तर अधूरा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी के आभारी हैं कि इन्होंने गोपालपुर समुद्रतट से छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 217 की परियोजना को हाथ में लिया है *(व्यवधान)* क्या मैं उनसे इस कार्य हेतु स्वीकृत की गई धनराशि और इस कार्य की प्रगति के बारे में जान सकता हूं ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : मैं तथ्यों का पता लगाकर माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी सभी से विनती है कि आप भी अपनी-अपनी जगह पर बैठिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आप लोग इस तरह से दबाव बनाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्ण चतुर्भुज और पत्तन सम्पर्क समेत राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य बड़े पैमाने पर आरंभ करने हेतु सरकार को बधाई देता हूं। इसके एक हिस्से का निजीकरण भी किया जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। *(व्यवधान)* नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों में 23,814 किलोमीटर की वृद्धि की है। यह भी एक अच्छा लक्षण है। लेकिन दसवीं योजना के दौरान इन राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य में शीघ्रता लानी होगी और आन्ध्र-प्रदेश सरकार के 17 प्रस्तावों सहित 316 प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं। *(व्यवधान)* इनमें पूर्व लोक सभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जी०एम०सी० बालयोगी द्वारा प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 भी सम्मिलित है। यह अभी कोट्टीपुड़ी से पामारु तक केवल 243 किलोमीटर ही बन पाया है। इसे अभी पामारु से आनगोल तक आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के साथ मिलाया जाना है। शेष 167 किलोमीटर का कार्य अभी आरंभ किया जाना है। *(व्यवधान)* जब तक इस विस्तार कार्य को पूरा नहीं किया जाता तब तक पहले से ही तैयार किए गए 243 किलोमीटर राजमार्ग का कोई उपयोग नहीं है। सरकार पहले की वित्तीय कठिनाइयों की बात कर रही है और कहा है कि इसे दसवीं योजना में आरंभ किया जाऐगा। मैं सरकार से पेनुमुड़ी और पुलीगड्ढ़ा के बीच कृष्णा नहर पर एक पुल के निर्माण सहित इसे शीघ्रतापूर्वक आरंभ करने का अनुरोध करता हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रियरंजन दासमुंशी जी ने अपनी बात कही है। आपको भी अपनी बात कहनी है तो आप भी वहां जाकर कहें। आप वहां जाकर कहेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण जिस प्रकार आप सदन के बीच में आ रहे हैं वह ठीक नहीं है। मैं अब भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे एक मिनट का समय दें। माननीय संसद सदस्यों ने यह मांग की है कि इसी समय प्रश्न काल स्थगित किया जाना चाहिए और वे इसे स्थगित किए जाने के कारण के बारे में बोलना चाहते हैं। मुझे उनकी बात सुनने में कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाकर मुझसे बात कीजिए। मैं समय देने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

मैं आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन नजदीक आकर सुनाने की क्या जरूरत है। अपनी सीट पर जाकर सुना दें। अभी तक क्वैश्चन ऑवर तभी सस्पेंड हुआ है, जब पूरे हाउस की कन्सेंसस थी। आप भी पूरे हाउस की कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे देश में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। आप सभी विपक्ष के जिम्मेदार सदस्य हैं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी तक तभी हाउस में क्वैश्चन ऑवर सस्पेंड किया गया है, जब हाउस की कन्सेंसस थी। मैं आपको इजाजत दूंगा, आप अपनी जगह पर जाकर हाउस की कन्सेंसस क्रिएट करने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनने को तैयार हूं। विपक्ष की नेता बोल सकती हैं, सदन के उपनेता बोल सकते हैं, विपक्ष के उपनेता बोल सकते हैं,

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको वह अधिकार है, लेकिन जब तक आप यह नहीं करेंगे, तब तक मेरे सामने जो बिजनेस है, उस बिजनेस को पूरा कराना ही मेरा काम है। वही मैं कर रहा हूं। मि० मिनिस्टर उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने पर प्रतिबंध है। दसवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद और धन की उपलब्धता, जो कि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से आबंटन पर निर्भर करती है, और जितने राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की जानी है उसे देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और उसके बाद राज्यों की विभिन्न मांगों पर विचार किया जाएगा। *(व्यवधान)* वर्तमान में आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों से हमारे पास 52,000 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने की मांग है। इन्हें राज्यों को उस समय पुन: भेजने हेतु वापस कर दिया गया है जब राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने संबंधी पुनरीक्षित मानदण्डों के अनुसार परिवर्तन कार्य होने लगेगा। *(व्यवधान)* इसकी सूचना विभिन्न मुख्यमंत्रियों को फरवरी, 2001 में और फिर पुन: फरवरी, 2002 में दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 103 । श्री सुशील कुमार शिंदे – अनुपस्थित; श्री विलास मुत्तेमवार – अनुपस्थित।

अब मैं अगले प्रश्न संख्या 104 पर आता हूं।

नकली/मिलावटी बीज

***104. श्री राम टहल चौधरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कृषि संबंधी कानून नकली/मिलावटी बीज उत्पादकों से निपटने के लिए पर्याप्त है और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस कानून में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाने का है ताकि उन्हें प्रभावी बनाया जा सके ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) बीज अधिनियम, 1966 केवल अधिसूचित किस्मों के बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करता है। सरकार का प्रस्ताव बीज अधिनियम को संशोधित करने का है ताकि अनधिसूचित किस्मों के बीजों की क्वालिटी को भी विनियमित किया जा सके और उल्लंघन करने वालों को और अधिक कड़े दण्ड दिए जा सकें।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में बताया है कि सरकार 1966 की सीड एक्ट में नकली और मिलावटी बीज की समस्या से निपटने के लिए संशोधन करके कानून को कड़ा बनाना चाहती है। जब सरकार यह स्वीकार कर रही है कि नकली और मिलावटी बीज से निपटने के लिए हम कड़े कानून बनाएगें तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कड़े कानून आप कब तक बनाएंगे ताकि किसानों को इस समस्या से राहत मिल सके ?

(व्यवधान)

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में कानून बनाने के बारे में प्रोसेस में हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं। जब यह प्रोसेस और डिस्कशन पूरा हो जायेगा तो हम इस सम्बन्ध में एक बिल संसद में प्रस्तुत करेंगे। *(व्यवधान)*

श्री राम टहल चौधरी : मंत्री जी ने जवाब में कहा है वे इस अधिनियम को अधिसूचित करने पर विचार कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरा व्यवस्थ का प्रश्न है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न सुन रहा हूं।

कृपया उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 375 में कहा गया है :

> "सभा में घोर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में अध्यक्ष, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, उसके द्वारा बताये गये समय के लिए सभा को स्थगित कर सकेगा या किसी बैठक को निलम्बित कर सकेगा।"

[हिन्दी]

नियम 375 में कहा गया है कि जब सदन में घोर अव्यवस्था की स्थिति हो, उस समय अध्यक्ष महोदय हाउस को स्थगित कर देंगे। इस समय सदन में घोर अव्यवस्था की स्थिति है, तब आप कैसे हाउस चला रहे हैं और कैसे प्रश्नोत्तर काल चला रहे हैं ? यह नियम 375 की अवहेलना हो रही है। *(व्यवधान)* गुजरात के सवाल पर, वहां के मुख्य मंत्री को हटाने के लिए पहले भी सदन कई बार स्थगित हुआ है, फिर भी सरकार ऐसा काम कर रही है। हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि प्रश्न काल स्थगित करके इस विषय पर चर्चा की जाए। *(व्यवधान)* सदन में घोर अव्यवस्था की स्थिति है, तो सदन कैसे चलाया जा रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे उत्तर दिए जा रहे हैं ? नियम 375 के तहत हम आपका नियमन चाहते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, लेकिन वे यह जानते हैं कि नियमानुसार प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं है लेकिन चूंकि आप

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाह रहा था

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम पता है। मैंने उन सब माननीय सदस्यों को भी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप आराम से बैठ सकते हैं। इस सदन के नियम आप लोगों ने बनाए हैं और आप ही इसको तोड़ेंगे, तो मैं नहीं सोचता कि दुनिया आपके बारे में अच्छा सोचेगी। आपने नियम बनाए और आपने ही तोड़ दिए। नियम हम सब लोग बनाएंगे और हम ही तोड़ेंगे तो पूरा देश हमारे ऊपर हंसेगा कि खुद ही नियम बनाते हैं और खुद ही अमल नहीं करते।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.44 बजे

(इस समय डा० रघुवंश प्रसाद सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, लेकिन आप पहले अपनी-अपनी जगहों पर जाएं और वहां से बोलें, तब मैं सुनूंगा। वैल से कोई चर्चा नहीं कर सकते। रामदास जी आपको अगर बोलना है तो वहां जाएं, रूल्स बुक उठाएं, मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राम टहल चौधरी जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछें।

श्री राम टहल चौधरी : मेरा सरकार से जानना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह से मिलावटी बीज बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए क्या सरकार कोई कठोर नियम बनाएगी ? *(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : सरकार इस सम्बन्ध में एक नया विधेयक लाने की सोच रही है और जल्दी ही इस सम्बन्ध में वह कार्यवाही करेगी। *(व्यवधान)*

डॉ० जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, खेत में बीज बोने से पहले किसान खेत को तैयार करता है, खेत की जुताई करता है और पानी की व्यवस्था करता है, तब जाकर बीज बोने के लिए खेत तैयार होता है। इससे पहले किसान जब बीज खरीद कर लाता है, तो उसे विश्वास होता है कि वह बीज ठीक निकलेगा। किसान को मालूम नहीं होता है कि बीज मिलावटी है या नकली है। खेत में बीज बोने के 10-15 दिनों के बाद उसको पता चलता है कि बीज नकली था या फसल तैयार होने पर फल पैदा नहीं होता है, तब उसको पता लगता है कि बीज नकली था। ऐसी हालत में किसान बिल्कुल बरबाद को चुका होता है और बेसहारा हो जाता है। किसान के पास अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए खेती के अलावा कोई साधन नहीं होता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस मिलावटी या नकली बीज के कारण किसान को जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए सरकार के पास अनुदान देने की कोई योजना है ?

श्री अजित सिंह : महोदय, किसान की फसल इस तरह से जब बरबाद हो जाती है, तो सरकार ने नए विधेयक में कम्पैंसेशन देने का प्रोवीजन किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 105 – श्री के० मुरलीधरन – अनुपस्थित; श्री एन०एन० कृष्णदास – अनुपस्थित।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 106 – श्रीमती श्यामा सिंह – अनुपस्थित।

(व्यवधान)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा

*107. **श्री बाई०वी० राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीजों के अंतराष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा वर्तमान 1% से बढ़ाकर 10% करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ग) लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। सस्य जलवायवी विविधता, बीज उत्पादन की सुदृढ़ अवसंरचना और बाजार में अवसर मिलें तो भारत में बीजों के निर्यात के लिये महत्वपूर्ण सम्भावनायें मैजूद हैं।

(ख) लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किये गये हैं :–

1. बीजों और रोपण सामग्री के निर्यात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिये गये हैं और निर्यात को उदार बनाया गया है।

2. बीजों और रोपण सामग्री के निर्यात के लिये कस्टम बीज उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

3. निजी बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को बीजों और रोपण सामग्री के निर्यात के लिए अंतराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (आई०एस०टी०ए०) का ऑरेंज प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है।

4. बीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये अन्य बातों के साथ-साथ पादप किस्म संरक्षण व कृषक अधिकार बिल, 2001 अधिनियमित किया गया है।

5. भारतीय बीजों की बाजार स्वीकार्यता में वृद्धि करने के लिये उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

6. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षण और प्रमाणन सुविधायें स्थापित की जायेगी।

7. विश्व के विभिन्न भागों में भारतीय किस्मों की निर्यात क्षमता और अंतरराष्ट्रीय बाजार के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिये डाटा बैंक का सृजन किए जाने का प्रस्ताव है।

8. बीजों की घरेलू उपलब्धता पर निर्यात के प्रभाव का आकलन करने के लिये विभिन्न फसलों के बीजों की उपलब्धता के संबंध में आंकड़ा आधार का भी सृजन किया जायेगा।

9. बीजों और रोपण सामग्री के निर्यात को सुकर बनाने के लिये बीजों से संबंधित नियमों और विनियमों में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।

10. सरकार से विशेष प्रोत्साहन प्राप्त करते हुये बीज निर्यात प्रोत्साहन अंचलों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण को सुविधाजनक बनाया जायेगा।

(ग) इस लक्ष्य को सन् 2020 तक प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया पूछिए।

श्री वाई०वी० राव : महोदय, मेरा प्रश्न गत वर्ष के दौरान बीज निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य और उस वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक निर्यात के बारे में था। अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह लक्ष्य 2020 तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। ऐसा लगता है कि यह बहुत लम्बी अवधि है। क्या सरकार कड़े प्रयास करके इस लक्ष्य को उससे पूर्व प्राप्त नहीं कर सकती ?

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : महोदय, वर्ल्ड ट्रेड में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए हम नया सीड एक्ट ला रहे हैं। हमें विश्वास है कि सन् 2020 तक हम टारगेट एचीव कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री वाई०वी० राव : इन वर्षों के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : हम नए-नए सीड्स ला रहे हैं, क्योंकि एग्जीस्टिंग सीड्स में बहुत समस्याए हैं। हम नया सीड एक्ट भी ला रहे हैं। प्लान्ट प्रोटैक्शन एक्ट के बाद नए सीड्स ला रहे हैं और हमें विश्वास है कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 108 – श्रीमती भावना चीखलीया – अनुपस्थित श्री अशोक ना० मोहोल – अनुपस्थित।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : *प्रश्न संख्या 109 – श्री इकबाल अहमद सरडगी – अनुपस्थित।*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 109 – श्री इकबाल अहमद सरडगी – अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 110 – श्री वेंकटेश नायक – अनुपस्थित।

श्री रामशेठ ठाकुर – अनुपस्थित।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप कृपया अपनी जगह पर जाइए। वरना मुझे सब के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप सबके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी लोगों से बार-बार रिकवैस्ट कर रहा हूं कि अपनी-अपनी जगह पर जाइए। कार्रवाई करने का समय न आ जाए इसलिए कोऑपरेट करें। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने प्रश्न प्रस्तुत किया है, उनके साथ अन्याय नहीं करें। आप सब अपनी-अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

*111. **श्री के० येरननायडू :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०) की स्थापना संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना पर कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं; और

(ग) उनमें कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिए जाने की संभावना है ?

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०) की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना संबंधी कार्य आरंभ हो गया है। योजना में निम्न प्रकार से 22 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रावधान है :

0	अरूणाचल प्रदेश	–	2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
0	असम	–	4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
0	मणिपुर	–	5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
0	मेघालय	–	1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
0	मिजोरम	–	2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
0	नागालैण्ड	–	4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
0	त्रिपुरा	–	4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

योजना के पूर्णत: कार्यशील हो जाने के पश्चात पूर्वोत्तर राज्यों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की प्रवेश क्षमता 7244 से बढ़कर 16144 हो जाएगी। योजना में शिल्पकार प्रशिक्षण शामिल है न कि उद्योग में दिया गया शिक्षुता प्रशिक्षण।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अलग-अलग विषयों में 22 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। इतने संस्थानों से उस क्षेत्र के स्थानीय युवाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती। अत: मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को इस क्षेत्र में विभिन्न विषयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। मैं इस संबंध में सरकार की कार्य योजना जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत से नौजवानों को दाखिला इसलिए नहीं मिला है क्योंकि देश में इतने कालेज नहीं है। *(व्यवधान)* आई०टी०आई० में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को प्रशिक्षण मिले इसलिए प्राइवेट आर्गेनाइजेशन के ऐसे जो कालेज चल रहे हैं, हम वहां दो शिफ्ट्स शुरू करना चाहते हैं। सरकार ऐसे कालेजों को पूरी सुविधा देगी। *(व्यवधान)* हम ऐसी संस्थाओं को मान्यता देंगे। *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, हमारा मकसद यह है कि ऐसे लाखों नौजवान जिन के पास किसी प्रकार की कोई टैक्निकल ट्रेनिंग नहीं है वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पर्यटन वर्धक देशों के साथ करार

*112. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन वर्धक कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिये किन-किन देशों की पहचान की गई है;

(ग) प्रस्तावित करारों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(घ) इससे देश में पर्यटन उद्योग को किस सीमा तक बढ़ावा मिलने की सम्भावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) स्पेन, थाईलैण्ड, मलेशिया, केन्या और अर्जेंनटीना।

(ग) प्रस्तावित करार की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं :–

(i) दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए पर्यटन के क्षेत्र में दीर्घावधि सहयोग के लिए अनुकूल स्थितियां सृजित करना;

(ii) प्रत्येक देश में लागू उनके नियमों तथा आन्तरिक विनियमों के अनुसार, पर्यटन प्रयोजनों के लिए दोनों देशों के मध्य यात्रा करने वाले उनके नागरिकों के लिए सरल प्रक्रियाओं को लागू करने को प्रोत्साहित करना;

(iii) पर्यटन संसाधनों की सूची, पर्यटन कार्यकलापों पर चल रहे विधानों एवं विनियमों तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों, दोनों के संरक्षण के साथ-साथ निरंतर विकास के संबंध में सूचना, सुविज्ञता तथा अनुभव का आदान-प्रदान करके प्रत्येक देश में लागू नियमों तथा विनियमों के अनुसार पर्यटन कार्यकलापों में समन्वय करना;

(iv) पर्यटन कारोबार के संगठन, प्रबंधन एवं प्रचालन के संबंध में सुविज्ञता के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना तथा पर्यटन क्षेत्र में उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में एक दूसरे की सहायता करना;

(v) पर्यटन सूचना एवं प्रचार सामग्री फिल्मों तथा प्रदर्शन सामग्रियों सहित प्रचार हेतु सामग्रियों तथा दस्तावेजों के आयात एवं निर्यात को सरल बनाना; और

(vi) इस करार के कार्यान्वयन हेतु दोनों देशों के बराबर संख्या के प्रतिनिधियों से बने एक कार्यदल का गठन करना।

(घ) ये करार सामान्य प्रकृति में बिना किसी वित्तीय उलझनों या प्रतिबद्धताओं के होंगे। द्विपक्षीय पर्यटन सहयोग करार एक ऐसा छत्र प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत देशों के सरकारी अधिकारी तथा यात्रा व्यवसाय पारस्परिक आदान-प्रदान कर सकते हैं। ऐसे करार दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुदृढ़ करने तथा उनमें गहरी सूझबूझ को प्रोत्साहन देने में सहायता भी करते हैं। पर्यटन हमेशा मित्र देशों के मध्य पनपता है, क्योंकि पर्यटक उन्हीं देशों की यात्रा करना चाहेंगे, जिनके साथ उनके मित्रतापूर्ण संबंध हैं। उपर्युक्त करारों से सांस्कृतिक आदान-प्रदान, मानव संसाधन का आदान-प्रदान, तकनीकी सुविज्ञता, प्रचार ब्रोशरों तथा पर्यटक आंकड़ों का आदान-प्रदान सरल हो जाता है। इस प्रकार के करार दोनों देशों में आपस में पर्यटन संवर्धन में सहायता करेंगे।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से बहुत प्रसन्न हूं लेकिन प्रश्न यह है कि अभी तक सरकार ने स्पेन, थाइलैंड, मलेशिया, केन्या और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं और विश्व में अभी ऐसे बहुत से देश शेष हैं जिनके साथ ऐसे द्विपक्षीय समझौते किए जा सकते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार विश्व के अन्य देशों के साथ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करने हेतु क्या कदम उठा रही है।

श्री जगमोहन : हम 32 देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। हम उन देशों के साथ सम्पर्क कर रहे हैं जहां से भारत के लिए पर्यटन की संभावनाऐं हैं।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : महोदय, जम्मू और कश्मीर पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा स्थान है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई विदेशी पर्यटक उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। यदि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनके द्वारा ऐसा किया जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु सरकार द्वारा कया कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री जगमोहन : जम्मू और कश्मीर में कुछ विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। हमारा यह प्रयास है कि पर्यटन के इच्छुक व्यक्तियों को जम्मू और कश्मीर, विशेषकर लद्दाख क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बतायें।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि पिछले कितने समय से देश में बाहर के देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या कम हो गई है और भारत में वे अधिक संख्या में आएं, इस दिशा में सरकार की ओर से क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री जगमोहन : अध्यक्ष जी, यह सही है कि भारत में विदेशी पर्यटकों में कमी आई है जिसका कारण सिक्यूरिटी एनवायर्नमेंट, वर्ल्ड ट्रेड सैंटर पर अटैक, भारतीय संसद पर हमला और बौर्डर सिक्यूरिटी एनवार्यनमेंट की वजह से तथा रिसैंटली दूसरे देशों से ट्रेवल एडवायज़री इश्यू होने के कारण विदेशी पर्यटकों में कमी आई है। *(व्यवधान)* हमारी कोशिश यह है कि यूरोपियन टूरिस्ट्स की कमी को पूरा करने के लिये हम पूर्वी देशों और विशेषकर घरेलू पर्यटन की ओर देख रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई बौद्ध स्थल ऐसे हैं जहां विदेशी पर्यटक, विशेषकर जापान, चीन और श्रीलंका के तीर्थयात्री यहां आते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन बौद्ध स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिये विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन : हमने इस दिशा में बहुत से स्पेशल प्रयास किये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, उत्तर पूरा दीजिये।

श्री जगमोहन : अध्यक्ष जी, बोध गया को वर्ल्ड हैरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। हम इन ऐरियाज में सड़कें बना रहे हैं। *(व्यवधान)* इनफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे रहे हैं। राजगीर, सारनाथ और बोध गया में इन सुविधाओं को इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी गया में एअरपोर्ट बना दिया गया है जिससे विदेशी पर्यटकों के लिये बोध गया में पहुंचना और आसान हो जायेगा।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र जूनागढ़ में एशियाटिक लाइन्स, गिरनार और सोमनाथ टैम्पल विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार इन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों को ज्यादा सुविधायें देने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

श्री जगमोहन : अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार गुजरात सरकार से सम्पर्क बनाये हुये है। मैं खुद वहां तीन दिन का दौरा करके आया हूं। *(व्यवधान)* मैं जूनागढ़ और सोमनाथ मंदिर भी गया था। राज्य सरकार से मिलकर इस एरिया में हम और ज्यादा फैसिलीटीज दे रहे हैं और इसे पहले से ज्यादा ज्यादा अट्रेक्टिव बना रहे हैं। *(व्यवधान)* इसके अलावा हम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना करने जा रहे हैं जिससे इन लोगों को बहुत फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ई०जी०पी०डब्ल्यू०एस० प्रणाली से युक्त एयरबस

*103. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा चलाई जा रही एयरबस-320 को नवीनतम *इन्हेन्सड ग्राउंड प्रोक्समिटी वार्निंग सिस्टम* (ई०जी० पी०डब्ल्यू०एस०) से सुसज्जित करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सभी विमानों को *ई०जी०पी०डब्ल्यू०एस०* प्रणाली से कब तक सुसज्जित कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) ई०जी०पी०डब्ल्यू०एस० के विशिष्ट लाभ क्या हैं;

(घ) क्या निजी एयरलाइनों द्वारा चलाई जा रही एयरबस-320 को भी इस प्रणाली से सुसज्जित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर **विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन)** : (क) और (ख) जी, हां। विमानों के प्रचालन हेतु अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, अधिकतम 15,000 किलोग्राम से अधिक प्रमाणित भार वाले विमानों के सभी टर्बाइन इंजिनों में अथवा 30 से अधिक यात्रियों का वहन करने हेतु प्रमाणित विमानों में 1 जनवरी, 2003 से पहले इन्हेन्स्ड ग्राउंड प्रौक्समिटी वार्निंग सिस्टम लगाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, नागर विमानन महानिदेशक ने भारत की सभी एयरलाइनों द्वारा इकाओ मानकों के अनुपालनार्थ नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की थी। इंडियन एयरलाइन्स के एयरबस ए-320 के विमान बेड़े में इन्हेन्सड ग्राउंड प्रौक्समिटी वार्निंग सिस्टम लगाने का कार्य दिनांक 31.12.2002 तक पूरा हो जाएगा।

(ग) इन्हेन्सड ग्राउंड प्रौक्समिटी वार्निंग सिस्टम (ई०पी०जी० डब्ल्यू०एस०) में निम्न व्यवस्थाएं हैं :–

- टैरैन से टक्कर की स्थिति में, पहले ही 60 सेकेण्ड अथवा उससे अधिक समय की वार्निंग सुविधा जिससे पायलट को सुधारात्मक कार्रवाई करने में और अधिक समय मिल जाता है।
- कॉकपिट में खास रंगों में डिसप्ले स्क्रीन पर फ्लाइट पाथ में टैरैन को डिसप्ले करने के अनुसार टैरैन को उठा हुआ दिखा जाता है।
- धुंध की वजह से कम दीखने और खराब मौसम स्थितियों के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में फ्लाइंग की भी व्यवस्था है चूंकि इसमें फ्लाइट पाथ में टैरैन का डिसप्ले करके बाधाओं से निपटने में फ्लाइट क्रू को मार्गदर्शन की व्यवस्था है।

इन चेतावनियों से फ्लाइट क्रू को *कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू तराइन* किस्म की दुर्घटनाओं के निवारण में अतिरिक्त समय मदद के लिए मिलता है जिसके फलस्वरूप अत्यधिक दुर्घटनाएं होती हैं।

(घ) और (ङ) गैर सरकारी एयरलाइनें एयरबस ए-320 किस्म के विमानों का प्रचालन नहीं करती है। यद्यपि, 15,000 किलोग्राम से अधिक भार सहित उड़ान भरने के प्रमाण-पत्र वाली टर्बाइन इंजिन के विमानों के सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अथवा 30 से अधिक यात्रियों का वहन करने वाले विमानों में 1 जनवरी, 2003 से पहले इन्हेन्सड ग्राउंड प्रौक्समिटी वार्निंग सिस्टम लगाया जाना आवश्यक है।

खतरनाक कीटनाशकों का प्रयोग

*105. **श्री के० मुरलीधरन :**
श्री एन०एन० कृष्णदास :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खतरनाक कीटनाशकों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने हेतु कोई विस्तृत अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को 'एंडो सल्फान' नामक एक खतरनाक कीटनाशक से देश के कुछ हिस्सों में, विशेषकर केरल, में उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को केरल में एंडो सल्फान के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों का गठन करके उन कीटनाशियों का प्रयोग, जो खतरनाक हैं वे जिनके प्रयोग पर अन्य देशों में रोक लगाई गई है/कड़ा प्रतिबंध है, जारी रखने अथवा न रखने के बारे में समीक्षा कराई है और इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर 27 कीटनाशियों व 3 अन्य कीटनाशियों के 4 फार्मूलेशनों पर रोक लगा दी गई है और 7 कीटनाशियों के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (एन०आई०ओ०एच०) द्वारा किए गए अध्ययन की पहली रिपोर्ट के अनुसार काजू बागानों पर एण्डोसल्फॉन कीटनाशी के हवाई छिड़काव के कारण उत्तरी केरल के कासगोड जिले के प्रभावित गांवों में बच्चों में मन्दबुद्धि, जन्मजात दोषों तथा उनकी प्रजनन प्रणाली में विकारों जैसे असाधारण रोगों का प्रकोप बहुत अधिक पाए जाने की सूचना मिली है। तथापि, उक्त संस्थान की दूसरी व अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ङ) जी, हां।

(च) केरल सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(i) केरल में सभी फसलों पर एण्डोसल्फॉन के हवाई छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ii) प्लांटेशन कार्पोरेशन ऑफ केरल (पी०सी०के०) के पेरिया खण्ड द्वारा पांच वर्ष तक कीटनाशी छिड़काव नहीं किया जाएगा।

(iii) प्लांटेशन कार्पोरेशन ऑफ केरल द्वारा अपने काजू बागानों में कीटनाशी छिड़काव केवल भूमि पर ही किया जाएगा।

(iv) प्लांटेशन कार्पोरेशन ऑफ केरल द्वारा अपने काजू बागानों में सभी छिड़काव प्रचालन केरल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्लांटेशन कार्पोरेशन ऑफ केरल के संयुक्त विशेषज्ञ दल के सीधे तकनीकी पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया जाएगा।

केरल सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के प्रावधान के तहत गठित पंजीकरण समिति द्वारा एण्डोसल्फॉन के प्रयोग के व्यापक रूप से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने एवं इसके निरंतर प्रयोग/प्रतिबंधित प्रयोग अथवा न करने के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। इसके अलावा, सरकार समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा दे रही है, जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से उचित दृष्टिकोण है और इसमें जैव कीटनाशियों का अधिक प्रयोग करने एवं पौध सरक्षण हेतु रासायनिक कीटनाशियों के आवश्यकता आधारित प्रयोग सहित संवर्धनात्मक यांत्रिक एवं जैविकीय विधियों का उपयोग शामिल है।

विवरण

भारत में प्रतिबंधित कीटनाशी दवाओं/कीटनाशी दवाओं के फार्मुलेशन्स की सूची

(क) विनिर्माण, आयात तथा प्रयोग हेतु प्रतिबंधित कीटनाशी दवाएं (सं०-24)

1. एन्ड्रीन
2. बेन्जीन हेक्साक्लोराईड
3. कैल्सियम सायनाइड
4. क्लोरडेन
5. कॉपर एसीटोआरसेनाइट
6. डाईब्रोमोक्लोरोप्रोपन
7. एन्ड्रीन
8. इथायल मरकरी क्लोराईड
9. इथायल पैराथीओर
10. हेप्टाक्लौर
11. मेन्जॉन
12. नाईट्रोफेन
13. पैराक्वेट डिमिथाइल सल्फेट
14. पेन्टाक्लोरो नाईट्रोबेन्जीन
15. पेन्टाक्लोरोफिनौल
16. सोडियम मीथेन आरसोनेट
17. टेट्राडिफॉन
18. टॉक्साफेन
19. अल्डीकार्ब
20. क्लारोबेंजिलेट
21. डाईएल्ड्रीन
22. मेलिक हाईड्रोजाईड
23. इथीलीन डाइब्रोमाईड
24. टी०सी०ए० (ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड)

17.7.2003 से प्रयोग पर प्रतिबंध

(ख) कीटनाशी/कीटनाशी फार्मूलेशन्स जो प्रयोग के लिए प्रतिबंधित है लेकिन निर्यात के लिए इनका उत्पादन अनुमत्य है (सं०-3)

25. निकाटिन सल्फेट
26. फिनायल मरकरी एसीटेट
27. केप्टाफॉल 80 प्रतिशत पाऊडर-(17.7.2003 से प्रयोग पर प्रतिबंध)

(ग) आयात, विनिर्माण एवं प्रयोग हेतु प्रतिबंधित कीटनाशी फार्मूलेशन्स (सं०-4)

1.	मीथोमायल	24% एल०
2.	मीथोमायल	12.5% एल०
3.	फॉस्फामीडॉन	85% एस०एल०
4.	कारबोफ्यूरॉन	50% एस०पी०

(घ) भारत में उपयोग के लिए निषिद्ध कीटनाशक

क्र०सं०	कीटनाशक
1.	अल्यूमिनियम फास्फाइड
2.	डी०डी०टी०
3.	लिन्डेन
4.	मिथाइल ब्रोमाइड
5.	मिथाइल पैराथियान
6.	सोडियम साइनाइड
7.	मेथोक्सीइथाइल मरक्यूरिक क्लोराइड (एम०ई०एम०सी०)

श्रमिकों की छंटनी

*106. **श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 2002 को 'दि पायानियर' में "रिट्रेन्चमेंट ऐट अलार्मिंग लेवल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रम ब्यूरो द्वारा कराये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पहले के वर्षों की तुलना में श्रमिकों की छंटनी में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने श्रमिकों की छंटनी को रोकने हेतु कुछ और कदम उठाये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) से (ङ) जी, हां। श्रम ब्यूरो के पास उपलब्ध अनन्तिम सूचना के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में, छंटनी किए गए श्रमिकों की संख्या वर्ष 1999 में 2503 से बढ़कर वर्ष 2001 में 3651 हो गई। तथापि, इसी अवधि में छंटनी करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 176 से घटकर 132 हो गई। श्रमिकों की छंटनी को विनियमित करने के प्रयोजन से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत सुरक्षा उपाय हैं।

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतता है कि अनुसूचित मामलों में छंटनी की अनुमति न प्रदान की जाए। उदाहरण के लिए, 1999 से नियोजकों द्वारा कर्मकारों की छंटनी के लिए जो आवेदन पत्र दिए गए हैं उनमें से 50 प्रतिशत मामलों में अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

*108. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दुर्दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राजमार्गों की दशा को सुधारने के लिए सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापक योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर अनुमानत: कितना खर्च होगा;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर राज्यवार कुल कितनी राशि आबंटित और खर्च की गई;

(च) क्या कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल की सरकारों ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है। उपलब्ध संसाधनों के अनुसार संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को यातायात योग्य स्थिति में रखने के प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल 58,112 कि०मी० लंबाई में से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम महामार्ग और पत्तन संपर्क शामिल हैं, के अंतर्गत 58,000 करोड़ रु० (1999 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से लगभग 13,500 लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने का कार्य शुरू किया गया है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 1999-2000 में शुरू किए गए सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत शेष लंबाई में से लगभग 22,000 कि०मी० लंबाई में सुधार कार्य

किया गया है। शेष लंबाई में अगले दो वर्षों में अथवा उससे आगे सड़क गुणता कार्य पूरा किए जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को छोड़कर संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के सुधार पर 6,000 करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है।

(ङ) वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए आबंटित कुल धनराशि तथा उन पर व्यय के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) जी, हां।

(छ) वर्ष 2001-2002 के दौरान धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल को अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई थी।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए आबंटित धनराशि और उन पर व्यय

क्रम सं०	राज्य/सं०रा० क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन (30.6.2002 की स्थिति के अनुसार)	30.6.2002 तक अनंतिम व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6897.26	5067.65	5413.75	5097.60	4220.04	2265.16	3461.09	300.00
2.	अरुणाचल प्रदेश							31.00	0.00
3.	असम	5420.00	3068.35	4778.92	3749.75	4149.18	3252.45	2271.61	59.00
4.	बिहार	11907.64	9059.08	6448.55	4945.92	4516.12	2572.52	3351.33	680.00
5.	चंडीगढ़	141.50	118.30	44.54	27.75	46.00	9.09	74.00	1.83
6.	छत्तीसगढ़			1180.00	884.97	2419.99	2217.15	2029.83	160.00
7.	दिल्ली	139.84	133.27	82.00	82.00	102.00	0.00	40.00	0.00
8.	गोवा	1426.69	1048.64	605.53	561.67	400.00	369.26	376.92	0.00
9.	गुजरात	3820.17	3660.72	2457.79	2182.89	2582.17	2126.06	2196.42	122.70
10.	हरियाणा	2011.70	1544.73	1953.49	1466.93	1942.61	1267.11	1329.87	110.00
11.	हिमाचल प्रदेश	2726.24	2428.44	3351.03	3350.99	1992.42	1411.76	1214.00	322.00
12.	जम्मू और कश्मीर	302.36	23.99	284.42	83.42	85.92	18.91	126.08	0.00
13.	झारखंड			960.84	771.81	1999.56	803.51	1646.53	110.00
14.	कर्नाटक	8445.04	6815.98	4683.83	4583.98	3943.45	2033.53	3368.45	612.00
15.	केरल	5309.00	4769.37	3340.03	3340.03	2335.64	1946.77	1954.62	1086.00
16.	मध्य प्रदेश	6573.14	6038.04	8634.19	8034.34	6082.43	4699.28	5502.59	150.00
17.	महाराष्ट्र	8648.63	8528.70	4295.00	4295.00	5291.00	4464.21	4296.95	606.00
18.	मणिपुर	876.08	584.60	824.49	687.62	936.05	693.53	372.38	0.00
19.	मेघालय	1305.89	814.84	1016.71	875.16	1134.65	191.63	611.59	74.00
20.	मिजोरम	780.00	538.41	981.43	753.41	499.53	266.57	347.91	21.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	नागालैंड	924.63	1021.63	361.25	358.17	203.05	203.00	176.36	9.00
22.	उड़ीसा	5638.24	4713.20	4776.99	4047.26	4888.17	3572.30	3658.14	664.00
23.	पांडिचेरी	269.00	152.27	182.10	123.20	85.29	61.42	82.00	28.59
24.	पंजाब	1635.80	468.77	2085.62	1537.32	2525.97	1612.85	1958.87	57.00
25.	राजस्थान	7820.00	6336.13	4104.10	3878.02	4468.55	3927.35	4935.86	582.00
26.	तमिलनाडु	13479.66	12160.40	5380.57	4896.25	4544.78	2942.96	4186.38	423.00
27.	त्रिपुरा	24.00	24.00						शून्य
28.	उत्तर प्रदेश	10179.49	10118.81	6076.50	5579.02	6619.14	4311.73	5226.00	350.00
29.	उत्तरांचल			459.30	409.19	1068.36	754.87	738.01	82.00
30.	पश्चिम बंगाल	6260.00	4756.96	5374.80	2295.26	4202.77	1287.12	1722.61	7.25

वैश्विक तापन का भारतीय कृषि पर प्रभाव

***109. श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक तापन से भारतीय कृषि प्रभावित हुई है जिसके परिणामस्वरूप 2050 तक फसल उत्पादन में 30 प्रतिशत तक कमी आ जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कम लागत तंत्र के माध्यम से रक्षणीय कृषि विकास तथा समुन्नत उत्पादकता के लिए रणनीतियां और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां अपनाने का विचार है;

(ग) क्या चावल तथा गेहूं की पैदावार इससे प्रभावित होगी;

(घ) क्या मई 2002 में हुई कृषि उत्पादकता हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन संबंधी दक्षिण एशिया विशेषज्ञ कार्यशाला में इस मामले पर चर्चा हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो कार्यशाला में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ग) वर्ष 2050 तक कृषि उत्पादन पर वैश्विक तापन के महत्व और इसके प्रभाव के संबंध में काफी अनिश्चितता है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में अंतर सरकारी पैनल (आई०पी०सी०सी०) जिसकी स्थापना संयुक्त रूप से विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यू०एम०ओ०) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू०एन०ई०पी०) द्वारा 1988 में की गई थी, ने वर्ष 2001 में अंतिम रूप से तैयार अपनी तीसरी आकलन रिपोर्ट में यह प्रक्षेपित किया है कि 1990-2100 अवधि में वैश्विक औसत भूतल तापमान 1.4 डिग्री से० 5.8 डिग्री से० तक बढ़ सकता है। आई० पी०सी०सी० की रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को विशिष्ट रूप से कृषि को एक अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र माना गया है। फसल उत्पादन और जलकृषि को थर्मल तथा जलीय दबावों, समुद्र स्तर के ऊपर होने, अधिक बाढ़, और तेज हवाजों के साथ-साथ तीव्र उष्णकटिबंधी चक्रवातों का खतरा रहेगा। चावल और गेहूं सहित भारतीय कृषि पर वैश्विक तापन का विशिष्ट प्रभाव अनुकूलीकरण तथा न्यूनीकरण नीतियों सहित तापमान तथा अन्य जलवायुवीय विशेषताओं के वास्तविक परिवर्तन पर निर्भर करेगा।

(ख) कृषि मंत्रालय जल, भूमि, पोषक तत्व तथा कृमिनाशियों आदि के कुशल उपयोग के संवर्धन के लिए विभिन्न संसाधन संरक्षण कार्यक्रम और स्कीमें अपना रहा है ताकि देश में सतत फार्म विकास हो सके। कुछ प्रमुख कार्यक्रम और स्कीमें इस प्रकार हैं :–

1. राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०)
2. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अपरदित/अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण।
3. क्षारीय मृदा का सुधार
4. झूम की खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना
5. राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास एवं प्रयोग परियोजना
6. समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा
7. राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना
8. 'जीरो टिलेज' को बढ़ावा
9. प्लास्टीकल्चर हस्तक्षेप के माध्यम से बागवानी विकास स्कीम के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा।

(घ) और (ङ) जी, हां 1 मई, 2002 में आयोजित "कृषि उत्पादकता हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन" पर दक्षिण एशिया के विशेषज्ञों की कार्यशाला के दो मुख्य उद्देश्य थे यथा – (I) जलवायु में हो रहे परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव और इसके लिए उपलब्ध सक्षम समाधान के बारे में इस क्षेत्र में जागरूकता लाना (II) नई दिल्ली में अक्टूबर, 2002 में होने जो रहे 'यू०एन० फ्रेम वर्क कन्वेन्शन आन क्लाइमेट चेन्ज (यू०एन०एफ०सी०सी०)' के पक्षकारों के आठवे सम्मेलन (सी०ओ०पी० 8) के लिए अपनी सिफारिशें देना। इस कार्यशाला में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में "कृषि की संवेदनशीलता, अनुकूलन और न्यूनीकरण मुद्दे पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में तैयार की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं –

1. पनधारा विकास, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध तथा पादप किस्मों का विकास जैसे क्षेत्रों में सतत विकास नीतियों और कार्यक्रमों को इस ढंग से क्रियान्वित करें कि बाद में पश्चताप न करना पड़े और उनको समर्थन देने तथा मजबूत बनाने की जरूरत है।

2. अनुकूलन विज्ञान और नीतियां समग्रता में, अर्थात-एक जिंस या एक विषय के अपेक्षाकृत फार्मिंग पद्धतियों पर आधारित होनी चाहिए।

3. राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय नियोजन नीतियों की मुख्य धारा में अनुकूलन को शामिल करते हुए कार्य आधारित ढांचा/दिशा-निर्देश अपनाने की आवश्यकता। ऐसे ढांचे के प्रमुख घटक निम्नलिखित होंगे –

   - कार्यक्रमों और परियोजनाओं का एक समुच्चय, जिसे राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अपनाया जा सकता है।
   - उन चालू सरकारी कार्यक्रमों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना जिनमें जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अनुकूलन घटक मौजूद है।
   - अनुकूलन को प्रोत्साहित करने वालों के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान करना। 'क्योटो प्रोटोकॉल' की 'क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म' के तहत 'ग्रीनहाउस गैसों' का शमन करने वाले किसानों की भूमिका को सकारात्मक पहचान देने की आवश्यकता है।
   - क्षमता सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
   - अनुभव शेयर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय संस्थानों के तंत्र का प्रावधान करना।
   - सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रलेखन और किसानों में इसका प्रचार-प्रसार
   - अनुकूलन प्रक्रिया का प्रबोधन और मूल्यांकन

4. अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय, दोनों अनुसंधान पद्धतियों के लिए अनुकूलन के संबंध में सार्वजनिक अनुसंधान को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

5. आवश्यक अनुकूलन और नयूनीकरण उपायों के प्रचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण की सहायता अपेक्षित होगी।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी को नौवीं अनुसूची में शामिल करना

***110. श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश के कई भागों में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान में असमानता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने को दण्डनीय अपराध की श्रेणी में लाने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की 27 जून, 2002 को हुई एक बैठक में संविधान की नौवीं अनुसूची में न्यूनतम मजदूरी को शामिल करने का सुझाव दिया गया था।

(ख) सरकार का विचार है कि संविधान की नौवीं अनुसूची में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को शामिल करने से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। अनुच्छेद 31-ख के अंतर्गत यह अनुसूची अधिनियमों और विनियमों अथवा उनके अंतर्गत बने किसी भी उपबंध को संरक्षण प्रदान करती है और इनके अंतर्गत जारी आदेशों और अधिसूचनाओं को न्यायालय में चुनौती दी जाती रहेगी। चूंकि,

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचनाओं/आदेशों के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित की जा रही है, अत: इसे नौवीं अनुसूची का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।

(ग) से (घ) सामाजिक-आर्थिक और कृषि-जलवायु संबंधी परिस्थितियों, उत्पादकता, निर्वाह व्यय, आय, स्थानीय परिस्थितियों आदि में भिन्नताओं के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में असमानता है। राज्यों/संघ शामिल प्रदेशों में अकुशल कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की सीमा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) असमानता को कम करने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियां गठित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन क्षेत्रीय समितियों ने अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें एक क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की न्यूनतम मजदूरी में असमानताओं को कम करना, अन्तर्राज्यीय समन्वय परिषद गठित करना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करते समय पड़ोसी राज्यों के साथ परामर्श करना आदि शामिल है। केन्द्रीय सरकार ने निम्नतम स्तरीय मजदूरी की अवधारणा भी विकसित की है और सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि उनके किसी भी अनुसूचित नियोजन में 45/-रु० प्रति दिवस की वर्तमान निम्नतम स्तरीय मजदूरी से कम न्यूनतम मजदूरी न हो।

(च) से (ज) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में दोषी पाए गए नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी एवं दांडिक प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में अनुसूचित नियोजनों के अकुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी की दरें

(1.10.2001 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	न्यूनतम मजदूरी की दर (रु० प्रतिदिन)	अभ्युक्ति
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	25.96 रु० से 106.04 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
2. अरूणाचल प्रदेश	39.87 रु० से 42.11 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं।
3. असम	32.80 रु० से 50.70 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
4. बिहार	37.88 रु० से 58.64 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
5. गोवा	28.00 रु० से 125.00 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं।
6. गुजरात	50.00 रु० से 95.40 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
7. हरियाणा	74.61 रु०*	परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित एक ही दर।
8. हिमाचल प्रदेश	51.00 रु०	सभी रोजगार हेतु एकल दर।
9. जम्मू और कश्मीर	45.00 रु०	सभी रोजगार हेतु एकल दर।
10. कर्नाटक	16.75 रु० से 84.22 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
11. केरल	30.00 रु० से 143.67 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
12. मध्य प्रदेश	51.80 रु० से 74.34 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।

1	2	3
13. महाराष्ट्र	45.00 रु० से 116.55 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
14. मणिपुर	62.15 रु० से 65.15 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
15. मेघालय	50.00 रु०*	सभी रोजगार के लिए एकल दर; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
16. मिजोरम	70.00 रु०	सभी रोजगार के लिए एकल दर।
17. नागालैण्ड	45.00 रु०	सभी रोजगार के लिए एकल दर।
18. उड़ीसा	42.50 रु०*	सभी रोजगार के लिए एकल दर; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
19. पंजाब	69.25 रु० से 155.20 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
20. राजस्थान	50.36 रु० से 63.31 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; केवल छः रोजगार में परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
21. सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को अभी तक लागू किया जाना है।	
22. तमिलनाडु	44.93 रु० से 115.80 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
23. त्रिपुरा	25.00 रु० से 53.05 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; केवल दो नियोजनों में परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
24. उत्तर प्रदेश	40.00 रु० से 83.81 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
25. पश्चिम बंगाल	58.90 रु० से 165.78 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70.00 रु० से 88.88 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं।
27. चंडीगढ़	81.65 रु०*	सभी रोजगारों के लिए एकल दर; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
28. दादरा और नगर हवेली	50.00 रु० से 60.00 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
29. दमन और दीव	50.00 रु० से 60.00 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं।
30. दिल्ली	72.75 रु० से 102.60 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
31. लक्षद्वीप	46.80 रु०*	सभी रोजगारों के लिए एकल दर; परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।
32. पांडिचेरी	19.25 रु० से 65.00 रु० प्रतिदिन	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं।
केन्द्रीय क्षेत्र	54.27 रु० से 129.93 रु० तक*	एक रोजगार से दूसरे रोजगार में दरें भिन्न-भिन्न हैं; (क्षेत्रों के अनुसार) परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित।

*वे राज्य जिन्होंने परिवर्ती महंगाई भत्ते को न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में स्वीकार किया है।

[अनुवाद]

वन कर्मचारियों पर हमला

***113. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मई, 2002 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''नक्सल एक्टिव इन सेन्ट्रल इंडिया सेंक्च्यूरीज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें उल्लिखित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इन्द्रावती कांगर घाट राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़) में वन कर्मचारियों पर नक्सलवादियों द्वारा किए जाने वाले हमलों और उन्हें डराने-धमकाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या जंगल में रात को ठहरना असुरक्षित हो गया है और अतिथि गृह (गेस्ट हाऊस) नक्सलवादियों के मिलन स्थल बन गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समय-समय पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जिसमें इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं, के वन क्षेत्रों से नक्सलवादियों की उपस्थिति की वजह से गड़बड़ी की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। राज्य सरकार द्वारा सूचित कुछ घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

विवरण

वर्ष	हमला/क्षति की घटनाएं	क्षति (रुपयों में)
1	2	3
1987	भवन को आग लगने की क्षति	10,000.00
1988	दो वायरलैस सैट हटाए और ले लिए और पिल्लूर स्थित भवनों को पहुंची क्षति	41,000.00
1997	वन संरक्षक के रैंक के एक अधिकारी के साथ हाथा-पाई की गई	–
1998	5.4.1998 को सगमेता स्थित गेम गार्ड नाका आंशिका रूप से बलास्टिंग के कारण क्षतिग्रस्त	10,000.00
2000	17.2.2000 को सभी निर्माण कार्य रोके गए	–
2001	वन गार्ड क्वार्टर, कारकेली और बैरियर 1.12.01 को क्षतिग्रस्त	–

सड़क उपकर का संग्रहण

***114. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल, डीजल आदि पर सड़क उपकर के रूप में वसूली से कितनी राशि एकत्र हुई है;

(ख) क्या केंद्रीय सड़क कोष द्वारा इस उपकर का पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) केंद्रीय सड़क कोष से प्राप्त धनराशि किन-किन मदों पर खर्च की गई है;

(घ) क्या उपकर की अधिकांश राशि का उपयोग गैर-विकास खर्च के लिए किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपकर के समुचित प्रयोग के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर सड़क उपकर के रूप में वसूल की गई राशि इस प्रकार है :–

वर्ष	वसूल किया गया उपकर (करोड़ रु०)
1999-2000	5223
2000-2001	5169
2001-2002 (नवम्बर, 01 तक)	3398

(ख) जी, हां। पेट्रोल पर डीजल पर प्राप्त उपकर, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि में जमा किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि का उपयोग ग्रामीण सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों, सड़क उपरि पुलों/पुल उपरि सड़कों और रेलवे लेबल क्रासिंग पर सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खान दुर्घटनाओं में मरे लोग

*115. **श्री लक्ष्मण गिलुवा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष खान दुर्घटनाओं में मरे और घायल हुए लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय खानों में अपनाए गए सुरक्षोपाय अंतरराष्ट्रीय मानक के हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार खानों में अपनाए जा रहे वर्तमान सुरक्षोपायों के उन्नयन करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) वर्ष-2001 के दौरान देश में खान दुर्घटनाओं में मारे गए एवं घालय व्यक्तियों की संख्या नीचे दर्शायी गयी है :–

खान के प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या	
	घातक	गंभीर	मारे गए	गंभीर रूप से घायल
कोयला	108	659	144	711
गैर-कोयला	72	200	83	209
सभी (कुल)	180	859	227	920

(ख) देश में मौजूद स्थिति के अनुसार खानों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए खान अधिनियम, 1952 बनाया गया है। खान अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम हमारे प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाये गए हैं।

(ग) और (घ) खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में खानों में लगे व्यक्तियों के लिए सुरक्षा के प्रावधान किये गये हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय भी प्रबंधनों को परिपत्रों के माध्यम से सुरक्षा उपायों में सुधार हेतु दिशा-निर्देश जारी करता है। खान प्रबंधनों द्वारा इन प्रावधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी खानों में सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए खानों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं तथा चूक की स्थिति में खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनिवार्य उपयोगिता प्रमाण-पत्र

*116. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का लाभ लेने के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों, प्रस्तावों और परियोजना रिपोर्टों को प्रस्तुत करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जो नियमित रूप से ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं कर रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्थानीय निकायों या निजी संस्थानों के माध्यम से किए जाने वाले खर्च के संबंध में उनके द्वारा उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। जहां धन सीधे राज्य सरकारों द्वारा खर्च किया जाता है, धन की निर्मुक्ति, समायोजन और उपयोगिता के मामले में विभिन्न स्कीमों के तहत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। राज्य सरकारों को सीधे खर्च करने के लिए जारी किये गये धन में से किये गये खर्च की भी मानीटरिंग की जाती है ताकि इसकी समुचित एवं समय अनुसार उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके और उनको आगे धन जारी करने के बारे में विचार किया जा सके और यदि कुछ राशि बची रहती है तो यथा सम्भव अगली निर्मुक्ति के समय उसको समायोजित किया जा सके।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

झीलों की सफाई के लिए नियत निधियों का दुरूपयोग

*117. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झीलों की, विशेषकर उन झीलों की जो पर्यटन स्थलों के समीप हैं, साफ न किए जाने के कारण और पक्षियों के शिकार में वृद्धि के कारण देश में झीलों की सुंदरता नष्ट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा झीलों की सफाई के लिए आवंटित धनराशि कागजों पर ही खर्च हो रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित धन का समुचित उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का पर्यटन स्थलों के निकट झीलों, तालाबों और नदियों की सफाई के लिए व्यापक अभियान चलाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (च) झीलें जो विशेष रूप से पर्यटन स्थलों के नजदीक हैं विभिन्न स्तरों पर प्रदूषित हो गई हैं जिसका कारण गाद, अतिक्रमण और घरेलू एवं औद्योगिक बहिस्राव है। इसके फलस्वरूप यूटरोफिकेशन, घास-पात उत्पीड़न, जैव-विविधता में कमी होने विशेष रूप से क्षेत्रिक और संकटापन्न प्रजातियों, प्रवासी पक्षी संख्या और मछली की उत्पादकता में कमी हुई है।

सरकार ने 1994 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन०एल० सी०पी०) तैयार की थी जिसके अन्तर्गत संरक्षण के लिए 10 शहरी प्रदूषित झीलों को अभिज्ञात किया गया था। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अभिज्ञात झीलें इस प्रकार हैं :–

क्रम सं०	झील का नाम	राज्य
1.	डल	जम्मू एवं कश्मीर
2.	सुखना	चण्डीगढ़
3.	सागर	मध्य प्रदेश
	नैनीताल	उत्तर प्रदेश
	कोडई कैनाल	तमिलनाडु
	ऊटी	तमिलनाडु
	उदयपुर	राजस्थान
	रविन्द्र सरोवर	पश्चिम बंगाल
	पोवई	महाराष्ट्र
10.	हुसैन सागर	आन्ध्र प्रदेश

इनके अलावा, संरक्षण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा तावित अन्य प्रदूषित झीलों में बंगलौर में चार नामत: वेंगाईखेरे, माक्षीपल्य, जरगनहाली एवं नागवारा है। इनके अलावा, मानसागर यपुर), बंजारा (हैदराबाद), कुरूक्षेत्र तीर्थ (हरियाणा), भीष्म (गडग, र्नाटक) ओर कोटेकेरे (बेलगांव, कर्नाटक) के लिए प्रस्ताव प्राप्त ा है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 1997 में केवल सिद्धान्त रूप से अनुमोदित हुआ था। तथापि नौवीं योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत सीमित निधियां उपलब्ध थीं। 10 अभिज्ञात प्रदूषित झीलों में 3 झीलें नामत: पोवई, ऊटी और कोडई कैनाल की संरक्षण योजना को जून, 2001 में अनुमोदित किया गया था। बंगलौर की 4 झीलों की संरक्षण योजना को फरवरी, 2002 में अनुमोदित किया गया था। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के लिए दसवीं योजना और वर्तमान वार्षिक योजना के दौरान परिव्यय क्रमश: 150 करोड़ रुपये और 30 करोड़ रुपए हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजाएं और जारी की गई निधियों की स्थिति नीचे दिए अनुसार है :–

क्र० सं०	झील का नाम	अनुमोदित निधियां (करोड़ रुपये)	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये)
1.	पोवई झील	6.62	4.00
2.	ऊटी झील	1.95	1.00
3.	कोडईकैनाल	6.33	2.00
4.	बंगलौर झील	12.32	2.79

अन्य प्रदूषित झीलों के लिए संरक्षण प्रस्तावों को उनके प्रदूषण स्थिति एवं योजना में निधियों की उपलब्धता के आधार पर लिए जाएंगे।

सरकार ने नम भूमियों पर भी राष्ट्रीय समिति गठित की है जिसने 2167 प्राकृतिक स्वच्छ जल नमभूमियों की सूची तैयार की है। भारत सरकार, 20 अभिज्ञात क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सी गतिविधियों के लिए 100 प्रतिशत सहायता दे रही है जिनमें प्रमुख हैं सुरक्षा, कैचमैंट क्षेत्र शोधन; प्रदूषण नियंत्रण जैवविविधता संरक्षण, सतत् संसाधन उपयोगिता, मत्स्य क्षेत्र विकास, जनजागरूकता और भागीदारी मानीटरिंग, मूल्यांकन और अनुसंधान।

झीलों और नदियों की संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत जनजागरूकता और जनभागीदारी शामिल है।

राष्ट्रीय उद्यानों में प्रबंधन प्रणाली

*118. **श्री वी० वेत्रिसेलवन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्यानों की प्रबंधन प्रणाली की निरंतर समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या संरक्षित जानवरों के अवैध शिकार को रोकने में प्रबंधन प्रणाली की असफलता के संबंध में कोई कमी पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वर्तमान प्रबंधन प्रणाली को चुस्त-दुरस्त बनाने तथा राष्ट्रीय उद्यानों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन का निरीक्षण करना संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रबंधन की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है जिसे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) के अंगीकरण में पराकाष्ठा पर लाया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा एक वन्यजीव संरक्षण नीति 2002 को भी अंगीकार किया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रबंधन में देखी गई कुछ कमियां निम्नलिखित हैं :–

1. फील्ड स्तर पर रिक्तियों की अधिक संख्या।
2. अपर्याप्त अवसंरचना, कम गतिशीलता, उपयुक्त हथियारों और प्रभावी संचार नेटवर्क की कमी।
3. प्रशिक्षित फील्ड कार्मिकों की कमी
4. केन्द्रीय सहायता देरी से प्राप्त होना तथा राज्य सरकारों द्वारा अपर्याप्त धन का आबंटन।

(घ) राष्ट्रीय उद्यानों में प्रबंधन और सुरक्षा प्रबंधों में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2002 को आयोजित की गई भारतीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में वन्यजीव संरक्षण नीति को अंगीकार किया गया है। वन्यजीव संरक्षण नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

(i) राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव और वनों को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया जाएगा जिसके लिए निधियां अलग से निर्धारित की जाएं।

(ii) कानून लागू करने वाले अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि वे लोग जो अवैध शिकार, वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों, उनके वासस्थलों को नष्ट करने और अन्य ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं उन्हें शीघ्र और कठोर दंड दिया जाए।

(iii) महत्वपूर्ण व पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक वन्यजीव वासस्थलों में वन भूमि का वनेत्तर प्रयोजनों के लिए अपवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के 10 कि०मी० के भीतर पड़ने वाली भूमियों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 3(v) के अंतर्गत और पर्यावरण (सुरक्षा) नियम के नियम 5 उपनियम 5 (viii) और (x) के तहत पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील अंचलों के रूप में अधिसूचित किया जाए।

(v) वनभूमियों और सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर अनधिकृत कब्जों और अवैध गतिविधियों को समाप्त किया जाए।

(vi) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में अधिकारों के निस्तारण का उपयोग ऐसे क्षेत्रों को अलग करने अथवा उनमें कमी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है और वन्यजीव वासस्थल का अभिन्न हिस्सा है।

(vii) सुरक्षित क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति वाले स्टाफ में 2000 से अधिक रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा और प्रभावी कर्तव्यपालन के लिए आधारभूत ढांचा मुहैया कराया जाएगा। पुलिस विभाग की तर्ज पर रिकत पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाए।

2. केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

3. वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को राज्य और जिला स्तर पर समन्वय समिति का गठन करने के लिए कहा गया है।

4. गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

5. विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

यात्री निवासों का निर्माण

*119. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002-03 के दौरान देश में यात्री निवासों के निर्माण हेतु कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ किए गए परामर्श से प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की गई है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वर्ष 2002-03 के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास और उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास जैसी नई योजनायें शुरू की हैं जिनमें सस्ते आवासों का निर्माण शामिल है।

(ख) राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से वर्ष 2002-03 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यमुना में प्रदूषण संबंधी अध्ययन

*120. **श्री रामदास आठवले** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण स्तर के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले और इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा यमुना नदी में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्र (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी०पी०सी०बी०) दिसम्बर 1974 से यमुना नदी की जल गुणता की मानीटरिंग कर रहा है। यमुनोत्री से इलाहाबाद तक 17 स्थानों पर एक माह में एक बार मानीटरिंग की जाती है इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली क्षेत्र में यमुना नदी में गिरने वाले नालों के साथ-साथ 04 स्थानों पर भी मानीटर किया जा रहा है।

अध्ययन से पता चलता है कि 1376 कि०मी० की नदी लम्बाई में से 526 कि०मी० क्षेत्र दिल्ली और इटावा के बीच अत्याधिक प्रदूषित है जिसका कारण अशोधित घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल को छोड़ा जाना है, नदी के विभिन्न क्षेत्रों में जलगुणता की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	नदी क्षेत्र	घुलित ऑक्सीजन रेंज (मि०ग्रा०/प्रति लीटर)	बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड रेंज (मि०ग्रा०/प्रति लीटर)	फीकल कोलीफार्म रेंज (एम०पी०एन० (प्रति 100 मिली)	संवेदनशील मापदण्डों का कारण
1.	ताजेवाला-वजीराबाद	7.3-11.0	1.0-4.5	4×10^{2}-7.5×10^{3}	घरेलू अपशिष्ट जल का निकास
2.	वजीराबाद ओखला	0-0.8	0-28.0	2.5×10^{5}-2.7×10^{6}	दिल्ली में घरेलू एवं औद्योगिक बहिस्राव का निकास
3.	ओखला-मथुरा	0.0-9.2	2.8-26.5	1.4×10^{4}-7.9×10^{4}	दिल्ली से घरेलू अपशिष्ट जल एवं सहारनपुर गाजियाबाद नोएडा एवं मथुरा से औद्योगिक बहिस्राव
4.	मथुरा इलाहाबाद	0.9-11.8	3.0-26.0	1.4×10^{3}-11.7×10^{5}	वृंदावन आगरा एवं इटावा से घरेलू अपशिष्ट जल

नदी की मौजूदा जलगुणता (ग) से (ङ) श्रेणी तक भिन्न-भिन्न है जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिनामित सर्वोत्तम उपयोग पर आधारित वर्गीकरण के अनुसार है। यमुना कार्य योजना के क्रियान्वयन का उद्देश्य नदी की मौजूदा जलगुणता को सुधार कर स्नान गुणता (वर्ग ख) तक लाने का है।

(ग) सरकार, यमुना नदी में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर जो कि शोधित और अशोधित घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल की वजह से है और नदी में न्यूनतम बहाव को बनाए रखने की समस्या से भी परिचित है। सरकार द्वारा नदी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर की रोकथाम के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित है :–

(i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबंधित राज्य बोर्डों को अन्य निर्देशों के अलावा जल अधिनियम 1974 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं कि यमुना नदी के किनारे वे, मलजल शोधन संयंत्रों के उपर्युक्त रूप से

प्रचालन एवं रखरखाव करने के संबंध में उपाय करें, मलजल के संग्रहण और शोधन के लिए सुविधाएं प्रदान करें, यमुना नदी के किनारे स्थित उन उद्योगों के लिए बहिस्राव मानक कड़ाई से अनुपालन करवाएं और जलीय जीवन के संरक्षण के लिए मूल न्यूनतम बहाव को बनाए रखें।

(ii) यमुना कार्य योजना चरण-I के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन स्कीमें दिल्ली के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 8 शहरों और हरियाणा के 12 शहरों में 711 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आरंभ की गई है जिसमें से 655 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और वास्तविक प्रगति 95 प्रतिशत है।

(iii) दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

क. ट्रंक सीवर की पुन:स्थापना एवं गाद निकाल कर मलजल शोधन संयंत्रों की क्षमता उपयोग में सुधार करना।

ख. प्रदूषण के विभिन्न मानदण्डों में सुधार करके मलजल शोधन संयंत्रों की वर्तमान क्षमता का उन्नयन।

ग. मलजल शोधन संयंत्रों के निष्पादन की तिमाही आधार पर मानीटरिंग की जाती है।

घ. मलजल शोधन संयंत्रों के बहिस्राव मानक बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड (30 मि०ग्रा० प्रतिलीटर की अपेक्षा 10 मि०ग्रा० प्रति लीटर) और कुल निलंबित ठोस पदार्थ (50 मि०ग्रा० प्रति लीटर की अपेक्षा 15 मि०ग्रा० प्रति लीटर) के संबंध में और अधिक कड़े बना दिए गए हैं।

ङ दिल्ली उत्पादकता परिषद द्वारा मलजल शोधन संयंत्रों के प्रचालन और रख रखाव में लिप्त स्टाफ के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

(iv) यमुना नदी में न्यूनतम बहाव को बनाए रखने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति सदस्य (पर्यावरण), योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित की गई है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव इसके सदस्य हैं।

(v) सतही एवं भूजल की जलगुणता को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए एक जल गुणता मूल्यांकन प्राधिकरण और राज्य स्तरीय समीक्षा समितियां गठित की गई हैं।

बूचड़खाना हटाया जाना

1013. **श्री कैलाश मेघवाल :**
श्री अम्बरीश :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बूचड़खाना हटाए जाने संबंधी राज्य सरकारों से प्राप्त अनेक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन बूचड़खानों का ब्यौरा क्या है जिनके मामले में केन्द्र सरकार ने हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है;

(घ) सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या टोंक शहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 पर वर्तमान में चल रहे बूचड़खाने जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, को हटाने हेतु राजस्थान सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लंबित है; और

(च) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार ने नगर निगम, जयपुर, राजस्थान द्वारा क्रियान्वित कुल 712 लाख रुपए के परिव्यय से जयपुर शहर से बूचड़खाने को स्थानान्तरित करके चनपुरा, जयपुर ले जाने के राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। मंत्रालय ने इस परियोजना को 11 अक्तूबर, 2000 को मंजूरी प्रदान की थी तथा इस परियोजना के लिए 50 लाख रुपए की राशि जारी की थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैश्वीकरण के कारण बेरोजगारी

1014. **डा० रामचन्द्र डोम :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक मंदी और वैश्वीकरण विशेषकर भारत में बढ़ती बेरोजगारी के गंभीर प्रभावों से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गुवाओं में बेरोजगारी की समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण पुराने प्रकार के

उद्यमों में गिरती हुई कार्यकुशलता के कारण रोजगार अवसरों में कुछ गिरावट आई। वहीं दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं आदि जैसे अनेक नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ।

10वीं पचंवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

पुनर्चक्रण पद्धति को अपनाकर उद्योगों को प्रोत्साहन

1015. श्री सुरेश चन्देल : क्या **पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुनर्प्रयोज्य, पुनर्चक्रण और पर्यावरण अनुकूल उपायों को अपनाकर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) बहिस्रावों/अपशिष्टों के पुनर्प्रयोज्य, प्रनर्चक्रण सहित अपशिष्ट न्यूनीकरण उपायों को अपनाने और विनिर्माण संसाधन उद्योगों में साफ सुथरी प्रोद्योगिकियां अपनाने के लिए सरकार द्वारा उद्योगों को सहायता अनुदान और सबसिडी के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

औद्योगिक श्रमिकों को मजदूरी/वेतन

1016. श्री सुबोध राय :
श्री एस०पी० लेपचा :
श्री विकास चौधरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और विकसित देशों में देश-वार, संगठित और असंगठित औद्योगिक और कृषि श्रमिकों का तुलनात्मक औसत मजदूरी/वेतन अर्जन कितना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रकाशन "इयरबुक ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, 2001" के आधार पर कुछ विकसित देशों में सैक्टर-वार प्रति कर्मकार औसत मजदूरी/वेतन उपार्जन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण, 1999-2000 के आधार पर भारत के संबंध में अपेक्षित जानकारी को दर्शाने वाला एक अन्य ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

(स्रोत: अं०श्र०सं० द्वारा प्रकाशित "इयरबुक ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, 2001")

क्रम सं०	देश	इकाई और मुद्रा	प्रति कर्मकार उपार्जन – (वर्ष 1998)								
			कृषि	खनन और उत्खनन	विनिर्माण	विद्युत	निर्माण	ट्रेड	होटल	परिवहन	वित्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कनाडा	डालर प्रति घंटा	–	24.24	17.21	23.91	18.36	11.65	8.38	18.54	14.24
2.	अमेरिका	डालर प्रति घंटा	340 (प्रति सप्ताह)	6.91	13.49	19.97	16.61	–	–	–	–
3.	जापान	येन प्रति घंटा	–	2991900	289600	391300	317500	300800	300800	304900	–
4.	जर्मनी	मार्क प्रति घंटा	14.21	25.44	26.78	30.05	24.83	–	–	–	–
5.	हंगरी	फोरिंट प्रति माह	47285	85668	68872	90640	54777	66881	50486	76883	–
6.	इटली	लिरा प्रति घंटा	105.0	109.9	108.6	108.3	107.8	111.9	108.7	106.0	–
7.	नीदरलैंड	गिल्डर प्रति घंटा	–	26.22	32.15	47.52	32.02	42.47	42.47	31.67	27.75
8.	स्वीडन	क्रोनर प्रति घंटा	100.22	90.73	120.76	105.07	106.69	107.88	107.88	92.59	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	यू०के०	पाउंड प्रति घंटा	5.93	11.52	9.10	11.42	8.33	8.29	6.23	8.52	13.97
10.	आस्ट्रेलिया	डालर प्रति घंटा	—	28.02	17.38	22.19	19.37	15.59	15.59	13.67	19.91
11.	सिंगापुर	डालर प्रति माह	—	—	2716	2143	2539	1320	1320	2802	4399
12.	आस्ट्रिया	शिलिंग प्रति माह	—	33911	28455	37171	28067	23524	17486	24249	—
13.	डेनमार्क	क्रोनर प्रति घंटा	—	243.36	174.50	209.97	171.34	167.70	137.71	194.63	220.39

विवरण-II

नियमित मजदूरी-भोगी/वेतन-भोगी कर्मचारी द्वारा सैक्टर-वार प्राप्त की जा रही औसत मजदूरी/वेतन उपार्जन

क्रम संख्या	उद्योग/प्रभाग/समूह	शहरी (रुपए में)	ग्रामीण (रुपए में)
1	2	3	4
1.	कृषि	137.90	65.88
2.	खनन और उत्खनन	257.16	140.16
3.	विनिर्माण	96.58	77.66
4.	विनिर्माण	165.40	96.41
5.	विद्युत, गैस और जल	246.86	197.54
6.	निर्माण	133.59	104.66
7.	ट्रेड	100.27	64.90
8.	परिवहन और भण्डारण आदि	162.04	112.29
9.	सेवा	263.87	155.69
10.	सेवा	206.43	177.18
11.	ई०पी०एम० व्यक्तियों सहित प्राइवेट हाउसहोल्ड	49.38	49.25
12.	अन्य	998.61	320.00

स्रोत : रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण, 1999-2002

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण हेतु प्रस्ताव

1017. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य सरकारों से अपने राज्यों में बाढ़ नियंत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रस्तावों की स्वीकृति, जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ केन्द्रीय जल आयोग/गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की टिप्पणियों की राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक अनुपालन पर निर्भर करता है।

विवरण

केन्द्रीय जल आयोग और गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग में प्राप्त की गई बाढ़ नियंत्रण, जल निकास और कटाव-रोधी स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	स्कीम का नाम	मौजूदा स्थिति
1	2	3
असम	बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा	केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय की टिप्पणियां फरवरी 02 में भेजी गई।

1	2	3
असम	बरनादी नदी से होने वाली बाढ़ तथा कटाव से नागरि जुली, रांगिया कस्बे और मुकालमुआ/बोरभाग क्षेत्र की सुरक्षा	केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय को टिप्पणियां मई, 01 में भेजी गई। टिप्पणियों के उत्तर की जांच की जा रही है।
वही-	भगलूमुख से नीलांचल हिल्स तक के खण्ड मे ब्रह्मपुत्र नदी मेनदी में नदी नियंत्रण उपाय	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को अनुपालन के लिए दिसम्बर, 2001 में ब्रहमपुत्र बोर्ड भेजा गया।
वही-	डिब्रूगढ़ नगर के प्रतिप्रवाह पर ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से रोहमारिया क्षेत्र की सुरक्षा	केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय की टिप्पणियों को मार्च, 02 में भेजा गया।
वही	ब्रह्मपुत्र और जिंजीराम नदी की बाढ़ से हतसिंगिभारी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मोलाखोवाघाट से कथालवाड़ी तक तट-बंध का निर्माण।	1/2000 को प्राप्त संशोधित स्कीम की पुन: जांच की गई और टिप्पणियों को सितम्बर, 01 में बाढ़ नियंत्रण विभाग, असम सरकार को भेजा गया।
वही	करीमगंज जिले के अन्तर्गत उत्तरी करीमगंज विकास खण्ड में मानिक-कोना-कैलभा क्षेत्रों में जलनिकास संकुलता दूर करना	इस स्कीम की जांच की गई है और टिप्पणियां ए०सी०ई०, एफ०सी०डी० असम को फरवरी, 02 में भेजी गई।
वही	मार्घेरिटा नगर (देहिंगपारिया गांव) के एल/वी पर प्रतिप्रवाह पर बूरी-देहिंग नदी के कटाव को रोकने के लिए ए/ई उपायों का विस्तार	संशोधित स्कीम की पुन: जांच की गई है और टिप्पणियों को दिसम्बर, 01 में असम के बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजा गया है।
वही	चेनेज 930 मी० से 1855 मी० तक टाइबंध के सुधार सहित स्टोन स्पर सं० 4, 8 और 9 पर ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किए जाने वाले कटाव से धुबरी नगर की सुरक्षा को सुदृढ़ करना।	इस स्कीम की जांच की गई है और टिप्पणियों को मई, 01 में असम के बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजा गया एक वर्ष से भी अधिक समय से कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण इस स्कीम को लंबित सूची से हटा दिया गया है। तद्नुसार, जून, 02 में राज्य सरकार को सूचना दे दी गई है।*
वही-	तटबंध को चौड़ा करने सहित एन०एच० ब्रिज से बाधारचुक तक दिखो बंध दायां तट के कटाव-रोधी कार्य	इस स्कीम की जांच की गई है और टिप्पणियों को मई, 01 में असम के बाढ़ विभाग को भेजा गया है।
वही	दिखो बंध एल/वी के 23वे किमी पर ऊपरी नजीरा से ए०टी० रोड़ तक कटाव रोधी कार्य (मेटकाघाट)	इस स्कीम की जांच की गई है और टिप्पणियों को जून, 01 में असम के बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजा गया है।
वही-	ब्रह्मपुत्र नदी का कटाव रोकने के लिए कोकिला मुख क्षेत्र का संरक्षण (स्पर सं० 1/1 का सुदृढ़ीकरण)	इस स्कीम की जांच की गई और टिप्पणियां बाढ़ नियंत्रण विभाग, असम को सितम्बर, 01 में भेजी गई।
वही	9वें, 12वें एवं 16वें कि०मी० पर राजघाट से बाहगढ़ तक डेसंग बंध एल/बी का कटावरोधी उपाय	इस स्कीम की जांच की गई और अनुपालना के लिए टिप्पणियां अतिरिक्त मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण विभाग, डिब्रूगढ़ को 01 दिसम्बर को भेजी गयी।
वही	चिनागे 0 से 18 कि०मी० तक देवरीघाट से सिसिकालघर तक ब्रह्मपुत्र डाइक तक आर/एस (चौथा आर/एस)	इस स्कीम की जांच की गई और अनुपालना के लिए टिप्पणियां अतिरिक्त मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण विभाग, डिब्रूगढ़ को दिसम्बर, 01 को भेजी गई।

1	2	3
असम	आर्मी छपोरी क्षेत्र में 17 मे 19 कि०मी० तक डिजमोर मे सोनारी गांव तक ब्रह्मपुत्र डाइक के संरक्षण के लिए अमगुरी और आर्नी नाला को बंद करना।	इस स्कीम की जांच की गई और अनुपालना के लिए टिप्पणियां मार्च, 02 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण विभाग, डिब्रूगढ़ को भेजी गयी।
वही	संधि स्थान को नष्ट करने के लिए अहतगुड़ी ओरसोई पी० डब्ल्यू०डी० रोड से कोपिली नदी के बायें तट के साथ टी डाइक के लिए आर/एस।	इस स्कीम की जांच की गई और जनवरी, 02 में अनुपालना के लिए टिप्पणियां मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण विभाग, असम सरकार को भेजी गयी।
-वही-	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से कोलवारी और और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों का संरक्षण। (स्पर का निर्माण)	इस स्कीम की जांच की गई और टिप्पणियां जनवरी, 02 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजी गयी।
-वही-	टिअेलीगुड़ी गांव में दायां तट के 23 से 26 कि०मी० तक ब्रह्मपुत्र के कटाव को रोकने के लिए जामुगुरी से खारोय मुहाने पर आर/एस एवं वी डाइक का संरक्षण।	इस स्कीम की जांच की गई और जनवरी, 02 में टिप्पणियां अतिरिक्त मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण विभाग, डिब्रूगढ़, असम सरकार को भेजी गयी।
-वही-	बदाती सेजमुगुडी तक वी डाइक के 5 एवं 8 कि०मी० पर अवसरण करके दरार को बंद करना।	इस स्कीम की जांच की गई और टिप्पणियां मार्च, 02 को अतिरिक्त मुख्य अभियंता, और असम जोन, डिब्रूगढ़ असम सरकार को भेजी गयी।
-वही	पुराने डाइक के मुख्य भाग के आर्मरिंग सहित 10 कि०मी० पर बदाती से जामुगुडी तक की डाइक रिवेटमेंट एवं चौड़ा करना (टिकिराई गांव के पास)	इस स्कीम की जांच की गई और टिप्पणियां अप्रैल, 02 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, और असम जोन, डिब्रूगढ़, असम सरकार को भेजी गई।
-वही-	तेजपुर से गबरूमुख तक बी डाइक के अपसरण का निर्माण (डिपोटा के दायां तट से सीएच 5700 मीटर पर ब्रह्मपुत्र डाइक के अनुप्रवाह से 4020 मीटर सीएच पर डीपोटा के दायां तट से)	संशोधित स्कीम की जांच की गई एवं टिप्पणियां मई, 2002 को राज्य सरकार को भेजी गयी।
-वही-	सैखोवा संरक्षण बंध (चरण-I) पर नोआ-देहिंग नदी के बायां तट के छिमोनी क्षेत्र की ए/ई उपायों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, एन०ई०सी० प्रायोजित स्कीम	इस स्कीम की जांच की जा रही है।
-वही	8 कि०मी० तक ब्रह्मपुत्र नदी के दायें तट का कटाव से रोकने के लिए देवरी-घाट से सिसिकालघर तक बी डाइक का संरक्षण (बालीगांव क्षेत्र)	इस स्कीम की जांच की जा रही है।
-वही-	सीएच 0 से 1600 मीटर तक आर/एस कार्य सहित 3800 मी० से 5800 मी० तक सैसोवा संरक्षण बंध (फेज-I) पर नोवा डेहिंग नदी के वाये तट पर चुमानी क्षेत्र में ए/ई उपाय (संशोधित अनुमान)	इस स्कीम की जांच की गई और टिप्पणियां जून 02 को अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अपर असम क्षेत्र, डिब्रूगढ़, असम सरकार को भेजी गयी।
-वही-	दायें तट पर ए/ई उपायों सहित रोवमारी नदी से टेनगनगमारी के साथ अर्ड नदी के एवल्शन चैनल को बंद करना।	इस स्कीम की जांच की जा रही है।

1	2	3
असम	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से बचाने के लिए बुरार्ड के मुहाने के पास गेमतरी के संरक्षण सहित नातुम बुरोर्डघाट (पूर्व) से विभिन्न खण्डों के मुहानों तक बुरोर्ड के बायां तट की सुरक्षा के लिए ए/ई उपाय	इस स्कीम की जांच की गई और टिप्पणियां फरवरी, 02 को मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण विभाग, डिब्रूगढ़, असम सरकार को भेजी गयी।
वही	दायें किनारे में 10 कि०मी० तक ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव को रोकने के लिए देवरीघाट से सिसिकलघर तक बी डाइक का संरक्षण (वालीगांव क्षेत्र)	इस स्कीम की जांच की जा रही है।
वही	1, 2 एवं 3 कि०मी० पर दरार बंद करने और चैनलीकरण के साथ ए/ई उपायों सहित एच०एच०-52 के डी/एस पर गाई नदी के बायें तट के साथ आर/एस से एम/ई तक।	इस स्कीम की जांच की गई और टिप्पणियां अप्रैल, 02 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अपर असम जोन, डिब्रूगढ़, असम सरकार को भेजी गयी।
वही	अर्ड नदी के कटाव से बचने के लिए बुरिजघर का संरक्षण (आर/बी)	इस स्कीम की जांच की जा रही है।
वही	ए/ई उपायों सहित भंगामुख से भोंखुवा तक कोरहा नदी के बायें तट के साथ आर/एस से एम/ई तक।	इस स्कीम की जांच की जा रही है।
वही	ए/ई उपायों सहित गोपालपुर से बेलियानी तक कोरहा नदी के दायें तट के साथ एम/ई का आर/एस	इस स्कीम की जांच की जा रही है।
वही	चारिकेरिया नदी का कटाव रोकने के लिए धाकुखाना शहर और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों का संरक्षण।	इस स्कीम की जांच की जा रही है।
वही	नेपाली बस्ती से मोरोलमुक तक कुमातिया आर/वी की चौड़ाई बढ़ाने और ए/ई कार्य (सीएच 6, 7, 8, 10, 14 से 16 कि०मी०)	इस स्कीम की जांच की जा रही है।
वही	10 से 18 तक ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव को रोकने के लिए सिसिकलघर से टेकेलिफुटा तक "वी" डाइक का संरक्षण (वदना और इससे समीपवर्ती क्षेत्र) (बुलहेड और लैंड स्पर का निर्माण)	इस स्कीम की जांच की जा रही है।
वही	कामरूप राजस्व सर्कल के अंतर्गत कोपिल्ली नदी के बायां तट के कटाव से चांग्गोहोकी, कबाईमारी बोरचुंग दक्षिण गांव का बचाव	स्कीम परीक्षणाधीन है।
वही	जाओर से नहरकारिया (नामुाकीरूल गांव में) तक बुढ़ी देहांग नदी के बायां तट तटबंध पर 5 कि०मी० में कटावरोधी उपाय संशोधित	स्कीम परीक्षणाधीन है।
वही	नदी अनुसंधान केन्द्र की सीमा सहित दरार भागों में सुरक्षा दीवार प्रदान करना। विद्युतीकरण के सुधार सहित एफ०सी० डी० के कर्मचारी के लिए आवासीय भवन का निर्माण	स्कीम परीक्षणाधीन है।

1	2	3
असम	भिन्न पहुंच में दोनों तटों पर बुरादिया नदी के कटाव कार्य के लिए शाहपुर दुर्गा मन्दिर तथा इसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा।	स्कीम परीक्षणाधीन है।
-वही-	सुवनसीरी निचली जल विद्युत परियोजना (8x250 एम०डब्ल्यू०)	स्कीम की जांच कर दी गई एवं तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में विचार करने के लिए टिप्पणी दिसम्बर 01 में भेजी गई।
-वही-	तीपाईमुख बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच कर दी गई तथा टिप्पणी मार्च, 02 में भेजी गई।
अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश के दिवांग घाटी जिला में पुराने अवाली गांव में आवा नदी बेसिन का उपचार	संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच कर दी गई तथा कमी को राज्य पदधारियों से अगस्त, 01 में उठाया गया।
वही-	पश्चिमी सियांग जिला के डब्ल्यू०आर०सी० भूमि एवं लिकावाली नगर के बचाव के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्य	स्कीम की तकनीकी-आर्थिक जांच की गई तथा इसे सही पाया गया। निवेश स्वीकृति के लिए जून, 2002 में योजना आयोग को भेजी गई।
-वही-	सियांग नदी के दायां तट के नजदीक 21 मील पर पासीघाट नगर और आसपास के गांव की रक्षा के लिए बाढ़ बचाव कार्य	संशोधित स्कीम का तकनीक आर्थिक रूप से जांच की गई एवं स्वीकार पाया गया। नोट तैयार कर निवेश स्वीकृति के लिए जून, 02 में योजना आयोग को भेजी गई।
वही-	मालटेंग कंगसा, कुटलेंग में खेजी योग्य भूमि, चाय बगान, सरकारी सम्पति की रक्षा के लिए कटावरोधी उपाय	स्कीम परीक्षाधीन है।
-वही-	नायगोम गांव के बसर नगर एवं खेती योग्य भूमि क्षेत्र के बचाव के लिए काडी नदी के दोनों तटों पर कटावरोधी कार्य	स्कीम परीक्षाधीन है।
-वही-	मेचुका टाउन मैड्डी फिल्ड एवं योरनी योको, फार्म के बचाव के लिए कटाव रोधी कार्य।	इस स्कीम की जांच की गई एवं टिप्पणी जनवरी, 2002 में मुख्य अभियंता एवं एफ०सी०डी०, इटानगर अरूणाचल प्रदेश को भेजी गई।
-वही-	दूमपोरिया नगर को बचाव के लिए दुमपोरीजों से कटाव-रोधी कार्य	-वही-
-वही-	रोडिग गांव और रूमी, वैडी, चेसी, इगो एवं दाबिंग के खेती योग्य क्षेत्र के बचाव के लिए इगो नदी पर कटावरोधी कार्य।	इस स्कीम की जांच की गई एवं टिप्पणी जून, 2002 में मुख्य अभियंता एवं एफ०सी०डी० इटानगर अरूणाचल प्रदेश को भेजी गई।
-वही-	रानी गांव एवं अगरिल भूमि क्षेत्र और एच 52 के बचाव के लिए पगला नदी का बाढ़ से बचाव	स्कीम की तकनीकी-आर्थिक जांच की गई तथा इसे सही पाया गया। नोट तैयार कर उसे निवेश स्वीकृति के लिए जून, 2002 में योजना आयोग को भेजा गया।

1	2	3
अरूणाचल प्रदेश	बवाना स्कैप का आरडी 4830 एम से आर०डी० 19790 एम तक रिमोडलिंग।	स्कीम की तकनीकी-आर्थिक जांच की गई तथा इसे सही पाया गया। नोट तैयार कर उसे निवेश स्वीकृति के लिए जून, 2002 में योजना आयोग को भेजा गया।
मिजोरम	चाम्पाई मिजोरम में कटावरोधी कार्य	इस स्कीम की जांच की गई तथा टिप्पणी उप आयुक्त (पूर्वी नदियां) के पास मार्च, 2002 में भेजी गई।
दिल्ली	जहांगीरपुरी, आजादपुर, मॉडल टाउन आदर्श नगर के कॉलोनियों की जल निकासी के लिए जल निकास मुहाने के निर्माण की संशोधित स्कीम।	टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी जा चुकी हैं।
हरियाणा	हिसार घग्गर और भाखड़ा में घग्गर नदी के०डी०/एस० ओट्टू वीयर आरडी 5000-एलडी/एस के मुहाने के लिए रंगोई-घग्गर जल निकास संशोधित प्रस्ताव।	टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गयी हैं।
पंजाब	पंजाब के भाग में खनौरी से सरदुलगढ़ तक घग्गर नदी के साथ बाढ़ संरक्षण उपायों के लिए परियोजना अनुमान।	टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गयी हैं।
राजस्थान	कोडियट बाढ़ आधुनिकीकरण परियोजना	-वही-
आंध्र प्रदेश	तटीय एवं गंगा बेसिन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में गंभीर कटावरोधी केन्द्र प्रायोहित स्कीम/पूर्वी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश के केन्द्रीय डेल्टा में गोदावरी नदी की शाखाओं के बाढ़ तटों पर स्लूइस मुहानों का पुनर्निर्माण।	संशोधित स्कीम की पुन: जांच की गई और 7.312.5 करोड़ रु० की लागत वाली इस परियोजना को दिनांक 29.12.2000 को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की सिफारिश की गयी। इस स्कीम को दिनांक 22.2.2001 को योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
-वही-	पूर्व गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों और नल्लामादा में गोदावरी नदी पर कटावरोधी कार्य। गुंटूर जिले ओगेरवागू में निम्न के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव है :- (क) गोदावरी नदी बाढ़ बैंकों के 15 नदी मार्जिनों की सुरक्षा के वास्ते (ख) कृष्णाडेल्टा के नल्लामादा ड्रेन ओगेरवागु और नक्कावागु ड्रेन से संबंधित 13 कार्य	इस स्कीम की जांच की गई और तनकीकी रूप से स्वीकार्य पाई गई। यह प्रस्ताव निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजा गया था। तथापि योजना आयोग ने सूचित किया है कि 3.0 करोड़ रुपये से कम लागत की स्कीम राज्य सरकार द्वारा स्वयं संस्वीकृत की जायेगी। तद्नुसार राज्य सरकार को इससे अवगत करा दिया गया है।
महाराष्ट्र	अकोला बाढ़ सुरक्षा स्कीम (नगर सुरक्षा)	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां जनवरी एवं अप्रैल, 2000 को भेजी गई है। चूंकि केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न होने के कारण एक वर्ष से अधिक के लिए यह स्कीम लंबित है इसलिए तकनीकी जांच की लंबित सूची से इसे हटा दिया गया है।
उड़ीसा	अरूहावुती (दहा मुन्डा) गांव के समीप सुवर्ण रेखा नदी में बायें किनारे पर तटीय और गंगा बेसिन राज्य को छोड़ कर अन्य राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य।	1.50 करोड़ रुपये की संशोधित स्कीम केन्द्रीय जल आयोग से तकनीकी रूप से स्वीकृत हो गई है। योजना आयोग से यह सूचना प्राप्त हुई है कि 3.0 करोड़ रुपये से कम लागत वाली स्कीम स्वयं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जानी है। इसे राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

1	2	3
उड़ीसा	बालासोर जिले के भोगारी और जलेस्वर ब्लाक में जल निकास सुधार	इस स्कीम की जांच की गई और टिप्पणियां 12.9.2001 को राज्य सरकार को भेजी गई विशेष राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक 14.12.2001 को भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई। राज्य सरकार ने 300 लाख रुपये की अनुमोदित लागत से तकनीकी सलाहकार समिति में चार विभिन्न स्कीमें प्रस्तुत की। राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने ये स्कीमें स्वीकृत कर दी हैं।
-वही-	सालन्दी, नलिया नदी की बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास स्कीम का क्रियान्वयन और दासमोजा गोपालिया आप्लावन नहर प्रणाली (साजलदी संकर परियोजना) कर सुधार।	यह स्कीम पर्यावरण मंत्रालय एवं राज्य तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृति के अधीन नई दिल्ली में 24.5.02 को आयोजित सलाहकार समिति की 79वीं बैठक में अनुमोदन की गयी है।
केरल	20 गंभीर कटाव रोधी स्कीमें जिसमें केरल में विभिन्न नदी के किनारों की सुरक्षा की योजना है।	20 स्कीमों की तकनीकी रूप से जांच की गई और 4.10.2000 को जल संसाधन मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गई। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 27.2.2001 को वांछित टिप्पणियों की प्रति भी भेजी गई थी। अब तक राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
पश्चिमी बंगाल	पी०एस० मानिकचक, लिलामाल्दा में गंगा नदी (फरक्का बैराज का प्रति प्रवाह) के एल/बी पर मानिक चकघर के अनुप्रवाह पर 15 कि०मी० पर सालिड स्पर संख्या 27 का निर्माण	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना की प्रतीक्षा है।
-वही-	हरिशचन्द्रपुर, खाबा और रतुआ, माल्दा जिला में जलनिकास संकुलता के सुधार के लिए म्राजू और मोरा महानन्दा सहित वारामारेस नदी का पुन: उत्खनन	-वही-
-वही-	मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिलों में कांडी क्षेत्र एकीकृत बाढ़ नियंत्रण सह जल निकास स्कीम	-वही-
वही	पी०एस० मानिक चक, जिला माल्दा में गोपालपुर पर गंगानदी के एल/बी पर गंभीर तटकटाव में सुरक्षा कार्य के लिए स्कीम	-वही
वही	पी०एस० जालांगी, फेज-I और II जालंगी बाजार टाउनशिप गंगा नदी के आर/बी के लिए सुरक्षा	वही-
वही	हुगली और बर्दवान जिलों में घिया कुंती बेसिन जल निकास स्कीम, फेज-II	-वही-
वही	पी०एस० भगवान गोला, रानीनगर, जिला मुर्शिदाबाद के अन्तर्गत स्थित विभिन्न बी०ओ०पी० को जाने वाली भारत बांग्लादेश सीमासड़क के 18.6 कि०मी० लंबे खंड की पद्मा नदी द्वारा किए जाने वाले जल भराव मे सुरक्षा।	-वही-

1	2	3
पश्चिमी बंगाल	पी०एस० मानिकचक, जिला माल्दा में फरक्का बैराज के प्रतिप्रवाह पर आस्विनगोला (दामोदर से गोलोकटोला) में गंगा नदी के एल/बी पर पांचवें रिटायर्ड तटबंध का निर्माण।	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना की प्रतीक्षा है।
पश्चिमी बंगाल	माल्दा जिले में फरक्का बैराज के प्रति प्रवाह पर गंगा नदी के एल/बी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य (सातवां रिटायर्ड तट-बंध)	-वही-
-वही-	मौजा मधुगरी, पी०एस० करीमपुर, पश्चिम बंगाल में पद्मानदी के कटावग्रस्त किनारे की सुरक्षा	-वही-
-वही-	पी०एस० कालीचक ब्लाक, जिला माल्दा में स्पर संख्या 20 के प्रतिप्रवाह पर (फरक्का बैराज के प्रतिप्रवाह पर) गोलोकटोला में गंगा नदी के एल/वी पर एक स्पर का निर्माण।	-वही-
-वही-	मोगराघाट बेसिन जलनिकास स्कीम जिला 24 परगना	-वही-
-वही-	कालियाध्ये-कपलेश्वरी-बधाई बेसिन जल निकास स्कीम फेज I	-वही-
वही	मोजा शीरपुर, पी०एस० रानीनगर, जिला मुर्शिदाबाद में नालबोना गांव में गंगा नदी के आर/बी की सुरक्षा	वही-
वही	मौजा हसनपुर, पी०एस० भगवान गोला, जिला मुर्शिदाबाद में अलाईपुर गांव में गंगा नदी के आर/बी की सुरक्षा	वही-
वही	भुतनी बालान के बायां एवं दायां तटबंध को ऊपर उठाना एवं मजबूत करना।	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से टिप्पणियों की अनुपालना प्राप्त होनी है।
-वही-	बेगुसराय एंड समस्तीपुर जिला में बूढ़ी गंडक नदी के बायां एवं दायां तटबंध को ऊपर उठाना एवं मजबूत करना।	-वही-
-वही-	1234 से 1304 सी०एच० के बीच हाजीपुर महनार, मोहिनुदीन नगर लोक निर्माण विभाग सड़क की रक्षा के लिए चांदपुर, धमाउन एवं रसलपुर तथा समस्तीपुर जिला में 1381 सी०एच० मे कटावरोधी कार्य।	-वही-
-वही-	वैशाली जिला में गंगा नदी के दायां चैनल के बायां किनारे पर रूस्तभ पुर बेहरामपुर, राधोपुर तथा जुरावानपुर गांवों की रक्षा के लिए कटावरोधी कार्य।	-वही-
वही	गंगा के दायां तट पर दानापुर छावनी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कटावरोधी कार्य सहित दानापुर दीयारा में गंधारा गांव के निकट गंगा नदी के बायां तट पर कटावरोधी कार्य।	-वही-

1	2	3
पश्चिमी बंगाल	वैशाली जिला की जाफराबाद स्लूस तथा खड़गपुर स्लूस के बीच के क्षेत्र के लिए जल निकास अवरोध के निपटान के लिए माइसाना धार निकास स्कीम।	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से टिप्पणियों की अनुपालना प्राप्त होनी है।
	अररिया शाखा नहर एवं मार नदी के बीच पूर्वी कोसी नहर प्रणाली के कमान क्षेत्र के जल निकासी अवरोध के निपटान के लिए भाईसाना धार निकास स्कीम।	-वही-
वही	दरभंगा एवं मधुबनी जिला में कमला नदी, भारत-नेपाल परियोजना (भारतीय हिस्सा) सहित कमला तटबंधों को ऊपर करना एवं मजबूत करना।	-वही-
वही	सीतामढ़ी जिला में बागमती नदी, भारत-नेपाल परियोजना (भारतीय हिस्सा) सहित तटबंधों का विस्तार।	वही-
वही	पूर्वी एवं पश्चिम चम्पारण जिला में चम्पारण तट-बंधों का ऊपर करना एंव मजबूत करना।	वही-
मध्य प्रदेश	रेवा नगर बाढ़ संरक्षण परियोजना	वही-
वही	टोपथार बाढ़ संरक्षण परियोजना	वही-
हिमाचल प्रदेश	बांध नदी का चैनलीकरण (8300 से 19700 मी०) (पाओनता साहिब तहसील, जिला सिरमौर में)	वही-
उत्तर प्रदेश	बहराइच जिला में राप्ती बराज तक कलकलवा मार्जिनल बंध का विस्तार	वही-
वही-	बकलाही नदी जिला प्रतापगढ़ का सुधार करना (वर्ष 2000-01)	वही-
वही	मुजफ्फरनगर जिला में गंगा नदी के दायां तट के रामराज खादर में बाढ़ नियंत्रण कार्य।	वही-
वही	गोरखपुर जिला के सदर तहसील में रोहीन नदी के बायां तट पर 0.00 से 6.225 कि०मी० तक बनराहा बांध को ऊपर उठाने एवं मजबूत करने के लिए जमीनी कार्य।	-वही-
वही-	गोरखपुर जिला के सदर तहसील में रोहीन नदी के बायां तट पर 0.00 से 3.50 कि०मी० तक बनराहा विस्तार बांध को ऊपर उठाने एवं मजबूत करने के लिए जमीनी कार्य।	-वही-
वही	गोरखपुर राप्ती नदी, जिला के बायां तट पर 0.90 से 5.10 कि०मी० नौसरह-कलानी तटबंध को मजबूत करना एवं ऊपर उठाना।	-वही-

1	2	3
उत्तर प्रदेश	राप्ती नदी, जिला गोरखपुर के बायां तट पर होबर्ट बांध को ऊपर उठाना एवं मजबूत करना तथा यू/एस ढलान पीच बनाना।	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से टिप्पणियों की अनुपालना प्राप्त होनी है।
-वही-	रोहीन नदी के बायां तट पर 0.00 से 3.60 कि०मी० माधोपुर बांध को ऊपर उठाना तथा मजबूत करना और यू/एस ढलान पीच बनाना।	-वही-
-वही-	गोरखपुर जिला के सदर तहसील में रोहीन नदी के कुदरिया मनीराम बांध को 0.00 से 6.05 कि०मी० ऊपर उठाने एवं मजबूत करने में जमीनी कार्य।	-वही-
-वही-	(क) मलोनी बांध का 8.00 से 30.40 कि०मी० तक मजबूत करना ऊपर उठाना तथा वाउलडर पीच बनाना। (ख) लाहासारी रिंग बांध को मजबूत करना, ऊपर उठाना। (ग) गोरखपुर शहर तथा उससे लगे सीमावर्ती स्थान की सुरक्षा के लिए अजबानिया रिंग बांध को मजबूत करना एवं ऊपर उठाना।	-वही-

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालय

1018. **श्री एस० अजय कुमार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में जनसंख्या की तुलना में रोजगार कार्यालयों का अनुपात क्या है; और

(ख) वर्ष 1999 से जून, 2002 के बीच की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्रदान किए जाने की राज्य-वार दर क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य में जनसंख्या की तुलना में रोजगार कार्यालयों की संख्या तथा वर्ष 1999 से 2002 (जनवरी से अप्रैल) के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए नियोजन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

विवरण

(हजार में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	रोजगार कार्यालय (वास्तविक संख्या)	2001 की जन-गणना के आधार पर जनसंख्या (अनंतिम)	निम्न अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किया गया नियोजन			
				1999	2000	2001	2002 जनवरी से अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7	8
(क)	**राज्य**						
1.	आंध्र प्रदेश	31	75727.5	10.6	4.7	2.4	1.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	8	1091.1	@	@	@	@
3.	असम	53	26638.4	1.4	1.3	0.9	0.1

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	36	82878.8	11.8	7.4	0.9	0.3
5.	छत्तीसगढ़	17	20796.0			0.6	0.1
6.	दिल्ली	14	13783.0	5.3	0.3	@	@
7.	गोवा	1	1344.0	0.4	0.3	0.4	0.1
8.	गुजरात	43	50591.0	65.2	69.4	69.2	22.6
9.	हरियाणा	61	21083.0	7.1	4.7	5.4	1.8
10.	हिमाचल प्रदेश	15	6077.2	4.4	2.3	3.0	0.4
11.	जम्मू व कश्मीर	14	10069.9	@	2.8	8.0	4.2
12.	झारखंड	33	26909.4			4.3	@
13.	कर्नाटक	40	52734.0	21.5	8.5	4.1	0.8
14.	केरल	82	31838.6	22.4	16.8	15.1	3.7
15.	मध्य प्रदेश	58	60385.1	3.8	3.9	2.7	0.5
16.	महाराष्ट्र	46	96752.2	15.6	17.4	12.1	3.0
17.	मणिपुर	11	2388.6	0.1	@	—	—
18.	मेघालय	10	2306.1	0.2	0.2	0.1	@
19.	मिजोरम	3	891.1	0.2	0.3	@	—
20.	नागालैण्ड	7	1988.6	@	0.1	0.1	@
21.	उड़ीसा	40	36706.9	4.8	2.3	2.2	1.0
22.	पंजाब	47	24289.3	1.8	2.4	2.2	0.4
23.	राजस्थान	40	56473.1	4.9	1.6	1.1	0.3
24.	सिक्किम	*	540.5	*	*	*	*
25.	तमिलनाडु	37	62110.8	19.6	13.2	17.4	4.0
26.	त्रिपुरा	5	3191.2	1.4	0.9	1.1	0.5
27.	उत्तरांचल	19	8479.6			0.8	0.1
28.	उत्तर प्रदेश	84	166052.9	4.1	4.0	3.2	1.0
29.	पश्चिम बंगाल	75	80221.2	13.3	11.7	10.0	2.5
	(ख) संघ शासित प्रदेश						
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	356.3	0.6	0.3	0.3	@
31.	चंडीगढ़	2	900.9	0.4	0.5	1.0	0.2
32.	दादर व नगर हवेली	1	220.5	@	@	@	@

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दमन व द्वीव	2	158.1	@	@	@	@
34.	लक्ष्यद्वीप	1	60.6	0.1	@	@	@
35.	पांडिचेरी	1	973.8	0.2	0.2	0.4	0.9
(ग) केन्द्रीय रोजगार कार्यालय							
	योग	938	1027015.2	221.3	177.7	169.2	50.0

टिप्पणी : * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

@ आंकड़े 50 से कम।

हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

गंगा नदी के कारण भू-कटाव

1019. **प्रो० ए०के० प्रेमाचम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने गंगा नदी द्वारा गंभीर भू-कटाव की समस्या से निपटने के लिए 927 करोड़ रुपए दिए जाने की सिफारिश की थी लेकिन सरकार द्वारा केवल 19.68 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार 315 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत वाली अल्पावधिक परियोजनाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में यदि कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, तो वह क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) जी, हां। विशेषज्ञ समिति ने कटावरोधी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 927.00 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी जिसमें अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपायों के लिए क्रमश: 315.00 करोड़ रुपये एवं 612.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा आबंटित निधियों के आधार पर कटावरोधी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए 19.68 करोड़ रुपये का एक व्यय वित्त समिति ज्ञापन स्वीकृत किया गया था। सरकार ने राज्य सरकार और फरक्का बराज परियोजना प्राधिकरण के माध्यम से अल्पावधि स्कीमें भी प्रारंभ की हैं जिसके लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान योजना आयोग और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा क्रमश: 30.00 करोड़ रुपये और 17.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। दसवीं योजना अवधि के दौरान गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्यों के लिए 192.00 करोड़ रुपये की लागत से अल्पावधि कार्यों को प्रारंभ करने के वास्ते एक नई स्कीम का प्रस्ताव है।

(ङ) व्यय वित्त समिति ज्ञापन में अभिज्ञात किए गए अल्पावधि कार्यों को स्थल की स्थिति, माडल अध्ययनों के परिणामों और निधियों की उपलब्धता के आधार पर दसवीं योजना अवधि में पूरा करने की योजना है।

सुन्दरवन का विकास

1020. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सुन्दरवन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव हे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय-लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार की किसी भी पर्यटक स्थल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल का दर्जा देने की कोई प्रणाली नहीं है।

[हिन्दी]

मुआवजे का भुगतान

1021. **श्री जय प्रकाश** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में सुगठित फार्मूला

तैयार करने हेतु वर्ष 1999 में गठित समिति की रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : (क) से (ग) उक्त समिति ने यह सिफारिश की थी कि विद्यमान ढांचागत फार्मूला को विद्यमान अनुसूची के जटिल प्रावधानों की तुलना में विभिन्न आयु वर्गों में वार्षिक आय में एक सरल गुणक का प्रयोग करके युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए। विद्यमान ढांचागत क्षतिपूर्ति फार्मूला में किसी परिवर्हन के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 के अनेक प्रावधानों में संशोधन करना होगा। इसलिए इस समय विभिन्न परिवर्तनों के लिए कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

मुम्बई हाई के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर

1022. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई हाई में विभिन्न तेल क्षेत्रों में तेल फर्म के कर्मचारियों को लाने-ले-जाने में कितने पवन हंस हैलीकॉप्टरों को लगाया गया है;

(ख) पवन हंस द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद समुद्र में विभिन्न तेल क्षेत्रों में कर्मचारियों और अन्य सामग्री को लाने-ले-जाने से कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(ग) कर्मचारियों को तेल क्षेत्र तक लाने-ले-जाने पर प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया जा रहा है;

(घ) क्या पवन हंस द्वारा इतना बड़ा व्यापार किए जाने के बावजूद संगठन घाटे में चल रहा है, यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पवन हंस को लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि० (पी०एच०एच०एल०) मुम्बई हाई में आठ डॉफिन और एक एम०आई०-172 हैलिकॉप्टरों का प्रचालन कर रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में मुम्बई हाई में हेलिकॉप्टरों के प्रचालन से पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लि० को हुई आमदनी का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वर्ष	आमदनी (करोड़ रु० में)
1999-2000	73.64
2000-2001	79.12
2001-2002	79.91
2002-2003 (जून, 2002 तक)	20.62

(ग) चूंकि कर्मचारियों को ग्राहक अर्थात् तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की अपेक्षा के अनुसार ले जाया जाता है, तेल क्षेत्र तक कर्मचारियों को लाने-ले-जाने पर होने वाले प्रति कर्मचारी व्यय में विविधता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वन भूमि के अतिक्रमण को हटाए जाने का अभियान

1023. **श्री एम०के० सुब्बा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष फरवरी में वन भूमि के और अतिक्रमण को हटाने हेतु विभिन्न राज्यों को निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो असम सरकार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रक्रिया में इन राज्यों द्वारा कितना अतिक्रमण हटाया गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य राज्यों के वन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाए जाने पर आपत्ति जताई है;

(घ) यदि हां, तो इसकी वास्तविक आपत्ति क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस मुद्दे का समाधान करने और बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 23.11.2001 के और 7.5.2002 के आदेश में केन्द्र सरकार को अतिक्रमणों को नियमित करने से रोका है और अतिक्रमणकारियों को वन भूमि से बेदखल करने के निर्देश दिए है। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उपबंधों के अनुपालन में समयबद्ध तरीके से अतिक्रमण-कारियों को बेदखल करने के लिए निर्देश जारी किए थे। यह मालूम हुआ है कि असम सरकार ने एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा लिया है। अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने की कार्रवाई का ब्यौरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) सूचना मांगी गई है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गंगा नदी तट का कटाव

1024. श्री मोइनुल हसन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगातार भू-कटाव से भारत-बंगलादेश सीमा में भारतीय भूमि का विशाल भू-भाग प्रभावित हुआ है और जिसके कारण बंगलादेश से लगी भारतीय सीमा-रेखा का बदलाव गंभीर चिंता का विषय बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले में गंगा नदी तट के लगातार कटाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) इस संबंध में राज्य सरकार से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार तथा फरक्का बैराज परियोजना प्राधिकरण इस समस्या पर ध्यान देने के लिए विशेषज्ञ समितियों द्वारा सुझायी गई विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन कर रही है। भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, जिसमें मुर्शिदाबाद जिला भी शामिल है, की कटावरोधी स्कीमों के लिए 1x्वीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 17.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विकास योजनाएं

1025. श्री रामानन्द सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विकास संबंधी क्रियान्वित की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान मध्य प्रदेश के सतना जिले में पशु नस्लों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास एवं पशु रोगों के उन्मूलन हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग मध्य प्रदेश सहित देश में पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ इन योजनाओं का उद्देश्य पशुधन का अनुवांशिक उन्नयन, स्वदेशी स्टाक का संरक्षण, पशु रोगों का नियंत्रण, पौष्टिक आहार और चारा मुहैया कराना तथा डेयरी विकास क्रियाकलापों का विस्तार करना है। इन योजनाओं के तहत राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य परियोजनाओं के आधार पर उन्हें धनराशि जारी की जाती है। वर्ष 2001-2002 के दौरान मध्य प्रदेश को योजनावार जारी धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान मध्य प्रदेश को योजनावार जारी धनराशि

क्र० सं०	योजना का नाम	राशि (लाख रुपए में)
1.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना	829.47
2.	राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम	–
3.	एकीकृत सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता	0.66
4.	भारवाही पशुओं का विकास एवं परिरक्षण	–
5.	कुक्कुट/बत्तख फार्मों के लिए राज्यों को सहायता	32.80
6.	पशु रोग नियंत्रण के लिए सहायता	12.91
7.	व्यावसायिक दक्षता विकास	20.00
8.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	15.00
9.	बूचड़खानों/पशु शव उपयोग केन्द्रों का आधुनिकीकरण	–
10.	समेकित नमूना सर्वेक्षण पशुधन उत्पादन	29.00
11.	समेकित डेयरी विकास परियोजना	–

रक्सौल विमानपत्तन

1026. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रक्सौल विमानपत्तन परिचालन में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विमानपत्तन की परिसंपत्तियों का मूल्य कितना है और इसके रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की जा रही है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) रैक्सौल हवाई अड्डे से प्रचालन करने के बारे में किसी एयरलाइन ने अनुरोध नहीं किया है।

(ग) भूमि का वास्तविक मूल्य लगभग 3 लाख रु० है। इसके रख-रखाव पर कोई राशि खर्च नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल नीति

1027. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति में भरोसेमंद सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कमान क्षेत्र में जल संसाधनों की वैज्ञानिक और कुशल प्रबंधन के माध्यम से सतही और भू-जल को मिलाकर उपयोग में लाने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या 63.06 लाख रुपए व्यय करने के बावजूद ग्यारह राज्यों में जल का समुचित रूप से मिलाकर उपयोग नहीं किया गया जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे अधिक सार्थक बनाने के लिए उक्त नीति की समीक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) राष्ट्रीय जल नीति में देश के जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के लिए व्यापक सिद्धान्त निहित हैं। जल राज्य का विषय होने के कारण, तत्संबंधी आयोजना और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय जल नीति में सतही जल और भूजल संसाधनों के एकीकृत एवं समन्वित विकास तथा उनके संयुक्त उपयोग का प्रावधान है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1999 (सिविल) की अपनी रिपोर्ट सं० 3 में यह टिप्पणी की है कि 11 राज्यों में भूजल आंकड़ों पर संबंधित राज्यों द्वारा ठीक ढंग से सर्वेक्षण नहीं किया गया था और दो राज्यों में सर्वेक्षण व्यापक स्तर पर नहीं किया गया। जल संसाधन मंत्रालय ने इस संबंध में अपने मानीटरिंग नेटवर्क का विस्तार किया है ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या से बचा जा सके।

सहकारिता संबंधी राष्ट्रीय नीति

1028. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **कृषि मंत्री** 2 अगस्त, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारिता संबंधी राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ विस्तृत चर्चा एवं परामर्श के पश्चात राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा पहले ही कर दी है।

(ख) नीति का उद्देश्य देश में सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाना है। इस नीति के अंतर्गत, सहकारी समितियों को आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह, स्वायत्तशासी, आत्म-निर्भर एवं लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बन सकें। नीति में सहकारिता संबंधी सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर क्षेत्रीय असन्तुलनों में कमी करते हुए सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सुदृढ़ीकरण, व्यवसायीकरण, प्रबंधन में सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, प्रतिबंधक विनियामक क्षेत्र में संशोधन करते हुए/हटाते हुए समेकित सहकारी ढांचे का विकास करते हुए सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली चलाने की मांग की गई है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का आयात/निर्यात

1029. **श्री जे०एस० बराड़ :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मात्रा और मूल्य कितना है;

(ख) भारत में और भारत से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रमुख निर्यातक और आयातक देश कौन कौन से हैं; और

(ग) प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लौह, मैंग्नीज और क्रोम अयस्क की खानों के श्रमिकों हेतु मजदूरी

1030. **श्री अनन्त नायक :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क, मैंग्नीज और क्रोम अयस्क की खानों के श्रमिकों की मजदूरी में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोमाइट खानों में नियोजित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी गजट अधिसूचना का०आ० संख्या 9(अ) दिनांक 03 जनवरी, 2002 द्वारा संशोधित की गई है। संशोधित मजदूरी निम्नानुसार है :

क्रमांक	कर्मकारों की श्रेणी	प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दरें	
		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे
1.	अकुशल	52/-रु०	63/-रु०
2.	अर्ध-कुशल	63/-रु०	76/-रु०
3.	कुशल	76/-रु०	93/-रु०
4.	उच्च कुशल	93/-रु०	111/-रु०

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

1031. **डा० जसवंत सिंह यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किस तारीख को किया गया था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान समिति की वर्ष-वार कितनी बैठकें हुई; और

(ग) नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय के सभी तीनों विभागों (कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन एवं डेरी विभाग तथा कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग) के लिए एक संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, उपर्युक्त समिति के गठन हेतु एक मसौदा संकल्प गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को उसकी सहमति हेतु भेजा गया था। उपर्युक्त संकल्प पर अपनी सहमति देते समय राजभाषा विभाग ने सलाह दी है कि मसौदा संकल्प में शामिल संसद सदस्यों के नामों पर संसदीय राजभाषा समिति और संसदीय कार्य मंत्रालय से अनुमोदन लेना चाहिए। इस बारे में संसदीय राजभाषा समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है जबकि संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर संकल्प जारी करने की कार्यवाही की जायेगी ताकि उक्त समिति का गठन किया जा सके और उसकी नियमित बैठकें आयोजित की जा सकें।

[अनुवाद]

शिक्षित बेरोजगार युवकों को लाइसेंस देना

1032. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों को लाइसेंस देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) लघु उद्योग क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असमान मजदूरी

1033. **श्री गंता श्रीनिवास राव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम और अन्य ऐसे विधान होने के बावजूद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों विशेषकर जहां निर्माण कार्य चल रहा है में ठेका मजदूरों को मजदूरी देते समय लिंग आधार पर भेद-भाव बरता जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा मजदूरी और अन्य सुविधाओं के संबंध में महिला मजदूरों के साथ बरते जा रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) निर्माण परियोजनाओं से जुड़ी महिला श्रमिक असंगठित क्षेत्र के तहत आती हैं और उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस अधिनियम में महिला और पुरूष के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है।

सम्पूर्ण भारत में लागू समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरूषों और महिलाओं के समान या समान प्रकृति के कार्य हेतु समान पारिश्रमिक की व्यवस्था की गई है। महिला या पुरूष होने के आधार पर भेदभाव किए जाने का कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) और (घ) भवन व निर्माण उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों में नमूना सर्वेक्षण किए गए हैं। किसी भी नमूना सर्वेक्षण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरी का विश्लेषण नहीं किया गया है। तथापि, इन सर्वेक्षणों के तहत एकत्रित आंकड़ों से, अब तक कवर किए गए

नमूना इकाइयों/प्रतिष्ठानों में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उल्लंघन के किसी मामले का पता नहीं चलता।

(ङ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, जिसमें पुरूष और महिला श्रमिक में किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना समान मजदूरी और अन्य सुविधाएं दिये जाने की व्यवस्था की गई है, को राज्य सरकारें कार्यान्वित करती हैं। केन्द्र सरकार समान पारिश्रमिक अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का अनुवीक्षण करती है।

विश्व विरासत सूची में उनाकोटी को शामिल करना

1034. **श्री खगेन दास : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने त्रिपुरा स्थित उनाकोटी को विश्व विरासत केन्द्र के रूप में घोषित किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उनाकोटी को विश्व विरासत केन्द्र के रूप में कब तक घोषित किया जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा उनाकोटी का विकास और उसके संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पहुंचमार्ग तथा सेतु बनाने के साथ-साथ स्थल के दिन-प्रति-दिन के रखरखाव, वैज्ञानिक निकासी के द्वारा पर्याप्त संरक्षण उपायों को कार्यान्वित किया जाता है। मूर्तियों की सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त शेड निर्मित किया गया है।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

1035. **श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू० डी०पी०) 1991-2001 के दशक के दौरान विफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आरंभ की गई परियोजनाओं, उनकी अनुमानित लागत, स्वीकृत धनराशि, पूरी की गई परियोजनाओं और बंद की गई परियोजनाओं और अधूरी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छक्कमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू० डी०पी०) को 1989-90 से चलाया जा रहा है। यह स्कीम जुलाई, 1992 से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्थानान्तरित करके ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंप दी गयी थी जिसके लिए एक अलग परती भूमि विकास विभाग बनाया गया था, बाद में जिसका नाम बदलकर भू संसाधन विभाग कर दिया गया, जोकि गैर-वन्य परती भूमियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। पनधारा विकास के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल, 1995 से इस स्कीम को पनधारा विकास संबंधी मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार पनधारा आधार पर चलाया जा रहा है।

आई०डब्ल्यू०डी०पी० के अंतर्गत परियोजनाओं को विकास खण्डों (ब्लाक्स) के लिए स्वीकृत किया जाता है जिसमें सार्वजनिक बंजर भूमियों और उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती, है जिन्हें मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) और सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) में शामिल नहीं किया जाता है। इस स्कीम/इस स्कीम के अंतर्गत, जुलाई, 1992 से अब तक कुल 426 परियोजनाओं (1.4.1995 के पहले 128 और 1.4.1995 के बाद 298) को स्वीकृति प्रदान की गयी है ताकि मार्च, 2001 तक 34.05 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया जा सके, जिसपर कुल 1500.14 करोड़ रुपए खर्च आएगा। मार्च, 2001 तक इन परियोजनाओं के लिए 544.02 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

परती भूमि विकास परियोजनाओं को आमतौर पर 5 साल से अधिक की अवधि तक चलाया जाता है। स्वीकृत की गयी 426 परियोजनाओं में से 73 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। 52 परियोजनाएं पहले ही बंद कर दी गयी हैं और 296 परियोजनाएं चालू हैं जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कुल स्वीकृत परियोजनाओं में से मार्च, 2001 तक 148 परियोजनाओं का मूल्यांकन कर लिया गया था।

विभिन्न आई०डब्ल्यू०डी०पी० परियोजनाओं के मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा किए गए आकलन से पता चलता है कि मृदा संरक्षण और नमी संरक्षण उपायों तथा इस कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए जल एकत्रीकरण संरचनाओं का भूमि की उर्वरता में सुधार, फसल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, चारागाह विकास रोजगार सृजन की दृष्टि से अच्छा प्रभाव पड़ा है और इससे पनधारा क्षेत्र के आस-पास रहने वाले ग्रामीण लोगों की समग्र सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।

[हिन्दी]

एम०टी०एन०एल० में श्रमिक संघ का पंजीकरण

1036. **डा० बलिराम : क्या श्रम मंत्री** 29.04.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5188 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने पन्द्रह प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करने वाले श्रमिक संघों द्वारा भेजी गई संरक्षी श्रमिकों की सूची को स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सूची कब तक जारी की जाएगी;

(ग) क्या श्रम आयुक्त और उपश्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के तहत उन श्रमिक संघों का पंजीकरण निरस्त करने हेतु पंजीयक श्रमिक संघ को पत्र लिखा है जिन्होंने पन्द्रह प्रतिशत से कम मत प्राप्त किये हों या जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में चुनाव नहीं लड़ते हों;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) व्यापार संघ अधिनियम, 1926 के तहत पन्द्रह प्रतिशत से कम मत प्राप्त करने वाले श्रमिक संघ का पंजीकरण कब तक रद्द कर दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को श्रमिक संघों द्वारा भेजी गयी संरक्षी श्रमिकों की सूची की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) स्वीकृति देने के लिए आवेदनों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और केन्द्रीय नियमावली, 1957 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

(ग) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में उन श्रमिक संघों के पंजीकरण रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है जिन श्रमिक संघों को 15% से कम मत प्राप्त हुए हों।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चालू परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त अनुदान

1037. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि क्षेत्र में चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त वित्तीय अनुदान हेतु राज्य सरकारों से विशेषकर तमिलनाडु से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में सरकार की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु राज्यों को वर्षवार एवं राज्य-वार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु समेत राज्य सरकारों से स्थिति रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) बृहत प्रबंधन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त वित्तीय अनुदान की मांग करने वाले राज्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

राज्य	अतिरिक्त अनुदान (करोड़ रुपए)
आन्ध्र प्रदेश	27.00
तमिलनाडु	8.00
पंजाब	11.30
मिजोरम	उल्लिखित नहीं
राजस्थान	5.40

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु सहित अधिकतर राज्य विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाणपत्र/व्यय संबंधी रिपोर्टें भेज रहे हैं यद्यपि इनमें कभी-कभी विलम्ब हो जाता है। बृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत भी तमिलनाडु ने वर्ष 2000-01 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को निर्मुक्त राशि का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6175.51	3914.84	4235.45
2.	अरूणाचल प्रदेश	475.05	761.31	1216.81
3.	असम	386.91	1099.27	1798.80
4.	बिहार	240.70	419.59	1851.15
5.	छत्तीसगढ़	0.00	963.00	1810.05
6.	गोवा	202.06	49.12	215.00
7.	गुजरात	4789.31	4713.47	3108.33
8.	हरियाणा	1648.80	1833.74	1934.50
9.	हिमाचल प्रदेश	1116.09	1338.17	1896.97
10.	जम्मू और कश्मीर	1060.35	917.87	916.43
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	1175.49

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	8159.30	7180.52	7039.95
13.	केरल	2571.69	3724.72	2698.61
14.	मध्य प्रदेश	7696.70	5506.69	6813.06
15.	महाराष्ट्र	8324.33	10633.31	10598.78
16.	मणिपुर	984.03	935.68	938.27
17.	मेघालय	598.02	724.74	969.27
18.	मिजोरम	894.94	1088.99	1766.82
19.	नागालैण्ड	1223.07	1489.72	1001.72
20.	उड़ीसा	4594.78	1680.81	2073.05
21.	पंजाब	1206.84	849.49	1063.00
22.	राजस्थान	8470.36	8133.23	6763.15
23.	सिक्किम	541.89	825.29	1292.44
24.	तमिलनाडु	5513.83	5665.59	5416.38
25.	त्रिपुरा	951.07	817.25	1609.1
26.	उत्तर प्रदेश	7603.00	7068.83	7938.75
27.	उत्तरांचल	0.00	882.00	1515.35
28.	पश्चिम बंगाल	1534.60	1537.09	2913.80
	कुल	76963.131	74754.33	82370.48

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की बकाया देय धनराशि

1038. श्री सुकदेव पासवान : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 सितम्बर, 2001 को 1747 करोड़ रुपये जिनमें मजदूरी, भविष्य निधि, ई०एस०आई० देय राशि, उपदान, पेंशन और बोनस शामिल हैं का भुगतान सरकारी क्षेत्र के संबंधित कर्मचारियों को नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों की कठिनाईयां कम करने के लिए बकाया देय धनराशि चुकाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) रूग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बकाया कानूनी देयों के परिसमापन से संबंधित मामलों को देखने एवं कर्मकारों के हितों की रक्षा के लिए उपाय सुझाने के लिए एक मंत्रिदल का गठन किया गया है।

ग्रामीण प्रसंस्करण और विपणन ढांचे

1039. श्री सईदुज्जमा : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तरांचल कुछ कम प्रसिद्ध उत्पादों के अलावा बड़ी मात्रा में अनाज, फलों, सब्जियों, मसालों, चिकित्सीय पादपों और जड़ी बुटियों का उत्पादन करता है जिनकी ग्रामीण प्रसंस्करण और विपणन ढांचे के अभाव में इस समय अनदेखी की जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि नवदान्य, नई दिल्ली ने पहाड़ों में सात केन्द्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण आय के सृजन और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक योजना लाने और विनिर्माण हेतु उत्पाद मिश्रण पर जोर देने के लिए जून 2002 के दौरान देहरादून में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस स्वागत योग्य परियोजना की अपनी अवसरंचना और नाबार्ड, कापार्ट और खाद्य प्रसंस्करण सेवाओं, बैंकों आदि जैसे निकायों के माध्यम से पूर्ण समर्थन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय को, नवदान्य, नई दिल्ली से, पहाड़ों में सात केन्द्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण आय के सृजन और महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु कोई योजना और विनिर्माण हेतु उत्पाद मिश्रण प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

थैनी-क्विलोन मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करना

1040. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में थैनी-क्विलोन मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कौन-सी मार्ग संख्या दी गई है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए० आई०) ने प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग को जिन मार्गों के साथ जोड़ा जाता उसको अंतिम रूप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। थैनी-क्विलोन सड़क को अक्तूबर, 2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 220 के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच० ए०आई०) इस राष्ट्रीय राजमार्ग के सरेखण को अंतिम रूप देने की एजेंसी नहीं है। केरल और तमिलनाडु सरकार अपने-अपने राज्य में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण के लिए एजेंसियां हैं। थैनी-क्विलोन राष्ट्रीय राजमार्ग कुमली, कोट्टायम, चेंगानूर, अडोर और कोट्टारक्कारा शहरों से गुजरता है।

कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के उत्प्रवासन के संबंध में अनियमितताएं

1041. **श्री जी०एस० बसवराज** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई से खाड़ी देशों में जाने वाले कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के उत्प्रवासन में अनियमितताएं बरते जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में मुम्बई में उत्प्रवासन कर्मचारियों की संलिप्तता का सरकार को पता चला है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशों में ऐसे अवैध उत्प्रवासों का पता लगाने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के पास पंजीकृत कितने ट्रैवल एजेन्टों को अब तक काली सूची में डाला गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) बाड़ी देशों में अकुशल श्रमिकों के अवैध उत्प्रवास के संबंध में खाड़ी देशों के भारतीय मिशनों सहित विभिन्न हलकों से छिटपुट शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होते ही पंजीकृत भर्ती एजेंटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और उनके पंजीकरण को निलंबित/रद्द करने तथा बैंक गारंटियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाती है। चालू वर्ष के दौरान 21 भर्ती एजेंटों के पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित किए गए है और अब तक उनमें से 6 के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। तथापि, मुम्बई स्थित किसी उत्प्रवास कर्मचारी की संलग्नता का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

मक्का अनुसंधान निदेशालय के लक्ष्य और उद्देश्य

1042. **श्री राम मोहन गाड्डे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मक्का अनुसंधान निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली की स्थापना करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मक्का अनुसंधान निदेशालय द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या उपलब्धियां की गई हैं;

(ग) क्या उसमें आई लागत के अनुरूप उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके उत्तरदायी घटक क्या हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने और जवाबदेही निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) मक्का अनुसंधान निदेशालय स्थापित करने संबंधी संक्षिप्त लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. अजैविक और जैविक दबावों, गुणवत्ता सुधार विशेषज्ञता प्राप्त प्रयोगों आदि के लिए जननद्रव्य वृद्धि हेतु बुनियादी और महत्वपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों को हाथ में लेना।
2. देश के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों पर मक्का जननद्रव्य का बहुस्थानिक परीक्षण करना तथा अन्य अनुसंधान गतिविधियों का आयोजन और समन्वय कार्य करना।
3. मक्का का उत्पादन और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए दक्ष कृषि क्रियाएं विकसित करना।
4. उद्योग और अन्य क्षेत्रों के लिए ''टेलरिंग'' मक्का के लिए विविध प्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकियां तैयार करना।
5. मक्का के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ''फार्म'' पर ही अनुसंधान और अग्रपंक्ति प्रदर्शनों जैसी गतिविधियों को आयोजित करना।
6. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों/संस्थानों के साथ मिलकर मक्का अनुसंधान और विकास के लिए कारगर सहयोगी कार्यक्रम विकसित करना।

(ख) अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य ये हैं :–

अधिक उपज देने वाली एकल क्रास संकरों और उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन मक्का संकरों का विकास और जारी करना; प्रतिरोधक साधनों और प्रजनक बीज उत्पादन गतिविधि की पहचान करना; प्रक्षेत्र फार्म पर ही अनुसंधान करना और अग्रपंक्ति प्रदर्शन आदि आयोजित करना।

उपर्युक्त लक्ष्यों के मद्देनजर ''एकल क्रास'' संकरों के विकास पर अत्यधिक जोर दिया गया था ताकि उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। ऐसा करने से पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए 20 से अधिक संकरों को जारी किया जा चुका है। मक्का में मूल्यवर्धन डी०एम०आर० की प्राथमिकता के क्षेत्र रहे हैं क्योंकि सामान्य मक्का में 2 आवश्यक

एमिनो एसिडों अर्थात् लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए, दो उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन मक्का संकरों अर्थात् शक्तिमान-1 और शक्तिमान-2 की पहचान की गई और इन्हें उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में वाणिज्यिक खेती के लिए जारी किया गया है।

रोग और कीटाणु नाशीजीवों को काफी हद तक मक्का की उपज में कमी लाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, परियोजना प्रतिरोध के महत्वपूर्ण साधनों जैसे सी०एम० 104, सी०एम० 105, सी०एम० 500, सुवन-1 और मुख्य रोगों को पहचान करने में सफल हुई है। जो इन रोगों से होने वाली हानियों को न्यूनतम करने के लिए प्रजनन कार्यक्रम में उपयोग में लाई गई हैं।

गुणवत्ता बीज अधिक उपज प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश है। इस दिशा में, परियोजना ने प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां तैयार की हैं जो प्रमाणिक बीज उत्पादन के लिए उपयोग में लाई गई हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान लगभग 145 क्विंटल प्रजनक बीज का उत्पादन किया गया था।

पिछले तीन सालों में खरीफ मौसम के दौरान लगभग 6100 अग्रपंक्ति के प्रदर्शन (एफ०एल०डीज) और रबी मौसम के दौरान लगभग 4800 एफ०एल०डीज आयोजित किए गए थे। एफ०एल०डीज में खरीफ और रबी मौसम के दौरान औसत उपजें क्रमश: 33.98 क्विंटल/हैक्टर, 48.06 क्विंटल/हैक्टर थीं। वर्ष 2001 के दौरान गुजरात में रबी के दौरान 72.73 क्विंटल/हैक्टर और खरीफ में 46.76 क्विंटल/हैक्टर अधिकतम उपज प्राप्त की गई थी।

विगत 3 सालों में मक्का की उत्पादकता 1785 कि०ग्रा०/हैक्टर से बढ़कर 2060 कि०ग्रा०/हैक्टर हो गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय भंडार की लेखापरीक्षा

1043. श्री रामजी मांझी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय भंडार के खातों की लेखापरीक्षा किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय भंडार के खातों की लेखापरीक्षा न किये जाने के कारण अनियमितताएं हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय भण्डार के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति होने के कारण केन्द्रीय भण्डार को बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा कराया जाना अपेक्षित है। केन्द्रीय भण्डार द्वारा यह सूचित किया गया है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों की वार्षिक रिपोर्ट में कोई अनियमितताएं सूचित नहीं की गई हैं। सोसायटी के लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखी जाती है। जब कभी भी अनियमितताएं देखी जाती हैं, उचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

कर्नाटक में न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन

1044. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना बिके अनाजों के भारी बफर स्टाक के बावजूद गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने स्थानीय किसानों को राहत देने के लिए नारियल, अरहर (तुअर) दाल और ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कर्नाटक सरकार के किसी अनुरोध को स्वीकार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कृषि उत्पादों के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन पर विचार करने के लिए एक समान नीति बनायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी०ए०सी०पी०) के सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ अन्य घटक जो कि समर्थन मूल्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, के आधार पर गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2000-01 फसल में 610 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2001-02 फसल में 620 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2001 मौसम की तुलना में वर्ष 2002 मौसम में कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अधिक सीमा के निर्धारण के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने अनुरोध किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में अमल में लाए गए विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2002 के मौसम के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को पिछले वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही निर्धारित किया है। वर्ष 2002 मौसम के दौरान कोपरा के मूल्य समर्थन प्रचालन के लिए नेफेड, केन्द्रीय नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य करती रहेगी।

वर्ष 2002-03 मौसम की खरीफ फसल (अरहर और मक्का सहित) के लिए मूल्य नीति पर कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकारों को उनके सुझावों/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिचालित की गयी थी। कर्नाटक राज्य सरकार के सुझाव/टिप्पणियां अभी प्रतीक्षित हैं।

(ग) और (घ) उत्तर के भाग (क) में वर्णित घटकों के आधार पर प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार प्रत्येक मौसम में घोषित करती है और आमतौर पर ये पिछले मौसम की तुलना में ऊंचे स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं। सरकार द्वारा घोषित प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सारे देश में समरूप होते हैं।

एअर इंडिया द्वारा कालीनों की खरीद में हेराफेरी

1045. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री अम्बरीश :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 2002 के **दि इंडियन एक्सप्रेस में 500,000 डालर्स फॉर कारपेट एअर इंडिया नेवर रौल्ड आउट** शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक धन वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इस सौदे के लिए कोई बिचौलिया नियुक्त किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया अपने सभी सौदों के लिए बिचौलियों की नियुक्ति करता है;

(च) यदि हां, तो सरकारी खरीदों के लिए बिचौलिए की नियुक्ति करने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या एअर इंडिया का अधिकारी जो विदेश में तैनात था और जिसने एअर इंडिया के प्रबंध से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया था उसे बिना जांच के ही बर्खास्त कर दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, हां। एअर इंडिया ने दिसम्बर, 1994 में मैसर्स पेन्नासिल्वेनिया वुवन कार्पेट्स मिल्स को 15000 वर्गमीटर कार्पेट की आपूर्ति के लिए पुन: आदेश दिया था। पी०डब्ल्यू०सी०एम० को दिए गए पूर्व आदेश में भुगतान की शर्तों 30 दिनों की इनवायर्सिंग का उल्लेख किया गया था जिसको पुन: आदेश में बदलकर 10 दिन की इनवायर्सिंग कर दिया गया तथा उक्त को तत्कालीन क्षेत्रीय भंडार एवं खरीद प्रबंधन न्यूयार्क के माध्यम से जारी किया गया था। उक्त खरीद आदेश के संबंध में प्रोफार्मा इनवायस के प्रमाणीकरण के पश्चात् क्षेत्रीय भंडार एवं खरीद प्रबंधक न्यूयार्क द्वारा अग्रिम भुगतान कर दिया गया। इसमें से कुछ कार्पेट का निर्माण किया गया तथा पी०डब्ल्यू०सी०एम० को गोदाम में रखा गया तथा पुन: आदेश के एवज में वस्तुगत सुपुर्दगी नहीं हुई। उपर्युक्त कार्पेट की फाइनल सुपुर्दगी से पूर्व उक्त फर्म दीवालिया हो गई तथा एअर इंडिया परेषित माल (कंसाइनमेंट) की सुपुर्दगी नहीं ले सकी। बाद में पी०डब्ल्यू०सी०एम० गोदाम में कुछ कार्पेट मिले जोकि खराब पाए गए क्योंकि अग्नि प्रतिरोध परीक्षण में सफल नहीं हो पाए।

एअर इंडिया ने पी०डब्ल्यू०सी०एम० के विरूद्ध धन वसूली के लिए 1997 में न्यूयार्क जिला न्यायालय में कानूनी मुकदमा दायर किया तथा 28 अप्रैल, 1997 को एअर इंडिया के पक्ष में निर्णय दिया गया। यद्यपि, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने पर इसकी परिसंपत्तियों को प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले ली गई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) एअर इंडिया किसी भी सौदे के लिए मध्यस्थ नियुक्त नहीं करती।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) उचित क्रियाविधि का अनुसरण कार्य तथा जांच समिति द्वारा जांच कराने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री एम०एल० थाट्टे, तत्कालीन क्षेत्रीय भंडार एवं खरीद प्रबंधक न्यूयार्क को उनके ऊपर लगाये गए आरोपों के सिद्ध होने पर दंड के रूप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तथापि, एयर इंडिया का सतर्कता विभाग इस मामले की पुन: जांच कर रहा है।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

1046. **श्री सी० श्रीनिवासन :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसी प्रभावी राष्ट्रीय जल नीति के अभाव में विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी भी समाधान हेतु लंबित जल विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त विवादों का अभी तक समाधान न होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच इन्द्रावती नदी का एक और जल विवाद बढ़ता जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में सभी जल विवादों का समाधान किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) राष्ट्रीय जल नीति में देश में जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश निहित हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के रूप में एक तंत्र विद्यमान है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच रावी और व्यास जल विवाद और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी राज्यों के बीच कावेरी जल विवादों को अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन क्रमश: अप्रैल, 1986 और जून, 1990 में अधिकरणों को भेजा गया था। रावी एवं व्यास जल अधिकरण ने अपनी पहली रिपोर्ट जनवरी, 1987 में प्रस्तुत की। केन्द्र सरकार और पक्षकार राज्यों में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत अधिकरण से व्याख्या/निर्देशन की मांग की है। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25 जून, 1981 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है। कावेरी जल विवाद अधिकरण कावेरी जल विवाद पर फैसला सुनाने हेतु नियमित रूप से सुनवाई कर रहा है।

(घ) उड़ीसा और मध्यम प्रदेश के बीच वर्ष 1979 में हुए समझौते के अनुसार उड़ीसा राज्य इन्द्रावती उप-बेसिन में उड़ीसा मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र में 45 टी०एम०सी० जल छोड़ना सुनिश्चित करेगा। इस समझौते में 45 टी०एम०सी० वार्षिक मात्रा के मासिक वितरण के बारे में कोई अनुबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा – मध्य प्रदेश सीमा के ठीक ऊपर की ओर जौरा-नाला से साबरी नदी के बीच कुछ प्राकृतिक जल प्रवाह है। अत: जौरा-नाला और मुख्य इन्द्रावती नदी पर वार्षिक प्रवाहों के मासिक वितरण एवं डायवर्जन संरचना से निर्माण के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच मतभेद रहे हैं। डायवर्सन संरचना के निर्माण का समाधान कर लिया गया है इसलिए प्रवाहों का मासिक वितरण छत्तीसगढ़ द्वारा उनकी आवश्यकता की पुन: जांच करने के उपरांत उड़ीसा और केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ङ) केन्द्र सरकार इस विवाद को बातचीत के जरिए हल करने का प्रयास करती है जिसके विफल हो जाने की स्थिति में विवादों को निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुरूप पक्षकारी राज्यों के अनुरोध पर अधिकरण को भेज दिया जाता है। उक्त अधिनियम, में अधिकरणों द्वारा विवादों का समयबद्ध फैसला करने हेतु 28 मार्च, 2002 को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम के अनुसार भी, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन के उपरांत अधिकरण के फैसले की मान्यता उच्चतम न्यायालय की मान्यता के समतुल्य होगी।

नैफेड द्वारा एजेंट की नियुक्ति

1047. **श्री शीशराम सिंह रवि :**
श्री रामजी मांझी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैफेड ने देहली फेडरेशन को अपना प्रचार-प्रसार और सम्पर्क एजेंट नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देहली फेडरेशन की वित्तीय स्थिति कैसी है;

(घ) देहली फेडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का दर्जा क्या है;

(ङ) क्या फेडरेशन के खिलाफ अनियमितताओं में कुछ आरोप लगे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) नेफेड ने आर्मी खरीद संगठन (ए०पी०ओ०) को आपूर्ति के लिए दिल्ली फेडेरेशन की अपने अनुयाचन (कनवैंसिंग) एवं संपर्क (लायजनिंग) एजेंट के रूप में मार्च, 1996 में ही नियुक्त किया था। अब दिल्ली फेडेरेशन ए०पी०ओ० को आपूर्ति के लिए उनका एजेंट नहीं है।

(ख) नीति एवं व्यापार प्रणाली के अनुसार नेफेड सभी खरीद कार्य सदस्य राज्य स्तरीय सहकारी संघों के माध्यम से करता है। दिल्ली फेडेरेशन नाफेड का संघटक सदस्य है।

(ग) उपलब्ध लेखा परीक्षित लेखा विवरण के अनुसार दिल्ली फेडेरेशन ने वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के क्रमश: 2.49 लाख रुपए और 3.16 लाख रुपए का निवल लाभ अर्जित किया है।

(घ) दिल्ली फेडेरेशन की उपविधियों के अनुसार मुख्य कार्यकारी समिति का सचिव होता है जिसे प्रबंधक समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है और जो संघ की उपविधियों के अनुसार कार्य करता है।

(ङ) जी, हां।

(च) नाफेड ने सूचित किया है कि 5.50 करोड़ रुपए मूल्य की आपूर्तियां दिल्ली फेडेरेशन द्वारा नहीं की गई थी लेकिन नाफेड से धोखे से भुगतान का दावा किया गया था। नाफेड ने बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिल्ली फेडेरेशन के लिए दावा दायर किया है।

किसानों की जोत

1048. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों की जोत का निर्वाह स्तर निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) भूमि जोत की प्रति इकाई से अर्जित आय जोत के आकार, मृदा की गुणवत्ता, कृषि जलवायु परिस्थितियां, बोई गयी फसल, उपयोग की गयी प्रौद्योगिकी, उपलब्ध विपणन सुविधाएं और किसानों का उद्यमशील कौशल समेत विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। इस तरह भूमि जोतों पर आधारित स्तर भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है, तथा एक ही क्षेत्र में किसान दर-किसान अलग-अलग है। इसके अलावा किसान की आय उसके द्वारा किए गए गैर-फार्म क्रियाकलापों पर भी निर्भर करती है।

ऐतिहासिक स्मारकों के निकट अनधिकृत निर्माण

1049. **श्री एम० वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विनियमन के अनुसार संरक्षित स्मारकों की चार दीवारी से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो 14, जनपथ लेन पर ऐतिहासिक जन्तर-मंतर से 60 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 14 जनपथ लेन, नई दिल्ली पर भवन के निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी है।

(ग) सम्पति के स्वामी द्वारा किए जा रहे अवैध तथा अनधिकृत निर्माण-कार्यों को रोकने के वास्ते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन संस्मारक तथा अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम, 1959 के उपबंधों के अधीन कारण बताओ सूचना जारी की है। जिला पुलिस प्राधिकारियों, अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर परिषद् और दिल्ली प्रशासन से भी अनुरोध किया गया है कि वे जन्तर-मन्तर के निषिद्ध क्षेत्र के अन्दर ऐसे अवैध कार्य को रोकने के लिए अपनी-अपनी ओर से हस्तक्षेप और आवश्यक कार्रवाई करें।

सड़क सुरक्षा

1050. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई सड़क सुरक्षा परिषद काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद की सदस्यता हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इसमें सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं में सड़क सुरक्षा की उपेक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं और इनमें होने वाली मौतों संबंधी प्रमुख मुद्दों पर हस्तक्षेप करने एवं उन्हें हल करने संबंधी गैर-सरकारी संगठनों के अनुरोधों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में अपने कार्य निष्पादन की समीक्षा करने का है; और

(छ) यदि हां, तो सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का पिछली बार दिनांक 17.5.2000 को पुनर्गठन किया गया था जिसमें 74 सरकारी सदस्य तथा 14 गैर सरकारी सहयोजित संस्थागत/व्यक्तिगत सदस्य थे। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है। सहयोजित सदस्यों का चयन सड़क सुरक्षा मामलों में उनकी रुचि और जागरूकता के आधार पर किया जाता है। .

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) सरकार सड़क सुरक्षा के संबंध में सड़क प्रयोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए अनेक गैर-सरकारी संगठन के साथ कार्य करती रही है। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :–

(1) भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(2) दृश्य-श्रव्य-पत्र-पत्रिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार अभियान।

(3) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान सहायता का प्रावधान।

(4) चालकों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग को प्रोत्साहन।

(5) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरूआत।

(6) स्कूली बच्चों में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिलभारतीय निबंध प्रतियोगिता।

(7) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानक कठोर बनाए गए हैं।

(8) सड़कों को चौड़ा करना/सुधारना आदि।

पशुओं का परिवहन

1051. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से केरल में पशुओं का बड़ी संख्या में परिवहन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस परिवहन से किन्हीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) जी, नहीं। सरकार को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिल नाडु से केरल को गोपशु ले जाने की कोई सूचना नहीं है। तथापि, यातायात के ऐसे नियम हैं जो पशु को लाने ले जाने के समय उनकी समुचित देखभाल को सुनिश्चित करते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और विस्तार

1052. **श्री राजो सिंह :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उनका विस्तार किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उनके विस्तार पर प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या इस कार्य के लिए किया गया वार्षिक आबंटन हमेशा कम रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार राज्य को इस कार्य के लिए पर्याप्त राशि आबंटित करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(छ) फरवरी, 1997 से आज की तारीख तक बिहार और उत्तर प्रदेश शुरू में किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, उनका विस्तार करने और मरम्मत करने के कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन पर कितना वास्तविक व्यय किया गया है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) जी, हां।

(ख) सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अधिकांश सड़कों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत सामान्यत: यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। विकास और चौड़ा करने के कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धा के आधार पर चरणों में किए जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और मरम्मत/रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है।

वार्षिक योजना 2002-03 में 52 करोड़ रु० के बजट प्रावधान के साथ बिहार के लिए 156 करोड़ रु० की योजनागत लागत से विकास कार्यों के लिए प्रावधान है। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की 726 कि०मी० लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल किया गया है जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। रखरखाव और मरम्मत के लिए बिहार को 26 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विकास कार्यों तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए आबंटित धनराशि इस प्रकार है

करोड़ रु०

वर्ष	विकास कार्य		अनुरक्षण एवं मरम्मत		विशेश मरम्मत कार्यक्रम	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1999-2000	60.00	59.50	60.30	51.48	61.00	41.33
2000-2001	62.00	60.14	52.38	43.99	21.50	13.96
2001-2002	51.00	50.18	52.55	45.88	—	—

(घ) से (च) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए कुल अनुदान, धनराशि की उपलब्धता के अंतर्गत, मानकों के अनुसार, आवश्यकता का मुश्किल से 40 से 50% है। अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए आबंटन में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं तथापि, पिछले वर्ष बिहार में आवंटित राशि का पूर्णत: उपयोग नहीं किया गया।

(छ) और (ज) फरवरी, 1997 से बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में शुरू किए गए विस्तार/चौड़ाई बढ़ाने से संबंधित कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं

राज्य	रा०रा०सं०	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि/व्यय (करोड़ रु०)
बिहार	2,19,28,28ए,30,31, 80,81 व 82	16	26.18
उत्तर प्रदेश	2,7,19,21,25,28,76	28	206.71

इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत चार लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं तथा उन पर वास्तविक व्यय 1332.39 करोड़ रु० है।

राज्य	रा०रा०सं०	कार्यों की संख्या
बिहार	2 व 31	7
उत्तर प्रदेश	2,3,6ए,24,25,56	22

बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गुजरात को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम हेतु निधियां

1053. **श्री पी०एस० गढ़वी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु प्रतिव्यक्ति कितनी राशि आबंटित की गई है, और

(ख) इस कार्य के लिए राज्य ने कुल कितनी राशि की मांग की है और केन्द्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय में भू संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। उनके अनुसार, गुजरात में डी०पी०ए०पी० का प्रचालन राज्य के 14 जिलों में 67 ब्लाकों में लगभग 44,000 कि०मी० क्षेत्र में हो रहा है और 1999-2000 के दौरान 878.81 लाख रुपए, 2000-2001 के दौरान 1427.34 लाख रुपए और 2001-2002 के दौरान 1165.32 लाख रुपए राज्य को निर्मुक्त किए गए।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से की समूची राशि निर्मुक्त किए जाने के अलावा, सूखे को देखते हुए वर्ष 1999-2000 के दौरान 54.58 करोड़ रुपए की सहायता राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से और वर्ष 2000-01 के सूखे हेतु 112 करोड़ रुपए की सहायता राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से राज्य को निर्मुक्त की गई।

बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाना

1054. **श्री के०एच० मुनियप्पा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक सरकार विभिन्न स्थापनाओं के चंगुल से बहुत से बाल श्रमिकों को मुक्त कराने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न संगठनों में बाल श्रमिकों की पहचान करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक को इन बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) कर्नाटक राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1999-2000 से 3418 बच्चों को औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाते हुए मुख्य धारा में शामिल किया गया है। इन बच्चों को 7 जिलों में 190 विशेष स्कूलों प्रत्येक में 50 बच्चों के माध्यम से सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष स्कूलों के माध्यम से मुख्य धारा शामिल किया गया है।

बाल श्रमिकों की पहचान करना एक सतत् प्रक्रिया है और राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार 6184 बाल श्रमिकों की जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत के रूप में पहचान की गई है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत, कर्नाटक में रायचूर, बीजापुर, धारवाड़, बंगलौर ग्रामीण जिला और बंगलौर जिला में कार्य से हटाए गए 9.500 बच्चों को दायरे में लेने के लिए पांच परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4,09,36,000/- रुपये की राशि आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

एन०डी०आर०आई०, करनाल का प्रायोगिक दुग्ध संयंत्र

1055. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०डी०आर०आई०, करनाल स्थित प्रायोगिक दुग्ध संयंत्र का क्षमतानुरूप उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र की प्रस्थापित क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादन कितना है और उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। इसका क्षमतानुसार उपयोग किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

1056. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री शिवाजी माने :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) आज की तारीख तक खण्ड-वार और चरण-वार इन पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ङ) जिन राज्यों से ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेंगे, उनका योगदान क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर क्या-क्या लाभ मिलेंगे है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग कार्यक्रम की प्रगति इस प्रकार है :–

(i) कुल लंबाई (अनुमानित) – 7300 कि०मी०

(ii) पहले से ही चार लेन – 773 कि०मी०

(iii) कार्यान्वयन के अधीन – 715 कि०मी०

(iv) ठेके सौंपे जाने हैं – 5812 कि०मी०

(ख) इस परियोजना को पूरा करने की कुल अनुमानित लागत 29,000 करोड़ रु० (1999 के मूल्य पर) होगी।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इस परियोजना को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) वित्तीय पक्ष के संबंध में कुछ नहीं। तथापि, राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण आदि में प्रशासनिक सहायता प्रदान की जा रही है।

(च) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :–

(i) वाहन प्रचालन लागत में बचत।

(ii) तीव्र और आरामदायक यात्रा।

(iii) ईंधन की कम खपत।

(iv) व्यापार, विशेषत: शीघ्र खराब हो जाने वाले माल की ढुलाई, में लाभ।

(v) कम वाहन अनुरक्षण लागत।

(vi) अपेक्षाकृत सुरक्षित यात्रा।

(vii) क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास।

विवरण

उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग
(श्रीनगर से नागपुर)

चरण-I

क्र० सं०	कार्य का नाम	30.6.2002 की स्थिति के अनुसार संचित व्यय (करोड़ रु०)
1	2	3
1.	जालंधर बाइपास को 372.700 से 387.100 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/1 (पी०बी०)	66.63

1	2	3
2.	दिल्ली सीमा से समालखा खंड को 29.300 से 44.300 कि०मी० तक छह लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/2 (एच०आर०)	40.37
3.	8.2 से 16.2 कि०मी० तक आठ लेन बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/3 (डी०एल०)	7.09
4.	आगरा-ग्वालियर खंड को 8.00 से 24.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/4 (यू०पी०)	55.27
5.	आगरा-धौलपुर खंड को 41.00 से 51.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/5 (आर०जे०)	28.42
6.	आगरा-ग्वालियर खंड को 60.00 से 70.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/6 (एम०पी०)	17.43
चरण-II		
1.	जम्मू-पठानकोट खंड को 80.00 से 97.20 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/15 (जे० एंड के०)	10.49
2.	जालंधर-पठानकोट खंड को 4.23 से 26.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/16 (पी०बी०)	13.4
3.	44.00 से 66.00 कि०मी० तक छह लेन बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/17 (एच०आर०)	11.06
4.	16.50 से 29.295 कि०मी० तक आठ लेन बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/18 (डी०एल०)	10.62
5.	24.00 से 41.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – (उत्तर प्रदेश में 6.885 कि०मी०) – पैकेज सं० एन०एस०/19 (यू०पी०/राज०)	30.65
6.	आगरा-ग्वालियर खंड को 70.00 से 85.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/20 (एम०पी०)	15.57
7.	आगरा-ग्वालियर खंड को 85.00 से 103.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/21 (एम०पी०)	19.77

उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग
(नागपुर से कन्या कुमारी)

चरण-I

क्र० सं०	कार्य का नाम	30.6.2002 की स्थिति के अनुसार संचित व्यय (करोड़ रु०)
1	2	3
1.	नागपुर-अदीलाबाद खंड को 9.2000 से 22.850 कि०मी० और 24.000 से 36.600 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/7 (एम०एच०)	86.470
2.	नागपुर-हैदराबाद खंड को 447.000 से 464.000 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/8 (ए०पी०)	35.61
3.	आंध्र प्रदेश में रा०रा० 7 के हैदराबाद-बंगलौर खंड को 22.30 से 34.80 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/9 (ए०पी०)	21.53

1	2	3
4.	524.000 से 527.000 कि०मी० और 535.000 से 539.000 कि०मी० और हैदराबाद-बंगलौर खंड में 538.000 कि०मी० में छह लेन बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/10 (के०एन०टी०)	20.65
5.	तमिलनाडु में रा०रा० 7 के हाथीपल्ली-होसूर खंड को 33.015 से 48.600 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/11 (टी०एन०)	28.19
6.	तमिलनाडु में रा०रा० 7 को 199.200 से 207.600 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/12 (टी०एन०)	26.72
7.	थोपूरघाट खंड को 156.00 से 163.40 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० एन०एस०/17 (टी०एन०)	21.55
चरण-II		
1.	आंध्र प्रदेश में रा०रा० 7 के नागपुर-हैदराबाद खंड को 464.00 से 474.00 कि०मी० और हैदराबाद-बंगलौर खंड को 9.40 से 22.30 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० (एन०एस०/23-ए०पी०)	20.02
2.	कर्नाटक में रा०रा० 7 के हैदराबाद-बंगलौर खंड को 556.00 से 539.00 कि०मी० और 535.00 से 527.00 कि०मी० तक छह लेन का बनाना – ठेका पैकेज सं० एन०एस०-24/के०एन०	21.78
3.	तमिलनाडु में रा०रा० 7 के बी०एस०एम० खंड को 180.00 से 199.20 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – ठेका पैकेज सं० एन०एस०-26/टी०एन०	15.58
4.	तमिलनाडु में रा०रा० 7 के नमक्कल बाइपास को चार लेन का बनाना – ठेका पैकेज सं० एन०एस०-27/टी०एन०	5.41
5.	केरल में रा०रा० 47 के 332.60 से 316.00 कि०मी० (अलुवा से अंगमाली) तक चार लेन बनाना – ठेका पैकेज सं० एन०एस०-28/के०एल०	30.04

पूर्व – पश्चिम महामार्ग

चरण-I

क्र० सं०	कार्य का नाम	जून, 2002 तक व्यय (करोड़ रु०)
1	2	3
1.	पालनपुर के पास आबू रोड डीशा खंड को 340.00 से 350.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/1 (जी०जे०)	24.05
2.	लखनऊ-कानपुर खंड को 11.380 से 21.80 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/2 (यू०पी०)	31.87
3.	लखनऊ-कानपुर खंड को 59.50 से 75.50 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/3 (यू०पी०)	16.08
4.	पूर्णिया-गयाकोटा खंड को 410.00 से 419.00 कि०मी० और 470.00 से 476.150 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/4 (बी०आर०)	30.03
5.	डलकोला-इस्लामपुर उप खंड 1 को 477.00 से 470.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/5 (डब्ल्यू०बी०)	32.01
6.	डलकोला-इस्लामपुर उप खंड 2 को 476.150 से 500.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/6 (डब्ल्यू०बी०)	32.83

1	2	3
7.	गुवाहाटी बाईपास को 156.00 से 163.895 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/7 (ए०एस०)	36.8
चरण-II		
1.	लखनऊ-कानपुर खंड को 21.80 से 44.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/8 (यू०पी०)	14.93
2.	लखनऊ-कानपुर खंड को 44.00 से 59.50 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/9 (यू०पी०)	7.5
3.	गोंडल-रीवड़ा खंड को 143.00 से 160.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/10 (जी०जे०)	27.37
4.	350.00 से 373.70 कि०मी० (पालनपुर के समीप) तक चार लेन बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/11 (जी०जे०)	26.47
5.	पूर्णिया-गयाकोटा खंड को 419.00 से 447.00 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/12 (बी०आर०)	21.42
6.	गुवाहाटी बाइपास खंड को 146.00 से 156.50 कि०मी० तक चार लेन का बनाना – पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/14 (ए०एस०)	16.12
7.	लखनऊ शहर से गुजरने वाले रा०रा० 56 पर होते हुए रा०रा० 25 और रा०रा० 28 को जोड़ने वाले लखनऊ बाईपास खंड का निर्माण-पैकेज सं० ई०डब्ल्यू०/15 (यू०पी०)	56.43

यूरो II वाहनों का पंजीकरण

1057. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चंद्र यादव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार शहर में केवल यूरो II मानदंड को पूरा करने वाले वाहनों का ही पंजीकरण किया जा सकता है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके बड़ी संख्या में मानदंडों को पूरा न करने वाले वाहनों का पंजीकरण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि वे उन वाहनों का पंजीकरण नहीं कर रहे हैं जो यूरो-II मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1058. **श्री दिलीप संघाणी** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों की कितनी परियोजनाओं को विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एजेंसी से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ग) विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक और अन्य विदेशी एजेंसियों द्वारा परियोजनावार सहायता प्राप्त कितनी परियोजनाएं हैं; और

(घ) इनकी सहायता से राज्य-वार कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण हुआ है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	वित्तपोषण एजेंसी	ऋण राशि (मिलियन)	ऋण का वर्ष	कार्यान्वयन के अधीन लंबाई (कि०मी०)	सम्मिलित राज्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (2534-इंड)	विश्व बैंक	200.00 मिलियन अमरीकी डालर	1986-1987	496	गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
2.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (2365-इन/3470-इन)	विश्व बैंक	306.00 मिलियन अमरीकी डालर	1992-1993	290.90	पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र
3.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (ऋण सं० 4559-इन)	विश्व बैंक	516.00 मिलियन अमरीकी डालर	2000-2001	478.0	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड
4.	ग्रांड ट्रंक सुधार परियोजना (ऋण सं० 4622-इन)	विश्व बैंक	589.00 मिलियन अमरीकी डालर	2001-2002	421.0	उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंड
5.	प्रथम सड़क सुधार परियोजना (ऋण सं० 918-इंड)	एशियाई विकास बैंक	172.86* मिलियन अमरीकी डालर	1988-1989	157.0	हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश
6.	द्वितीय सड़क परियोजना (ऋण सं० 1041-इंड)	एशियाई विकास बैंक	250.00# मिलियन अमरीकी डालर	1991-1992	141.0	कर्नाटक, केरल, राजस्थान
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (ऋण सं० 1274-इंड)	एशियाई विकास बैंक	245.00 मिलियन अमरीकी डालर	1995-1996	329.4	हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश
8.	सूरत-मनोर टॉलवे परियोजना (ऋण सं० 1747-इंड)	एशियाई विकास बैंक	180.00 मिलियन अमरीकी डालर	2000-2001	175.60	गुजरात और महाराष्ट्र
9.	पूर्वी परिवहन महामार्ग परियोजना (ऋण सं० 1839-इंड)	एशियाई विकास बैंक	240.00 मिलियन अमरीकी डालर	2001-2002	259.10	कर्नाटक
10.	आईडीपी-81 रा०रा० 2 मथुरा-आगरा	जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन	3957.76 जापानी येन	1992-1993	51.33	उत्तर प्रदेश
11.	आईडीपी-91 नैनी पुल	जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल काआपरेशन	10037.00 जापानी येन	1994-1995	5.40	उत्तर प्रदेश
12.	आईडीपी-92 आंध्र प्रदेश में रा० रा० 5 सुधार परियोजना	जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल काआपरेशन	11360.00 जापानी येन	1994-1995	82.78	आंध्र प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7
13.	आईडीपी-100 उड़ीसा में रा०रा० 5 सुधार परियोजना	जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन	5836.00 जापानी येन	1995-1996	33.20	उड़ीसा
14.	आईडीपी-101 उत्तर प्रदेश में रा०रा० 24 सुधार परियोजना	जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन	4827.00 जापानी येन	1995-1996	32.35	उत्तर प्रदेश

*इस ऋण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में 3 राज्यीय सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं।
#इस ऋण में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 4 राज्यीय सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

नए राज्यों में धावन पट्टियों का विकास

1059. **श्री पुन्नूलाल मोहले :**
श्री पी०आर० खूंटे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीन नवगठित राज्यों की राजधानियों में धावन पट्टियों को चौड़ा करने उनका आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की देहरादून तथा रायपुर हवाई अड्डों के धावनपथों के 7500 फुट तक विस्तार किए जाने की योजनाएं है जिससे उन्हें एबी-320 प्रकार की विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। तथापि, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार रायपुर हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार 10500 फुट तक करवाये जाने की इच्छुक है। संबंधित राज्य सरकारों को भूमि आवश्यकता के अनुमान की जानकारी दे दी गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की देहरादून हवाई अड्डे पर एप्रन, कार पार्क, नियंत्रण टावर, अग्निशमन स्टेशन और एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण की भी योजनाएं है जिससे एक ही समय में 500 यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। रांची हवाई अड्डे पर वर्तमान धावनपथ लम्बाई 8900 फुट, एबी-320 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए पहले ही पर्याप्त है। वर्तमान दो एप्रनों से दो एबी-320 श्रेणी के विमानों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। वर्तमान टर्मिनल भवन एक ही समय में 250 यात्रियों की हैंडलिंग के लिए सक्षम है। टर्मिनल भवन के सामने केनोपी का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टर्मिनल भवन के और आगे विस्तार तथा परिवर्धन की योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

विरासती संपत्तियां

1060. **श्री सुनील खां :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विरासती इमारतें कौन-कौन सी हैं;

(ख) प्रत्येक इमारत के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है;

(ग) क्या झारखण्ड के मलाटी गांव स्थित कई मंदिरों और शेख फरीद का मकबरा और लेखा छतरी सहित अधिकांश इमारतें खस्ता हाल में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 3606 स्मारकों को केन्द्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया है जिनमें विरासत भवन भी शामिल हैं। ऐसे स्मारकों की एक सूची संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव तथा संरक्षण पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :–

1999-2000	2873.56 लाख रुपए
2000-2001	2917.65 लाख रुपए
2001-2002	4950.00 लाख रुपए

चूंकि किलों, मंदिर, परिसरों जैसे स्मारकों का संरक्षण एक एकल स्मारक के रूप में किया जाता है इसलिए भवन-वार किए गए व्यय को नहीं दर्शाया जा सकता।

(ग) और (घ) मलाटी झारखण्ड स्थित मंदिर और भवन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं हैं इसलिए ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में नहीं आते।

दिनांक 26.01.2001 को भुज में आए भूकम्प के कारण पाटन स्थित शेख फरीद का मकबरा तथा भुज स्थित राव लखा छतरी नामक दो स्मारकों की संरचना पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। मरम्मत किए जाने लायक वास्तुकलात्मक हिस्सों को बचा लिया गया है। प्रलेखन तथा आरेखनों को तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि स्मारकों का जीर्णोद्धार किया जा सके।

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए निधियां

1061. **श्री जयभान सिंह पवैया** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के बजट में इच्छित निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार आगामी बजट में मध्य प्रदेश और गुजरात के विमानपत्तनों का विकास और विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्ष 2000-2001 की वित्तीय कार्य-निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राजस्व अर्जन और जनशक्ति उपयोगिता के संबंध में कोई आकलन तैयार किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान निधि परिव्यय 319.49 करोड़ रुपए है और वर्ष 2002-2003 का योजना परिव्यय 996.05 है। वर्ष 2001-2002 के दौरान अमृतसर और औरंगाबाद हवाई अड्डे के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 3.70 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई थी। वर्ष 2002-03 के दौरान केवल अमृतसर हवाई अड्डे के लिए 21.50 करोड़ रुपए दिया गया था। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद अनुदान वित्त वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के लिए क्रमश: 24.88 करोड़ रुपए और 27.63 करोड़ रुपए था।

(ख) और (ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान गुजरात में शुरू की गई परियोजनाओं पर 14.25 करोड़ रुपये व्यय किया गया था। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर रनवे का सुदृढ़ीकरण, भुज एयरपोर्ट पर चारदीवारी, पोरबन्दर एयरपोर्ट पर ऐप्रन और टैक्सी मार्ग तथा बडोदरा एयरपोर्ट पर नया तकनीकी खंड सह नियंत्रण टावर और अग्निशमन स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। वर्ष 2002-2003 के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश स्थित हवाई अड्डों के विकास कार्य के लिए क्रमश: 151.32 करोड़ और 39.24 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गुजरात में किए गए प्रमुख कार्यों में, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर घरेलू प्रस्थान खंड और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार, भावनगर हवाई अड्डे पर रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, भुज हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण, पोरबन्दर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण और वडोदरा हवाई अड्डे पर पेरिफेरी दीवार का निर्माण शामिल होगा। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाएं भोपाल और खजुराहो हवाई अड्डों पर रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा जबलपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 2000-01 के दौरान लगभग 1873 करोड़ रुपए की अर्जित राजस्व की तुलना में 1514 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है जिसमें कर पूर्व 359 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है।

(च) अनंतिम परिणाम के आधार पर वर्ष 2001-2002 के दौरान प्राधिकरण का अनुमानित राजस्व लगभग 2245 करोड़ रुपए है।

(छ) आर्थिक दृष्टिकोण से भा०वि०प्रा० व्यवहार्य संगठन है और लगातार मुनाफा कमा रहा है।

[अनुवाद]

हैदराबाद में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन का बाल श्रमिकों संबंधी अभियान

1062. **डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने हैदराबाद में एक अभियान शुरू किया है जिसके अंतर्गत बाल श्रमिकों को प्रोत्साहन देकर उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस अभियान के उद्देश्यों का कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार हैदराबाद में ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया है। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन – आइपेक (आई०पी०ई०सी०) की आन्ध्र प्रदेश राज्य स्थित परियोजना के अन्तर्गत पुराने हैदराबाद शहर की 40 झुग्गी बस्तियों के बाल श्रमिकों को जुटाने और उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाने का एक लघु कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के अंतर्गत हिन्दुपुर (जिला अनन्तपुर), कुप्पम (जिला चित्तूर), भरकापुर (जिला प्रकाशम) और महबूब नगर जिले के थन्डूर और माल्डेकर संभाग तथा विशाखापट्टनम शहर भी शामिल किये गये हैं।

(ग) इस अभियान को देश के अन्य भागों में कार्यान्वित करने की तत्काल कोई योजना नहीं हैं।

[हिन्दी]

बंजर भूमि का सुधार

1063. **श्री वाई०जी० महाजन :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंजर भूमि के सुधार के लिए देश में कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) उस भूमि का ब्यौरा क्या है जिसे उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कृषि योग्य बनाया गया;

(ङ) क्या बंजर भूमि का क्षेत्रफल प्रतिवर्ष बढ़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (च) जी, हां। एक अनुमान के अनुसार देश में 638.52 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बंजरभूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि के सुधार हेतु सात प्रमुख स्कीमें कार्यान्वित कर रही है यथा एकीकृत बंजरभूमि विकास परियोजना (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, (डी०पी०ए०पी०) क्षारीय मृदा का सुधार (आर०ए०एस०) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना, (डब्ल्यू०डी०पी०एस०सी०ए०) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०) और नदी घाटी परियोजना और बाढ प्रवण नदियां कार्यक्रम (आर०वी०पी० और एफ०पी०आर०)। गत तीन वर्षों में 111.70 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के सुधार हेतु 2220.03 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। राज्य वार और स्कीम वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों 1999-2002 के दौरान बंजर भूमि और आक्रमित भूमि के सुधार पर व्यय की गई राज्य-वार और स्कीम वार राशि

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य	आईडब्ल्यू डीपी	डीडीपी	डीपीएपी	आरएएस	डब्ल्यूडी पीएससीए	एनडब्ल्यू डीपीआरए	आरवीपी और एफपीआर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4276.90	2087.00	11497.00			981.73	1935.63	20778.26
2.	अरूणाचल प्रदेश	85.85				321.77	80.00		487.62
3.	असम	2337.63				387.00	134.88	17.91	2877.42
4.	बिहार	66.00		572.00			77.17	0.00	715.17
5.	छत्तीसगढ़	697.90		1381.00			1399.89	259.15	3737.94
6.	गुजरात	2382.16	7454.00	3471.00	173.62		4087.63	1277.76	18846.17
7.	हरियाणा	309.44	2748.00		291.83		320.39	421.59	4091.25
8.	हिमाचल प्रदेश	2538.79	1220.00	654.00			828.49	1536.65	6777.93
9.	झारखण्ड	189.49		1569.00			49.32	0.00	1807.81
10.	जम्मू और कश्मीर	693.13	1845.00	886.00			35.40	1383.91	4843.44
11.	कर्नाटक	1933.22	1713.00	4322.00			5236.56	3544.47	16749.25
12.	केरल	241.03					2374.36	268.42	2883.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मध्य प्रदेश	3982.29		8258.00			5242.81	3745.95	21229.05
14.	महाराष्ट्र	1439.96		4553.00			5109.80	2825.28	13928.04
15.	मणिपुर	825.11				462.00	695.00		1982.11
16.	मेघालय	260.74				602.00	533.01		1395.75
17.	मिजोरम	933.23				1385.00	1511.00	107.03	3936.26
18.	नागालैण्ड	2419.11				1256.00	1595.00		5270.11
19.	उड़ीसा	1905.94		1698.00			1529.94	302.30	5436.18
20.	पंजाब	268.92			322.50		127.50	0.00	718.92
21.	राजस्थान	2499.75	19919.00	2562.00	96.31		11465.41	4580.02	41122.49
22.	सिक्किम	836.44					678.42	0.00	1514.86
23.	तमिलनाडु	1997.80		2600.00			4887.43	1505.20	10990.43
24.	त्रिपुरा	160.23				602.44	950.92	102.10	1815.69
25.	उत्तर प्रदेश	4169.27		3837.00	10.00		4873.34	5605.38	18494.99
26.	उत्तरांचल	632.33		835.00			1196.03	1631.93	4295.29
27.	पश्चिम बंगाल	45.00		662.00			970.52	196.23	1873.75
28.	गोवा						81.39		81.39
29.	अंडमान और निकोबार द्विप						91.57		91.57
30.	चंडीगढ़								0.00
31.	दादर और नगर हवेली						0.00		0.00
32.	दिल्ली								0.00
33.	दमन व द्विप								0.00
34.	लक्ष्यद्वीप								0.00
35.	पांडिचेरी								0.00
36.	डीवीसी (झारखंड)							3036.10	3036.10
37.	मुख्यालय/अन्य		15.00	52.00				127.00	194.00
	कुल :	38127.66	37001.00	49409.00	894.26	5016.21	57144.91	34410.01	222003.05

आई०डब्ल्यू०डी०पी०	एकीकृत बंजरभूमि विकास परियोजना
डी०डी०पी०	मरूभूमि विकास कार्यक्रम
डी०पी०ए०पी०	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम,
आर०ए०एस०,	झारीय मृदा का सुधार
डब्ल्यू०डी०पी०एस०सी०ए०	झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना,
एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
आर०वी०पी० और एफ०पी०आर०	नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियां कार्यक्रम।

विवरण-II

गत तीन वर्षों 1999-2002 के दौरान बंजर भूमि और आक्रमित भूमि के सुधार के अंतर्गत कवर की गई राज्य वार और स्कीम वार भूमि

(एरिया हजार है० में)

क्र० सं०	राज्य	आईडब्ल्यू डीपी	डीडीपी	डीपीएपी	आरएएस	डब्ल्यूडी पीएससीए	एनडब्ल्यू डीपीआरए	आरवीपी और एफपीआर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	195.48	118.00	533.50			48.34	32.53	927.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.30				10.05	1.67		20.02
3.	असम	193.13				8.91	0.00	0.54	202.58
4.	बिहार	8.00		37.00			1.94	0.00	46.94
5.	छत्तीसगढ़	88.01		151.50			40.02	5.22	284.75
6.	गुजरात	110.48	477.00	334.50	2.00		170.29	21.04	1115.31
7.	हरियाणा	30.28	160.00		22.00		13.60	13.25	239.13
8.	हिमाचल प्रदेश	193.83	109.00	67.00			17.91	16.00	403.74
9	झारखण्ड	24.68		196.00			0.00	0.00	220.68
10.	जम्मू और कश्मीर	30.57	140.00	88.00			0.17	16.44	275.18
11.	कर्नाटक	116.23	218.50	379.50			432.16	91.66	938.05
12.	केरल	19.47					66.65	1.83	87.95
13.	मध्य प्रदेश	254.49		580.00			194.27	94.36	1123.12
14.	महाराष्ट्र	169.46		546.50			151.80	53.46	921.22
15.	मणिपुर	20.50				8.01	14.58		43.09
16.	मेघालय	34.72				7.46	13.65		55.83
17.	मिजोरम	113.12				20.93	30.40	0.83	165.28
18.	नागालैण्ड	127.18				16.82	30.91		174.91
19.	उड़ीसा	112.19		166.00			39.87	6.56	324.62
20.	पंजाब	14.18			11.00		2.78	0.00	27.96
21.	राजस्थान	205.30	1036.50	192.50	2.00		323.86	73.51	1833.67
22.	सिक्किम	42.94					13.57	0.00	56.51
23.	तमिलनाडु	157.61		180.00			150.93	13.90	502.44
24.	त्रिपुरा	19.42				10.02	21.92	1.77	53.13
25.	उत्तर प्रदेश	166.70		235.50			151.67	161.19	715.06
26.	उत्तरांचल	79.16		119.00			30.94	19.53	248.63
27.	पश्चिम बंगाल	5.46		44.00			34.53	29.55	113.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	गोवा						2.80		2.80
29.	अंडमान और निकोबार द्विप						2.29		2.29
30.	चंडीगढ़								0.00
31.	दादर और नगर हवेली						0.00		0.00
32.	दिल्ली								0.00
33.	दमन व द्विप								0.00
34.	लक्ष्यद्वीप								0.00
35.	पांडिचेरी								0.00
36.	डी०वी०सी० (झारखंड)							43.39	43.39
	कुल :	2540.89	2259.00	3850.50	37.00	82.20	1703.52	696.56	11169.67

आई०डब्ल्यू०डी०पी० एकीकृत बंजरभूमि विकास परियोजना
डी०डी०पी० मरूभूमि विकास कार्यक्रम
डी०पी०ए०पी० सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम,
आर०ए०एस०, झारीय मृदा का सुधार
डब्ल्यू०डी०पी०एस०सी०ए० झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना,
एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए० वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
आर०वी०पी० और एफ०पी०आर० नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियां कार्यक्रम।

दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन

1064. **श्री हरिभाई चौधरी :**
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के क्षेत्र में एक अग्रणी देश है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में दूध और दुग्ध उत्पादों का कितना उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा में उसका उपभोग एवं निर्यात हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए संभावनाओं की तलाश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का उत्पादन तथा विगत तीन वर्षों में उनकी खपत और निर्यात की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(1) दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत मानक निर्धारित किए गए हैं। संयंत्रों के निरीक्षण तथा अनुमोदन के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ई०आई०ए०) को नामित किया गया है।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के हितों पर ध्यान दिया जा रहा है कोडेक्स एलमेंट्रियस कमीशन द्वारा मानक तैयार करने के लिए विचार विमर्श में नियमित योगदान।

(3) घर के भीतर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(4) भारतीय उत्पादों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए व्यापार मेलों में प्रतिभागिता।

विवरण

	1999-2000*	2000-2001*	2001-2002*
उत्पादन (तरल दूध) (मिलियन टन)	78.8	81.4	84.6
दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद (उत्पादन का मूल्य) (लाख रुपए में)	8898399	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
तरल दूध की प्रति व्यक्ति मासिक खपत		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
शहरी – मात्रा (कि०ग्रा०)	5.1		
मूल्य (रुपए)	62.66		
ग्रामीण – मात्रा (कि०ग्रा०)	3.79		
मूल्य (रुपए)	38.37		
दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की खपत			
शहरी – मूल्य (रुपए)	74.17		
ग्रामीण – मूल्य (रुपए)	42.56		
निर्यात			
मूल्य (लाख रुपए में)	3721	8390	20091

*अनन्तिम

[अनुवाद]

एन०पी०सी०सी० के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाना

1065. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एन०पी०सी०सी० लिमिटेड की अनेक इकाइयों के कर्मचारियों को गत अनेक महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) एन०पी०सी०सी० सार्वजनिक क्षेत्र की एक रूग्ण इकाई है जिसे वर्ष 1989 से अधिक रोजगार लागत, अधिशेष जनशक्ति, ऋणों पर ब्याज के अधिभार, परियोजना प्राधिकारियों से बकाया देयों की कम वसूली, पर्याप्त निधियां न जुटाने के कारण काफी अधिक हानियां हो रही हैं। अन्य सुधारात्मक उपायों के अलावा इस कंपनी के लिए एक पुनरूद्धार योजना भी तैयार की गई है। इस बीच सरकार, वेतन/मजदूरी के भुगतान संबंधी सांविधिक देयों का भुगतान करने के लिए, एन०पी०सी०सी० लिमिटेड को गैर-योजना सहायता मुहैया करा रही है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कार्यकरण की जांच

1066. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह** :
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया; और

(ग) प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं और पायी गयी कमियां क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू उड़ानों के बीच विमान बेडे का आशावादी होने, मार्ग युक्तिकरण तथा यात्रियों के अवरूद्ध अन्तरण पर विशेष बल देते हुए एअर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के बीच सहक्रिया जारी करने के सभी पहलुओं की छानबीन करने के उद्देश्य से 17.6.2002 को एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए ऋण

1067. **योगी आदित्यनाथ :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए विश्व बैंक/एशियन बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्यों को विशेषकर उत्तर प्रदेश को आबंटित ऋण और अग्रिमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऋण की सारी धनराशि संबंधित परियोजनाओं पर खर्च की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य परियोजनाओं पर व्यय किए गए ऋणों और अग्रिमों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी क्या कारण हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) विश्व बैंक/एशियाई बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा आबंटित ऋण के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

क्रम सं०	वर्ष	ऋण	वित्त पोषण एजेंसी	सम्मिलित राज्य
1.	1999-2000	कुछ नहीं		
2.	2000-2001	516.0 मिलियन अमरीकी डालर	विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड
3.	2000 2001	180.0 मिलियन अमरीकी डालर	एशियाई विकास बैंक	गुजरात व महाराष्ट्र
4.	2001-2002	589.0 मिलियन अमरीकी डालर	विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड
5.	2001-2002	240.0 मिलियन अमरीकी डालर	एशियाई विकास बैंक	कर्नाटक

(ख) और (ग) ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। उपर्युक्त ऋणों का उपयोग उन्हीं परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है जिनके लिए ये प्राप्त हुए हैं।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नजदीक बसी झुग्गियां

1068. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित कुछ हवाई अड्डों के नजदीक झुग्गियां बसी होने की जानकारी है जो हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इन झुग्गियों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन झुग्गियों को कब तक हटाए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सरकार अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे समेत कुछ हवाई अड्डों के आस-पास झुग्गियों के होने की बात जानती है। इस मामले को राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है ताकि अतिक्रमण को हटाया जा सके। इस संबंध में क्योंकि विभिन्न कानूनी/सामाजिक बाधाएं हैं इसलिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[अनुवाद]

गुजरात में फार्म कृषि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र

1069. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को फार्म कृषि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का लाभ मिलने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) गुजरात में एग्रो-फार्मिंग के लिए विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

समुद्री मछलियों की प्रजातियों का विलुप्त होना

1070. **श्री ब्रह्मानंद मंडल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री मछलियों की संख्या इतनी तेजी से घट रही है कि उनकी कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है;

(ख) क्या केन्द्रीय समुद्री मत्स्य उद्योग अनुसंधान संस्थान ने इस संबंध में मछलियों की गणना करना शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मछलियों की प्रजातियों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पर्यटकों की थाइलैण्ड यात्रा

1071. **श्री पी०आर० किन्डिया :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष थाईलैण्ड से भारत लाने वाले पर्यटकों की तुलना में कितने पर्यटकों ने थाइलैण्ड की यात्रा की;

(ख) भारतीय पर्यटकों और थाइलैण्ड के पर्यटकों की संख्या में कितना अंतर है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में थाईलैण्ड के अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान थाइलैण्ड का भ्रमण करने वाले भारतीयों की संख्या और भारत का भ्रमण करने वाले थाई पर्यटकों की संख्या तथा भारत एवं थाई पर्यटकों के बीच का अंतर नीचे दिए गए अनुसार है :–

वर्ष	थाईलैण्ड का भ्रमण करने वाले भारतीयों की संख्या	भारत का भ्रमण करने वाले थाई पर्यटकों की संख्या	भारतीय और थाई पर्यटकों के बीच का अंतर
1999	1,63,980	13,475	1,50,505
2000	2,02,868	18,607	1,84,261
2001	उपलब्ध नहीं	18,623	–

(ग) थाईलैण्ड से पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए, किए गए विभिन्न प्रचार और संवर्धनात्मक कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- थाईलैण्ड सहित दक्षिण पूर्व एशिया में विदेशी विपणन और संवर्धनात्मक योजना पर पुन: ध्यान आकर्षि करना।
- सड़क प्रदर्शन और भारत प्रस्तुतियों का आयोजन और पर्यटन प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- मीडिया और यात्रा प्रचालकों के फेम टूअरों की मेजबानी करना ताकि उन्हें भारतीय पर्यटन उत्पादों और पर्यटक सुविधाओं की प्रथम जानकारी दी जा सके।
- दक्षिण भारत, गोल्डन ट्राइंगल (दिल्ली-आगरा-जयपुर) और थाईलैण्ड में विभिन्न समुदायों के लिए बौद्ध परिपथ जैसे विशेष टूअर पैकेजों का संवर्धन।
- समय-समय पर प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देना।

केन्द्रीय सहायता की सदृश हिस्सेदारी प्रणाली में संशोधन

1072. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से केन्द्रीय सहायता की सदृश हिस्सेदारी संबंधी मौजूदा 50:50 प्रणाली को बदलकर 80:20 या 75:25 किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सहायता की सदृश हिस्सेदारी प्रणाली में आवश्यक संशोधन कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है तथा योजना आयोग के परामर्श से शीघ्र ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मोटलों और विश्रामालयों का निर्माण

1073. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या **सड़क परिवहन और** राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मोटलों और विश्रामालयों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) उपर्युक्त कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) उन पर कितना खर्चा होने का अनुमान है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) सरकार की यह नीति है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 50 कि०मी० के अंतराल पर यात्री-परक मार्गस्थ सुविधाएं और विश्रामालय उपलब्ध होने चाहिएं।

(ख) गुजरात में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रैस मार्ग परियोजना के 23 और 79 कि०मी० पर इस समय दो विश्राम स्थलों तथा कर्नाटक में 15 विश्राम स्थलों के निर्माण की योजना है।

(ग) और (घ) यात्री-परक मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का हिस्सा है और इसलिए इन सुविधाओं का निर्माण शुरू होने की तारीख और उन पर होने वाले व्यय के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना

1074. **श्री थावरचन्द्र गेहलोत :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए, राज्य वार कितने निर्यात क्षेत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) उपर्युक्त राज्यों में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि-उत्पादों के निर्यात का उत्पाद-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास किन्हीं राज्यों से कृषि उत्पादों के निर्यात संबंधी प्राप्त प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उनके लंबित होने के राज्य-वार कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राज्यवार कृषि-निर्यात क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार ने कृषि-निर्यात क्षेत्र को स्थापित करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति तैयार की है। कृषि-निर्यात क्षेत्र की अवधारणों का प्रयास कच्चे पदार्थों के विकास व स्रोत, उनके प्रसंस्करण/पैकिंग जो पूर्ण निर्यात के लिए अपेक्षित है, के उद्देश्य हेतु निकटस्थ क्षेत्र में स्थित विशेष उत्पाद/उत्पादों पर व्यापक दृष्टि रखना है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रयास संभाव्य उत्पादों के पहचान भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें ये पैदा होते हैं और ठीक उत्पादन के स्तर से बाजार में पहुचने तक सम्पूर्ण प्रक्रिया को समाहित करता हुआ अन्तिम से अन्तिम प्रयास को अपनाने के सामूहिक दृष्टिकोण पर केन्द्रित है।

(ग) निर्यात-आयात डाटा का ब्यौरा वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय कोलकाता द्वारा स्वीकृत किया गया है और वे निर्यात-आयात का राज्य-वार डाटा नहीं रखते हैं।

(घ) और (ङ) कृषि-निर्यात क्षेत्र स्थापित करने के लिए लगभग 10-12 प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त किए गए हैं। कृषि और आयातित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	उत्पाद
1.	पश्चिम बंगाल	अनानास लीची आलू
2.	कर्नाटक	खीरा प्याज फूल
3.	उत्तरांचल	लीची फूल
4.	पंजाब	सब्जियां आलू
5.	उत्तर प्रदेश	आलू आम आम
6.	महाराष्ट्र	अंगूर और अंगूर की शराब आम केसर आम फूल
7.	आंध्र प्रदेश	मैंगों पल्प और ताजी सब्जियां आम और अंगूर
8.	जम्मू व कश्मीर	सेब, अखरोट
9.	त्रिपुरा	अनानास
10.	मध्य प्रदेश	आलू, प्याज, लहसुन
11.	तमिलनाडु	फूल
12.	बिहार	लीची
13.	गुजरात	आम और सब्जियां
14.	सिक्किम	फूल (आरचिड्स) और चेरी पीपर अदरक

भविष्य निधि के लिए दिशानिर्देश

1075. **श्री शिवाजी माने :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाखों सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि से संबंधित अनियमितताओं को दूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने हेतु किसी समय-सीमा की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्यक्रम अब तक क्रियान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को क्रियान्वित न करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट उद्योगों/प्रतिष्ठानों की 180 श्रेणियों में कार्यरत गैर-सरकारी कर्मचारियों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तथा 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

अपने अंशदाताओं को विश्वस्तरीय सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें इसके सभी क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना शामिल है। इस कार्यक्रम में दावों के निपटान में लगने वाले समय को घटाकर 2 3 दिन करने का विचार है और इससे अंशदाताओं को कहीं भी किसी भी समय सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

जहां कहीं किसी चूक या अनियमितता का पता चलता है, कानून के अनुसार चूककर्ता प्रतिष्ठनों और साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा-हैदराबाद राजमार्ग का विस्तार

1076. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा-हैदराबाद राजमार्ग सड़क विस्तार योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस राजमार्ग के निर्माण के संबंध में कुछ मतभेद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) विजयवाड़ा-हैदराबाद खंड में रा०रा० 9 के लिए निम्नलिखित सुधार/विस्तार कार्य वार्षिक योजना 2002-03 में शामिल किए गए हैं।

क्रम सं०	विवरण	प्रावधान (करोड़ रु०)
1.	6/0 से 10/0 कि०मी० तक सड़क गुणता में सुधार	2.00
2.	10/0 से 22/0 कि०मी० तक 4 लेन बनाना	12.00
3.	22/0 से 35/0 कि०मी० तक पेव्ड शोल्डरों का प्रावधान	2.50
4.	118/2 से 135/8 कि०मी० तक सड़क गुणता में सुधार	3.40
5.	177/0 से 217/0 कि०मी० तक (नया 182/500 से 222/450 कि०मी०) 4 लेन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण	4.00
6.	190/0 से 200/0 कि०मी० तक सड़क गुणता में सुधार	2.40

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकार की सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(i) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर रा०रा० 9 के 182/500 से 222/450 कि०मी० तक 4 लेन बनाने के लिए विद्यमान सड़क को चौड़ा करना।

(ii) कोदाद शहर के लिए बाइपास की व्यवस्था।

(च) राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

प्रवेश कर का संग्रहण

1077. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार गुवाहाटी के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 पर स्थित चार जांच चौकियों पर वाणिज्यिक और निजी वाहनों से प्रवेश कर संग्रहण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1977 में यथा संशोधित) वाहनों के राजमार्गों पर निःशुल्क आवागमन की अनुमति देता है;

(ग) यदि हां, तो क्या असम सरकार की इस पहल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 का उपयोग करने वाले वाणिज्यिक एवं निजी वाहनों को अकथनीय कठिनाई और वित्तीय भार का सामना करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) असम सरकार ने सूचित किया है कि गुवाहाटी नगर निगम ने गुवाहाटी के आसपास स्थित केवल चार जांच चौकियों पर वाणिज्यिक वाहनों से प्रवेश-शुल्क वसूली के लिए पहले ही निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है। इन चार स्थानों में से तीन स्थान राष्ट्रीय राजमार्गों पर हैं अर्थात् दो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 पर और एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 पर है।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से सुरक्षा कारणों और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बनाए गए अस्थायी अवरोधकों को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी जांच अवरोधक/जांच द्वारों की अनुमति नहीं है। यदि स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा राजस्व जुटाने के लिए इन्हें बनाना आवश्यक होता है, तो इन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार क्षेत्र से बाहर बनाना होता है ताकि यातायात में कोई व्यवधान न आए।

(ग) और (घ) प्रवेश कर लगाने से संबंधित मामला राज्य सरकार का विषय है। तथापि, असम राज्य सरकार को पहले ही यह परामर्श दिया गया है कि उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों पर जांच अवरोधक/जांच द्वारों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी जांच द्वारों को हटा लिया जाए।

चाय बागान के कामगारों को सवेतन छुट्टी

1078. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में चाय बागान कामगारों को रविवार की सवेतन छुट्टी नहीं दी जाती है; और

(ख) सरकार द्वारा पूरे देश में चाय बागान के कामगारों को अन्य श्रमिकों की भांति ही रविवार को सवेतन छुट्टी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

तिलहन उत्पादन

1079. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग की सुरक्षा के लिए तिलहन उत्पादन में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और तिलहनों/खाद्य तेलों में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए भारत सरकार 28 राज्यों में 408 चुनिंदा जिलों को कवर करते हुए एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ०पी०पी०) चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, वितरण, उन्नत कृषि उपकरणों के वितरण, छिड़काव सैटों, राइजोबियम कल्चर और सूक्ष्म पोषक तत्वों इत्यादि जैसे विभिन्न आदानों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। किसानों के बीच उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रमुख प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य कृषि विभाग द्वारा खंड एवं समेकित कीट प्रबंधन प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में आम संवर्द्धन परियोजनाएं

1080. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के अंगुल और ढेंकानाल जिलों में आमों के गहन संवर्द्धन के लिए परियोजनाएं और प्रस्ताव प्रस्तुत किए है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों/परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इन पर कितनी लागत आने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा कितने वित्त के आवंटन की स्वीकृति दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सरकार को उड़ीसा के अंगुल और ढेंकानाल जिलों में आम के गहन संवर्द्धन के लिये कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सरकार कृषि में वृहत्तर प्रबंधन पद्धति पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत राज्यों के पूरक/अनुपूरक प्रयासों को कार्ययोजन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है और उससे फलों के विकास के लिये सहायता दी जा रही है। इसके लिये राज्य सरकारें अपनी आवयकता/अपेक्षाओं के अनुसार कार्य-योजना में प्राथमिकतायें निर्धारित कर सकती हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान वृहद प्रबंधन स्कीम में उड़ीसा सरकार के लिये 25.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसके बागवानी के लिये 5.25 करोड़ रुपये भी सम्मिलित हैं। कार्य-योजना में राज्य की आम सहित फलों के विकास पर ध्यान दिया गया है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की जल संबंधी आधारभूत संरचना में निवेश संबंधी योजना

1081. **श्री रामचन्द्र पासवान** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में जल संबंधी आधारभूत संरचना के सृजन में निवेश बढ़ाने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित स्कीमें कार्यान्वयन/ऋण देने वाले अभिकरणों द्वारा तैयार की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

पटसन का उत्पादन

1082. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय और राज्य बीज विकास निगम के माध्यम से किसानों को बेहतर किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर पटसन के उत्पादन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान पटसन का राज्यवार कितना उत्पादन दर्ज किया गया और इसकी अनुमानित मांग कितनी थी;

(घ) चालू वर्ष के लिये सरकार द्वारा घोषित पटसन का समर्थन मूल्य क्या है; और

(ङ) पटसन के समर्थन मूल्य की तुलना में इसका औसत बाजार मूल्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) गुणवत्ताप्रद जूट के बीजों की उपलब्धता इस प्रकार है :

(मात्रा क्विंटल में)

किस्म	आवश्यकता	उपलब्धता
जे०आर०सी०-212	70	70
जे०आर०ओ०-524	17860	17860
जे०आर०ओ०-632	1700	1700
जे०आर०ओ० 7835	100	100

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान, जूट का उत्पादन प्रत्येक 180 कि०ग्रा० की 105 लाख गांठे होने का अनुमान है। वर्ष 2001-02 के दौरान जूट की खपत 100 लाख गांठें होने का अनुमान है। वर्ष 2001-02 के दौरान जूट की खपत 100 लाख गाठें होने का अनुमान है। जूट उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	उत्पादन प्रत्येक 180 कि०ग्रा० की लाख गाठें
असम	10.00
बिहार	11.50
आंध्र प्रदेश	6.00
मेघालय	0.50
उड़ीसा	2.50
त्रिपुरा	0.30
पश्चिम बंगाल	73.20
अन्य	1.00
अखिल भारत	105.00

(घ) वर्ष 2002-03 मौसम के लिए असम के बाहर टी०डी०-5 ग्रेट के कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 850/-रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और असम के बाहर ही डब्ल्यू-5 ग्रेड के कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 800/-रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

(ङ) प्रमुख बाजारों में माह के अंत में डब्ल्यू-5 और टी०डी०-5 ग्रेड के कच्चे जूट के थोक मूल्य को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

माह के अंत में कच्चे जूट का थोक मूल्य

माह (2001-02)	डब्ल्यू-5 ग्रेड के लिये रु० प्रति क्विंटल	टी०डी०-5 के लिए रु० प्रति क्विंटल
1	2	3
असम (नौगांव)		
जनवरी, 02	963	1063
फरवरी, 02	900	1100
मार्च, 02	900	1150
अप्रैल, 02	900	1150

1	2	3
पश्चिमी बंगाल (कोलकाता)		
जुलाई, 01	1070	1120
अगस्त, 01	815	855
सितम्बर, 01	880	930
अक्तूबर, 01	935	985
नवम्बर, 01	1065	1250
दिसम्बर, 01	1105	1165
जनवरी, 02	1145	1202
फरवरी, 02	1195	1255
मार्च, 02	1190	1150
अप्रैल, 02	950	1016
मई, 02	1025	1025
पश्चिम दिनाजपुर		
जुलाई, 01	—	1062
अगस्त, 01	—	798
सितम्बर, 01	—	824
अक्तूबर, 01	—	908
नवम्बर, 01	—	1000
दिसम्बर, 01	—	1091
जनवरी, 02	—	1138
फरवरी, 02	—	1214
मार्च, 02	—	1080
अप्रैल, 02	—	945
मई, 02	—	945

राजसहायता वाले बीजों की आपूर्ति

1083. डा० वी० सरोजा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में सीधे बिक्री केन्द्र खोलकर किसानों को राजसहायता वाले बीजों की उच्च पैदावार वाली किस्मों की आपूर्ति हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य कार्ययोजना के वृहद् प्रबंध पद्धति के अंतर्गत धान और गेहूं की उच्च पैदावार किस्मों वाले प्रमाणित बीजों पर 200 रु० प्रति क्विंटल राजसहायता और मोटे अनाजों पर 400 रु० प्रति क्विंटल राजसहायता दी जा रही है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत मूंगफली और सोयाबीन के प्रमाणित बीजों पर बीज की लागत 30% अथवा 800 रुपये प्रति क्विंटल जो भी कम हो राजसहायता है। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत चना, मटर और मूंग के प्रमाणित बीजों पर बीज की लागत 30% अथवा 800 रुपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो राजसहायता है। कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत प्रमाणित कपास बीज पर 1000 रुपये क्विंटल की दर से राजसहायता है।

उपरोक्त वर्णित बीज किसानों को कृषि डिपुओं/कृषि के राज्य विभागों के कृषि विस्तार केन्द्रों, राज्यबीज निगमों, राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम, कृषक भारतीय कोआपेटिव लि० तिलमसंघ आदि के माध्यम से रियायती दरों पर वितरित किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर वनों की कटाई

1084. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वनों की हुई अंधाधुन्ध कटाई से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को चौड़ा करने के लिये बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई करनी पड़ी थी जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस नुकसान की भरपाई के लिये कोई वैकल्पिक योजना बनाई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु किसी सरकारी/गैर-सरकारी संगठन की सहायता लिये जाने की संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालु) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वनों की अंधाधुन्ध कटाई हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 1999 के अनुसार देश के वन आवरण में 1997 से 1999 तक 3,896 वर्ग कि०मी० की शुद्ध की वृद्धि हुई है।

(ग) से (ज) राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को चौड़ा करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 173000 वृक्षों को प्रभावित करने वाली वन भूमि का विपथन अनुमोदित कर दिया गया है। अनुमोदन इस शर्त पर है कि राज्य वन विभाग द्वारा काटे गए पेड़ों की संख्या से दुगने पेड़ों का रोपण क्षतिपूर्ति वनीकरण के रूप में किया जाएगा, जिसके लिए निधियां उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य वन विभाग के पास 19,34,14,750.00 रु० जमा करा दिए हैं।

[अनुवाद]

बुल ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध

1085. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुल ट्रालिंग विनाशकारी है और इससे मछलियों के अंड़े, समुद्री जीव-जन्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं तथा समुद्र प्रदूषित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस तरह की ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बुल ट्रालिंग से समुद्रीय पर्यावरण को बचाने और समुद्री परिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने हेतु मछली पकड़ने के कार्य को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बकाया राशि

1086. श्रीमती कांति सिंह :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इस बात को इंगित किया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण केन्द्र और राज्य सरकारों से तकरीबन 400 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी बकाया राशि को वसूलने में असमर्थ रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र और राज्य सरकारों पर बकाया राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

विजिंजम मत्स्यन केन्द्र (विजिंजम फिशिंग हार्बर) का निर्माण

1087. श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में विजिंजम मत्स्यन केन्द्र (विजिंजम फिशिंग हार्बर) के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस समय निर्माण कार्य किस चरण में है और इस उद्देश्य हेतु अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और यह कब से काम करना शुरू कर देगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) विझिंजम में मत्स्यन बंदरगाह का विकास तीन चरणों में किया जाना था। विझिंजम मत्स्यन बंदरगाह के चरण-1 के विकास के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को जनवरी, 1968 में अनुमोदित किया गया था। चरण-1 के पूरा होने के बाद चरण-2 और 3 के निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 4 फरवरी, 1987 को अनुमोदित किया था और मार्च, 1998 तक राज्य सरकार को 50 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्से के लिए 690.50 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक वाटर, ब्राफ, प्रशासनिक कार्यालय, गेट, शौचालय, सूचना केन्द्र का निर्माण जैसी सुविधाओं का कार्य पूरा हो चुका है। अन्य कार्य जैसे नीलामी हाल, सड़कें, गीयर शैड, बाड़ लगाना और चाहर दीवारी आदि पूरा होने की अग्रिम स्थिति में है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्य सरकार ने लगभग 11 हैक्टेयर भूमि पहले से ही अधिग्रहीत कर ली है और लगभग 2.1 हैक्टेयर भूमि परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जानी है।

(ग) और (घ) जैसा कि राज्य ने सूचित किया है परियोजना के अत्यधिक विलम्ब के मुख्य कारण निम्न हैं : (1) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब (2) परिवारों का पलायन और पुनर्वास (3)

भूमि के स्वामित्व में विवाद (4) अन्यों के बीच बंदरगाह बेसिन में स्थित खाबर को हटाने से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में विलम्ब। चूंकि मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए अपेक्षित भूमि को राज्य सरकार ने अभी तक पूरी तरह अधिग्रहित नहीं किया है और बंदरगाह बेसिन में स्थित खाबर से संबंधित मामला अभी सुलझाया जाना है इसलिए राज्य सरकार ने, जो कि परियोजना की कार्यकारी एजेंसी है, परियोजना को पूरा करने की निश्चित तिथि की सूचना नहीं दी है।

अलेप्पी बाईपास के निर्माण में देरी

1088. **श्री वी०एम० सुधीरन :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलेप्पी बाई-पास के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) अलेप्पी बाईपास की लंबाई 7.48 कि०मी० है और इसे दो चरणों में शुरू किया जा रहा है। संपूर्ण बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 3.63 कि०मी० लंबा पहला चरण पूरा कर लिया गया है। अलेप्पी बाईपास के 3.85 कि०मी० लंबे चरण-II का कार्य वार्षिक योजना 2002-03 में शामिल किया गया है। यह प्रस्ताव अभी तक केवल राज्य सरकार से प्राप्त होना है।

नैफेड

1089. **श्री अरूण कुमार :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैफेड ने सहकारिता विपणन को प्रोत्साहन देने की बजाय अपनी गतिविधियों को केवल कमीशन आधार पर कृषि उत्पाद को बेचने तक ही सीमित कर लिया है;

(ख) क्या इस प्रवृत्ति से नैफेड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर एक्सप्रेस राजमार्ग निर्माण कार्य

1090. **डा० नीतिश सेनगुप्ता :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर एक्सप्रेस राजमार्ग के निर्माण का कार्य जोर-शोर से चल रहा है;

(ख) सड़क निर्माण की इन योजनाओं से सीधे तौर पर कितना रोजगार सृजित होने का अनुमान है; और

(ग) उक्त राजमार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवावृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से है जिसमें चार महानगरों – दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता को जोड़ने वाले (स्वर्णिम चतुर्भुज) राष्ट्रीय राजमार्गों तथा कोचीन-सलेम खंड के साथ श्रीनगर को कन्याकुमारी (उत्तर-दक्षिण महामार्ग) और सिलचर को पोरबंदर (पूर्व-पश्चिम महामार्ग) से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाया जाना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह कार्य पूरे जोर-शोर से शुरू किया गया है।

(ख) रा०रा० विकास परियोजना के कार्यान्वियन के कुल लगभग 40 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

(ग) स्वर्णिम चतुर्भुज को काफी हद तक दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सी०एच०आर०सी० द्वारा कीड़ों से ग्रसित नारियल के पेड़ों का उपचार

1091. **श्री कोलूर बसवनागौड :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र (सी०एच०आर०सी०) ने कर्नाटक में कीड़ों से ग्रसित नारियल के पेड़ों का कोई उपचार ढूंढ निकाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक के अलग-अलग क्षेत्रों में नारियल के पेड़ों पर उपचार के दौरान अलग-अलग असर हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इन पेड़ों के उपचार के फलस्वरूप अनुमानत: कितना नुकसान हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर तथा जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर में नारियल की कुटकी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान प्रगति पर हैं। निम्नांकित नियंत्रण उपायों की सिफारिश की गई है :

(i) पादप आधारित नाशीजीवनाशकों का एक वर्ष में तीन बार या तो छिड़काव करके या जड़ पोषण के जरिये प्रयोग किया जा सकता है।

(ii) छिड़काव करने के लिए केवल नीम का तेल 2 प्रतिशत + लहसुन 2 प्रतिशत या नीम का तेल 4 प्रतिशत या पोंगामिया (करंज) का तेल 4 प्रतिशत या महुआ का तेल 4 प्रतिशत या मछली के तेल का रेजिन साबुन या 0.004 प्रतिशत अजादिरेक्टीन व्यापारिक नीम के सूत्रीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। जड़ पोषण के लिए पारिस्थितिक नीम + 10 मि०ली०/नारियल पेड़ या नीमाजल 7.5 मि०ली०/नारियल पेड़ के साथ इतनी ही मात्रा में पानी के प्रयोग की सिफारिश की जाती है।

(ग) और (घ) नाशीजीवनाशकों के तना इंजेक्शन की अनुचित विधि या नारियल के छोटे पेड़ों पर इसके प्रयोग के कारण तने में रिसाव देखा गया था। इस उपचार के कारण पेड़ों को कोई क्षति नहीं होती है।

कर्नाटक में सुपारी का समर्थन मूल्य

1092. **श्री आर०एल० जालप्पा :**
श्री सी०के० जाफर शरीफ :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बाजार अंत:क्षेप योजना (मार्किट इन्टरवेंशन स्कीम) के अंतर्गत सुपारी उत्पादकों के लिए सुपारी का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार किया है;

(ग) समर्थन मूल्य के बढ़ने से कर्नाटक में कितनी मात्रा में सुपारी खरीदे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) समर्थन मूल्य के कारण कितना नुकसान होने की संभावना है;

(ङ) कर्नाटक में किसानों को समर्थन मूल्य देने से सरकार को कितना अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा; और

(च) सुपारी उत्पादकों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य राहत उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वर्ष 2002-03 के दौरान मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत सुपारी की खरीद के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव पर इस प्रयोजन हेतु गठित बैठक में विचार किया गया था। समिति ने सिफारिश की है कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम के मण्डी हस्तक्षेप मूल्य पर सुपारी की 10,000 मीटर टन मात्रा की खरीद की जाए। इस स्कीम के कार्यान्वयन में अनुमानत: 12.00 करोड़ रुपए की हानि होगी जिसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बराबर-बराबर वहन किया जाएगा। मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अनुसार, समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाना है। इस प्रकार ये सिफारिशें पहले ही सक्षम प्राधिकारी को भेज दी गई हैं।

(च) मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के कार्यान्वयन से सुपारी उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सकेगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के कपास उत्पादक

1093. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के उन कपास उत्पादकों की ओर आकृष्ट हुआ है जिन्हें गत वर्ष के खरीद मूल्य का भुगतान भी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण देने और कपास का उचित मूल्य दिलाने हेतु क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कपास का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 2001-2002 मौसम के लिए कपास का भुगतान चार किश्तों में करने का निर्णय लिया गया था अर्थात् गारंटीयुक्त मुल्य का 90% खरीद के समय और शेष गारंटीयुक्त मूल्य का 10% 31 मार्च, 2001 से पूर्व। अग्रिम अतिरिक्त मूल्य की प्रथम किस्त 2 मई, 2002 से और अग्रिम अतिरिक्त मूल्य की दूसरी किश्त 2 अगस्त, 2002 से। वित्तीय व्यवस्था चरमराने से राज्य सरकार कपास का भुगतान निर्णय के अनुसार नहीं कर सकी। तथापि, कपास उत्पादकों को गारंटीयुक्त मूल्य के 90% (2167 करोड़ रुपए) की पूर्ण राशि का 20 जून, 2002 तक और शेष गारंटीयुक्त मूल्य के 10% (240.76 करोड़ रुपये) का 16 जुलाई, 2002 तक भुगतान कर दिया गया। इस प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कास उत्पादक विपणन संघ को 570 करोड़ रुपये का लघु आवधिक ऋण स्वीकृत किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार शेष अग्रिम अतिरिक्त मूल्य भुगतान करने के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है।

(ग) महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में प्रत्येक 170 कि०ग्रा० की क्रमश: 26.19 लाख गांठें, 30.99 लाख गांठे और 18.03 लाख गांठे होने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

जल संरक्षण की नई तकनीक

1094. **श्री अजय सिंह चौटला :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०आई०टी० ने जल संरक्षण के लिए एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में किस सीमा तक जल संकट के हल होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) देश में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं कुछ अन्य संस्थान वर्षों पुराने वर्षा जल संचयन पद्धति को अधिक कारगर एवं लागत-प्रभावी बनाने के लिए उनका नवीकरण/सुधार कर रहे हैं। वर्षा जल संरक्षण के कुछ उपायों में परकोलेशन टैंक, चेक बांध, गैबियन संरचनाएं, खोदे गए पुनर्भरण संरचनाओं, पुनर्भरण शाफ्टों एवं छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन प्रणालियां, प्रमुख उपाय हैं। पूरे देश भर में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने से विशेषकर डार्क क्षेत्रों में भूमिजल स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना है।

कृषक बाजारों का निर्माण

1095. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषक बाजारों को बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को धन मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि मुहैया कराई गई;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने कोई ऐसी कार्य योजना प्रस्तुत की है जिसमें राज्य में आदर्श बाजारों की स्थापना हेतु सहायता की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

वृहद् प्रबंध की यह योजना चल रही 27 केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं को समेकित करके आरंभ की गयी और यह नवम्बर, 2000 से परिचालन में है। यह योजना राज्यों को उनकी कृषि विकास प्राथमिकताओं के आधार पर हस्तक्षेप करने हेतु लचीलापन प्रदान करती है। अधिकतर राज्यों ने वृहत् प्रबंध की योजना के अंतर्गत उनकी कार्य योजना पर कृषक बाजारों/आपनी मंडियों समेत कृषि बाजार के विकास के लिए प्रस्ताव शामिल कर लिए हैं। राज्य कृषि क्रियाकलापों के विकास के लिए नई पहल के रूप में कोई घटक/योजना शामिल कर सकता है। योजना के अंतर्गत सहायता एकमुश्त जारी की जाती है और राज्यों को विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत इस राशि के पुन: आबंटन की छूट है। इस प्रकार कृषक बजारों के निर्माण का कार्यक्रम उपरोक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा अपने हाथ में किया जा सकता है।

(ग) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 के दौरान निर्मुक्त राशि, 2002-2003 के लिए आबटन तथा 1.4.2002 को अव्ययित शेष के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण I से IV में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) उड़ीसा सरकार ने राज्य में आदर्श बाजार की स्थापना के लिए सहायता वाली कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की है। किन्तु उपरोक्त वर्णित वृहत् प्रबंध पद्धति के अंतर्गत उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना प्रस्ताव 2002-03 में 15.50 लाख रु० (केन्द्रीय अंश के रूप में 14.00 लाख रु०) की लागत से कृषक बाजारों के विकास के लिए प्रस्ताव शामिल है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त नहीं की गयी क्योंकि उनके पास बहुत अधिक अव्ययतित शेष राशि उपलब्ध थी। वर्ष 2001-2002 के दौरान वृहत् प्रबंध की कृषि योजना के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को 1485.00 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी। इस राशि में से उड़ीसा सरकार के सहकारिता विभाग ने कृषक बाजारों समेत कृषि बाजारों के निर्माण के लिए 92.25 लाख रु० प्राप्त किए हैं। 92.25 लाख रुपये में से 56.00 लाख रुपये उनके द्वारा पहले ही निर्मुक्त किए जा चुके हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान कृषि योजना के वृहत्-प्रबंध के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को 25.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। इसमें से 194.40 लाख रुपये कृषक बाजारों समेत कृषि विपणन के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2000-01 के दौरान वृहत् प्रबंध योजना के अंतर्गत आवंटित और निर्मुक्त कोषों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	स्वीकृत परिव्यय	वृहत् प्रबंध मोड के अंतर्गत निर्मुक्त कोष				
			27 सीएसएस के अंतर्गत 2000-01 के दौरान निर्मुक्त कोष	वृहद प्रबंध मोड के अंतर्गत निर्मुक्त कोष (द्वितीय किश्त)	वृहत प्रबंध मोड के अंतर्गत निर्मुक्त कोष (तृतीय किश्त)	वृहत प्रबंध के अंतर्गत कुल निर्मुक्ति	2000-01 (कालम 4+7) कुल निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4500.00	889.38	606.57	756.22	1362.79	2252.17
2.	अरूणाचल प्रदेश	700.00	60.85	323.15	150.00	473.15	534.00
3.	असम	1160.00	82.59	357.77	51.70	409.47	492.06
4.	बिहार	1319.00	91.49	261.07	—	261.07	352.56
5.	झारखण्ड	900.00	19.47	—	—	—	19.47
6.	गोवा	180.00	29.42	—	—	—	29.42
7.	गुजरात	3000.00	1488.57	534.64	976.79	1511.43	3000.00
8.	हरियाणा	1500.00	317.11	612.80	303.48	916.28	1233.39
9.	हिमाचल प्रदेश	1500.00	553.78	442.98	244.53	687.51	1241.29
10.	जम्मू व कश्मीर	1500.00	355.68	348.11	144.53	492.64	848.32
11.	कर्नाटक	6500.00	1838.38	2322.00	1900.00	4222.00	6060.38
12.	केरल	4000.00	353.77	1836.49	836.44	2672.93	3026.70
13.	मध्य प्रदेश	4442.00	2402.02	794.00	724.40	1518.40	3920.42
14.	छत्तीसगढ़	1558.00	—	444.00	519.00	963.00	963.00
15.	महाराष्ट्र	10000.00	2050.34	4186.00	2698.75	6884.75	8935.09
16.	मणिपुर	1000.00	88.78	—	390.35	390.35	479.13
17.	मिजोरम	950.00	76.02	353.47	112.83	466.30	542.32
18.	मेघालय	645.00	155.64	126.86	339.53	466.39	622.03
19.	नागालैण्ड	1200.00	154.20	638.64	377.83	1016.47	1170.67
20.	उड़ीसा	3500.00	614.89	—	—	—	641.89
21.	पंजाब	2500.00	214.65	—	500.00	500.00	714.65
22.	राजस्थान	7000.00	3136.60	967.72	2470.83	3438.55	6575.15
23.	सिक्किम	800.00	102.58	401.77	233.51	635.28	737.86
24.	तमिलनाडु	5000.00	1634.27	1607.00	1200.00	2807.00	4441.27
25.	त्रिपुरा	800.00	135.32	243.51	97.08	340.59	475.91

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	उत्तर प्रदेश	7580.00	2254.95	2433.00	1600.00	4033.00	6287.95
27.	उत्तरांचल	920.00	230.00	383.00	307.00	690.00	920.00
28.	पश्चिम बंगाल	1200.00	349.18	313.63	415.02	728.66	1077.83
29.	अंडमान व निकोबार	180.00	38.87	—	—	—	38.87
30.	चंडीगढ़	80.00	0.65	—	—	—	0.65
31.	दादर व नगर हवेली	250.00	21.61	—	—	—	21.61
32.	दिल्ली	300.00	61.03	—	—	—	61.03
33.	दमन व द्वीव	80.00	4.34	—	—	—	4.34
34.	पाण्डिचेरी	200.00	15.14	—	—	—	15.14
35.	लक्षद्वीप	120.00	10.18	—	—	—	10.18
	कुल	77064.00	19831.75	20538.18	17349.82	37888.00	57719.78

*27 सीएसएस के वृहत् प्रबंध मोड में विलय से पहले निर्मुक्त कोष

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कृषि के वृहत प्रबंध के अंतर्गत निर्मुक्त कोष

क्र० सं०	राज्य/सं०शा० प्र०	(रुपये करोड़ में) आबंटन	तीसरी तीमाही तक अनुदान	तीसरी तीमाही तक ऋण	(रुपये लाख में) चौथी तिमाही के दौरान अनुदान	चौथी तिमाही के दौरान ऋण	निर्मुक्त कुल कोष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	45.00	1347.44	677.56	180.00	45.00	2250.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.39	80.97	138.53			219.50
3.	असम	10.47	336.91	186.59			523.50
4.	बिहार	36.00	1387.79	412.21			1800.00
5.	झारखण्ड	14.00	540.00	135.00	336.00	84.00	1095.00
6.	गोवा	2.00	72.00	18.00	88.00	22.00	200.00
7.	गुजरात	38.00	1137.71	662.29	80.00	20.00	1900.00
8.	हरियाणा	18.00	464.74	345.26	647.60	162.40	1620.00
9.	हिमाचल प्रदेश	18.00	510.50	299.50	792.00	198.00	1800.00
10.	जम्मू व कश्मीर	18.00	549.47	260.53	72.00	18.00	900.00
11.	कर्नाटक	65.00	1495.60	1429.40	2340.00	585.00	5850.00
12.	केरल	36.00	905.41	894.59	410.83	102.71	2313.54
13.	मध्य प्रदेश	50.00	3296.32	1203.68	400.00	100.00	5000.00

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	छत्तीसगढ़	17.00	419.40	345.60	461.35	112.67	1339.02
15.	महाराष्ट्र	90.00	5823.05	3176.95			9000.00
16.	मणिपुर	6.90	197.93	147.07			345.00
17.	मिजोरम	7.20	482.72	237.28			720.00
18.	मेघालय	4.05	68.93	133.81			202.74
19.	नागालैण्ड	10.02	197.51	303.49	215.68	60.12	776.80
20.	उड़ीसा	30.00	1188.00	297.00			1485.00
21.	पंजाब	21.00	728.00	307.00			1035.00
22.	राजस्थान	75.00	2192.29	1407.71	1320.00	330.00	5250.00
23.	सिक्किम	4.22	3.23	159.63	207.31	51.83	422.00
24.	तमिलनाडु	45.00	3038.60	1461.40			4500.00
25.	त्रिपुरा	7.00	211.88	138.12	224.00	56.00	630.00
26.	उत्तर प्रदेश	75.00	1829.40	1490.60	3364.00	816.00	7500.00
27.	उत्तरांचल	14.00	366.00	264.00	616.00	154.00	1400.00
28.	पश्चिम बंगाल	25.00	1654.33	595.67	200.00	50.00	2500.00
29.	चंडीगढ़	1.00	50.00	शून्य			50.00
30.	दादर व नगर हवेली	3.00	135.00	शून्य			135.00
31.	दिल्ली	2.00	शून्य	शून्य			
32.	लक्षद्वीप	2.00	90.00	शून्य			90.00
33.	पाण्डिचेरी	3.00	108.00	27.00			135.00
34.	दमन व द्वीव	1.00	45.00	शून्य			45.00
35.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.00	90.00	शून्य			90.00
	कुल	800.25	31044.13	17155.47	11954.77	2967.73	63122.10

विवरण-III

कृषि का वृहत् प्रबंध
वर्ष 2002-03 के लिए आवंटन

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	38.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.40
3.	असम	7.00
4.	बिहार	25.00
5.	झारखण्ड	12.00
6.	गोवा	2.00
7.	गुजरात	32.00

1	2	3
8.	हरियाणा	16.00
9.	हिमाचल प्रदेश	16.00
10.	जम्मू व कश्मीर	16.00
11.	कर्नाटक	58.00
12.	केरल	30.00
13.	मध्य प्रदेश	45.00
14.	छत्तीसगढ़	14.00
15.	महाराष्ट्र	82.00
16.	मणिपुर	6.00
17.	मिजोरम	8.00
18.	मेघालय	6.00
19.	नागालैण्ड	10.00
20.	उड़ीसा	25.00
21.	पंजाब	17.00
22.	राजस्थान	67.00
23.	सिक्किम	5.00
24.	तमिलनाडु	42.00
25.	त्रिपुरा	8.00
26.	उत्तर प्रदेश	68.85
27.	उत्तरांचल	14.00
28.	पश्चिम बंगाल	24.00
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.00
30.	चंडीगढ़	2.00
31.	दादर व नगर हवेली	1.60
32.	दिल्ली	2.00
33.	दमन व द्वीव	2.00
34.	पाण्डिचेरी	1.00
35.	लक्षद्वीप	2.00
	कुल	709.85

विवरण-IV

कृषि का वृहद प्रबंध

1.4.2001 को उपलब्ध अव्ययित शेष और वर्ष 2001-02 के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता तथा वर्ष 2001-02 के दौरान उपयोग किए गए कोष और 1.4.2002 को अव्ययित शेष राशि दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/के०शा० प्र०	1.4.2001 को अव्ययित शेष	2001-02 के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता 2001-02	वर्ष 2001-02 के दौरान कुल कोष 02	31.3.02 तक उपयोग किए गए कोष 31.3.2002	1.3.02 को अव्ययित शेष 1.4.2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1985.93	2250.00	4235.93	3596.71	639.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	171.92	219.50	391.42	शून्य	391.42
3.	असम	804.49	523.50	1327.99	769.86	558.13
4.	बिहार	1130.27	1800.00	2930.27	2337.56	592.71*
5.	झारखण्ड	366.00	1095.00	1461.00	675.00	786.00
6.	गोवा	84.04	200.00	284.04	204.15	79.89
7.	गुजरात	1020.32	1900.00	2920.32	625.92	2394.40*

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	294.40	1620.00	1914.40	1767.57	146.83
9.	हिमाचल प्रदेश	160.08	1800.00	1960.08	1751.76	208.32
10.	जम्मू व कश्मीर	498.19	900.00	1398.19	1130.41	267.78
11.	कर्नाटक	1340.88	5850.00	7190.88	6072.36	1118.52
12.	केरल		2313.54		2313.54	
13.	मध्य प्रदेश	10.97	5000.00	5010.97	3892.09	1118.88
14.	छत्तीसगढ़	690.76	1339.02	2029.77	1483.00	546.77
15.	महाराष्ट्र	2527.76	9000.00	11527.76	9443.78	2083.98
16.	मणिपुर	579.21	345.00	924.21	517.11	407.10*
17.	मिजोरम	68.87	720.00	788.87	785.75	3.12
18.	मेघालय	545.75	202.74	798.49	677.9	120.59
19.	नागालैण्ड	शून्य	776.80	776.80	776.80	शून्य
20.	उड़ीसा	1894.38	1485.00	3379.38	1756.58	1622.80
21.	पंजाब	1398.60	1035.00	2433.60	370.26	2063.34
22.	राजस्थान	1714.91	5250.00	6964.91	6667.52	297.39
23.	सिक्किम	250.46	422.00	672.46	659.45	13.01
24.	तमिलनाडु	1445.56	4500.00	5945.56	5333.81	611.75
25.	त्रिपुरा	48.55	630.00	678.55	653.23	25.32*
26.	उत्तर प्रदेश		7500.00	2.00	6270.65	1229.35
27.	उत्तरांचल	130.57	1400.00	1530.57	1389.18	141.39
28.	पश्चिम बंगाल	53.69	2500.00	2553.69	1837.95	715.74
29.	चंडीगढ़		50.00	50.00	शून्य	
30.	दादर व नगर हवेली		135.00	135.00	6.54	
31.	दिल्ली	96.42	शून्य	96.42	36.34	60.08
32.	लक्षद्वीप		90.00	90.00	64.02	
33.	पाण्डिचेरी**	71.42	135.00	206.42	11.42	195.00*
34.	दमन व द्वीव		45.00	45.00	शून्य	
35.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		90.00	90.00	60.11	
	कुल	19384.40	63122.10	72744.95	63938.33	14185.08

*अनन्तिम

**उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 217 का निर्माण

1096. **श्री अनादि साहू :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में गोपालपुर से छत्तीसगढ़ से रायपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 217 के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) रा०रा० 217 के विकास के लिए राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के बाद 591.09 लाख रुपये की राशि की निधियां स्वीकृत की गई है।

(ग) कुल 27 कि०मी० की लम्बाई में सड़क गुणता का सुधार कार्य प्रारंभ किया गया है जिसमें से 18 कि०मी० का कार्य पूरा हो चुका है।

सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

1097. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या है और किस सीमा तक इस धनराशि का उपयोग किया गया है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) "राज्यों में बाल परिसरों सहित बहु-उद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना करना" नामक मौजूदा स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित पंजीकृत स्वायत्त निकाय को परियोजना की निर्माण लागत के लिए मैचिंग आधार पर इस शर्त पर किस्तों में अधिकतम 1 करोड़ रु० का अनुदान दिया जाता है कि राज्य सरकार, सोसाइटी को मुफ्त भूमि उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2002-03 के लिए योजना आबंटन की राशि 1 करोड़ रु० है। इस स्कीम के पैरामीटरों में संशोधन किया जा रहा है।

पारिस्थितिकीय विकास परियोजना

1098. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में किसी पारिस्थितिकीय विकास परियोजना की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में ऐसी परियोजनाएं आंरभ करने के लिए परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर पारि विकास" के अलावा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त भारत पारि-विकास परियोजना पेंच बाघ रिजर्व में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) परियोजना का उद्देश्य पारि-विकास के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण करना है और इनके निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं।

(i) उन्नत संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन

(ii) ग्रामीण पारि-विकास

(iii) पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता

(iv) प्रभाव निगरानी और अनुसंधान

पेंच बाघ रिजर्व के लिए निधियों का मूल आबंटन 2790 लाख रुपए था जिन्हें परियोजना की अंतिम तारीख को 30.06.2003 तक बढ़ाए जाने को ध्यान में रखते हुए संशोधित कर इसे 2953 लाख रुपए कर दिया गया है।

(ग) भारत पारि-विकास परियोजना प्रारंभ होने से लेकर 31.03.2002 तक जारी की गई कुल निधियों की धनराशि 1830.32 लाख रुपए हैं। परियोजना के अलावा पारि-विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित पारि-विकास स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है। नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के अन्य सुरक्षित क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :–

1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
51.33	65.89	63.277	126.53	231.974

[हिन्दी]

अजन्ता गुफाओं के लिए धनराशि का आवंटन

1099. **श्री दानवे राव साहेब पाटील :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-2003 के दौरान अजन्ता की गुफाओं के विकास के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : वर्ष 2002-2003 के लिए अजन्ता की गुफाओं के अनुरक्षण और विकास के वास्ते भारतीय

पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अब तक 57.10 लाख रुपए का धन आवंटित किया गया है।

[अनुवाद]

दिहाड़ी मजदूरों की आय और व्यय

1100. **श्री एस० अक्क्य कुमार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और अन्य विकासशील देशों में भोजन, कपड़ा, आवास चिकित्सा और शिक्षा के संदर्भ में दिहाड़ी मजदूरों की आय और व्यय का अनुपात क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सांख्यिकीय के अनुसार भारत और कुछ अन्य विकासशील देशों में भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा पर उपभोग व्यय का प्रतिशत संवितरण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उपभोग व्यय का प्रतिशत संवितरण

क्र० सं०	देश का नाम	भोजन एवं पेय	वस्त्र और फुटवियर	आवास	चिकित्सा और स्वास्थ्य	शिक्षा सहित अन्य
1.	इस्राइल	23.3	7.3	25.2	5.2	39.0
2.	मलेशिया	32.7	4.3	18.5	1.2	43.3
3.	ब्राजील	26.5	12.4	21.2	7.45	32.4
4.	कोरिया	32.0	8.3	9.2	5.3	45.2
5.	मैक्सिको	34.3	7.6	5.2	2.7	50.2
6.	जिम्बाब्वे	35.0	17.0	12.0	2.0	34.0
7.	थाइलैण्ड	39.9	6.7	26.6	6.6	20.2
8.	पाकिस्तान	45.7	7.4	18.5	—	28.4
9.	यूगोस्लाविया	42.7	10.0	11.5	3.4	32.4
10.	नेपाल	54.1	1°.0	19.2	3.3	12.4
11.	चीन	52.4	13.8	8.3	1.4	24.1
12.	भारत	59.7	7.3	7.0	3.7	22.3
13.	मिस्र	56.5	11.2	11.0	2.3	19.0
14.	नाइजेरिया	64.6	3.8	11.1	—	20.5
15.	श्रीलंका	56.5	4.5	13.3	3.8	21.9

स्रोत : अं०श्र०सं०

नकदी फसलों की पैदावार

1101. **प्रो० ए०के० प्रेमाजम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कपास, गन्ना, चावल गेहूं और अन्य बड़ी नकदी फसलों की कुल वर्ष-वार कितनी पैदावार हुई;

(ख) क्या इन फसलों की पैदावार घट रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान कपास, गन्ना, जूट एवं मेस्ता, तिलहन, चावल, गेहूं और मोटे अनाज का उत्पादन निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

(उत्पादन मिलियन मीटरी टन में)

फसल	1999-2000	2000-01	2001-02*
कपास**	11.53	9.65	11.69
गन्ना	299.32	299.21	292.21
जूट एवं मेस्ता@	10.56	10.48	10.79
नौ तिलहनें#	20.72	18.40	20.73
चावल	89.68	84.87	91.61
गेहूं	76.37	68.76	71.47
मोटे अनाज	30.33	31.62	34.72

* 27.6.2002 को चौथा अग्रिम अनुमान

** प्रत्येक 170 कि०ग्रा० की मिलियन गांठे

@ प्रत्येक 180 कि०ग्रा० की मिलियन गांठे

इनमें शामिल हैं :– मूंगफली, एरण्ड, रामतिल, सीसमम, तोरिया व सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी और सोयाबीन।

(ख) से (घ) वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान ऐसा नहीं लगता है कि उपर्युक्त फसलों की उत्पादकता में लगातार गिरावट आती हो, केवल गन्ने के मामले में ऐसा नहीं है जैसा कि नीचे दी गयी सरणी से देखा जा सकता है :–

(उत्पादन कि०ग्रा० प्रतिहेक्टेअर)

फसल	1999-2000	2000-01	2001-02*
कपास	225	191	223
गन्ना	70935	69636	67098
जूट एवं मेस्ता	1836	1852	1770
नौ तिलहनें	853	791	907
चावल	1986	1913	2054
गेहूं	2778	2743	2747
मोटे अनाज	1034	1042	1155

*27.6.2002 को चौथा अग्रिम अनुमान

देश में कृषि उत्पादन और उत्पादकता पर वर्षा की मात्रा तथा इसके भौतिक और क्षेत्रीय प्रसार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि बुआई वाले कुल निवल क्षेत्र का लगभग 62% हिस्सा वर्षा के जल पर ही आश्रित होता है। हालांकि लम्बे समय तक देखें तो विभिन्न फसलों की उत्पादकता में, कुछ कुछ उतार-चढ़ाव को छोड़कर, बढ़ोत्तरी का ही रूख रहा है।

कृषि क्षेत्र में और अधिक सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने कई नये कदम उठाये हैं जैसे कि पनधारा विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर जोर, कृषि ऋण की सुलभता को बढ़ाने के लिए उपाय मण्डी आसूचना नेटवर्क और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि। इसके अलावा, सरकार अपनी मूल्य नीति के माध्यम से भी किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है जिसमें शामिल हैं – न्यूनतम समर्थन मूल्य और मण्डी हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन, सार्वजनिक एजेन्सियों और व्यापारिक साधनों का प्रयोग करके खरीद कार्य करना। इन सबके अलावा, सरकार राज्यों को सहायता देने के लिए नवम्बर, 2000 से परम्परागत योजनात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर वृहद प्रबंधन का दृष्टिकोण अपना रही है। बृहद प्रबन्धन स्कीम के अंतर्गत 27 योजनाओं को मिलाकर, कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों के अनुपूरण और सम्पूरण नामक एक नई योजना बना दी गयी है। इससे राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों के मुताबिक अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और विभिन्न योजनाओं के विषयों की परस्पर व्याप्तता से बच सके हैं और कृषि का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं।

[हिन्दी]

तीर्थयात्री केन्द्रों का विकास

1102. **श्री जय प्रकाश : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वैष्णों देवी मंदिर की तर्ज पर अन्य सभी तीर्थ स्थलों के विकास के लिए एक योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) तीर्थ यात्रा, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों सहित पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, तीर्थस्थानों के आसपास के वातावरण में सुधार की दृष्टि से, जहां भी आवश्यक समझा गया, राज्य सरकारों को अनौपचारिक सलाह दी गयी है कि वैष्णो देवी तीर्थ प्रबंधन सुधारों की तरह ही प्रबंध सुधारों को अपनाया जाए।

[हिन्दी]

चक्रवात प्रभावित नारियल की खेती करने वाले किसानों को सहायता

1103. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में चक्रवात प्रभावित नारियल की खेती करने वाले किसानों को राहत के रूप में 6.5 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश को पूरी धनराशि जारी कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में नारियल के बगीचे अक्तूबर, 1999 के चक्रवात से प्रभावित हुए थे। भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों के केन्द्रीय दल ने श्रीकाकुलम जिले का दौरा किया और स्थिति का गहराई से क्षेत्र-अध्ययन किया तथा नारियल के बगीचों के पुनरूद्धार के लिए राहत उपायों की सिफारिश की। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में चक्रवात द्वारा प्रभावित नारियल के किसानों को राहत के रूप में कुल 6.15 करोड़ रु० की राशि मंजूर की। आंध्र प्रदेश सरकार को 6.15 करोड़ रु० की संपूर्ण धनराशि इस उद्देश्य के लिए निर्मुक्त कर दी गई जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	निर्मुक्त धनराशि
1999-2000	1.00
2000-01	5.15
कुल	6.15

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

असम में गाय की स्थानीय नस्ल को सुधारना

1104. **श्री एम०के० सुब्बा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने अपनी स्वर्गधेनू योजना के अंतर्गत गाय की स्थानीय नस्ल को सुधारने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए किसी केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो विकसित की जा रही इस नस्ल की मुख्य विशेषताएं और लक्षण क्या हैं; और

(ग) कैसी और कितनी सहायता की मांग की गई है और सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, असम सरकार ने राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के तहत कुल 37.37 करोड़ रुपए के परिव्यय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था और उसमें कुछ कमियां थीं। इन पर राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है तथा संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

मवेशियों की गणना

1105. **श्री लक्ष्मण गिलुवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर झारखंड में हाल ही में मवेशियों की कोई गणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में दुधारू और संकर नस्ल वाले राज्य-वार कितने पशु हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पशुओं की संख्या बढ़ाने और उनकी नस्ल को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) देश में 15 अक्टूबर, 1997 के संदर्भ से 16वीं पशु संगणना कराई गयी। किन्तु, बिहार/झारखंड में यह कार्य नहीं कराया गया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस समय सरकार की नीति का मुख्य केन्द्र पशुधन स्वास्थ्य को कवर करते हुए पशु मृत्यु दर को कम करना है। यह महसूस किया गया है कि भूमि के उत्पादन के लिए पशुओं की तुलना में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि की उपज क्षमता से पशुओं की संख्या बढ़ गयी है। अत: पशुओं की संख्या बढ़ाने से उनकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव है। राज्य और केन्द्र दोनों ने उन्नत जर्मप्लाज्म की आपूर्ति के लिए प्रजनक फर्म की स्थापना की है। पशु और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना भी शुरू की गयी है ताकि किसानों को उनके द्वार पर ही गुणवत्ता प्रजनक आदान पहुंचाए जा सकें।

विवरण

राज्यवार पशु संख्या और दुधारू पशुओं की संख्या

आंकड़े संख्या में

राज्य	पशु	दुधारू पशु		कुल दुधारू पशु
		संकर	देशीय	
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	10602070	227559	1430162	1657721
2. अरूणाचल प्रदेश	452920	2330	51855	54185
3. असम	8000304	84327	1264863	1349190
4. बिहार#				

1	2	3	4	5
4ए. झारखंड				
5. गुजरात	6748835	134840	1346015	1480855
6. गोवा	87978	3236	11652	14888
7. हरियाणा	2399832	166773	305693	472466
8. हिमाचल प्रदेश	2094511	161419	294892	456311
9. जम्मू व कश्मीर	3175473	271513	427023	698536
10. कर्नाटक	10831134	522553	1757415	2279968
11. केरल@@	3396335	785357	329657	1115014
12. मध्य प्रदेश	19496874	58384	3090922	3149306
12ए. छत्तीसगढ़	8852544	26904	1093102	1120006
13. महाराष्ट्र	18071537	732957	2181531	2914488
14. मणिपुर	508264	12865	47824	60689
15. मेघालय	738262	7322	131332	138654
16. मिजोरम	33312	2492	3999	6491
17. नागालैण्ड	383308	28490	34253	62743
18. पंजाब	13810489	234057	1705325	1939382
19. पंजाब	2638978	631135	197287	828422
20. राजस्थान	12141402	75316	2408575	2483891
21. सिक्किम	143024	13517	15031	28548
22. तमिलनाडु	9046538	144617	131761	276378
23. त्रिपुरा	1227568	18438	253841	272279
24. उत्तर प्रदेश	22047295	444160	2937289	3381449
24ए. उत्तराचंल$				
25. पश्चिम बंगाल#	17831665	296753	2740176	3036929
26. अंडमान व निकोबार	60180	1494	10866	12360
27. चंडीगढ़	7254	3773	357	4130
28. दादरा व नगर हवेली#				
29. दिल्ली	95660	31816	19461	51277
30. लक्षद्वीप	3399	209	339	548
31. पांडिचेरी	122621	16850	6228	23078
32. दमण व द्वीव	5450	2	625	627
कुल अखिल भारत**	175055016	5141458	24229351	29370809

इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पशु गणना कार्य आरंभ नहीं किया गया

@@1996 पशुगणना आकड़ों पर आधारित $ उत्तर प्रदेश के साथ संबद्ध पशुधन आंकड़े

** बिहार/झारखंड और दादर और नगर हवेली कुल में शामिल नहीं।

कारखानों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए मजदूर

1106. श्री सुरेश चन्देल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में कारखाने बंद कर दिये गये हैं और नयी आर्थिक नीति के फलस्वैरूप करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की स्थिति के अनुसार ऐसे मजदूरों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) आर्थिक उदारीकरण के इस चरण में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए बनाये गये श्रम कानूनों को अधिक कठोर तथा प्रभावी बनाया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) वर्ष 1992 से 2073 यूनिटों को बंद कर दिया गया है और 1.49 लाख कर्मकार प्रभावित हुए हैं।

(ग) से (ङ) कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न श्रम विधानों के अंतर्गत सुरक्षा उपायों की व्यवस्था है। तथापि, इन कानूनों की समीक्षा और इन्हें अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। व्यावसाय संघ अधिनियम, 1926 और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में हाल ही में संशोधन किये गये थे।

[अनुवाद]

वाहनों की पंजीकरण व्यवस्था

1107. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाहन पंजीकरण की नई व्यवस्था के लागू हो जाने से पुराने नम्बरों वाले वाहनों के लिए मोटर यान अधिनियम, 1989 में निर्धारित वाहन विक्रय व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नई परिवहन प्राधिकरण नए वाहनों के लिए अभी भी पुराने पंजीकरण नम्बर ही जारी कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके खिलाफ क्या कार्रवाही की जा रही है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) पंजीकरण चिह्न की नई प्रणाली 1 जुलाई, 1989 से प्रभावी हुई। तथापि, पंजीकरण की नई प्रणाली पुराने पंजीकरण पैटर्न के अनुसार वाहनों को पहले ही आबंटित पंजीकरण चिह्न में बाधा नहीं पहुंचाती है।

(ख) इस मंत्रालय को इस संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा प्रक्रिया से हटकर कार्य किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कार्यालय व्यय

1108. **श्री रामदास आठवले** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, स्वागत, जलपान, उद्घाटन, सेमिनार, सम्मेलनों, यात्राओं (विदेश यात्रा सहित), एस०टी०डी० और आई०एस०डी० कॉलों सहित टेलीफोन बिल, बिजली के बिल (विशेषकर एयरकंडीशनर और कूलर के बिल) पर कितनी धनराशि खर्च की गई और उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग अन्य कार्यालय व्यय क्या-क्या थे;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत व्यय में मितव्ययिता के लिए कोई अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चारा उत्पादन में वृद्धि

1109. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चारा उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई केन्द्रीय योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य में इस योजना की सफलता का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशेषकर चारे की कमी वाले क्षेत्रों में चारे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन से अन्य प्रयास किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार आहार और चारा विकास के लिए राज्यों में "केन्द्रीय चारा विकास संगठन" नामक एक योजना चला रही है। कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में स्थित क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र पश्चिम बंगाल राज्य में आहार और चारा कार्यक्रमों की देखरेख करता है। यह केन्द्र नई तैयार की गई चारा किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के संवर्द्धन में लगा हुआ है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम फील्ड दिवस/कृषक मेले भी आयोजित करते हैं और विश्व-विद्यालयों/आई०सी०ए०आर० संस्थानों द्वारा तैयार की गई नई किस्मों को अपनाकर चारा उत्पादन संबंधी नवीनतम जानकारी दर्शाकर किसानों के खेतों पर चारा प्रदर्शन आयोजित करते हैं। इसके अलावा, "चारा फसलों संबंधी केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम" भी हैं जिसके तहत राज्य सरकारों को चारा मिनीकिट प्रदान किए जाते हैं जिसकी आपूर्ति किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसम में नि:शुल्क की जाती है।

(ग) और (घ) प्रगति और निगरानी भारत सरकार द्वारा निरन्तर की जाती है।

(ङ) "सामान्य सम्पत्ति संसाधनों का सुधार सहित आहार और चारा उत्पादन का संवर्द्धन" नामक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को सम्पूर्ण देश में कार्यान्वयन के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया गया है। योजना का ई०एफ०सी० मीमो तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सी०एन०जी० चालित वाहनों के कारण फैलने वाले रोग

1110. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०एन०जी० वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण से टी०बी० और कैन्सर जैसे रोग होते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रदूषण को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) सी०एन०जी० वाहनों के उत्सर्जन और उनके परिणाम स्वरूप टी०बी० और कैंसर सहित स्वास्थ्य प्रभावों का सह-सम्बन्ध स्थापित करने हेतु कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना

1111. **श्री अनन्त नायक :**
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री अम्बरीश :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रो रसायन लिमिटेड (आई०पी०सी०एल०) में प्रयोग में लाए जा रहे 80.20 के अनुपात को सर्वसम्मति के साथ दिल्ली दुग्ध योजना शुरू किया गया है और आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन कर इसे बाद में बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय मामले की क्या स्थिति है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके पश्चात् दिल्ली दुग्ध योजना में कितनी राशि का घाटा हुआ है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं; और

(च) घाटे को कम से कम सुनिश्चित करने के लिए और दिल्ली दुग्ध योजना को आर्थिक रूप से अधिक अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) चूर्ण को पोलीथीन फिल्मों में बदलने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना को आई०पी०सी०एल० से एल०डी०पी०ई० चूर्ण खरीदने का लाइसेंस दिया गया था। आई०पी०सी०एल० के सुझाव पर निजी फिल्म प्रसंस्करकों से चूर्ण को पोलीथीन फिल्मों में बदलने के लिए व्यय में किफायत लाने के लिए एल०डी०पी०ई० तथा एल०एल० डी०पी०ई० के चूर्ण को 82:20 के अनुपात से मिश्रित करने का निर्णय लिया गया था। इसे बंद कर दिया गया था किन्तु अब इस अनुपात को फिर से लागू किया गया है। इसे बंद करने के कारणों की जांच की गई है तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श से उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है।

(घ) :

वर्ष	नकद नुकसान	गैर नकद नुकसान	कुल नुकसान	संचयी नुकसान
1999-2000	5490.72	2180.81	7671.53	56351.67 (अनन्तिम)
2000-2001	333.58	1069.77	1958.35	58310.02 (अनन्तिम)
2001-2002	811.59 (अनुमानित)	795.89	1607.48	9917.50 (अनन्तिम)

(ङ) नुकसान के कारणों में संयंत्र क्षमता का कम उपयोग, दिल्ली दुग्ध योजना दूध की बिक्री में कमी, कर्मचारियों की संख्या तथा बिक्री क्षमता का अनुचित अनुपात, पुरानी मशीनरी तथा मैनुअल तथा उत्पादन की श्रम आधारित प्रणाली, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, बिना बिके दूध की वापसी तथा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण कर्मचारियों पर बढ़े हुए व्यय शामिल हैं।

(च) दिल्ली दुग्ध योजना प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान कम करने के लिए विपणन, ढुलाई तथा संयंत्र प्रचालन जैसे व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना रही है।

विभिन्न महानगरों और अगरतला के बीच उड़ानें

1112. **श्री खगेन दास** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला जाने के लिए विभिन्न महानगरों से/को यात्रा करने वाले विमान-यात्रियों को एक रात्रि कोलकाता में व्यतीत करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार को कोलकाता और अगरतला के बीच चलने वाली ए-320 एयरबस उड़ान की समय-सारणी को परिवर्तित करने का विचार है ताकि यात्रियों को रात में कोलकाता में न रुकना पड़े ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) विभिन्न महानगरों से अगरतला के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सप्ताह में पांच दिन (सोमवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार तथा रविवार) कोलकाता में रात बिताने की आवश्यकता नहीं होती है चूंकि कोलकाता से अगरतला के लिए उसी दिन आगे की यात्रा करने के लिए विमान सेवा उपलब्ध रहती है। तथापि, कोलकाता होकर चेन्नई से अगरतला तक यात्रा करने वाले यात्रियों को और आगे की यात्रा करने के लिए विमान सेवा संपर्क उसी दिन उपलब्ध नहीं होता। अगरतला से विभिन्न महानगरों की यात्रा करने के लिए यात्रियों को

उसी दिन की कोलकाता से आगे की यात्रा के लिए विमान सेवा संपर्क उपलब्ध होते हैं। समय अनुसूची की तंगी के कारण, इंडियन एयरलाइंस महानगरी शहरों से अगरतला के लिए दैनिक विमान सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग की इकाइयां

1113. **श्री रामटहल चौधरी :**
श्री शिवाजी माने :
प्रो० दुखा भगत :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में खादी ग्रामोद्योग आयोग की राज्यवार कितनी इकाइयां स्थापित की गई और उन्हें राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई;

(ख) ग्रामीण औद्योगीकरण और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के बारे में राज्यवार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत तैयार किए गए कार्यक्रमों और प्रदान कराए जाने के लिए प्रस्तावित सुविधाओं/प्रोत्साहनकारी उपायों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) चालू योजनाओं में प्रस्तावित बदलावों का ब्यौरा क्या है और देश में राज्यवार किन-किन नए प्रस्तावों को लागू किए जाने का विचार है ?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा)) : (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) अपनी स्वयं की इकाइयां स्थापित नहीं करता। तथापि, के०वी०आई०सी० द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार वित्त पोषित परियोजनाएं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में हैं।

(ख) और (ग) के०वी०आई०सी० कृषि और ग्रामीण उद्योगों सहित खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए देश भर में आर०ई०जी०पी० योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, के०वी०आई०सी० 10 लाख रु० तक की परियोजना लागत के 25% की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है और 10 लाख रु० से अधिक 25 लाख रु० तक की परियोजना के लिए मार्जिन मनी दस लाख रु० का 25% जमा परियोजना की शेष लागत पर 10% है। अ०जा०/अनु०जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी, संस्थान और पहाड़ी सीमा और आदिवासी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के मामले में मार्जिन मनी अनुदान दस लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 30% है परन्तु इस राशि से अधिक और 25 लाख रु० तक यह 10 लाख रु० का 30 प्रतिशत जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। इस योजना के अन्तर्गत, लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का कम से कम 10% है। अनु०जा०/अनु०ज०जा० और अन्य कमजोर वर्गों के मामले में लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 5% है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौर विवरण-III में दिया गया है

आर०ई०जी०पी० के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2002-03 के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्य विवरण-IV पर दिए गए हैं।

(घ) योजना और कार्यक्रमों में संशोधन एक सतत विकासमूलक प्रक्रिया है और तद्नुसार योजना और कार्यक्रम में परिष्कृत/संशोधित किए जाते हैं। तथापि, किसी भारी परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान के वी०आई०सी० द्वारा राज्य-वार संस्वीकृत परियोजनाएं

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	756	1807	5388
2.	अरूणाचल प्रदेश	98	7	202
3.	आसाम	35	46	120
4.	बिहार	148	114	155
5.	गोवा	182	354	837
6.	गुजरात	20	166	356
7.	हरियाणा	471	394	2078
8.	हिमाचल प्रदेश	124	39	250
9.	जम्मू एंड कश्मीर	—	2472	2471
10.	कर्नाटक	1124	4212	3083
11.	केरल	423	1900	1601
12.	मध्य प्रदेश	1807	5800	8038
13.	महाराष्ट्र	1856	3274	6354
14.	मणिपुर	193	50	359
15.	मेघालय	63	1875	623
16.	मिजोरम	243	176	302

1	2	3	4	5
17.	नागालैण्ड	40	309	4119
18.	उड़ीसा	352	226	199
19.	पंजाब	301	2605	3215
20.	राजस्थान	2551	10710	3735
21.	सिक्किम	06	01	03
22.	तमिलनाडु	164	1031	1629
23.	त्रिपुरा	—	01	20
24.	उत्तर प्रदेश	1306	620	7745
25.	पश्चिमी बंगाल	1513	6011	781
26.	अंडमान एंड निकोबार	29	29	25
27.	चंडीगढ़	84	39	37
28.	दादर नागर हवेली	01	19	—
29.	दमन एंड द्वीयू	01	—	06
30.	दिल्ली	824	10	59
31.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—
33.	छत्तीसगढ़	—	—	79
34.	झारखंड	—	—	6
35.	उत्तरांचल	—	—	44
	कुल	14707	44279	63919

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के लिए आर०ई०जी०पी० के अंतर्गत निधियों का राज्यवार संवितरण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	87.88	217.81	776.04
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	30.00
3.	आसाम	2.01	15.78	67.94
4.	बिहार	5.61	22.47	28.65
5.	गोवा	2.46	22.16	139.58
6.	गुजरात	2.83	21.67	41.47
7.	हरियाणा	85.35	85.35	539.78
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू एंड कश्मीर	8.79	53.92	283.67
10.	कर्नाटक	65.00	485.38	736.34
11.	केरल	107.57	334.39	942.2
12.	मध्य प्रदेश	95.81	562.67	777.05
13.	महाराष्ट्र	312.23	809.13	734.79
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	3.00	7.92	53.12
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	4.31	180.74
18.	उड़ीसा	3.19	27.74	58.32
19.	पंजाब	162.99	780.24	1048.61
20.	राजस्थान	118.24	792.24	1096.2
21.	सिक्किम	0.00	0.00	11.91
22.	तमिलनाडु	86.4	321.02	470.68
23.	त्रिपुरा	0.00	1.14	7.17
24.	उत्तर प्रदेश	229.29	549.03	1917.53
25.	पश्चिमी बंगाल	14.27	7.61	191.06
26.	अंडमान एंड निकोबार	0.00	0.00	1.71
27.	चंडीगढ़	0.22	5.06	4.84
28.	दादर नागर हवेली	0.00	0.00	2.5
29.	दमन एंड द्वीयू	0.83	1.05	15.82
30.	दिल्ली	0.15	1.58	9.21
31.	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
33.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	2.94
34.	झारखंड	0.00	0.00	12.37
35.	उत्तरांचल	0.00	0.00	13.98
	कुल	1394.12	5130.15	10196.22

विवरण-III

आर०ई०जी०पी० के अंतर्गत 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार राज्यवार वित्त पोषित परियोजनाएं एवं सृजित कार्य

क्र० सं०	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	व्यक्ति लाख में
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	8933	81985
2.	अरूणाचल प्रदेश	310	2747
3.	असम	205	1865
4.	बिहार	417	3736
5.	गोवा	1446	13188
6.	गुजरात	596	5385
7.	हरियाणा	2993	27475
8.	हिमाचल प्रदेश	458	4176
9.	जम्मू एंड कश्मीर	4964	45498
10.	कर्नाटक	8937	81985
11.	केरल	4141	37915
12.	मध्य प्रदेश	15666	144249
13.	महाराष्ट्र	14165	130486
14.	मणिपुर	612	5604
15.	मेघालय	2562	23518
16.	मिजोरम	723	6594
17.	नागालैण्ड	4500	41212
18.	उड़ीसा	777	7033
19.	पंजाब	6225	57038
20.	राजस्थन	17454	160124
21.	सिक्किम	18	219
22.	तमिलनाडु	2886	37374
23.	त्रिपुरा	21	220
24.	उत्तर प्रदेश	9809	89681
25.	पश्चिम बंगाल	8305	77160
26.	अंडमान एंड निकोबार	112	989
27.	चंडीगढ़	99	879
28.	दादर नागर हवेली	07	68
29.	दिल्ली	172	1538
30.	पांडिचेरी	893	8132
31.	छत्तीसगढ़	79	659
32.	झारखंड	06	56
33.	उत्तरांचल	44	330
	कुल	1,19,714	1099118

विवरण-IV

वर्ष 2002-2003 के लिए आर०ई०जी०पी० के अन्तर्गत राज्यवार लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आई०ई०जी०पी० के तहत परियोजनाएं
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3852
2.	अरूणाचल प्रदेश	252
3.	आसाम	804
4.	बिहार	1768
5.	गोवा	240
6.	गुजरात	928
7.	हरियाणा	1324
8.	हिमाचल प्रदेश	872
9.	जम्मू एंड कश्मीर	952
10.	कर्नाटक	2072
11.	केरल	2072
12.	मध्य प्रदेश	3364
13.	महाराष्ट्र	2404
14.	मणिपुर	436
15.	मेघालय	356
16.	मिजोरम	468
17.	नागालैण्ड	360
18.	उड़ीसा	1012
19.	पंजाब	2000
20.	राजस्थान	3724

1	2	3
21.	सिक्किम	28
22.	तमिलनाडु	2508
23.	त्रिपुरा	308
24.	उत्तर प्रदेश	6288
25.	पश्चिमी बंगाल	1044
26.	अंडमान एंड निकोबार	04
27.	चंडीगढ़	06
28.	दादर नागर हवेली	02
29.	दमन एंड द्वीयू	04
30.	दिल्ली	36
31.	लक्ष्यद्वीप	02
32.	पांडिचेरी	20
33.	छत्तीसगढ़	728
34.	झारखंड	492
35.	उत्तरांचल	1084
	कुल	41816

[अनुवाद]

स्वर्णरेखा चांडिल परियोजना

1114. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों के बीच स्थापित की जाने वाली स्वर्णरेखा चांडिल परियोजना, जिसका मुख्य बांध बिहार में बनना है, भारी धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद विगत 15-20 वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसे मंजूरी देने में शीघ्रता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और इसमें कब से काम आरंभ हो जायेगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति और राज्य वित्त विभाग की सहमति के अधीन बिहार (अब झारखंड) की स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना स्वीकृत की गई थी। राज्य सरकार को सलाहकार समिति की शर्तों की अनुपालना करनी है ताकि योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त की जा सके। केन्द्र सरकार ने स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए वन स्वीकृति शीघ्र प्राप्त करने के वास्ते झारखंड सरकार से अनुरोध किया है। राज्य वित्त विभाग की सहमति और कल्याण मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसे स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजा गया है। सिंचाई, राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, क्रियान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। इन परियोजना की निवेश स्वीकृति अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति की टिप्पणियों की अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

चंदनकाष्ठ की पैदावार तथा बिक्री

1115. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में स्थित चंदनकाष्ठ डिपुओं/गोदामों में रखी चंदन की लकड़ी की कुल मात्रा के संबंध में अद्यतन आंकडे उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त काष्ठ की मात्रा और मूल्य के संबंध में राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में चंदनकाष्ठ के लट्ठों की पैदावार और बिक्री पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार चंदनकाष्ठ के वन लगाने/पैदावार तथा सार्वजनिक नीलामी के जरिए उसका विपणन करने पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) नवीनतम आंकड़ों का संग्रह किया जा रहा है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) चंदनकाष्ठ की पैदावार, बिक्री और विपणन को राज्य के अधिनियमों और विनियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। चंदनकाष्ठ के निर्यात को केन्द्रीय सरकार की निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 58

1116. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 58 दिल्ली-हरिद्वार रोड पर रोजाना कितने वाहनों का आना-जाना होता है;

(ख) क्या इस मार्ग पर वाहनों की अत्यधिक संख्या के मद्देनजर, सरकार का इसे चौड़ा करके 6 लेनों वाला बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनां व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) दिल्ली-हरिद्वार मार्ग (रा०रा० 58) के विभिन्न खंडों पर लगभग 6000 से 10000 व्यावसायिक वाहन प्रति दिन चल रहे हैं। यात्री कार इकाई (पी०सी०यू०) की दृष्टि से यातायात 25,000 से 50,000 पी०सी०यू० प्रति दिन होता है।

(ख) से (घ) फिलहाल, निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) आधार पर मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड को चार लेन का बनाने के लिए उद्यमियों को पूर्व-अर्हता मंगाने का काम शुरू किया गया है। इसलिए व्यय और पूरा करने की निर्धारित तिथि को अभी बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहनकारी सुविधाएं

1117. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने प्रोत्साहनकारी सुविधाएं प्रदान करके विद्यार्थियों को आकर्षित करने के कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों को दी जा रही विशेष सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी विमान सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स और अन्य क्या प्रयास कर रही है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस अपने घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों विद्यार्थियों को निम्नलिखित रियायतें प्रदान कर रही है–

(i) इंडियन एयरलाइंस के घरेलू क्षेत्रों में साधारण श्रेणी की सभी प्रकार की यात्राओं के लिए साधारण श्रेणी में भारतीय रुपए में किराए पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तथापि अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर, यात्री सेवा शुल्क और बीमा शुल्क लागू होगा। घरेलू क्षेत्रों में यात्रा के लिए भारत में पढ़ रहे विदेशी विद्यार्थियों पर भी यह रियायत लागू होगी।

(ii) इंडियन एयरलाइंस के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए केवल साधारण श्रेणी में एकतरफा या आने-जाने पर ही विद्यार्थी छूट उपलब्ध होगी। यात्रा का मार्ग, केवल निवास के देश और जिस देश में शैक्षणिक संस्थान स्थित है, उस देश के हवाईअड्डों के बीच का ही होना चाहिए। एक तरफा या आने-जाने के किराए पर सामान्य श्रेणी में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने घरेलू क्षेत्र में अपनी भागीदारी को ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

(i) बाजार आधारित लचीली किराया नीति आरंभ करना।

(ii) एपेक्स फेयर्स आरंभ करना।

(iii) नई बाजार नीतियां।

(iv) पुराने हवाई जहाजों को बदलने/क्षमता को बढ़ाने के लिए लीज पर हवाई जहाज लेना।

(v) उत्पाद/उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

1118. **श्री जी.एस. बसवराज** : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के बहुत से गैर-सरकारी संगठन खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के अंतर्गत सहायता की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उन्हें कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या धनराशि की कमी के कारण खादी ग्रामोद्योग आयोग राज्य के गैर सरकारी संगठनों के ऋण विषयक नवीन आवेदन लेने से मना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का कर्नाटक में और अधिक गैर-सरकारी संगठनों के सहायतार्थ, खादी ग्रामोद्योग आयोग को आवंटन बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ङ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) को वित्तीय संस्थान नहीं समझा गया है। अत: एन.जी.ओ./संस्थान जो कि ऋण हेतु के.वी.आई.सी. के यहां पहुंच करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बैंकों से क्रेडिट की मांग करें। तथापि, के.वी.आई.सी. अब भी खादी और ग्रामोद्योग के कतिपय पुराने वायदों को पूरा कर रहा है, जिसके लिए वह प्रतिवर्ष थोड़ी राशि संवितरित करता है।

भगत सिंह का जन्म-स्थान

1119. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भगत सिंह के जन्म-स्थान (बंगा के निकट खड़कड़कलां) और उनके जीवन तथा संघर्ष को चित्रित करते संग्रहालय, जो उपेक्षित पड़ा हुआ है को विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) फिलहाल भगत सिंह के जन्म-स्थान खड़कड़कलां का विकास करने और वहां संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में पंजाब राज्य सरकार या किसी अन्य स्वैच्छिक संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

पशुधन का संवर्धन

1120. **श्री सुबोध राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं विशेषकर गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और खरगोश के प्रजनन के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के भागलपुर जिले को भी इस योजना में शामिल किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त जिले में इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) (1) जी, हां। 2000-2001 से विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(2) भेड़, बकरी तथा खरगोश की लुप्तप्राय नस्लों के संरक्षण के लिए 10वीं योजना के लिए एक स्कीम तैयार की जा रही है।

(ख) राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना का उद्देश्य 10 वर्ष की अवधि में दो चरणों में देश के गोपशु तथा भैंस प्रजनन के बुनियादी ढांचे का पूरी तरह से पुनर्गठन करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य किसानों के द्वार तक अच्छी गुणवत्ता के प्रजनन आदान उपलब्ध कराना और अधिक कुशलता के लिए संस्थागत पुनर्गठन करना तथा मानव संसाधन विकास के साथ-साथ स्वदेशी नस्लों का संरक्षण करना है।

(ग) से (ङ) (1) राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना बिहार के भागलपुर जिले सहित पूरे देश को कवर करने के लिए बनायी गई है। राज्य को योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने होंगे। फरवरी, 2002 में विभाग में स्थिति की समीक्षा की गई है तथा राज्य से एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है जिसकी अभी प्रतिक्षा है।

(2) भेड़, बकरी और खरगोश के लिए योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

केरल में आव्रजन-कार्यालय

1121. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में आव्रजन-कार्यालय खोलने के विषय में प्राप्त एक नवीन प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : सरकार का तिरूवनंतपुरम और कोचीन में स्थित मौजूदा कार्यालयों के अतिरिक्त, केरल राज्य में एक और कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश को आबंटित धनराशि

1122. **श्री रामानंद सिंह** : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसमें से जिलावार कितनी राशि को व्यय/उपयोग किया गया; और

(ख) इससे जिलावार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण तथा उद्यमिता विकास इत्यादि के लिए फण्ड्स रिलीज करती है। जबकि आर्थिक सहायता हेतु फण्ड्स के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया गया है जो कि कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से इसे वैयक्तिक हितग्राहियों को प्रदान करता है, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास इत्यादि के संबंध में फंड्स को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रिलीज किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, पी.एम.आर.वाई. के तहत वर्ष 2001-02 के दौरान मध्य प्रदेश को रिलीज की गई 94.98 लाख रु. की राशि में से 26.90 लाख रु. का जिलेवार उपयोगिता ब्यौरा विवरण-I पर प्रस्तुत है।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर पी.एम.आर.वाई. के तहत वर्ष 2001-02 में मध्यप्रदेश में ऋण संवितरित किए गए व्यक्तियों की संख्या के संबंध में जिलेवार ब्यौरा विवरण-II पर प्रस्तुत है।

विवरण-I

17.7.2002 की स्थिति अनुसार मध्य प्रदेश में पी.एम.आर.वाई. के तहत 26.90 लाख रुपये का जिले-वार उपयोगिता ब्यौरा

(राज्य सरकार की रिपोर्ट अनुसार)

क्र.सं.	जिले का नाम	उपयोग की गई राशि (रुपये)
1	2	3
1.	भिंड	30000
2.	मलनपुर	—
3.	मोरेना	15000
4.	शियोपुर	60000
5.	दतिया	80000
6.	गुना	100000
7.	ग्वालियर	110700
8.	शिवपुरी	—
9.	देवास	81650
10.	मंडसौर	60000
11.	नीमच	30000
12.	रतलाम	5950
13.	शाहजहांपुर	41000
14.	उज्जैन	114000
15.	बदवानी	45900
16.	धार	17150
17.	इन्दौर	328550
18.	झबुवा	63841
19.	खांडवा	74850
20.	खरगौन	—
21.	पितमपुरा	—
22.	हारदा	40850
23.	होशंगाबाद	60000
24.	बीटल	99306
25.	भोपाल	108600
26.	मंडीदीप	30000
27.	रायसन	50000
28.	राजगढ़	60000
29.	सिहोर	155750
30.	विदिशा	30000
31.	छत्तरपुर	50000
32.	दामोह	—
33.	पन्ना	—
34.	सागर	100000
35.	टीकमगढ़	24150
36.	बालाघाट	70000
37.	छिंदवाड़	—
38.	दिनधोरी	—
39.	जबलपुर	49350
40.	कटनी	100000
41.	मंडला	40000
42.	नरसिंहपुर	19250
43.	सियोनी	80000

1	2	3
44.	रीवा	150000
45.	सतना	41300
46.	शहडोल	23450
47.	सिदी	24150
48.	उमारिया	25000
	कुल	2689747

विवरण-II

17.7.2002 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में पी.एम.आर.वाई. के तहत जिले-वार व्यक्तियों की संख्या जिन्हें ऋण का संवितरण किया गया, के संबंध में ब्यौरा

(राज्य सरकार की रिपार्ट के अनुसार)

क्र.सं.	जिले का नाम	बैंकों द्वारा संवितरित मामले (सं.)
1	2	3
1.	भिंड	88
2.	मलनपुर	28
3.	मोरेना	150
4.	शियोपुर	88
5.	दतिया	119
6.	गुना	383
7.	ग्वालियर	678
8.	शिवपुरी	249
9.	देवास	610
10.	मंडसौर	332
11.	नीमच	199
12.	रतलाम	205
13.	शाहजहांपुर	267
14.	उज्जैन	502
15.	बदवानी	218
16.	धार	430
17.	इन्दौर	1108
18.	झबुवा	176
19.	खांडवा	489
20.	खरगौन	537
21.	पितमपुरा	204
22.	हारदा	60
23.	होशंगाबाद	276
24.	बीटल	146
25.	भोपाल	808
26.	मंडीदीप	126
27.	रायसन	70
28.	राजगढ़	360
29.	सिहोर	325
30.	विदिशा	131
31.	छत्तरपुर	85
32.	दामोह	95
33.	पन्ना	22
34.	सागर	203
35.	टीकमगढ़	79

1	2	3
36.	बालाघाट	113
37.	छिंवाड़ा	154
38.	दिनधोरी	57
39.	जबलपुर	184
40.	कटनी	235
41.	मंडला	59
42.	नरसिंहपुर	65
43.	सियोनी	130
44.	रीवा	265
45.	सतना	222
46.	शहडोल	168
47.	सिदी	90
48.	उमारिया	103
	कुल	11638

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

1123. **श्री राजो सिंह :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की उन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्व बैंक की सहायता से आधुनिकीकृत किया जा रहा है;

(ख) राज्यवार प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और चालू वित्त वर्ष व विगत चार वर्षों के दौरान विश्व बैंक की ओर से उक्त प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं के वित्त पोषण पर विश्व बैंक द्वारा अभी विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए मंजूरी कब तक मिल जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) देश में इस समय विश्व बैंक से सहायता प्राप्त छह परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें अन्य घटकों के साथ वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण का घटक भी शामिल है। परियाजनाओं की अनुमानित लागत और विश्व बैंक द्वारा जारी की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) निम्न प्रस्तावों पर इस समय विश्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कीमों का आधुनिकीकरण भी शामिल है।

– मध्य प्रदेश जल संसाधन समेकन परियोजना

– महाराष्ट्र जल सेवा सुधार परियोजना

इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना परियोजना की व्यवहार्यता और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरण की तैयारी और प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम परियोजना लागत करोड़ रु.	समझौते की तिथि/पूरा होने की नियत तिथि	विश्व बैंक सहायता की राशि मि.अमे.डा.	पिछले चार वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान किया गया संवितरण मिलियन अमेरिकी डालर					6/2002 तक संचयी संवितरण (मिलियन अमे. डालर)
					98-99	99-00	00.01	01-02	02-03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III	2036.581	3.6.97 31.1.2003	325	8.71	19.71	27.10	23.14	–	141.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक)	962.253	30.1.99 31.3.2004	142.00	—	39.74	12.63	10.52	—	62.99
3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	1392.09	5.1.96 30.9.2002	290.90	30.08	28.57	29.26	16.63	—	184.909
4.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	1067.82	22.9.95 31.3.2002	247.952	19.56	57.50	32.34	20.36	—	166.55
5.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	734.00	15.3.2002 31.3.2008	143.00	—	—	—	—	5.00	5.00
6.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	760.92	8.3.2002 31.10.2007	149.2	—	—	—	—	5.00	5.00

विदेशी पर्यटकों को विशेष सुविधाएं

1124. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री रामसिंह कस्वां :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार विदेशी पर्यटकों को विमान यात्रा हेतु विशेष सुविधाओं की पेशकश करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुविधाओं के परिणामतः प्रतिवर्ष विदेशी पर्यटकों के कितनी संख्या में भारत आने का अनुमान है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना

1125. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रमुख पत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पत्तन-संयोजन विकास के इस कार्य पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार का देश के ग्रामों को भी राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) देश के 10 महापत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्यीय सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पत्तन संपर्क परियोजनाएं

क्र.सं.	पत्तन	विकास के लिए खंड	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु.	पूरा होने की संभावित तारीख
1.	पारादीप	राष्ट्रीय राजमार्ग-5ए (0. कि.मी. से 74 कि.मी.)	74	350	सितम्बर, 2005
2.	हल्दिया	राष्ट्रीय राजमार्ग-41 (रा.रा. 6 पर कोलाघाट से हल्दिया)	53	220	अप्रैल, 2005
3.	विशाखापत्तनम	राज्यीय सड़क	12	80	दिसम्बर, 2004
4.	चेन्नै और इन्नौर	चैन्नै-इन्नौर एक्सप्रेसमार्ग	6	140	दिसम्बर, 2005
5.	तूतीकोरिन	राष्ट्रीय राजमार्ग-7ए (तूतीकोरिन-तिरूनेलवली खंड)	51	175	सितम्बर, 2005
6.	कोचीन	राष्ट्रीय राजमार्ग-47 (348/382 से 358/300 कि.मी. और 5 बड़े पुल)	10	100	जून, 2005
7.	नव मंगलुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-17 (कासरगोड्-मंगलौर-उडुपी खंड) और राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (मंगलौर-बांटवल खंड)	37	140	सितम्बर, 2005
8.	मुरगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग-17नी (पत्तन से रा.रा. 17 पर वर्ना जंक्शन)	18	53	सितम्बर, 2003
9.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन	पैकेज-I राष्ट्रीय राजमार्ग-4बी + राष्ट्रीय राजमार्ग-4,	30	143	अप्रैल, 2004
		पैकेज-II राज्यीय राजमार्ग-54 + आमरा मार्ग + पनवेल क्रीक पुल	16	130	अप्रैल, 2005
10.	कांडला	राष्ट्रीय राजमार्ग-8ए (समख्याली-गांधीधाम)	56	191	पूरा हो चुका है।
		जोड़	363	1722	

कपास और गन्ने का उत्पादन

1126. **श्री वाई.वी. राव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कपास और गन्ने के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में विशेषकर गुंटूर में कपास के उत्पादन में कितनी गिरावट दर्ज की गई; और

(घ) इन दोनों उपजों की नयी अधिक पैदावार वाली किस्मों का उपयोग करके इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान कपास के उत्पादन में गिरावट आई, परंतु वर्ष 2001-02 के दौरान इसमें वृद्धि हुई है। गन्ने का उत्पादन वर्ष 1999-2000 में बढ़ा था लेकिन 2000-01 में यह लगभग उसी स्तर पर रहा परंतु 2001-02 में इसमें गिरावट आई है जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है–

	कपास और गन्ने का उत्पादन			
फसल	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02*
कपास (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. कि मिलियन गांठे)	12.29	11.53	9.65	11.69
गन्ना (मिलियन मीटरी टन)	288.72	299.32	299.21	292.21

*दिनांक 27.6.2002 के अनुसार चौथा अग्रिम अनुमान।

(ख) यद्यपि वर्ष 1998-99 से 1999-2000 तक कपास के उत्पादन में गिरावट मुख्यतया कपास की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 9.34 मिलियन हैक्टेयर से गिरकर 8.71 मिलियन हैक्टेयर होने के कारण हुई, वर्ष 2000-01 के दौरान गिरावट का कारण पश्चिमी भारत में वर्षा का कम होना था जिसके परिणामस्वरूप बड़े क्षेत्रों में सूखे की स्थितियां पैदा हुईं। वर्ष 2001-02 के दौरान उत्पादन यद्यपि पिछले दो वर्षों के उत्पादन से अधिक था, यह उत्तरी भारत में अमेरिकन बॉलवार्म की घटनाओं से व्यापक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ।

वर्ष 2001-02 के दौरान गन्ने का उत्पादन कम रहा क्योंकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में आर्द्रता का दबाव था।

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान आंध्र प्रदेश में कपास के उत्पादन और वर्ष 2001-02 में प्रत्याशित उत्पादन में कोई गिरावट नहीं हुई है, यद्यपि वर्ष 2001-02 में गुंटूर में उत्पादन घटने की संभावना है, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है–

	कपास का उत्पादन (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की हजार गांठें)		
राज्य/जिला	1999-2000	2000-01	2001-02*
आंध्र प्रदेश	1595	1663	1889
जिसमें से गुंटूर में	253	253	194

*27.6.2002 को चौथे अग्रिम अनुमान।

(घ) एक कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन पहले ही आरंभ किया गया है ताकि इस फसल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। उन्नत कपास तथा गन्ना उत्पादन, जिसमें इन दोनों फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को आरंभ किया जाना शामिल है, के बारे में प्रमुख अभिवृद्धि क्षेत्र संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन्नत कपास और गन्ने के उत्पादन हेतु प्रमुख अभिवृद्धि क्षेत्र, जिनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है

1. **कपास**

- जैविक तथा अजैविक दबावों के प्रति रोधन शक्ति हेतु प्रजनन वृद्धित बाल संख्या, नाल भार तथा वृद्धित ओटाई उत्पादन, किस्मों तथा संकर किस्मों की स्थिरता और दासजैनिक पौधों का विकास।
- प्रजनक तथा प्रमाणित बीज उत्पादन का संवर्धन जिसमें साइटोप्लास्मिक मैल स्टेरिलिट (सी एम एस) और जैनिटिक मेल स्टेरेलिट) (जी एम एस) आधारित संकर किस्मों का विकास शामिल है।
- कपास की वर्षासिंचित उत्पादन प्रौद्योगिकी में सुधार।
- निम्न लागत वाली उतपादन प्रौद्योगिकियों का विकास।
- प्राकृतिक संसाधनों और आदानों की कार्यदक्षता में वृद्धि पर जोर, पोशकों और कृमि नियंत्रण के लिए वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना।

- एकीकृत पोषक प्रबंधन (आई एन एम) और एकीकृत कृमि प्रबंधन (आई पी एम) पर जोर।
- आर्गेनिक तथा प्राकृतिक रूप से रंगीन लिट कपास पर अध्ययन।
- प्रौद्योगिकियों के बेहतर अतरण, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, बेहतर मूल्य निर्धारण, श्रेणीकरण और विपणन पर बल।
- कपास प्रणाली से निहित सभी एजेंसियों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करना।
- पूर्वी क्षेत्र हेतु उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास।
- प्रौद्योगिकी अंतरण।

नौवीं योजना के दौरान विकसित उल्लेखनीय उन्नत किस्में/संकर किस्में इस प्रकार हैं–

उत्तरी क्षेत्र एल एच एच 144, एन एच 1556, आर एस 875, एल डी 491, एच डी 107, एच डी 123, एच 1098, आर जी 18

केन्द्रीय क्षेत्र जी कपास, एच वाई 10, पी के वी सकर 3, अंकुर 9, जी कपास 16, जी कपास 21, पी के वी रजत, वी आई सी एच 9, जी कपास 17

दक्षिणी क्षेत्र एल ए एच एच 4, सरूथी, टी एम 1312, डी एच एच 11, सुमागला, सुरभि, एल 603, एल 604, एस वी पी आर 2, सहाना

सर्वाधिक खराब कपास पत्ती कर्ल वाइरस रोग के कुशल प्रबंध में जो 1993-94 से उत्तरी क्षेत्र में हुआ है। किस्मों तथा सकर किस्मों की निर्मुक्ति के अलावा रोधी कल्चरों का पता लगाने में अनुसंधान प्रयास किए गए हैं जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है–

(1) कपास पत्ती कर्ल वाइरस रोधी किस्में/संकर किस्में–एल एच एच 144, ओम शंकर, आर एस 875।

(2) कपास पत्ती कर्ल वाइरस रोधी हेतु चिन्हित कल्चर–आर एस 2106, आर एस 2110, आर एस 2111, आर एस 2115, आर एस 2013, आर एस 2059, आर एस 213, आर एस 2060, सी एन एच 1012, सी एन एच 123

2. गन्ना

- गन्ने का आनुवंशिक सुधार
- उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकिया
- कृमि तथा रोग प्रबंधन
- उचित मशीनरी का विकास
- दबाव के तहत गन्ने का प्रबंधन
- उचित रैटून प्रबंधन तकनीकों का विकास
- गुणवत्ता प्राप्त बीज उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास
- फार्मिंग प्रणाली अनुसंधान
- गन्ने की फसल कटाई पश्चात् की प्रौद्योगिकी
- गन्ना उत्पादन की लागत कम करने की संभावनाएं
- प्रौद्योगिकी अंतरण

नौवीं योजना अवधि के दौरान विकसित उन्नत किस्में–

प्रारम्भिक सी ओ 85004, सी ओ 87263, सी ओ 87268, सी ओ एच 92201

मध्य-उत्तरवर्ती सी ओ 87025, सी ओ 86032, सी ओ 87044, सी ओ 91010, सी ओ 8371, सी ओ 8624, सी ओ पत 90223, सी ओ एस 91230, बी ओ 128, सी ओ एम 88121

विमान यात्रा किराए में परिवर्तन

1127. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं पश्चिमी देशों को जाने वाली उन उड़ानों के किराए-भाड़े में परिवर्तन करने पर विचार कर रही हैं, जिन्हें 1 अप्रैल, 2002 से आरंभ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन की प्रमुख विशिष्टताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) अग्रिम क्रय एक्सकरशन (ए पी ई एक्स) किराए जो भारत के बाहर पश्चिम के देशों के लिए प्रचालन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा अप्रैल, 2002 में लागू किए गए थे उनमें 21 तथा 14 दिनों की अग्रिम क्रय शर्तों को क्रमशः 10 तथा 5 दिन तक कम करके और संशोधन किया गया है।

[हिन्दी]

सड़क-आधार संरचना का विकास

1128. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और राज्यवार सड़क-आधार संरचना के विकास के लिए विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थानों से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) विभिन्न राज्यों, विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में उक्त सहायता राशि से जो परियोजनाएं शुरू की गईं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सहायता राशि का पूरी तरह उपयोग किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन राज्यों में सड़क-आधार संरचना के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अन्य और कौन से कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	वर्ष	ऋण	वित्तीय संस्थाएं	राज्य और उसके अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग
1.	1999-2000	कुछ नहीं	–	–
2.	2000-2001	516.0 मिलियन अमरीकी डालर	विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-2
3.	2000-2001	180.0 मिलियन अमरीकी डालर	एशियाई विकास बैंक	गुजरात और महाराष्ट्र स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना रा.रा.सं. 8
4.	2001-2002	589.0 मिलियन अमरीकी डालर	विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना रा.रा.सं. 2
5.	2001-2002	240.0 मिलियन अमरीकी डालर	एशियाई विकास बैंक	कर्नाटक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना रा.रा.सं. 4

(ग) और (घ) उक्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ङ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एन एच डी पी के एक गौरवपूर्ण कार्यक्रम को शुरू किया है। एन एच डी पी में चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज और श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाले क्रमशः उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम महामार्ग को 4/6 लेन का बनाना शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों के गैर रा.रा.वि.प. खंडों के लिए सरकार यातायात आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर सड़क गुणता में सुधार, उनको चौड़ा और सुदृढ़ कर रही है।

[अनुवाद]

लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

1129. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ववर्ती योजनाओं की 171 लंबित सिंचाई परियोजनाओं को दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजनाओं में से कई परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना से लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो इन्हें अब तक पूरा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) दसवीं योजना में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा न करने के मुख्य कारणों में इन्हें पूरा करने पर ध्यान दिए बगैर ही बहुत सी सिंचाई योजनाएं शुरू करके बिखराव हो जाना, परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना, भूमि अधिग्रहण समस्या, संविदात्मक विवाद एवं मुकदमेबाजी, प्रथमत: वितरण प्रणाली के निर्माण के बगैर मुख्य कार्यों को पूर्ण करना, आदि शामिल हैं।

एक योजना से दूसरी योजना में ले जायी जाने वाली ऐसी कई परियोजनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने ऐसी निर्माणाधीन सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं, जिनके क्रियान्वयन में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है और जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं और अन्य वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, जो निर्माण के अंतिम चरण में है, के त्वरित क्रियान्वयन के वास्ते वर्ष 1996-97 के दौरान एक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया था। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान फास्ट ट्रेक प्रोग्राम भी प्रारंभ किया है जिसमें इस प्रकार की अनुमोदित वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो 1 वर्ष में पूरी हो सकती हैं (दो कायकारी मौसमों में) के लिए 100% ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है।

अधिक वजन वाले यात्रियों से अतिरिक्त किराया

1130. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विचार कुछ विदेशी एयर लाइनों की तरह अधिक वजन वाले यात्रियों से अतिरिक्त किराया लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की खरीद में वित्तीय विसंगतियां

1131. **श्री सुनील खां :**
प्रो. ए.के. प्रेमाजम :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की खरीद में गंभीर वित्तीय विसंगतियों का पता चला है;

(ख) क्या समान ब्रांड और एक जैसे संबंद्ध उत्पाद वाले कम्प्यूटर की आपूर्ति के लिए डी.जी.एस. एंड डी. द्वारा दी गई दर से एन.सी.सी. एफ. द्वारा उल्लिखित दर कहीं अधिक थी;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा हुआ; और

(घ) अधिक दर पर खरीद करने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) डी जी एस एंड डी की ठेका दरों के तहत तकनीकी समनुरुपता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति, जिसमें राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, द्वारा निर्धारित तकनीकी समनुरुपता से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी। अत: डी जी एस एंड डी की ठेका दरें उन दरों से तुलनीय नहीं समझी गईं जिन दरों पर मंत्रालय ने एन सी सी एफ से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन प्राप्त किए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को दो-लेन/चार-लेन वाला बनाया जाना

1132. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को दो-लेन या चार-लेन वाला बनाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) काम के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उन्हें चौड़ा करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की

उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ये कार्य चरणबद्ध रूप में किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग एवं पत्तन संपर्क शामिल हैं, लगभग 13,500 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने का कार्य शुरू किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज पर इस कार्य का काफी हद तक दिसम्बर, 2003 तक और महामार्गों पर दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है। चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 1100 कि.मी. लंबाई में 2 लेन बनाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ना

1133. **योगी आदित्यनाथ : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-लखनऊ और लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्वी-पश्चिमी कॉरीडोर के साथ जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) इस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा; और

(घ) उक्त राजमार्ग पर कितनी लेनों का निर्माण किया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) सिलचर से पोरबंदर तक पूर्व-पश्चिम महामार्ग का सरेखण उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और झांसी शहरों से गुजरता है। दिल्ली से लखनऊ तक दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-24, पूर्व-पश्चिम महामार्ग से लखनऊ में मिलता है।

(ख) से (घ) दिल्ली-लखनऊ (राष्ट्रीय राजमार्ग-24) पर हापुड़ तक चार लेन की और उसके बाद लखनऊ तक दो लेन की सुविधा है। राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के लखनऊ-गोरखपुर खंड को चार लेन का बनाने के लिए परियोजना तैयारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। अभी कार्य आरंभ करने की तिथि और अनुमानित व्यय बता पाना संभव नहीं है। तथापि, लखनऊ-गोरखपुर खंड सहित पूर्व-पश्चिम महामार्ग को दिसम्बर, 2007 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

विदेशों से वित्त-पोषित पर्यटन परियोजनाएं

1134. **श्री ची. वेत्रिसेलवन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों द्वारा वित्त-पोषित की जा रही चालू पर्यटन परियोजनाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी कम्पनियों द्वारा इन परियोजनाओं में परियोजनावार कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ग) क्या पर्यटन हेतु वर्तमान आवंटन पर्यटन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो पर्यटन क्षेत्र में धनराशि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) और (घ) वर्ष 2002-2003 में योजना स्कीमों के लिए 225 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। योजना आयोग ने नौवीं योजना के दौरान वास्तविक रूप से प्रदान किए गए 595 करोड़ रुपए की तुलना में दसवीं योजना के लिए 2900 करोड़ रुपए का आवंटन करने का संकेत दिया है।

बी.टी. कपास उगाये जाने की अनुमति

1135. **श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को बी. टी. कपास उगाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के वैज्ञानिकों को बी.टी. कपास की कृषि के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) बी.टी. कपास की तीन संकर किस्मों नामत: बी.टी.-एम.ई.सी.एच.-12, बी.टी.-एम.ई.सी.एच.-162 एवं बी.टी.-एम.ई.सी.एच.-184 की खेती के लिए अनुमति प्रदान करने से पहले विभिन्न सरकारी विभाग सस्य विज्ञान संबंधी उपयुक्तता तथा पशु स्वास्थ्य सहित जैव सुरक्षा पहलुओं के मूल्यांकन कार्य में लगे हुए थी।

(ग) बी.टी. कपास की संकर किस्मों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार अनुसंधान परियोजना

का एग्रोनोमिक मूल्यांकन किया गया और इस मूल्यांकन संबंधी परीक्षण में ये किस्में उत्कृष्ट पाई गईं। खाद्य सुरक्षा आंकड़ों से यह पता लगा कि बी.टी. कपास सुरक्षित है क्योंकि इनका खाद्य योग्य बिनौला गैर बी.टी. कपास के बिनौले के समतुल्य पौष्टिक है। आंकड़ों से पता लगा है कि बी.टी. कपास की संकर किस्में जन-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होंगी तथा यह गोलकृमि नाशीजीव के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करेगी। विभिन्न शर्तों के साथ तीन संकर किस्मों की वाणिज्यिक कृषि के लिए सिफारिश की गई है। सरकार ने आवेदक (मैसर्स महाराष्ट्र हाईब्रिड सीड कम्पनी, मुंबई) से वर्ष-वार गैर-लक्षित नाशीजीव, फ़सल, गोलकृमि की संभावना आदि पर बी.टी. कपास के संभावित प्रभावों से संबंधित सूचना एकत्र करने का निर्देश दिया गया है।

[हिन्दी]

चेन्नई विमानपत्तन का मलेशिया को पट्टे पर दिया जाना

1136. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया सरकार ने चेन्नई विमानपत्तन पट्टे पर दिए जाने के संबंध में भारत सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य देशों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पट्टे पर देने के संबंध में कोई नीति बनाने/निर्णय लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह निर्णय सिद्धांत रूप से ले लिया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डे ज्योंही दीर्घावधिक पट्टे के जरिए ये उपयुक्त पाए जाएंगे त्योंही इनकी पुनर्संरचना कर दी जाएगी। इस समय, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता स्थित हवाई अड्डों के काम को इस प्रक्रिया के लिए हाथ में ले लिया गया है। पट्टाकारों के चयन की प्रक्रिया विश्वव्यापी प्रतियोगी बोली के जरिए शुरू की जाएगी।

(घ) दीर्घावधिक पट्टे के जरिए हवाई अड्डों की पुनर्संरचना के मुख्य कारणों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सेवा मानदंड और सुविधाओं में सुधार करना, हवाई अड्डा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ-साथ निजी सेक्टर निवेशकों को भी शामिल करना तथा दक्षतापूर्ण प्रबंधकीय सुधार करना शामिल है।

[अनुवाद]

दिल्ली में ऑटोमोबाइल कार्यशालाओं में बाल श्रमिक

1137. **श्री पी.आर. किंडिया :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों के नियोजन को प्रतिबंधित करने हेतु बनाए गए कई कानूनों के बावजूद, इस तरह के अधिनियमों का घोर उल्लंघन होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में ऑटोमोबाइल मरम्मत कार्यशालाएं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाती हैं और इन बाल श्रमिकों को प्रदूषित माहौल में कई घंटों तक कठिन काम करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली में मरम्मत कार्यशालाओं में काम कर रहे बाल श्रमिकों की वास्तविक संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन बच्चों को शोषण से बचाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खान मजदूरों का शोषण

1138. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के खान मजदूरों का खान मालिकों द्वारा शोषण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन खानों के नाम क्या हैं जिनके मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा शोषण समाप्त करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) देश में बड़ी संख्या में खानें हैं जिनमें खान श्रमिक कार्यरत हैं और जब कभी श्रमिकों के शोषण; मजदूरी, बोनस, उपदान की अनादायगी संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं अथवा प्राप्त होते हैं तो संबंधित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) इसे विवादों के रूप में लेते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों के न अनुपालन किए जाने के लिए खान मालिकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी करते हैं।

(ख) शिकायतों का समाधान करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)/सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) तथा क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को शिकायत प्राप्त होते ही, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मामले के निपटान हेतु या विभिन्न संगत कानूनों के उपबंधों के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ग) श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए अधिनियमों के उपबंधों का नियमित निरीक्षणों द्वारा प्रवर्तन किया जाता है और कर्मकारों को शोषण से बचाने के लिए चूककर्ता नियोक्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

हमालियों के लिए मकान

1139. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमालियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि के व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या इस आवासीय कार्यक्रम को किसी अन्य चालू आवासीय कार्यक्रम से जोड़ गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) हमालियों के लिए एक आवास योजना बनाई गई थी और वर्ष 1996-97 के दौरान यह कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्या में हमालियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में लागू की गई थी जिसे अब बंद कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं

1140. **डा. जसवंत सिंह यादव** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्गवार कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) क्या इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है। इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

राज्य का नाम	1999	2000	2001
राजस्थान	6778	6718	7465
उत्तर प्रदेश	6442	6198	अनुपलब्ध
पंजाब	1223	1268	अनुपलब्ध
हिमाचल प्रदेश	829	709	1001

(ग) भारत में सड़क दुर्घटनाओं के लिए अभिनिर्धारित अनेक कारण हैं जैसे कि चालकों और सड़क प्रयोक्ताओं में यातायात अनुशासन का अभाव, सड़क क्षमता में आनुपातिक वृद्धि के बगैर मोटर वाहनों की संख्या में असाधारण वृद्धि, मिश्रित यातायात परिस्थितियां, अधिक गति, शराब पीकर वाहन चलाना, वाहनों में यांत्रिक खराबी आदि।

(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने के स्तर पर सड़क डिजाइन में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा के आवश्यक उपाय शामिल किए जाते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा के सुधार के लिए राजमार्ग डिजाइन के अलावा भी अनेक उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं–

(1) पिछली योजनावधि में लगभग 15,750 भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया है।

(2) श्रव्य-दृश्य-पत्र-पत्रिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रचार उपाय।

(3) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(4) चालक प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(5) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरूआत।

(6) स्कूली बच्चों में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।

(7) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानक कठोर बनाए गए हैं।

(8) सड़कों को चौड़ा करना/सुधारना।

[अनुवाद]

मक्के की खेती

1141. श्री के.पी. सिंहदेव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ हिस्सों, विशेषकर उड़ीसा में मक्के की ज्यादा खेती किए जाने की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लगभग राज्यवार अब तक कितने क्षेत्र में मक्के की खेती होने लगी है;

(ग) क्या मक्के की ज्यादा खेती कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में किसानों को कोई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आमतौर पर देश में तथा विशेषतौर पर उड़ीसा में मक्के की खेती को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा राज्य समेत पूरे देश में मक्का उगाए जाने की बहुत क्षमता है। देश में मक्का का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता वर्ष 1994-95 के दौरान क्रमशः 61.40 लाख है., 88.80 लाख टन और 1446 किग्रा. प्रति है. से बढ़कर वर्ष 2001-01 के दौरान क्रमशः 65.57 लाख है., 120.70 लाख टन और 1841 कि.ग्रा. प्रति है. हो गया है। देश में अब तक मक्का की खेती के अंतर्गत लाया गया कुल क्षेत्र 65.57 लाख है. (2000-01 तक उपलब्ध अंतिम आंकड़े) है। देश में मक्कान की खेती के अंतर्गत कवर क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। मक्का का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से उड़ीसा समेत देश के 26 राज्यों के मक्का की क्षमता वाले सभी जिलों में इस समय एक केन्द्रीय "त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए एम डी पी)" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भा.कृ.अ.प. के माध्यम से (भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायता) मक्का पर फ्रंट लाइन प्रदर्शनों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने और मक्का पर फील्ड प्रदर्शनों और समेकित कृषि प्रबंध पर प्रदर्शन तथा उन्नत फार्म उपस्करों के उपयोग के लिए किसानों को सहायता प्रदान कराई गई। भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75:25 की भागीदारी के आधार पर राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता मुहैया की गई। इसके अलावा अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और अधिकारियों और किसानों के प्रशिक्षणों के लिए भी सहायता प्रदान कराई गयी।

संघ सरकार द्वारा उड़ीसा समेत राज्य सरकारों को दी गयी कुल वित्तीय सहायता और देश में मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए एम डी पी) के अंतर्गत उड़ीसा राज्य सरकार को पिछले 4 वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं–

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	राज्य सरकारों को निर्मुक्त कुल निधियां	उड़ीसा सरकार को निर्मुक्त निधियां
1.	1998-99	415.00	63.00
2.	1999-2000	435.00	35.18
3.	2001-01	475.00	2.00
4.	2001-02	410.00	0.00*

*1.4.2001 को उड़ीसा राज्य सरकार के पास विचारणीय मात्रा में अव्ययित शेष के कारण कोई निर्मुक्त नहीं।

देश में मक्का उत्पादन तेजी से बढ़ाने के लिए त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय निम्नलिखित को लोकप्रिय बनाने/अपनाने के लिए बल भी दिया जा रहा है–

(i) मक्का की संकर और उच्च पैदावार वाली किस्मों के अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग,

(ii) बीज उपचार को अपनाना और अनुकूलतम पौध जनसंख्या रखरखाव,

(iii) प्रभावी खरपतवार प्रबंध के लिए खरपतवारनाशी का उपयोग,

(iv) जिंक सल्फेट जैसे सूक्ष्म-पौष्टिकों का 20 कि.ग्रा. प्रति है. की दर से उपयोग,

(v) बेहतर फसल प्राबंध पद्धतियों को अपनाना, उर्वरकों का संतुलित उपयोग और संकटपूर्ण स्थितियों में सिंचाई,

(vi) रबी/गर्मी मौसम के दौरान सिंचित परिस्थितियों के अंतर्गत अधिक क्षेत्र को लाना,

(vii) मक्का के साथ उपर्युक्त कमियां तिलहनों और वनस्पतियों की अंत:फसलन,

(viii) किसानों को बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी और मक्का के विभिन्न उपयोगों के बारे में शिक्षित करना।

उपरोक्त उपायों के अलावा उड़ीसा राज्य सरकार राज्य के 11 जिलों में (ए एम डी पी) योजना कार्यान्वित करते समय एजेटोबैक्टर और फास्फेट सौल्यूविलाइजिंग माइकोवैस (पी एस एम) से बीज संचरण को भी अपना रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान (1998-99 से 2000-01) के दौरान मक्का की खेती के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र को राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र लाख हैक्टेयर में		
		1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3.900	4.520	5.233
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.362	0.356	0.354
3.	असम	0.198	0.200	0.202
4.	बिहार	7.111	7.369	6.391
5.	झारखंड	0.000	0.000	0.899
6.	गोवा	0.003	0.002	0.002
7.	गुजरात	4.083	3.910	3.997
8.	हरियाणा	0.210	0.200	0.160
9.	हिमाचल प्रदेश	3.050	2.999	2.981
10.	जम्मू और कश्मीर	3.114	3.173	3.302
11.	मध्य प्रदेश	8.522	9.052	8.171
12.	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	0.634
13.	कर्नाटक	5.124	6.064	6.690
14.	महाराष्ट्र	2.784	2.810	2.625
15.	मणिपुर	0.030	0.043	0.036
16.	मेघालय	0.172	0.166	0.169
17.	मिजोरम	0.087	0.055	0.066
18.	नागालैंड	0.320	0.320	0.313
19.	उड़ीसा एशस	0.510	0.540	0.540
20.	पंजाब	1.540	1.630	1.640
21.	राजस्थान	9.510	9.336	9.692
22.	सिक्किम	0.394	0.394	0.399
23.	तमिलनाडु	0.557	1.158	1.198
24.	त्रिपुरा	0.023	0.013	0.016
25.	उत्तर प्रदेश	9.958	9.560	9.139
26.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.365
27.	पश्चिम बंगाल	0.385	0.351	0.353
	कुल	62.037	64.221	65.567

दिल्ली में वृक्षारोपण

1142. **श्री जे.एस. बराड़ :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन महीनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आंधी और भारी वर्षा के कारण 7000 से अधिक पुराने वृक्ष गिर गए थे;

(ख) यदि हां, तो वृक्षों के गिरने के कारण हुए पर्यावरणीय असंतुलन से निपटने हेतु कितने नये वृक्ष लगाए जाने की जरूरत है; और

(ग) गहरी जड़ों वाले वे वृक्ष लगाने हेतु जो तीव्र हवा और आंधी में भी खड़े रह सकें, सरकार द्वारा अब तक इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जी, हां। हाल ही के तूफानों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगभग 2074 वृक्ष गिर गए हैं जिनमें से अधिकांश वृक्ष पुराने, खोखले और रूग्ण थे। जो वृक्ष गिर गए थे उससे दुगनी संख्या से भी अधिक वृक्ष, पीपल, नीम, जामुन, बड़, गूलर आदि जैसी गहरी जड़ वाली प्रजातियों के, रोपित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

जल को राष्ट्रीय संसाधन घोषित किया जाना

1143. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जल को राष्ट्रीय संसाधन घोषित किए जाने हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय सुधार हेतु हरित पट्टी

1144. **डा. वी. सरोजा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु चयनित शहरों/कस्बों में 'प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय सुधार हेतु हरित पट्टी' नामक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार चयनित शहरों/कस्बों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी धनराशि निर्धारित और व्यय की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) तमिलनाडु के पांच शहरों/नगरों नामत: चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरई, सेलम और तिरूनेलवेली में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए प्रदूषण उपशमन और पर्यावरणीय सुधार के लिए सरकार ने हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) से संबंधित एक पायलट परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना के अंतर्गत 4.557 करोड़ रुपये की कुल लागत से इन पांच शहरों/नगरों में 294000 पौद लगाए जाने थे। कुल लागत में से 4.00 करोड़ रुपये का निधिकरण भारत सरकार द्वारा तथा 0.557 करोड़ रुपये का निधिकरण तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया। अन्य राज्यों से भी ऐसे ही प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यालय

1145. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के उपक्रम, राष्ट्रीय बीज निगम (एन एस सी) के कितने कार्यालय हैं;

(ख) उन कार्यालयों की संख्या कितनी है जो घाटे में चल रहे हैं और जिन्हें बंद किया जाना है;

(ग) क्या किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी वैकल्पिक योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय बीज निगम लि. (एन एस सी) के ग्यारह कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से सात कार्यालय 2001-02 के दौरान घाटे में चले। इसमें से एक कार्यालय को बंद कर दिया गया है और एक कार्यालय बंद करने के लिए प्रस्तावित है। ऐसे कार्यालयों के

क्षेत्राधिकार में आने वाले किसानों के हितों को संबंधित कार्यालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

[अनुवाद]

तमिलनाडु की नदियों पर पुल

1146. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक तमिलनाडु की बड़ी नदियों पर विभिन्न पुलों की स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है और वास्तव में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) वर्ष 2002-2003 हेतु परियोजना-वार कितना आवंटन प्रस्तावित है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) तमिलनाडु में बड़ी नदियों पर पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी पुल सामान्यत: अच्छी हालत में हैं, सिवाय निम्नलिखित तीन पुलों के जिनका निर्माण अपेक्षित है–

क्र. सं.	पुल का नाम	9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्थिति
1.	सुचिंद्रम पर रा.रा. 47 पर 641/6 कि.मी. पर पझयार नदी पर पुल	मंत्रालय द्वारा सरेखण, तकनीकी प्रस्ताव और भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुमान का अनुमोदन कर दिया गया है। 90% भूमि-अधिग्रहण कर लिया गया है।
2.	पोन्नी नदी पर पुल-(तिरुवलम पुल) रा.रा. 4 का122/4 कि.मी.	मंत्रालय द्वारा सरेखण, तकनीकी प्रस्ताव और भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुमान का अनुमोदन कर दिया गया है। भूमि-अधिग्रहण कर लिया गया है।
3.	रा.रा. 4 के 604/4 कि.मी. पर तमिरबारानी नदी पर पुल	मंत्रालय द्वारा सरेखण, तकनीकी प्रस्ताव और भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुमान का अनुमोदन कर दिया गया है। भूमि-अधिग्रहण कर लिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त पुल परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान निधियों की स्वीकृति/आवंटन नहीं किया गया। इन परियोजनाओं को वार्षिक योजना 2002-2003 में सम्मिलित किया गया है और वर्ष 2002-03 के दौरान निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं–

क्र. सं.	पुल का नाम	आवंटन (लाख रु.)
1.	सुचिन्द्रम पर रा.रा. 47 पर 641/6 कि.मी. पर पझयार नदी पर पुल का पुनर्निर्माण	5.00
2.	रा.रा. 4 के 122/4 कि.मी. पर पोन्नी नदी (तिरूवलम) पर पुल का पुनर्निर्माण	5.00
3.	रा.रा. 47 के 604/4 कि.मी. पर तमीराबारानी नदी (कुझीतुरई पुल) पर पुल का पुनर्निर्माण (निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण बी ओ टी) आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है।	शून्य

विदेशी बीमा कंपनियों की भागीदारी

1147. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बीमा कंपनियों के व्यापार फसल बीमा योजना में शामिल होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त किन-किन कंपनियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश हेतु सरकार से संपर्क किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जेसोर सड़क के लिए केन्द्रीय धनराशि

1148. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश और भारत के बीच मुख्य संपर्क सड़क जेसोर सड़क के रख-रखाव और सुधार हेतु केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई और जारी की गई है;

(ग) क्या उक्त सड़क को चौड़ा करने हेतु कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) इस सड़क में नीचे दिए गए अनुसार राज्यीय सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग सम्मिलित हैं–

(i)	0 कि.मी. से 14.4 कि.मी. (लंबाई 14.4 कि.मी.)	राज्यीय सड़क
(ii)	14.4 कि.मी. से 23 कि.मी. (बरासत) (लंबाई 8.6 कि.मी.)	रा.रा. 34
(iii)	0 कि.मी. (बरासत) से बांग्लादेश सीमा (59.4 कि.मी.)	रा.रा. 35

राज्यीय सड़क के भाग के विकास और अनुरक्षण की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की है और राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग की जिम्मेदारी इस मंत्रालय की है।

(ख) राज्यीय सड़क के भाग के 8.4 कि.मी. से 14.4 कि.मी. को चौड़ा करने और उसे सुदृढ़ करने के कार्य को केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 15.00 करोड़ रु. की लागत पर वर्ष 2001-02 में अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग भाग के बारे में, 35 कि.मी. की लंबाई में सड़क सतह में सुधार के लिए गत तीन वर्षों के दौरान 5.62 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) के अंतर्गत निधियों जारी करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आवंटन राज्य-वार किए जाते हैं न कि कार्य-वार। गत तीन वर्षों के दौरान, सी आर एफ के अंतर्गत 21.6 करोड़ रु. की राशि जारी की गई और पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए मूल कार्यों हेतु 270.36 करोड़ रु. तथा अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों के लिए 105.16 करोड़ रु. आवंटित किए गए।

(ग) और (घ) इस सड़क की 82.4 कि.मी. की कुल लंबाई में से 23.4 कि.मी. का दो लेन का मार्ग, 56.3 कि.मी. का मध्यवर्ती मार्ग और 3.1 कि.मी. का चार लेन का मार्ग है। फिलहाल इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने का कार्य यातायात आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है।

धनराशि का जारी किया जाना

1149. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य को जारी की गई धनराशि राज्य कृषि विकास विभाग को उनके जारी किए जाने के 15 दिनों के अंदर नहीं पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या धनराशि फसल और बागवानी क्षेत्र संबंधी चालू परियोजनाओं में पूरी तरह उपयोग नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार राज्यों के पास कितनी अनुप्रयुक्त धनराशि पड़ी है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि राज्यों को जारी की गई धनराशि समय-सीमा के अंदर पहुंचे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) राज्य वित्त विभागों को केन्द्रीय सहायता वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा जारी अंतर-सरकारी समायोजन सलाह के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की नागपुर स्थित केन्द्रीय लेखा इकाई के द्वारा पहुंचती है। राज्य सरकारों का कृषि विभाग स्कीम की स्वीकृति और धन जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेता है। उसके पश्चात् राज्य सरकारों के कृषि विभाग क्रियान्वयन एजेंसियों को धन का संवितरण करते हैं।

(ग) और (घ) फसल और बागवानी क्षेत्र कवर करते हुए वृहद प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के दौरान 631.22 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। यह राशि राज्यों के पास पिछले वर्ष की शेष बची 194.34 करोड़ रु. की राशि के अलावा है। 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास 236.07 करोड़ रु. की राशि बची पड़ी है।

(ङ) राज्यों के कृषि विभागों को धन की तीव्र निर्मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता जारी करने से संबंधित संस्वीकृति आदेश प्राप्त करने के लिए कृषि भवन में सी.सी.ए. के कार्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। वेतन एवं लेखाधिकारी 'स्पीड पोस्ट' से भारतीय रिजर्व बैंक को अंतर सरकारी समायोजन सलाह भेज रहे हैं ताकि धन जारी करने में विलंब न हो। कृषि एवं सहकारिता विभाग इस स्कीम के क्रियान्वयन की नियमित तौर पर मानीटरिंग भी करता है।

कुक्कुट पालन उद्योग

1150. **श्रीमती रेणूका चौधरी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किए जाने और विदेशी कंपनियों के उत्पादों को बाजार में लाने की सुविधा के मद्देनजर भारतीय कुक्कुट पालन उद्योग की रक्षा/बचाव हेतु कोई उपाय किए हैं/करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धता के तहत विदेशी कंपनियों को बाजार उपलब्ध कराने और मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के प्रकाश में भारतीय कुक्कुट उद्योग के हितों की रक्षा/बचाव के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं।

1. आयात निर्यात संहिता 0207.13 और 0207.14 और 1601.00 और 1602.32 के तहत आने वाले कुक्कुट मीट संबंधी आयात शुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया था।

2. कुक्कुट मीट और अन्य कुक्कुट उत्पादों को इसकी परिधि में लाकर पशुधन निर्यात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया गया है और उनके आयात को स्वच्छता आयात परमिट की शर्त पर अनुमति दी गई है जिसे ओ आई ई के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत पर जोखिम विश्लेषण करने के बाद जारी किया जाता है।

हुबली स्थित हवाई अड्डा

1151. **श्री आर.एल. जालप्पा :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में हुबली में एक पूर्णत: सुसज्जित हवाई अड्डा है;

(ख) यदि हां, तो इस विमानपत्तन से प्रतिदिन कुल कितनी उड़ानें संचालित होती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निजी विमानन आपरेटरों ने हुबली से देश के अन्य भागों के लिए विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) फिलहाल निजी अनुसूचित प्रचालकों सहित कोई अनुसूचित प्रचालक हुबली हवाई अड्डे से/को हवाई सेवाएं प्रचालित नहीं कर रहा है। हुबली हवाई अड्डे से केवल कैजुअल गैर-अनुसूचित उड़ानें ही प्रचालित की जा रही हैं।

सरकार ने मार्गदर्शी दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जिससे कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की हवाई यात्रा सेवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हवाई यातायात का बेहतर विनियमन किया जा सके। फिर भी, यह एयरलाइंस पर निर्भर है कि वह सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए परिवहन की मांग और व्यापारिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाएं।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

1152. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी और मंझोले स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य को सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) सभी प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त सिंचाई परियोजना प्रस्तावों की अनुमानित लागत और देरी के कारणों के साथ-साथ उनके मूल्यांकन की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कार्यक्रम सहित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को मुहैया कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाना राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की बकाया टिप्पणियों के तत्काल अनुपालन करने पर निर्भर करता है।

विवरण–I

क्र.सं	परियोजनाओं का नाम	राज्य का नाम	वृहद/ मध्यम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	श्रेणी	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	नेत्तामपादु लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	134.30	ए	इस परियोजना के लिए कुल 2.615 टी एम सी जल की आवश्यकता है जिसे जुराला जलाशय के अग्रतट (फोर शोर) से जल लेकर पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। जल उपलब्धता, बांध डिजाइन, गेट डिजाइन, जल विज्ञान, नहर डिजाइन, अंतर्राज्यीय, लागत प्राक्कलन और हाइडल सिविल डिजाइन पहलू पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां फरवरी से जून, 2001 के दौरान राज्य को भेजी गई। राज्य से अनुपालन की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
2.	कालवा कुर्थी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	380.00	ए	इस परियोजना के लिए कुल 4.954 टी एम सी जल की आवश्यकता है जिसे श्री सैलम जलाशय के अग्रतट से जल लेकर पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। जल उपलब्धता, गेट डिजाइन, बी सी डी, जल विज्ञान, संयंत्र आयोजना, तटबंध, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, अंतर्राज्यीय और लागत प्राक्कलन पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां फरवरी से अगस्त, 2001 के दौरान राज्य को भेजी गई थीं। राज्य से अनुपालन की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
3.	ठोतापल्ली बैराज	आंध्र प्रदेश	वृहद	462.00	ए	जांच समिति द्वारा 12.11.2001 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार किया गया। इस परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त निदेशालयों और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों में जांच चल रही है। विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां अनुपालन के लिए परियोजना प्राधिकारियों को भेजी गई थीं। परियोजना प्राधिकारियों ने 20.5.2002 को अनुपालन संबंधी सूचना प्रस्तुत की और जांच तथा स्वीकृति के लिए इन्हें विशेषज्ञता प्राप्त निदेशालयों को भेजा गया।
4.	पुलिनचिंताला सिंचाई परियोजना	आंध्र प्रदेश	वृहद	506.20	बी	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से स्वीकृति तथा बांध डिजाइन पहलू पर केन्द्रीय जल आयोग की बकाया टिप्पणियों के अधीन अप्रैल, 1996 में स्वीकृत किया गया। बांध डिजाइन पर केन्द्रीय जल

1	2	3	4	5	6	7
						आयोग की टिप्पणियों के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। पुनर्वास और पुनर्स्थापना पहलू पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के संबंध में पूर्ण ब्यौरे भी प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार ने संबंधित मंत्रालयों को जनवरी, 1996 में ई आइ ए, ई एम पी और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना प्रस्तुत की है। स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।
5.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण-ई आर एम	आंध्र प्रदेश	वृहद	659.16	बी	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अप्रैल, 1996 में पर्यावरण और वन मंत्रालय से सवीकृति तथा कार्यतालिका, लागत प्राक्कलन इत्यादि के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के अनुपालन की अधीन स्वीकृत किया गया। राज्यों से आंशिक उत्तर अक्टूबर, 2000 में प्राप्त हुए। इनकी जांच की गई और पूर्ण उत्तरों के लिए अनुरोध करते हुए टिप्पणियों को जुलाई, 2001 में राज्य सरकार को भेजा गया। मई, 2002 में राज्य सरकार से प्राप्त हुई 25 वर्षों की मासिक कार्य तालिका की जांची जा रही है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
6.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	आंध्र प्रदेश	वृहद	744.00	बी	तकनीकी सलाहाकार समिति द्वारा अप्रैल, 1996 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग तथा कृषि मंत्रालय की टिप्पणियों के अनुपालन के अधीन स्वीकृत किया गया जो कि अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।
7.	श्रीराम सागर चरण-II	आंध्र प्रदेश	वृहद	697.70	बी	तकनीकी सलाहाकार समिति द्वारा अप्रैल, 1996 में पर्यावरण और वन मंत्रालय की वन स्वीकृति के अधीन स्वीकृत किया गया तथा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना संबंधी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
8.	एस आर एस पी से बाढ़ प्रवाह नहर	आंध्र प्रदेश	वृहद	1331.00	बी	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अप्रैल, 1996 में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जनजातीय मामला मंत्रालय के लिए पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना के अधीन स्वीकृत किया गया जो कि अभी प्राप्त नहीं हुई है।
9.	जुराला (मैसनरी बांध)	आंध्र प्रदेश	वृहद	545.82	बी	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अक्टूबर, 1998 में राज्य सरकार द्वारा जनजातीय मामला मंत्रालय को

1	2	3	4	5	6	7
						पुनर्वास तथा पुनस्थापना योजना को प्रस्तुत करने के अधीन स्वीकृत किया गया। पुनर्वास और पुनर्वास योजना 1/2001 में प्रस्तुत की गई। स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।
10.	वम्सधारा परियोजना चरण-II* (नेरादी बैराज)	आंध्र प्रदेश	वृहद	275.74 (86-87 एस ओ आर)	बी	इस परियोजना पर तकनीकी सलाहाकार समिति द्वारा 4.12.91 को आयोजित अपनी 51वी बैठक में पर्यावरण और वन मंत्रालय, जनजातीय मामला मंत्रालय की स्वीकृति और उड़ीसा सरकार की सहमति के अधीन विचार-विमर्श किया गया और इसे स्वीकार किया गया। तथापि, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच नेरादी बांध के निर्माण से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दे का अभी समाधान किया जाना है। अत: राज्य सरकार चरण-II का फेज-I शुरू किया है।
11.	गोल्लावागु जलाशय*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	39.58	ए	केन्द्रीय जल आयोग, हैदराबाद की क्षेत्र इकाई से तकनीकी सलाहकार समिति टिप्पण का मसौदा सितम्बर, 2001 में प्राप्त हुआ। अंतर्राज्यीय पहलू की आई एस एम निदेशालय में जांच की जा रही है।
12.	गाल्लीवागु जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	26.75	ए	केन्द्रीय जल आयोग की क्षेत्र इकाईयों में जांच जा रही है।
13.	निलवाई जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	48.90	ए	केन्द्रीय जल आयोग की क्षेत्रीय इकाईयों में जांच चल रही है।
14.	पेड्डागेड्डा जलाशय परियोजना*	आंध्र प्रदेश		3.211	बी	इस परियोजना की जांच केन्द्रीय जल आयोग, हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में चल रही है। राज्य सरकार से प्राप्त अंतर्राज्यीय अनुपालन संबंधी सूचना को स्वीकृति के लिए मई, 2002 में आई एस एम निदेशालय भेजा गया, जो कि अभी प्राप्त नहीं हुई है। यह परियोजना जे बी आई सी सहायता के फेज-I के लिए प्रस्तावित है।
15.	मथाडिवागु जलाशय परियोजना का मूल्यांकन	आंध्र प्रदेश	मध्यम	2.644	ए	इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के जांच के लिए आई एम एम निदेशालय भेजा गया है।
16.	झंझावती परियोजना*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	121.0	ए	इस परियोजना पर 28.3.1981 को आयोजित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया था और इस आस्थगित किया गया था क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में जलमग्नता के लिए उड़ीसा राज्य से सहमति नहीं ली गई थी तथा इस परियोजना को

1	2	3	4	5	6	7
						अप्रैल, 1987 में वापस भेजा गया। अप्रैल, 1992 में उड़ीसा सरकार की सहमति के बिना इस परियोजना को पुन: प्रस्तुत किया गया। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया कि अंतर्राज्यीय सीमा के मामले में कुछ विवाद थे जिन्हें अभी हल किया जाना है। परियोजना प्राधिकारियों ने वर्ष 2000-2001 के मूल्य स्तर के आधार पर 121.00 करोड़ रुपए का अद्यतन प्राक्कलन प्रस्तुत किया और जनवरी, 2002 में जे बी आई सी सहायता के लिए प्रस्तावों में शामिल किया गया है। चूंकि राज्य सरकार वर्ष 2000-2001 तक 24.0 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है, अत: जे बी आई सी सहायता केवल शेष 97.00 करोड़ रुपए के लिए मांगी गई है।
17.	पेड्डुरू जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	26.23	बी	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा नवम्बर, 93 में जनजातीय मामला मंत्रालय की स्वीकृति तथा राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि मुहैया कराने के अधीन स्वीकृत किया गया।
18.	पालेमवागु (मैसनरी बांध)*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	29.13	बी	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा नवम्बर, 1993 में वन स्वीकृति और राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि मुहैया कराने के अधीन स्वीकार किया गया। वन स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार ने फेज-I के तहत इस परियोजना को 60.954 करोड़ रुपए की जे बी आई सी सहायता के लिए प्रस्तावित किया है (2000)।
19.	वाल्लिगल्लु जलाशय*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	143.67	बी	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 20.9.2000 को आयोजित अपनी 74वीं बैठक में राज्य वित्त विभाग की स्वीकृति और भूजल स्तर की निगरानी के अधीन स्वीकार किया गया। राज्य वित्त विभाग की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने फेज-I के तहत इस परियोजना को 11.90 करोड़ रुपए की लागत से जे बी आई सी सहायता के लिए प्रस्तावित किया है।
20.	येरावागु (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	31.28	बी	निर्माण के समय बाढ़ डिजाइन की समीक्षा, जनजातीय मामला मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना की स्वीकृति तथा पर्याप्त निधि के प्रावधान के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 1/2000 में स्वीकृत की गई। राज्य सरकार से अनुपालना प्राप्त होनी है।

1	2	3	4	5	6	7
21.	सुद्दावागु (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	56.48	बी	निर्माण के समय बाढ़ डिजाइन की समीक्षा, जनजातीय मामला मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना के अनुमोदन, पर्याप्त निधि के प्रावधान के अधीन 31.5.2000 को आयोजित 73वीं बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।
22.	पेद्दावागु (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	202.60	बी	जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना के अनुमोदन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति, पर्याप्त निधियों के प्रावधान, बाढ़ डिजाइन की समीक्षा, फसल पद्धति की समीक्षा के अधीन 31.5.2000 को 73वीं बैठक में आयोजित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की गई। राज्य सरकार से अनुपालना प्राप्त होनी है। सरकार ने 189.6 करोड़ (वर्ष 2000-2001) की जे बी आई सी सहायता से इस परियोजना को शुरू करने का प्रस्ताव किया है।
23.	सुरमपलेम जलाशय स्कीम (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	46.70	बी	निर्माण के समय बाढ़ डिजाइन की समीक्षा, जनजातीय मामला मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना की स्वीकृति तथा पर्याप्त निधियों के अधीन जनवरी, 2000 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत। राज्य सरकार से अनुपालना प्राप्त होनी है।
24.	सुरमपलेम फेज-II*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	49.50	बी	पर्याप्त निधियों के प्रावधान, प्रोक्षित आंकड़ों के आधार पर निर्माण के समय सुरमपलेम जलाशय और भूपतिपलेम जलाय के बाढ़ डिजाइन की समीक्षा, जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा सुरमपलेम एवं भूपतिपलेम जलाशय स्कीमों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना की स्वीकृति के अधीन दिसंबर, 2000 के तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत। राज्य सरकार से अनुपालना प्राप्त होनी है। सरकार ने जे बी आई सी सहायता के वास्ते फेज-I के तहत इस परियोजना का 1/2002 में शुरू करने का प्रस्ताव किया है।
25.	भूपतिपलेम (बांध)*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	47.23	बी	प्रोक्षित आंकड़ों के आधार पर निर्माण के समय बाढ़ डिजाइन की समीक्षा, जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मास्टर योजना का अनुमोदन, पर्याप्त निधियों का प्रावधान और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार 180 हेक्टेयर वन भूमि के डाइवर्जन के स्वीकृति। राज्य सरकार से अनुपालना प्राप्त होनी है। सरकार ने 1/2002 में जे बी आई सी सहायता के वास्ते फेज-I के तहत इस परियोजना को शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

1	2	3	4	5	6	7
26.	कोव्वादाकालवा	आंध्र प्रदेश	मध्यम	16.02	डी	चूंकि इस परियोजना की कोई अंतर्राज्यीय शाखा नहीं है इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह योजना आयोग के अनुसार अपने स्तर से इस परियोजना के लिए निवेश स्वीकृति दे।
27.	कादवान जलाशय परियोजना	बिहार	वृहद	1111.14	ए	नहर डिजाइन, द्वार डिजाइन, उपस्कर आयोजना और जल विज्ञान पहलुओं को स्वीकृत किया है। निर्माण सामग्री (3/99), बांध डिजाइन, तटबंध, सिंचाई आयोजना (2/2000), अंतर्राज्यीय मामला (3/2000) तथा जल विद्युत डिजाइन (3/2000) संबंधी टिप्पणियों अनुपालना के लिए राज्य सरकार को भेजी हैं। बिहार सरकार को जलमग्नता के संबंध में उत्तर प्रदेश ओर मध्य प्रदेश सरकार की सहमति प्राप्त करनी है। तथापि पश्यजल अध्ययन के लिए आवश्यक जलाशय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा कर लिया है।
28.	ऊपरी महानंदा सिंचाई स्कीम	बिहार	वृहद	124.00	ए	लागत (7/2001), आई एस एम, सिंचाई आयोजना और बराज व नहर निर्माण (8/2001), निर्माण मशीनरी (9/2001) पहलुओं संबंधी टिप्पणियां अनुपालना के लिए राज्य को भेजी गई हैं, जो अभी प्राप्त होनी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से बिहार की ऊपरी महानंदा सिंचाई स्कीम की फुलवारी बराज के मुख्य नहर से आधटेक बिन्दु पर मासिक जल छोड़े जाने वाली पद्धति अभी प्राप्त होनी है।
29.	पुनपुन बैराज	बिहार	वृहद	102.26	बी	राज्य वित्त विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय पहलुओं की स्वीकृति और भूजल की मानीटरी के अधीन 3.8.2001 को जल संसाधन मंत्रालय की 77वीं बैठक में सलाहकार समिति द्वारा इस स्कीम को स्वीकृत किया गया था। बराज स्थल पर जल वैज्ञानिक आंकड़ा प्रेक्षण।
30.	तिलैया धाधर	बिहार	वृहदी	220.11	बी	यह परियोजना (i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति, (ii) राज्य वित्त विभाग द्वारा सहमति, (iii) 19 जुलाई, 1978 के समझौते के अनुसार संगत खंडों को पूरा करने के अधीन परियोजना का निष्पादन किया जावेगा। इसके अधीन 31.5.2000 को आयोजित 73वीं बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार के नये प्रेक्षण पर विचार करने के लिए अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की जानी है। बिहार सरकार तथा झारखंड

1	2	3	4	5	6	7
						सरकार के बीच सचिव स्तर के परिणाम पर बैठक के लिए सुविधाजनक तारीख तय होगी। केन्द्रीय जल आयोग निरंतर बिहार सरकार के साथ संपर्क में है।
31.	महानदी जलाशय परियोजना-ई आर एम	छत्तीसगढ़	वृहद	572.00	ए	यह परियोजना 27.1.94 को आयोजित 57वीं बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा पहले आस्थागित कर दी गई थी। तकनीकी सलाहाकार समिति की टिप्पणियों की अनुपालना न हो पाने के कारण यह परियोजना 3/97 में वापस भेजी गई थी। अद्यतन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 7/2001 में प्राप्त हुई थी। कृषि मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय मामला मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त होनी है। नहर डिजाइन, अंतर्राज्यीय मामला और संयंत्र आयोजना पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां प्राप्त होनी हैं। सिंचाई आयोजना लागत प्राक्कलन और भूजल आयोजना पहलू स्वीकृत हो गए हैं।
32.	मच्चु-I का आधुनिकीकरण-ई आर एम	गुजरात	वृहद	8.12	बी	राज्य वित्त विभाग की सहमति एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन 8/93 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होनी है।
33.	बकरोल जल संसाधन परियोजन	गुजरात	मध्यम	23.85	ए	जल उपलब्धता, अद्यता लागत एवं बी सी अनुपात पर राज्य अनुपालना की प्रतीक्षा है।
34.	पश्चिमी यमुना संपर्क चैनल	हरियाणा	वृहद	31.26	बी	राज्य वित्त विभाग की सहमति के अधीन 20.9.2000 को 74वीं बैठक में आयोजित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत यह अभी प्राप्त होनी है।
35.	सतलज-यमुना संपर्क नहर	हरियाणा	वृहद	61.76	बी	राज्य वित्त विभाग की सहमति के अधीन 1/94 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा यह परियोजना स्वीकृत की गई थी यह अभी प्राप्त होनी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय दृष्टि से 11/99 में परियोजना स्वीकृत कर दी।
36.	खेत पुराली बांध परियोजना (मिट्टी का बांध)	हरियाणा	मध्यम	16.92	ए	बजट, पर्यावरण, कृषि, बाढ़ और आर्थिक पहलुओं पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं, यह अभी प्राप्त होनी है। जल वैज्ञानिक पहलू और भूमि जल पर राज्य की अनुपालना की जांच चल रही है। 22.2.1999 को आयोजित बैठक में अंतर्राज्यीय दृष्टि से इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने पर घग्घर

1	2	3	4	5	6	7
						बेसिन राज्यों में सहमति हुई है। अब यह परियोजना मध्यम परियोजना होने के कारण अग्रिम मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सिन्धु बेसिन) की क्षेत्र यूनिट हस्तांतरित किया गया है।
37.	रेणुका बांध (बहुउद्देश्यीय)	हिमाचल प्रदेश	वृहद	1224.64	बी	यह परियोजना (i) लागत के द्विपक्षीय बंटवारे के निर्णय, (ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति, (iii) जनजातीय मामला मंत्रालय से जनजातीय जनसंख्या के वास्ते पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की स्वीकृति के अधीन 18 जनवरी, 2000 को आयोजित 12वीं बैठक तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अपर निदेशक ने 15.1.2001 को सूचित किया कि वन्य जीव अभ्यारण्य, रेणुका का 49 हेक्टेयर क्षेत्र बांध निर्माण डाइवर्ट नहीं किया जा सकता और इसलिए यह प्रस्ताव स्थल अस्वीकृत कर दिया गया है।
38.	बल्ह घाटी बांया तट सिंचाई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	41.64	बी	यह परियोजना राज्य वित्त विभाग की सहमति और वन विभाग से वन भूमि के शामिल न होने के प्रमाण-पत्र के अधीन 18.12.2000 को आयोजित 75वीं बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी।
39.	दादी नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम (कश्मीर क्षेत्र)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	10.91	ए	तकनीकी सलाहकार समिति टिप्पण के प्रारूप की जांच की गई थी और टिप्पणियां/प्रेक्षण 4/2002 में जारी किए गए थे। राज्य सरकार से अनुपालना प्राप्त होनी है।
40.	नन्दी नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम (कश्मीर क्षेत्र)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	6.61	ए	तकनीकी टिप्पणियों पर उत्तर 10/2001 में प्राप्त हुआ, इसकी जांच की जा रही है। अपर सचिव (बजट व तकनीकी) टिप्पणियों का उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त होना है। यह परियोजना सिंधु आयोग से स्वीकृत हो गई है।
41.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम (कश्मीर क्षेत्र)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	7.96	ए	तकनीकी टिप्पणियां 6/2000 में जारी हुई थी। जल संसाधन मंत्रालय से वित्तीय टिप्पणियां प्राप्त हुईं और 7/2000 में राज्य सरकार को भेजी गई। तकनीकी और वित्तीय टिप्पणियों से संबंधित राज्य के उत्तर 8/2000 में प्राप्त हुए और अनुपालना के लिए 9/2000 में राज्य को वित्तीय टिप्पणी भेजी गई। यह अभी प्राप्त होनी है।

1	2	3	4	5	6	7
42.	लार नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	6.63	ए	परियोजना रिपोर्ट 11/97 में प्राप्त हुई। संशोधित रिपोर्ट की सिंधु आयोग में जांच की जा रही है। जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय टिप्पणियां राज्य सरकार को 7/2000 में भेजी गई थीं। तकनीकी टिप्पणियां 8/2000 में जारी की गई थी अनुपालना अभी प्राप्त होनी है।
43.	मावखुल का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	7.00	ए	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 12/97 में प्राप्त हुई। इस परियोजना के लिए वह 12/99 में वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त हुई। राज्य सरकार से तकनीकी पहलुओं पर अनुपालना प्राप्त होनी है। सिंधु आयोग में कुछ शर्तों के अधीन 2/2001 में स्वीकृति प्रदान की है।
44.	मारतण्ड नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	17.72	ए	परियोजना रिपोर्ट 12/97 में प्राप्त हुई। राज्य को तकनीकी टिप्पणियां 9/2001 में भेजी गईं, राज्य सरकार से अनुपालना अभी प्राप्त होनी है। कुछ टिप्पणियों के अधीन सिन्धु आयोग ने यह परियोजना स्वीकृत कर दी है।
45.	बाबुल नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	4.77	ए	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 6/99 में प्राप्त हुई। राज्य सरकार को 2/2002 में तकनीकी टिप्पणियां भेजी हैं। अनुपालना अभी प्राप्त होनी है। राज्य सरकार की वित्तीय सहमति के अधीन 2/2000 मं जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय पहलू स्वीकृत किए गए थे। डिजाइन पहलू 12/2000 में स्वीकृत किए गए।
46.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (जम्मू क्षेत्र)	मध्यम	21.68	बी	यह परियोजना राज्य वित्त विभाग की सहमति और भूजल के अनुरूप सतही जल के लिए दर को समान बनाने के लिए जल दरों की समीक्षा किए जाने के अधीन 3.8.2001 को आयोजित 77वीं बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी।
47.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर (जम्मू क्षेत्र)	मध्यम	15.68	बी	यह परियोजना 15.68 करोड़ रुपये की नवीनतम अनुमानित लागत के लिए राज्य वित्त विभाग की सहमति तथा सतही और भूजल अपयोग की उचित आयोजना के लिए परियोजना के बाद की स्थिति में भूजल स्तर की मानीटरी के अधीन 18.12.2000 को आयोजित 75वीं बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी।
48.	तावी पम्प हाउस और तावी लिफ्ट नहर-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	वृहद	13.563	ए	जांच समिति द्वारा 12.11.2001 को आयोजित बैठक में स्वीकृत किया गया और इसकी केन्द्रीय जल आयोग

1	2	3	4	5	6	7
						जांच की जा रही है। लागत और सी एम सी पहलुओं पर टिप्पणी 4/2002 में राज्य को भेजी गई थी। अनुपालना की अभी प्रतीक्षा है।
49.	कन्हार जलाशय परियोजना	झारखंड	वृहद	1015.76	ए	जल विज्ञान, जल विद्युत सिविल डिजाइन, बांध डिजाइन, इंस्ट्रूमेंटेशन, नहर डिजाइन, निर्माण सामग्री, विद्युत सृजन (सी ई ए) आई एस एम और सिंचाई आयोजना पहलू पर टिप्पणियां अनुपालना के लिए राज्य को भेजी गई थीं। यह अभी प्राप्त होनी हैं। इस परियोजना को कोयला मंत्रालय से स्वीकृति भी लेनी है।
50.	उत्तर कोयल जलाशय	झारखंड	वृहद	836.11	ए	यह परियोजना वन स्वीकृति के अधीन 439.03 करोड़ के लिए 9/8 नये तकनीकी सलाहाकार समिति द्वारा पहले स्वीकृत की गई थी। अद्यतन आकलन मूल्यांकनाधीन है।
51.	पुनासी जलाशय*	झारखंड	वृहद	221.65	बी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन स्वीकृति, जनजातीय मामला मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति के अधीन 1/99 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की गई यह अभी प्राप्त होनी है।
52.	सुवर्ण रेखा (बहुउद्देश्यीय) परियोजना*	झारखंड	वृहद	1428.82	बी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन स्वीकृति, जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 12/1992 में स्वीकृत की गई। केवल 2880 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति अभी होनी है।
53.	अजय बैराज/ सिक्तिया बैराज	झारखंड	वृहद	248.10	बी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति तथा अद्यतन लागत के लिए राज्य वित्त विभाग की सहमति के अधीन 1/99 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति।
54.	ऊपरी सकरी जलाशय	झारखंड	वृहद	123.81	बी	1/98 में प्राप्त संशोधित रिपोर्ट मूल्यांकनाधीन है। द्वारों को तटबंध, जल विज्ञान, सिंचाई आयोजना, बी सी डी और लागत/वित्तीय पहलू पर टिप्पणियां राज्य की अनुपालना हेतु भेजी गई है उत्तर अभी प्राप्त होना है। नवंबर, 98 की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के अधिकारियों ने यह सूचित किया कि इस परियोजना को कम प्राथमिकता दी जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
55.	कोनार सिंचाई	झारखंड	वृहद	336.69	बी	सलाहकार समिति द्वारा 3/84 में पहले इस परियोजना पर विचार किया गया था। सलाहकार समिति की दिसंबर, 2000 में हुई इसी 75वीं बैइक में इस परियोजना को स्वीकार किया गया था जो 336.69 करोड़ रुपये की अद्यतन लागत हेतु राज्य के वित्त विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति एवं परियोजना के क्रियान्वयन की सहमति के अधीन है, को 19 जुलाई, 1978 के पश्चिम बंगाल और बिहार (अब झारखंड) की सरकारों के बीच हुए अंतर्राज्यीय समझौता संगत खंडों के कड़ी अनुपालना की शर्त पर आधारित है।
56.	मारकण्डे	कर्नाटक	वृहद	209.85	बी	परियोजना पर विचार किया गया और इसे दिनांक 24.5.2002 को हुई तकनीकी सलाहकार समिति की 79वीं बैठक में स्वीकार कर लिया गया जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पर्यावरणीय एवं वन संबंधी स्वीकृति, जनजातीय मामले मंत्रालय के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना की प्रस्तुति एवं अनुमोदन, जल विद्युत उत्पादन की संभावना का पता लगाने संबंधी अध्ययन अनुपालन की जाने वाली केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की टिप्पणी एवं आकलित अनुमानित लागत के लिए उस पर राज्य के वित्त विभाग की सहमति के अध्यधीन है।
57.	सिंगतलुर (हुली गुड्डा) लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	वृहद	123.00	ए	माह 7/98 में प्राप्त परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस परियोजना को हैदराबाद प्लांट प्लानिंग एण्ड गेट्स डिजाइन एण्ड इन्स्ट्रूमेंटेशन आस्पेक्ट्स के आधार पर पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। बी एण्ड सी डिजाइन (8/98), आई.पी. (12/98), फाउंडेशन इंजीनियरिंग (11/98), कन्स्ट्रक्शन एवं मेसोनरी डैम डिजाइन (11/98), वित्तीय (12/98), आई एस एम (2/99), सी एस एम आर एस (2/99), एम आई एफ (2/99), सी ए-I (2/99) पर टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई। राज्य की ओर से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। एच सी डी एवं केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड पर टिप्पणी प्रतीक्षित है।
58.	हिप्पारगी सिंचाई परियोजना (जमीन का बांध)	कर्नाटक	वृहद	186.70	बी	अक्टूबर, 86 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन एवं पश्चजल अध्ययनों के अधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
59.	ऊपरी तुंग परियोजना	कर्नाटक	वृहद	1052.23	सी	इस परियोजना पर विचार करते हुए दिनांक 24.5.2002 को हुई तकनीकी सलाहकार समिति की 79वीं बैठक में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित मामले का समाधान होने तक आस्थगित कर दिया गया। परियोजना प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत करते समय परियोजना प्राधिकारियों को सिंचाई की सघनता बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास करने चाहिए।
60.	बासापुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	मध्यम	9.36	ए	परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में दिनांक 26.2.99 को राज्य के इंजीनियरों के साथ परिचर्चा हुई। राज्य सरकार से प्राप्त संशोधित बी. सी. अनुपात संगणना के साथ-साथ संशोधित आकलन की जांच की जा रही है। आई एस एम पहलू पर टिप्पणी के राज्य के उत्तर की जांच की गई है और आई एस एम निदेशालय की और टिप्पणियों को मई, 2002 में राज्य को भेज दिया गया है। अनुपालन की प्रतीक्षा की जा रही है।
61.	इदमल्यार सिंचाई परियोजना (दोनों तटों पर नहर प्रणाली सहित बैराज, मिट्टी का बांध)	केरल	वृहद	107.00	बी	माह 6/94 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा केरल शोलायार एच ई पी में 12.3 टी एम सी जल की लगातार आपूर्ति हेतु तमिलनाडु राज्स से सहमति, राज्य के वित्त विभाग की सहमति के अधीन स्वीकार किया गया। तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणियों का 6 महीने के भीतर अनुपालन किया जाना था। तथापि, केरल सरकार तमिलनाडु सरकार की सहमति प्राप्त करने में असमर्थ रही है। दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार माह 5/96 में परियोजना के स्वीकृति के बारे में अपनी असमर्थता व्यक्त कर चुकी है। सितम्बर, 96 में उनकी टिप्पणियों के लिए प्रति राज्य सरकार को भेज दी गई।
62.	अट्टापादी सिंचाई परियोजना (वर्टिकल लिफ्ट टाइप स्पिलवे युक्त चिनाई बांध, दोनों तटों पर नहर प्रणाली	केरल	मध्यम	110.00	ए	फरवरी, 96 में केन्द्रीय जल आयोग में 4.6 टी एम सी के उपयोग से संबंधित संशोधित परिपत्र रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस परियोजना की जांच की गई है और राज्य सरकार से 4.6 टी एम सी के उपयोग हेतु कावेरी जल विवाद अधिकरण की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से आधुनिक आकलन और उत्तर/अनुपालन की प्रतीक्षा की जा रही है।
63.	ऊपरी नर्मदा परियोजना (कम्पोजिट बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	211.92	ए	सितम्बर, 96 में प्राप्त संशोधित परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकनाधीन है। मार्च, 99 से अक्टूबर, 2001 के

1	2	3	4	5	6	7
						दौरान वित्तीय, कैनाल डिजाइन और डैम डिजाइन पहलुओं पर टिप्पणियां/आगामी टिप्पणियां राज्य को भेज दी गई हैं। अक्टूबर, 2001 में प्राप्त अंतर्राज्यीय पहलुओं पर राज्य द्वारा अनुपालन, सिंचाई आयोजना और लागत आकलन की जांच की जा रही है। क्रमश: सितम्बर, 98 और मई, 2000 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल विद्युत एवं उपस्कर पहलुओं का अनुमोदन किया गया। परियोजना प्राधिकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ इन मुद्दों का समाधान करना है।
64.	महान (मैसनरी बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	155.10	बी	पहले इसे तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा जून, 83 में स्वीकार किया गया जो कि टिप्पणियों के अधीन है। योजना आयोग ने परियोजना प्राक्कलन में आवाह क्षेत्र सुधार के आंशिक लागत में शामिल करने का सुझाव दिया है। हाल ही में परियोजना प्राधिकारियों ने आवाह क्षेत्र सुधार लागत के साथ संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत कर दिया है जिसकी जांच की जा रही है।
65.	हेलोन सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	193.01	ए	जनवरी, 2002 से मार्च, 2002 के दौरान राज्य सरकार को जल विज्ञान, अंतर्राज्यीय और वित्तीय पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां भेजी गईं। कैनाल डिजाइन उपस्कर और सिंचाई आयोजना और लागत प्राक्कलन पर राज्य की ओर से उत्तर की जांच की जा रही है।
66.	कोलार परियोजना (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	139.14	बी	राज्य के वित्त विभाग की सहमति तथा रबी मौसम में कमी को दूर करने के लिए सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग के लिए प्रस्ताव की तैयारी के अधीन अप्रैल, 92 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया। इन टिप्पणियों का राज्य की ओर से अनुपालन किए जाने की प्रतीक्षा है।
67.	थनवर टैंक (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	24.38	बी	जनजातीय मामला मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजनाओं की स्वीकृति के अधीन मार्च, 91 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया। राज्य की ओर से अनुपालना संबंधित विभाग को उनकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दी गई थी जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
68.	पेंच डाइवर्जन (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	184.04	बी	कुछ टिप्पणियों के अधीन अक्टूबर, 88 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया। राज्य की ओर से अनुपालना योजना आयोग को भेज टी गई है। योजना आयोग ने क्षेत्रों की प्राथमिकता और राज्य की योजना में उपलब्ध संसाधनों से संबंधित आगामी सूचना की मांग की है। राज्य द्वारा अपेक्षित सूचना अभी भी प्रस्तुत की जानी है।
69.	राजघाट नहर	मध्य प्रदेश	वृहद	309.21	डी	वन स्वीकृति के अधीन अगस्त, 93 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया जिसे अब प्राप्त कर लिया गया है। इस परियोजना की जून, 2000 के दौरान योजना आयोग की निवेश स्वीकृति हेतु सिफारिश की गई है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। योजना आयोग नियमित रूप से निवेश की स्वीकृति जारी करने हेतु अनुस्मारक भेजा जा रहा है।
70.	हुमान नदी परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	423.47	ए	जल वैज्ञानिक अध्यन पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां मई, 2002 में राज्य को भेजी गईं जिसके लिए अनुपालना की प्रतीक्षा है। अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
71.	निचली वर्धा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	61.99	ए	फरवरी, 99 से जून, 2001 तक लागत प्राक्कलन, फसल और सिंचाई आयोजना पहलू पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई। अप्रैल, 99 से जून, 99 तक मैसनरी डैम डिजाइन और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना पहलुओं की राज्य की अनुपालना जांच हेतु संबंधित इकाई को भेजी गई। गेट्स डिजाइन, कैनाल डिजाइन, वित्तीय, संयंत्र आयोजना और अंतर्राज्यीय पहलुओं को स्वीकृत किया गया। सिद्धांतत: अप्रैल, 99 में वन विभाग स्वीकृति प्रदान की गई।
72.	गुंजावनी (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	86.77	ए	अगस्त, 99 से जून, 2000 के दौरान राज्य को पर्यावरण एवं वन पहलू फाउंडेशन डिजाइन टिप्पणियां भेजी गईं। नवम्बर, 2000 से मार्च, 2002 के दौरान संयंत्र आयोजना, तटबंध, सिंचाई आयोजना, वित्तीय, गेट्स डिजाइन और इन्स्ट्रूमेंटेशन पहलुओं पर राज्य की ओर से अनुपालना से संबंधित निदेशालयों को भेजी गई।
73.	लेन्दी सिंचाई परियोजना– महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उद्यम (मिट्टी का बांध)*	महाराष्ट्र	वृहद	275.84	ए	कैनाल डिजाइन, तटबंध, फाउंडेशन डिजाइन, संयंत्र आयोजना एवं फसल पहलुओं को स्वीकृत किया गया पर्यावरणीय और अंतर्राज्यीय मामलों के संबंध में राज्य की ओर से अनुपालना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6	7
74.	भामा असरखेड	महाराष्ट्र	वृहद	458.20	ए	मूलभूत आयोजना कमियों के कारण दिसम्बर, 2001 में इस परियोजना को राज्य को वापस भेज दिया गया था। नवीनतम लागत सहित राज्य की ओर से उत्तर मार्च, 2002 में विशेषज्ञता प्राप्त निदेशालयों को जांच हेतु भेजा गया।
75.	वार्ना सिंचाई (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	337.81	बी	वन्य स्वीकृति, पर्यावरणीय सुरक्षा के क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की प्रस्तुति और राज्य के वित्त विभाग की सहमति के अधीन अगस्त, 88 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया। राज्य सरकार ने यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया तथा सहमति प्राप्त की। राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो गई है तथा वन स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
76.	अरूणावती नदी परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	66.48	बी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय मामला मंत्रालय की स्वीकृति एवं राज्य के वित्त विभाग की सहमति के अधीन मई, 89 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया। जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत की जानी है।
77.	पुनाद सिंचाई (कम्पोजिट बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	29.22	बी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय मामला मंत्रालय की स्वीकृति एवं राज्य के वित्त विभाग की सहमति के अधीन सितम्बर, 89 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया। जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत की जानी है।
78.	निचली वुन्ना परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	87.55	बी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति, जनजातीय मामला मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजनाओं और राज्य के वित्त विभाग की सहमति के अधीन सितम्बर, 89 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया। वन स्वीकृति दिसम्बर, 98 में प्राप्त हुई। राज्य के वित्त विभाग की भी स्वीकृति है। जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना का अनुमोदन किया जाना शेष है। सितम्बर, 80 से पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
79.	तालम्बा सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)*	महाराष्ट्र	वृहद	289.09	बी	राजय के वित्त विभाग की सहमति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति और जनजातीय मामला मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना की स्वीकृति के

1	2	3	4	5	6	7
						अधीन जून, 98 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया। राज्य के वित्त एवं वन स्वीकृति संबंधी सहमति योजना आयोग को भेजी गई। राज्य सरकार को जनजातीय मामला मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना स्वीकृति प्राप्त करना है।
80.	संगोला शाखा नहर*	महाराष्ट्र	वृहद	37.01	डी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और राज्य के वित्त विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के अधीन मई, 89 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया। अब वह परियोजना जनवरी, 2002 से निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग के पास लंबित है।
81.	सुलवादे बैराज	महाराष्ट्र	मध्यम	88.25	ए	मई, 2001 में प्राप्त राज्य की अनुपालना की जांच की गई और सितम्बर, 2001 में आगामी टिप्पणियां भेजी गईं जिसके लिए राज्य की अनुपालना की जा रही है।
82.	पोथरा नल्ला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	42.50	ए	अगस्त, 2000 में राज्य की अनुपालना प्राप्त हुई। आवश्यक अनुपालना हेतु आगे की टिप्पणियां दिसम्बर, 2000 में भेजी गईं।
83.	शेल गांव	महाराष्ट्र	मध्यम	198.06	ए	जल विज्ञान, सिंचाई आयोजना, नवीनतम एस ओ आर के प्राक्कलन का आधुनिकीकरण तथा वित्तीय पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां मई, 2002 में परियोजना प्राधिकारियों को भेजी गईं जिसके लिए अनुपालना की प्रतीक्षा की जा रही है।
84.	प्रकाश बैराज	महाराष्ट्र	मध्यम	93.60	ए	राज्य की ओर से अनुपालना प्राप्त हुई और जून, 2001 में राज्य को आगे की टिप्पणियां भेजी गईं जिसके लिए अनुपालना की प्रतीक्षा की जा रही है।
85.	जाम्बरे (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	50.70	ए	अप्रैल, 2000 में प्राप्त राज्य की ओर से अनुपालना की आई एस एम निदेशालय में जांच की जा रही है। राज्य के वित्त विभाग की सहमति के अधीन वित्तीय पहलू को स्वीकार कर लिया गया है। तकनीकी सलाहकार समिति के नोट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
86.	चित्री (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	79.94 (1996-97)	ए	पर्यावरणीय, अंतर्राज्यीय, जल विज्ञान, सिंचाई आयोजना, आर्थिक वित्तीय पहलुओं पर टिप्पणियां मई, 2002 में राज्य को भेजी गई थीं जिसके लिए अनुपालना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6	7
87.	आंध्र खोर (मैसनरी बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	44.37	ए	जनवरी, 2002 में प्राप्त राज्य की ओर से अनुपालना की जांच की जा रही है तथा आगे की टिप्पणियां मई, 2002 में भेजी गईं जिसके लिए अनुपालना की प्रतीक्षा है।
88.	किरीमीरी दारूर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	मध्यम	27.89	ए	मार्च, 2002 में राज्य को नवीनतम टिप्पणियां भेजी गईं।
89.	वकोद (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	28.32	ए	नवंबर, 2001 में राज्य को नवीनतम टिप्पणी भेजी गई। वित्तीय पहलू को अवर सचिव (बी एण्ड टी), जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया।
90.	सपन (मध्यम) (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	36.30	ए	दिसम्बर, 2000 से जनवरी, 2001 के दौरान राज्य को वित्तीय पहलू, जल विज्ञान, अंतर्राज्यीय पहलू और सिंचाई आयोजना पर टिप्पणियां भेजी गईं और विगत की अनुपालना प्राप्त हो गई है।
91.	सोनापुर (तोम्ता) (लिफ्ट सिंचाई स्कीम)	महाराष्ट्र	मध्यम	14.43	ए	दिसम्बर, 2001 में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की नवीनतम अनुपालना प्राप्त हुई। इनकी जांच की गई और टिप्पणियों को 1/2002 में भेज दिया गया।
92.	सरंगखेदा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	132.51	ए	परियोजना पदाधिकारियों को प्रारंभिक आयोजना पहलू संबंधी टिप्पणियां 11/2000 और वित्तीय पहलू संबंधी टिप्पणियां 12/2000 को भेजी गई थीं जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
93.	हरणघाट लिफ्ट सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	मयम	44.11	ए	वित्तीय पहलू संबंधी टिप्पणियां 1/01 और प्रारंभिक आयोजना संबंधी अन्य मुद्दे 5/2001 के दौरान भेजे गए थे जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
94.	गुल नदी (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	55.94	ए	प्रारंभिक आयोजना पहलू संबंधी टिप्पणियां 4/01 को राज्य में भेजी गई थी तथा वित्तीय पहलू संबंधी आगे की टिप्पणियां 9/2002 को भेजी गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
95.	घट प्रभा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	34.92	ए	वित्तीय पहलू संबंधी टिप्पणियां 2/2001 और प्रारंभिक आयोजना पहलू संबंधी टिप्पणियां 5/2001 को भेजी गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
96.	कोरादिनल्ला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	17.32	ए	प्रारंभिक आयोजना एवं वित्तीय पहलुओं संबंधी टिप्पणियां 7/2001 को राज्य में भेजी गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4	5	6	7
97.	दारा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	32.62	ए	वित्तीय एवं प्रारंभिक आयोजना संबंधी टिप्पणियां क्रमश: 6/2001 एवं 7/2001 के दौरान राज्य में भेजी गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
98.	नगन (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	48.38	ए	वित्तीय एवं प्रारंभिक आयोजना पहलुओं संबंधी टिप्पणियां क्रमश: 6/2001 एवं 8/2001 के दौरान राज्य में भेजी गई थीं जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
99.	नार्थमंड (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	93.00	ए	राज्य सरकार से प्रारंभिक आयोजना एवं वित्तीय पहलुओं संबंधी नवीनतम अनुपालना रिपोर्ट 3/2002 एवं 4/2002 के दौरान प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की जा रही है।
100.	मोरनागौरेघर (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	101.50	ए	राज्य सरकार से प्रारंभिक आयोजना पहलूओं संबंधी टिप्पणियों की नवीनतम अनुपालना रिपोर्ट 3/2002 को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की जा रही है।
101.	वंग (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	134.39	ए	राज्यसरकार से नवीनतम अनुपालना रिपोर्ट 4/2002 को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की जा रही है।
102.	नागेवाडी (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	51.47	ए	वित्तीय एवं प्रारंभिक आयोजना पहलुओं संबंधी टिप्पणियां राज्य को क्रमश: 8/2001 एवं 11/2001 के दौरान भेजी गई थीं जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
103.	कामनी टंडा	महाराष्ट्र	मध्यम	42.22	ए	प्रारंभिक आयोजना पहलू संबंधी टिप्पणियां राज्य को 8/2001 के दौरान भेजी गई थीं जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
104.	पिम्पल गांव	महाराष्ट्र	मध्यम	(मूल) 7.39- (नवीनतम)4 2.78	ए	2/2002 को प्राप्त की गई संशोधित प्रोफार्मा रिपोर्ट की जांच की गई और प्रारंभिक आयोजना वित्तीय पहलुओं संबंधी टिप्पणियां 4/2001 के दौरान राज्य में भेजी गई थीं।
105	तजनापुर लिफ्ट सिंचाई	महाराष्ट्र	मध्यम	23.46	बी	23.46 करोड़ रु. की लागत वाली इस परियोजना को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उसके 24.5.2002 को आयोजित 79वीं बैठक में स्वीकृत किया गया था।
106.	पुर्ना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	123.79	बी	राज्य वित्तीय विभाग की सहमति एवं 1565 हैक्टे. की अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के लिए भूजल के संयुक्त उपयोग की आयोजना के आधार पर इस परियोजना को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उसके 24.05.02 को आयोजित 79वीं बैठक में स्वीकृत किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
107.	लाल नाला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	43.61	बी	जनजातीय मामले द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजनाओं के अनुमोदन, राज्य वित्त विभाग की सहमति और भूजल के संयुक्त उपयोग के आधार पर 43.61 करोड़ रुपये वाली इस परियोजना को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उसके 25.5.02 को आयोजित 79वीं बैठक में स्वीकृत किया गया।
108.	रायगावन (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	9.51	बी	राज्य वित्त विभाग की सहमति, बाढ़ डिजाइन की समीक्षा आदि जिसकी अभी अनुपालना की जानी है, के आधार पर इस परियोजनाओं को 1/1994 को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।
109.	जाम सिंचाई (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	42.63	बी	जनजातीय मामले मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति जो अभी प्राप्त नहीं हुई है, के आधार पर 1/1999 को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया।
110.	कार (कम्पोजिट बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	44.71	बी	राज्य वित्त विभाग की सहमति एवं भूजल के प्रबोधन, जिसको अभी किया जाना है, के आधार पर 12/98 को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।
111.	उत्वाली (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	35.77	बी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संबंधी स्वीकृति और राज्य वित्त विभाग की सहमति, जिसे अभी प्राप्त किया जाना है, के आधार पर 8/99 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा इसे स्वीकृत किया गया।
112.	जनगम खाती लिफ्ट सिंचाई	महाराष्ट्र	मध्यम	4.29	बी	वन स्वीकृति एवं उपयुकत निधि की उपलब्धता के आधार पर 5/86 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। 12/97 में प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट की जांच की गई थी और राज्य को अनुपालना के लिए टिप्पणियां भेजी गईं। अद्यतन अनुमान प्राप्त किया गया है और 2/2000 में राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गईं। अंतर्राज्यीय पहलुओं संबंधी अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जाएगा।
113.	तिपाई मुख बांध परियोजना (बहुदेशीय) (अर्थ एण्ड डॉकफिल डैम)	मणिपुर	वृहद	2899	बी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति तथा असम, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों के बीच लागत एवं लाभों के बंटवारे पर सहमति प्राप्त करने क आधार पर 8/95 में तकनीकी सलाहकार

1	2	3	4	5	6	7
						समिति द्वारा इसे स्वीकार किया गया। अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। मणिपुर सरकार ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना, भूकम्पीय, पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। इसका समाधान अभी किया जाना है। 5255.7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नीपको द्वारा तैयार की गई परियोजना के संबंध में सीईए ने परियोजना रिपपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
114.	जिरी सिंचाई (बैराज)	मणिपुर	मध्यम	48.68	डी	8/97 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है परंतु निवेश स्वीकृत के लिए योजना आयोग में लंबित है।
115.	डिजुजा सिंचाई परियोजना (बैराज)	नागालैंड	मध्यम	49.0	बी	राज्य वित्त विभाग की सहमति जिसे अभी प्राप्त किया जाना है, के आधार पर 10/98 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।
116.	दिखू बहुद्देश्यीय परियोजना	नागालैंड	वृहद	999.7	ए	परियोजना रिपोर्टों का प्रथम भाग अप्रैल, 2002 में प्राप्त किया गया था जिसे जांच के लिए केन्द्रीय जल आयोग के जल विज्ञान, तटबंध, एच सी डी, बी सी डी, तथा सिंचाई आयोजना निदेशालय में भेजा गया।
117.	इब सिंचाई परियोजना दायें और बायें दोनों किनारों पर कंक्रीट स्पिलवे नहरों सहित कम्पोजिट राकफिल बांध	उड़ीसा	वृहद	966.03	ए	2/98 में प्राप्त संशोधित रिपोर्ट की जांच की गई थी और यंत्रीकरण, उपस्कर आयोजना, तटबंध, जल विज्ञान, निर्माण सामग्री, अंतर्राज्यीय, नहर डिजाइन, सिंचाई आयोजना, बांध डिजाइन और फाटक निदेशालय की टिप्पणियों को 4/98 से 1/2001 के दौरान राज्य को भेजा गया था। जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
118.	तालाडंड नहर और वितरणीसंख्या 12 और इसकी प्रणाली का सुधार-ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	57.06	ए	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 8/99 में प्राप्त की गई थी जिसकी जांच की जा रही है जल विज्ञान बी सी डी, सिंचाई एवं आयोजना तथा सी एम सी संबंधी केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां अनुपालना के लिए 12/99 से 4/02 के दौरान राज्य सरकार को भेजी गई जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। एम ओ ए, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और लागत संबंधी पहलुओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार से 4/2002 को अतिरिक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था।

1	2	3	4	5	6	7
119.	महानदी डेल्टा चरण-I और II के तहत जल निकास विकास फेज-I-ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	227.75	ए	परियोजना 2/2000 में प्राप्त हुई जिसकी के.ज.आ. और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा जांच की जा रही है। बी सी डी, यू एस (बी एण्ड टी), सी ए, इ को, एफ एफ एम, आई ए डी, आई पी, तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना पहलू संबंधी अनुपालना रिपोर्ट राज्य से अभी प्राप्त नहीं हुई है। जल विज्ञान, सी एम सी और कृषि मंत्रालय संबंधी पहलू को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
120.	ओंग बांध परियोजना (ओ जी टाइप .रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें व बायें दोनों तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	वृहद	304.66	बी	संबंधित मंत्रालयों से वन और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना की स्वीकृति, राज्य वित्त विभाग की सहमति और भूजल स्तर की मानीटरी के आधार पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उसके 20.09.2000 को आयोजित 74वीं बैठक में स्वीकृत किया गया।
121.	कानपुर सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)*	उड़ीसा	वृहद	428.32	बी	राज्य वित्त विभाग की सहमति के आधार तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उसकी 20.9.2000 को आयोजित 74वीं बैठक में स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार से अनुपालना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
122.	बुटंग सिंचाई परियोजना (कंक्रीट स्पिलवे सहित मिट्टी का बांध, कुवांरिया जलाशय तक संपर्क नहर, कुवांरिया जलाशय के दायें तट पर मुख्य नहर)	उड़ीसा	वृहद	227.25	बी	संबंधित मंत्रालयों से वन एवं पर्यावरण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना की स्वीकृति, राज्य वित्त विभाग की सहमति, पिछली परियोजना की स्थिति में भूजल की मानीटरी, बांध स्थल पर जल वैज्ञानिक आंकड़ा प्रेक्षण और विस्तृत डिजाइन स्तर पर जल विज्ञान के निर्धारण के लिए विश्वसनीय जल ग्रहण क्षेत्र, वर्षा आंकड़ा के संग्रहण, ऊर्जा अपव्यय प्रबंधन संबंधी मॉडल परीक्षण, जलाशय जल सघनता अध्ययन, तटबंध सामग्री संबंधी अतिरिक्त प्रयोगशाला एवं स्थलीय परीक्षणों संबंधी तटबंध सामग्रियों, बांध प्रक्रिया मानक के अनुसार बांध नींव एवं अनुसीमा और डिजाइन स्तर पर विस्तृत उपयोग के आधार पर 18.12.2000 को आयोजित इसकी 75वीं बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।
123.	ऊपरी इन्द्रावती विस्तार परियोजना-ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	136.67	बी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय मामला मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करना तथा भूजल की मानीटरी के आधार पर 1/99 को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
124.	ऊपरी कोलाब विस्तार परियोजना-ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	71.66	बी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय मामला मंत्रालय की स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति के आधार पर 8/99 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार से अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
125.	साल्की सिंचाई परियोजना का सुधार ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	11.57	बी	राज्य वित्त विभाग की सहमति और बाढ़ के लिए सुरक्षित मार्गों के उपयुक्त प्रावधान के आधार पर 20.9.2000 को आयोजित इसकी 74वीं बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।
126.	हीराकुंड वितरण प्रणाली पर ससोन नहर प्रणाली का सुधार-ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	34.92	बी	राज्य वित्त विभाग की सहमति, भूजल स्तर की मानीटरी तथा जोड़ों के चारों तरफ सतहीकरण और आच्छादन के लिए कंक्रीट के स्तर में परिवर्तन संबंधी के.ज.आ. के सुझाव के क्रियान्वयन के आधार पर 20.9.2000 को आयोजित इसकी 74वीं बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।
127.	आनंदपुर बराज परियोजना	उड़ीसा	वृहद	482.26	बी	पर्यावरण एव वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति, राज्य वन विभाग से वन भूमि शामिल न किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र, राज्य वित्त विभाग की सहमति, भू-जल की मानीटरी, परियोजना की हाइड्रालॉजी और हाइड्रोलिक्स अद्यतन करना, फसल पद्धति के लिए राज्य कृषि विभाग की सहमति प्राप्त करना, भूगर्भीय, नींव और निर्माण सामग्री अन्वेषणों की जरूरतों को पूरा करने के आधार पर इस परियोजना को तकनीकी सलाहकार समिति की दिनांक 29.3.2001 को आयोजित बैठक में स्वीकार किया गया।
128.	तुरी-गुंटट सिंचाई परियोजना (डाइवर्जन स्कीम)	उड़ीसा	मध्यम	53.96	ए	इस परियोजना की इस समय एम एण्ड ए निदेशालय, के.ज.आ., भुवनेश्वर में तकनीकी आर्थिक संवीक्षा की जा रही है।
129.	महेन्द्रतन्य सिंचाई परियोजना (बांध)	उड़ीसा	मध्यम	100.98	बी	जनजातीय मामला मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना के प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन, 192 हेक्टे, की वन भूमि की जलमग्नता के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति, पिछले सिंचाई चरण में भूजल स्तर की सार की मानीटरी, राज्य भूजल विभाग के परामर्श से भूजल उपयोग योजना को तैयार करने और भू तथा सतही जल के संयुक्त उपयोग, संशोधित लागत के लिए राज्य वित्त विभाग की सहमति और

1	2	3	4	5	6	7
						बांध स्थल पर जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों की स्थापना और निर्माण स्तर पर जल वैज्ञानिक पारामीटरों के निर्धारण के लिए जल वैज्ञानिक आंकड़ा का संग्रहण।
130.	ओ जी टाइप स्पिलवे युक्त मनजोर मिट्टी का बांध, दायें और बायें तट पर नहर प्रणाली	उड़ीसा	मध्यम	37.70	बी	जनजातीय मामला मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर 3/93 को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया। जनजातीय मामले द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत की गई तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।
131.	तेलनगीर (सेंट्रल ओ जी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें तट पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	106.19	बी	जनजातीय मामले से स्वीकृति प्राप्त करने, पर्यावरण मंत्रालय से वन स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करने के आधार पर 8/99 को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा इस परियोजना को स्वीकृत किया गया है।
132.	रूकुरा (ओ जी टाइप स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें और बायें तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	15.15	बी	विदेश मंत्रालय द्वारा वन स्वीकृति के अध्यधीन 8/93 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।
133.	धौरागोथ (सेंट्रल ओ जी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें और बायें तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	16.80	बी	जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना की स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति के अध्यधीन 6/98 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति।
134.	ओजी टाइप स्पिलवे युक्त रेत मिट्टी का बांध, तट के दोनों साइडों पर नहर प्रणाली	उड़ीसा	मध्यम	86.14	बी	विदेश मंत्रालय एवं जनजातीय मामला मंत्रालय से स्वीकृति एवं राज्य वित्त विभाग की सहमति के अध्यधीन 8/99 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।
135.	ऊपरी लांथ (सेंट्रल ओजी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें तट पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	48.99	बी	विदेश मंत्रालय द्वारा वन स्वीकृति, जनजातीय मामला मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना की स्वीकृति, राज्य वित्त विभाग की सहमति एवं भूजल की निगरानी के अध्यधीन दिनांक 31.5.2000 को आयोजित तकनीकी सलाहकार समिति की 73वीं बैठक में स्वीकृत किया गया।
136.	समकोई (बांध)	उड़ीसा	मध्यम	43.85	बी	विदेश मंत्रालय की स्वीकृति, राज्य वित्त विभाग की सहमति एवं भूजल की निगरानी के अध्यधीन दिनांक 31.5.2000 को आयोजित तकनीकी सलाहकार समिति की 73वीं बैठक में स्वीकृत किया गया था।

1	2	3	4	5	6	7
137.	चेलीगादा बांध परियोजना	उड़ीसा	मध्यम	52.96	बी	संबंधित मंत्रालयों द्वारा वन और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना की स्वीकृति, राज्य वित्त विभाग की सहमति तथा भूजल स्तर की निगरानी के अधीन दिनांक 20.9.2000 को आयोजित तकनीकी सलाहकार समिति की 74वीं बैठक में स्वीकृत किया गया।
138.	हदुआ/महानदी सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	उड़ीसा	मध्यम	61.48	बी	जनजातीय मामला मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्वास योजना की स्वीकृति; पर्यावरण से स्वीकृति से विदेश मंत्रालय से 210 हेक्टेयर की वन भूमि; भूजल की निगरानी, राज्य वित्त विभाग की सहमति जल-मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रहण; के अध्यधीन परियोजना को दिनांक 29.3.2001 को आयोजित तकनीकी सलाहकार समिति की 76वीं बैठक में स्वीकृत किया गया था तथा चालू 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजना के पक्ष में विशिष्ट परियोजना परिव्यय तैयार किया जाना चाहिए।
139.	पंजाब सिंचाई व जल निकास परियोजना (फेज-III)*	पंजाब	वृहद	1149.00	ए	बाढ़ प्रबंधन, भूजल एवं लागत प्राक्कलन संबंधी पहलुओं को राज्य सरकार को भेज दिया गया है। नहर डिजाइन एवं सिंचाई योजना संबंधी राज्य की अनुपालना की जांच की जा रही है। इस बीच, राज्य सरकार पांच घटकों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके तहत बी सी डी एवं यू एस (बी एंड टी) ने उनके पहलुओं को स्वीकृत किया है। लागत संबंधी अग्रिम टिप्पणियां और लाइनिंग चैनलों संबंधी आई पी पहलुओं को अनुपालना के वास्ते 8/2000 को राज्य को भेज दिया गया है।
140.	श्री दसमेश सिंचाई परियोजना	पंजाब	वृहद	647	ए	परियोजना को 2/2001 में प्राप्त किया गया था। जल विद्युत, नहर डिजाइन, सिंचाई योजना, अंतर्राज्यीय पहलुओं, लागत पहलू तथा वित्तीय पहलू संबंधी केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य को 5/2001 को तथा संयंत्र आयोजना के लिए 6/2002 को राज्य सरकार को भेजा गया। अनुपालना की प्रतीक्षा है।
141.	भाखड़ा मुख्य नहर की रेजिंग लाइनिंग-ई आर एम	पंजाब	वृहद	26.69	बी	जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा 26.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (नवंबर, 2000 पी एल पर) संशोधित/अद्यतन परियोजना प्रस्तुत की गई थी। वित्तीय पहलू एवं नहर डिजाइन संबंधी पहलू पर टिप्पणियां अनुपालना के वास्ते राज्य सरकार को 6/2002 को प्रस्तुत किया गया था।

1	2	3	4	5	6	7
142.	सतलज-यमुना संपर्क नहर भाग-III का संशोधित परियोजना अनुमान*	पंजाब	वृहद	195.44	ए	संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच 11/94 को की गई थी तथा राज्य सरकार को जल उपलब्धता स्थापित करने को कहा गया था जिसकी प्रतीक्षा है।
143.	सतलज यमुना संकर्प मुख्य नहर भाग-I*	पंजाब	वृहद	601.25	डी	परियोजना को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा बिना किसी शर्त के 6/94 को स्वीकृत किया गया था। निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है। योजना आयोग ने यह सूचित किया है परियोजना का केन्द्र द्वारा वित्त पोषित होने के कारण जल संसाधन मंत्रालय को मंत्रिमंडल से स्वीकृति लेनी होगी। इसी के वास्ते मई, 2000 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तदनुसार अनुरोध किया गया था। उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है।
144.	सरहिंद हिडर के तटों/रेजिंग लाइनिंग ई आर एम	पंजाब	मध्यम	13.7543	ए	केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्र यूनिट में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। अनुपालना के लिए इस परियोजना पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों/सर्वेक्षणों के वास्ते अनुस्मारक राज्य सरकार को भेज दिया गया है, जिसकी प्रतीक्षा है।
145.	प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा के चैनलों का सुधार	पंजाब	मध्यम	46.00	ए	केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्र यूनिट में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। अनुपालना के लिए इस परियोजना पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों/सर्वेक्षणों के वास्ते अनुस्मारक राज्य सरकार को भेज दिया गया है, जिसकी प्रतीक्षा है।
146.	पंजाब सिंचाई परियोजना (चैनलों को पक्का करना) रिड्फ निधी के तहत-ई आर एम	पंजाब	मध्यम	49.02 (9/99 मूल्य स्तर)	बी	राज्य वित्त विभाग की सहमति; भूजल एवं सतही जल के संयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने तथा उस सीमा की जांच करने के लिए अध्ययन शुरू करना, जहां पर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, को परियोजना के क्रियान्वयन के पहले लागू किया जाना चाहिए।
147.	पिपल्दा लिफ्ट सिंचाई	राजस्थान	वृहद	11.39	ए	उपस्कर आयोजना एवं नहर डिजाइन पहलुओं को स्वीकृत किया गया। जल-विज्ञान, अंतर्राज्यीय पहलू, वित्तीय पहलुओं संबंधी केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य द्वारा अनुपालना किए जाने की प्रतीक्षा 12/97 से की जारही है। इसके बाद, लागत, अनुमान एवं सिंचाई योजना पहलू पर टिप्पणियां 2/2001 के दौरान राज्य सरकार को भेज दी गई है जिसके अनुपालना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6	7
148.	भरतपुर जिले में यमुना जल का उपयोग	राजस्थान	वृहद	150.00	ए	जल विज्ञान, संयंत्र आयोजना, नहर डिजाइन, फसल पद्धति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया। लागत अनुमान, आई पी आयोजना, अंतर्राज्यीय बेसिन-योजना एवं पर्यावरणीय पहलुओं संबंधी राज्य द्वारा अनुपालना 3/2002 को प्राप्त हुए तथा संबंधित इकाईयों में मूल्यांकनाधीन है।
149.	झुंझुनू और चुरू जिले में यमुना जल का उपयोग	राजस्थान	वृहद	1067	ए	दिनांक 9.3.98 को माननीय जल संसाधन मंत्री द्वारा ली गई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 4/2002 के दौरान प्राप्त हरियाणा में कार्यों की लागत सहित संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
150.	इंदिरा गांधी नहर चरण-I-ई आर एम*	राजस्थान	वृहद	121.92	बी	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति 6/96 में तकनीकी साहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया जिसकी अभी तक प्रतीक्षा है।
151.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना-ई आर एम*	राजस्थान	वृहद	745.59	बी	परियोजना को राज्य वित्त विभाग की सहमति के अधीन दिनांक 29.3.2001 को आयोजित 76वीं बैठक में परामर्शी समिति द्वारा स्वीकार किया गया।
152.	पिपलाद सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	21.88	ए	10/97 के दौरान पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना पर कल्याण मंत्रालय की टिप्पणी की राज्य सरकार द्वारा अनुपालना की प्रतीक्षा हैं राजस्थान सरकर से अद्यतन अनुमानित लागत के साथ संशोधित रिपोर्ट जमा करने का अनुरोध किया गया था। जिसकी अभी तक प्रतीक्षा है।
153.	चाकन सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	9.55	बी	पर्याप्त निधि के प्रावधान एवं वन स्वीकृति के अधीन 8/95 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत। अनुपालना प्रतीक्षाधीन।
154.	गरारदा सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	39.51	बी	राज्य वित्त विभाग की सहमति और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा जनजातीय मामला मंत्रालय के अधीन 4/96 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा जनजातीय मामला मंत्रालय की स्वीकृति की प्रतीक्षा है जबकि राज्य वित्त विभाग की सहमति हो चुकी है।
155.	मद्रास चरण-I को कृष्णा जल आपूर्ति (बहुउद्देश्यीय)	तमिलनाडु	वृहद	176.46	ए	इस जलापूर्ति स्कीम के मूल्य आकलन को अंतिम रूप देने को छोड़कर सभी पहलुओं की स्वीकृति हो गई है। स्कीम की 176.46 करोड़ रु. के लिए समेकित संशोधित आकलन 5/95 में प्राप्त हुई। लागत मूल्यांकन

1	2	3	4	5	6	7
						निदेशालय की टिप्पणी तमिलनाडु सरकार को अक्टूबर, 95 में भेज दी गई जिन्हें अभी संकलित किया जाना है।
156.	कावेरी डेल्टा फेज-। का आधुनिकीकरण-ई आर एम*	तमिलनाडु	वृहद	78.80	बी	परियेजना को जन संसाधन मंत्रालय द्वारा अंतर्राज्यीय पहलू के अधीन 5/89 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति हुई। इसी बीच, सरकार ने कावेरी जल के बंटवारे के अधिनिर्णय के लिए अधिकरण का गठन किया।
157.	इरूकन्गुड्डी जलाशय (मिट्टी का बांध)	तमिलनाडु	मध्यम	72.00	सी	सिंचाई क्षमता एवं व्यापक सिंचाई प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ फसल पद्धति की समीक्षा के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा पुन: जमा करने के अधीन परियोजना को 24.5.2002 को आयोजित 79वीं बैठक में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार एवं आस्थगित किया गया।
158.	मौजूदा मारदा नहर प्रणाली पर जल प्रबंधन सुधार-ई आर एम*	उत्तर प्रदेश	वृहद	102.98	ए	परियोजना को 7/2001 में प्राप्त कर के.ज.आ. के सी ए (आई), आई पी (एस), यू एस (बी एवं टी) तथा बी सी डी निदेशालय को उनके टिप्पणी/स्वीकृति के लिए परिचालित किया गया। वित्तीय पहलू पर टिप्पणी राज्य सरकार को 9/2001 में अनुपालना हेतु भेजी गई जो प्रतीक्षाधीन है। कुछ आकलनों के साथ नहर डिजाइन पहलू की स्वीकृतिं दी गई। परियोजना की लागत 102.41 करोड़ रु. पर (12/2000 मूल्य स्तर) अंतिम रूप दिया।
159.	कन्हर सिंचाई	उत्तर प्रदेश	वृहद	341.45	ए	6/97 को आयोजित अंतर्राज्यीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बाणसागर समझौता के तहत सोन बेसिन में सभी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एक वर्ष के अन्दर जमा होनी चाहिए। तदनुसार, 6/99 में राज्य सरकार ने कन्हर परियोजना की अद्यतन मूल्य आकलन पर पिरयोजना रिपपोर्ट जमा की जो परीक्षणाधीन है। मशीनरी निर्माण पहलू की स्वीकृति हो गई (7/99)। वित्तीय पहलू पर टिप्पणी की अनुपालना (7/00), अंतर्राज्यीय मामले(5/01), लागत पहलू (6/01), तथा सिंचाई योजना पहलू (8/01) की अभी तक प्रतीक्षा है। आर्थिक पहलू पर राज्य के जवाब पर टिप्पणी (6/2000) प्राप्त हो गई है जो परीक्षणाधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
160.	कचनोदा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	70.45	ए	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 11/2000 में प्राप्त की गई और जो के.ज.आ. एवं जल संसाधन मंत्रालय में परीक्षणाधीन है। तटबंध, बी सी डी एवं पी एवं एम पहलुओं की स्वीकृति हो गई। लागत पहलू एवं सिचांई योजना पहलुओं (3/02) पर टिप्पणी की अनुपालना की प्रतीक्षा है। अंतर्राज्यीय मामलों पर 9/2001 को प्राप्त राज्य सरकार का उत्तर केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है।
161.	बाणसागर नहर	उत्तर प्रदेश	वृहद	956.43	ए	परियोजना प्राधिकरण ने 2/02 में अद्यतन लागत आकलन पर परियोजना रिपोर्ट जमा कर दिया है जो के.ज.आ. में परीक्षणाधीन है। सिंचाई आयोजना पहलू (5/2002) तथा वित्तीय पहलू (6/02) पर टिप्पणी प्राप्त कर अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई।
162.	लचुरा बांध का आधुनिकीकरण-ई आर एम	उत्तर प्रदेश	वृहद	98.05	ए	केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न विशेषज्ञ निदेशालयों में परीक्षणाधीन। वित्तीय पहलू (5/2002) एवं संयंत्र आयोजना पहलू (6/02 पर टिप्पणी प्राप्त हो गई है तथा अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई।
163.	उत्तर प्रदेश जल पुनर्संरचना परियोजना*	उत्तर प्रदेश	वृहद	663.41 (अनंतिम)	बी	परियोजना को तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकार कर 78वीं तकनीकी सलाहकार समिति की 24.9.01 को आयोजित बैठक द्वारा कुछ शर्तों के अधीन निवेश स्वीकृति के लिए सिफारिश की गई।
164.	मेजा बांध को ऊंचा उठाना-ई आर एम	उत्तर प्रदेश	वृहद	65.0	बी	3/93 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया तथा राज्य को प्रतिपूरक वन रोपण कार्यों सहित परियोजना को पूरा करने की सलाह दी गई। तथापि, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा है। 10/96 के समीक्षा बैठक में, सदस्य, डब्ल्यू पी एंड पी ने परियोजना लागत पर प्रत्यक्ष निकास आवाह क्षेत्र के सुधार तथा शीघ्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति सुझाव दिया, इनके अनुपालना की प्रतीक्षा है।
165.	मौदाहा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	125.16	बी	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति एवं राज्य वित्त विभाग की सहमति के अधीन 9/97 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार, इसकी अभी तक प्रतीक्षा है।
166.	चितौड़गढ़	उत्तर प्रदेश	वृहद	36.70	बी	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति एवं राज्य वित्त विभाग की सहमति के अधीन 2/97 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार, इसकी अभी तक प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6	7
167.	बुंदेलखंड में चैनलों को पक्का करना-ई आर एम	उत्तर प्रदेश	वृहद	57.37	बी	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति के अधीन 6/94 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार। 10/96 में आयोजित समीक्षा बैठक में, राज्य पदधारियों ने सूचित किया कि वित्त विभाग ने निधियों के अभाव के कारण इसे आस्थगित कर दिया है।
168.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	उत्तर प्रदेश	वृहद	74.16	बी	परियोजना को 18.12.2000 को आयोजित परामर्शी समिति की 75वीं बैठक में विचार एवं स्वीकार किया गया तथा 74.16 करोड़ के अनुमानित लागत के लिए राज्य वित्त विभाग के सहमति के अधीन स्वीकार पाया गया, दो महीने के अंदर हरियाणा और राजस्थान के हिस्से को ले जाने के लिए प्रारंभ में नहर के 7.4 कि.मी. क्षमता विस्तार तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए परियोजना रिपोर्ट जमा की गई। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 3/2001 में परियोजना को स्वीकृति किया।
169.	भूपाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना-ई आर एम	उत्तर प्रदेश	वृहद	60.53	बी	परियोजना पर दिनांक 3.8.2001 को आयोजित तकनीकी सलाहकार समिति की 77वीं बैठक में विचार किया गया था। परियोजना की अनुपूरक तकनीकी सलाहकार समिति का नोट तैयार यिका गया तथा दिनांक 24.5.2002 को आयोजित तकनीकी सलाहकार समिति की 79वीं बैठक में रखा गया जिसे आईआरंआर के वास्ते संशोधन संगणन तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार तथा स्वीकृत किया गया।
170.	भौरात व उतराई बांध	उत्तर प्रदेश	मध्यम	51.10	ए	परियोजना लखनऊ स्थित केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्र इकाई से संबंधित है। 11/2001 से 1/2002 के दौरान के.ज.आ. की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गईं। राज्य द्वारा अनुपालना की प्रतीक्षा है।
171.	किसाऊ बांध (वृहद)	उत्तरांचल	वृहद	4099.00	सी	परियोजना पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा जनवरी, 2000 में विचार किया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना को आस्थगित कर दिया जाए। इसी बीच निम्नलिखित कार्रवाई सुझाए गए : (i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणियों की प्रति संबंधित सह बेसिन राज्यों को उनके दृष्टिकोण के वास्ते भेज दी जाए। (ii) सिंचाई, विद्युत तथा जल आपूर्ति घटकों के बीच

1	2	3	4	5	6	7
						लागत की हिस्सेदारी तय करने के बाद आर्थिक व्यवहार्यता परियोजना स्थापित की जानी चाहिए। (iii) परियोजना द्वारा सिंचाई किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात किए जाने चाहिए तथा फसल पद्धति, कुल लागत एवं कुल लाभों पर विचार करते हुए बी सी अनुपात की गणना के.ज.आ. को प्रस्तुत करना। (iv) सी ई ए की टिप्पणियों को संकलित किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति के वास्ते समानान्तर कार्रवाई की जानी चाहिए।
172.	कंग्सावती जलाशय का आधुनिकीकरण (फेज-I)- ई आर एम*	पश्चिम बंगाल	वृहद	471.90	ए	10/96 को प्रस्तुत संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। सिंचाई एवं जल विज्ञान संबंधी आगे कि टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुपालना की प्रतीक्षा है।

स्थिति

ए–मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं के तहत परियोजना।

बी–जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत।

सी–जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।

डी–निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को संस्तुत।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के दौरान जारी केन्द्रीय ऋण सहायता			कुल जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	65.015	95.020	104.990	265.025
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.500	7.500	15.000	30.000
3.	असम	14.540	24.077	14.521	53.138
4.	बिहार	129.695	148.440	3.420	281.555
5.	छत्तीसगढ़	10.520	13.930	48.200	72.650
6.	गोआ	3.500	61.650	58.000	123.150
7.	गुजरात	272.700	421.850	487.690	1182.240
8.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000
9.	हिमाचल प्रदेश	11.047	18.015	3.244	32.306
10.	जम्मू व कश्मीर	4.680	10.460	11.070	26.210
11.	झारखंड	14.345	9.050	10.820	34.215
12.	कर्नाटक	157.140	171.000	492.500	820.640
13.	केरल	0.000	22.400	11.275	33.675

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	95.325	151.328	117.380	364.033
15.	महाराष्ट्र	49.875	97.020	39.100	185.995
16.	मणिपुर	21.810	1.500	9.360	32.670
17.	मेघालय	2.694	5.512	4.470	12.676
18.	मिजोरम	1.433	1.433	2.00	4.866
19.	नागालैंड	2.730	5.000	5.000	12.730
20.	उड़ीसा	90.250	100.320	104.045	294.615
21.	पंजाब	42.000	55.620	113.690	211.310
22.	राजस्थान	106.665	78.467	96.315	281.447
23.	त्रिपुरा	34.653	13.883	21.063	69.599
24.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000
25.	उत्तर प्रदेश	286.000	315.900	314.960	916.860
26.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000	0.000
27.	पश्चिम बंगाल	25.000	26.825	38.608	90.433
28.	सिक्किम	1.360	0.000	2.400	3.760
	कुल	1450.477	1856.200	2129.121	5432.038
				472.86	472.86
		कुल योग		2601.981	5904.898

टिप्पणी : वर्ष 2001-02 के दौरान फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत 13 वृहत/मध्यम परियोजनाओं के लिए 2129.12 करोड़ रु. के अतिरिक्त 472.86 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

[हिन्दी]

फूलों का निर्यात

1153. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को फूलों का निर्यात किया गया और इसकी मात्रा कितनी है;

(ख) फूलों की घरेलू खपत कितनी है;

(ग) देश में किन-किन राज्यों में फूलों की पैदावार हो रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) उन देशों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है जिनको विगत तीन वर्षों के दौरान फूलों का निर्यात किया गया है।

(ख) देश में पुष्पोत्पादन की क्रिया में पिछले कुछ वर्ष से बढ़ोत्तरी हो रही है जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू बाजार में इसकी खपत बढ़ी है।

(ग) फूलों का उत्पादन देश के सभी भागों में होता है। हालांकि, कुछ अग्रणी राज्य जो वाणिज्यिक पैमाने पर फूलों का उत्पादन करते हैं, इस प्रकार हैं—महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पुष्प-कृषि विकास की एक केन्द्रीय योजना क्रियान्वित की गई थी। हालांकि अक्टूबर, 2000 से इसे कृषि में वृहद् प्रबंध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना—कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के अनुपूरण/सम्पूरण में मिला दिया गया है। इस स्कीम के तहत राज्यों को और अधिक शिथिलता दी गई है जिससे कि वे अपनी जरूरतों के मुताबिक पुष्प कृषि विकास कार्यक्रम को अपना सकें।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी अपनी उत्पादन तथा फसलोपरांत प्रबंध के माध्यम ''वाणिज्यिक पुष्प कृषि विकास'' नामक अपनी स्कीम के अंतर्गत कुल परियोजना लागत के 20% की दर से लेकिन अधिकतम 25 लाख रुपये तक की बैक इण्डेड कैपिटल सब्सोडी देता है, उत्तर पूर्वी/जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये की है।

कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा), वाणिज्य मंत्रालय फूलों के निर्यात के लिए पुष्प कृषि संवर्द्धनात्मक एवं अवसंरचनात्मक विकास का कार्यक्रम चला रहा है।

विवरण

(मात्रा कि.ग्रा. में)

फूल	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
अमेरिकन समोआ	200	–	–
आस्ट्रेलिया	147824	127175	140563
बहरीन	10652	11420	14524
बांग्लादेश	14263	2382	2313
बारबाडोज	173	–	44
बेल्जियम	–	72	550
बुल्गारिया	25543	15487	39508
कंबोडिया	–	350	–
कनाडा	–	165	–
सेंट्रल एफ्रीकन रिपब्लिक	8910	31320	10437
चिल्ली	–	–	570
चीन	350	–	–
चाईनिज टाइपि	500	1140	7700
कोलम्बिया	727	217	700
डेनमार्क	–	67	–
मिश्र	44766	9477	–
ऐलसेल्वाडोज	–	–	9440
फेरो आइलैंड	–	–	200
फिजी	–	855	–
फिनलैंड	–	10	–
फ्रांस	667	100	194
जर्मनी	15178	19667	85191
ग्रीक	218762	97357	122665
हांगकांग	500	7000	2350
हंगरी	17646	52218	5630
इंडोनेशिया	350	450	8850
इजराइल	–	970	200
इटली	1100	1510	–
जापान	53406	84022	194882
जार्डन	534835	644707	729315
कजाकिस्तान	–	–	7400
किरगिझिया	–	–	250
कोरिया डेमो रिपब्लिक	400	–	–
कोरिया गणतंत्र	–	–	602
कुवैत	–	300	15750
लेबनान	4122	1326	18709
लक्जेमबर्ग	–	–	1100
मालागासे गणतंत्र	–	4119	–
मालावी	102	–	–
मलेशिया	39	–	–
मालद्वीव	6744	5277	12649
माली	1234	1129	3504
माल्टा	1700	900	100
मारीशस	–	18	–
म्यांमार	–	–	100
मैक्सिको	100	–	–
मोरक्को	–	–	13739

1	2	3	4
नेपाल	260	—	—
	1260	7541	6390
नीदरलैंड	727037	65811712	715547
न्यूजीलैंड	8387	18053	8665
नाइजीरिया	—	90	—
ओमान	3077	927	4189
पाकिस्तान	1370	—	8830
पेरू	—	—	1000
फिलीपिंस	1220	60	300
पोललैंड	320	—	770
पुर्तगाल	—	435	120
कतर	3703	2810	13993
रोमानिया	—	500	—
रशिया	—	325	—
सऊदी अरब	14426	6204	17505
सेनेगल	12438	—	211
सिंगापुर	115661	160488	138066
स्लोवाकिया	320	—	—
दक्षिण अफ्रीका	1850	70	300
स्पेन	3178	10084	138067
श्रीलंका	16490	6347	81122
सेंट हेलेना	—	280	—
स्वीडेन	5322	455	450
स्वीटजरलैंड	63959	216316	299578
सीरीयन अरब रिपब्लिक	—	3000	—
थाइलैंड	28565	675	2120
टोकेल्यु	5000	500	252
ट्यूनिशिया	—	—	4500
टर्की	290	—	725
यू ए इ	111403	84146	350876
यू के	201603	127186	257968
यू एस ए	284216	108995	530303
यूगान्डा	—	—	4400
यूकेन	—	450	—
वियतनाम	200	—	—
अन्य देश	—	—	1050
कुल	2722348	67696856	4037026
अन्य पुष्प			
अर्जेंटीना	6957	300	—
आस्ट्रेलिया	69616	49845	23504
आस्ट्रिया	13158	29556	16052
बहरीन	1325	59	—
बेल्जियम	55331	18188	238438
बोस्टवाना	14000	—	—
बुर्नई	—	120	—
कम्बोडिया	—	771	—
कनाडा	12221	15955	50000
चिल्ली	—	8700	—
चीन	4000	25140	26453
चाइनिज ताइपेइ	9185	10555	16377

1	2	3	4
कोलम्बिया	63	80	—
साइप्रस	—	—	1539
चेक गणतंत्र	1540	13112	12800
डेनमार्क	77170	102412	36182
मिश्र	9000	9000	31800
इस्टोनिया	—	2483	—
फिजी	—	8000	—
फिनलैंड	—	210	—
फ्रांस	163536	124723	127677
जर्मनी	448655	460123	407760
घाना	14800	—	—
गिब्राल्टर	—	4900	—
ग्रीस	37801	46303	24300
हांगकांग	24845	2351	32317
हंगरी	14979	5000	32000
इंडोनेशिया	37	—	—
आयरलैंड	—	—	3634
इजराइल	13400	34280	13284
इटली	167117	179404	220241
जापान	2320539	49059	61225
केनिया	240	18000	—
कोरिया गणतंत्र	18054	10861	5880
कुवैत	1999	469	200
लेबनान	—	4800	—
मलेशिया	730	36791	430

1	2	3	4
मालद्वीव	7880	1074	30
माली	59	—	542
मारीशस	20	—	—
म्यांमार	14325	—	4000
मैक्सिको	46200	—	200
नेपाल	624	6125	290
नीदरलैंड	25450	1478	770
ओमान	893	125	—
पाकिस्तान	—	—	8366
पोलैंड	45463	37825	85812
पुर्तगाल	9200	27748	30100
कतर	—	150	90
रीयूनियन	1286	—	—
रशिया	—	—	5000
सऊदी अरब	24002	56538	34120
सिंगापुर	50987	42341	3510
दक्षिण अफ्रीका	2600	3200	1821
स्पेन	124747	192727	498347
श्रीलंका	225647	148775	338796
स्वीटज़रलैंड	2824	8544	10225
सीरीयन अरब रिपब्लिक	770	—	—
थाईलैंड	—	114	17201
ट्यूनिशिया	—	—	9000
टर्की	3654	12533	22664
यू ए ई	30755	35278	24347

1	2	3	4
यू के	407035	284986	613634
यू एस ए	2924287	1784115	1884989
युरागुवे	–	3000	–
उजबेकिस्तान	450	30	–
वेनुजुएला	–	–	5000
यमन अरब रिपब्लिक	20500	16510	2269
यूगोस्लाविया (सर्बिया-मोनेटनेग्रो)	5000	–	–
कुल	8295433	5124686	6439771

[अनुवाद]

प्रतिष्ठानों पर ई.पी.एफ. की बकाया धनराशि

1154. श्री अरूण कुमार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि की बकाया धनराशि के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर करोड़ों रुपये बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिष्ठानों पर कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) सरकार द्वारा बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) देश की कुछ स्थापनाओं ने सांविधिक भविष्य निधि बकायों के भुगतान में चूक की है। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार कुल चूक 1,336 करोड़ रुपए की थी जिसमें से 77.32 प्रतिशत राशि की वसूली न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण रोकी जाने और बी आई एफ आर के पास प्रतिष्ठानों के पंजीकृत होने आदि के कारण नहीं की जा सकती है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफएस) के अंतर्गत शामिल किया गया कार्यबल

1155. श्री रामजी मांझी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छूट प्राप्त और बगैर छूट वाले दोनों क्षेत्रों में 397 मिलियन कार्यबल में से मात्र लगभग 26.3 मिलियन कार्यबल को ही अब तक भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफएस) के अंतर्गत समस्त कार्यबल को शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) शेष कार्य बल को ईपीएफएस के अंतर्गत कब तक लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की अनुसूची-I के अंतर्गत अधिसूचित किए गए तथा 20 या अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठान अधिनियम के दायरे में आते हैं। 6500/- रुपए प्रति माह मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी इसमें शामिल किए गए हैं। अधिक से अधिक उद्योग धीरे-धीरे अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जा रहे हैं और बढ़े हुए कवरेज के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा में समय-समय पर संशोधन किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से पहचान किए जा सकने वाले समूहों, जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हैं, को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी

1156. श्री प्रकाश बी. पाटील : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में भारी कमी के बाद घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कुछ उपायों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी गिरावट के कारणों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो क्या घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घोषित लक्ष्यों का लाभ महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001 और 2002 के दौरान देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी मुख्यत: सितम्बर, 2001 में अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले, अफगानिस्तान युद्ध, भारतीय संसद पर आक्रमण, गुजरात की घटनाओं से उत्पन्न असुरक्षा की भावना, भारत-पाक सीमा पर तनाव और पर्यटक वर्धक अधिकांश बड़े देशों द्वारा अपने नागरिकों को भारत का भ्रमण न करने की सलाह देने के कारण हुई।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 में हाल ही में घरेलू पर्यटन के संवर्धन हेतु महाराष्ट्र सहित सम्पूर्ण देश के लिए विभिन्न उपाय घोषित किए गए हैं। घरेलू पर्यटन में वृद्धि करने हेतु एकीकृत परिपथों एवं गंतव्यों के विकास के लिए इन परिपथों के सभी संसाधनों और विशेषज्ञताओं का अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के रूप में विकास करने की पहल की योजना बनाई गई है। पूर्वोत्तर, अण्डमान और निकोबार व लक्षद्वीप की यात्रा हेतु शुल्क और ए टी एफ कर में कटौती की गई है ताकि इन क्षेत्रों में पर्यटन को संवर्धित किया जा सके।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का मूल्य

1157. **श्री सुरेश चन्देल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट आ रही है जबकि कृषि उत्पादन की लागत दिनोंदिन बढ़ रही है;

(ख) क्या आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त किए जाने के बाद देश में सस्ते कृषि उत्पाद आ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो किसानों की स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में लंबित कृषि परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए कृषि हेतु योजनागत आवंटन को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) कुछ कृषि जिंसों के मूल्य देश के कुछ केन्द्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे चल रहे हैं। उत्पादन/खेती की लागत श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि और डीजल, उर्वरक आदि जैसे आदानों के मूल्यों में वृद्धि के कारण सामान्यत: बढ़ती रही है।

(ख) और (ग) सरकार के आयात उदारीकरण कार्यक्रम तथा साथ ही, हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के एक हिस्से के रूप में खाद्य उत्पाद तथा संबद्ध उत्पादों सहित विभिन्न मदों पर आयात प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं।

तथापि, देश में सभी आयात कस्टम शुल्क की लागू दरों के अधीन है तथा स्वदेशी उत्पादित माल पर लागू नियमों के अनुसार स्वदेशी नियमों, विधियों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी मानकों, पर्यावरणीय तथा सुरक्षा प्रतिमानों के भी अधीन हैं। इसमें स्वदेशी किसानों को पर्याप्त संरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

अधिकांश कृषि जिंसों के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत का टैरिफ निर्धारिण उच्च हैं और यदि आयात में पर्याप्त वृद्धि का कोई भी प्रमाण है तो कस्टम शुल्क की प्रभावी दरों में उन स्तरों तक वृद्धि की जा सकती है।

घरेलू किसानों को और अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत सी कृषि मदों पर आयात शुल्कों में वृद्धि की गई है; जैसे चावल पर शुल्क को बढ़ाकर 0% से 80% तक मक्का पर 0% से 50% तथा सेब पर 35% से 50% कर दिया गया है।

आयात की बारीकी से मानीटरिंग की जा रही है और सरकार टैरिफ प्रणाली के उचित उपयोग के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आयात से स्वदेशी किसानों को कोई क्षति या बाधा न पहुंचे।

(घ) और (ङ) लंबित परियोजनाओं और नव अनुमोदित प्रस्तावों, दोनों पर तथा देश में कुछ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर उचित रूप से विचार करने के पश्चात योजनागत आवंटन किए जाते हैं। वर्ष 2002-03 के लिए कृषि तथा सहकारिता विभाग के लिए वर्ष 2001-02 के लिए 1985 करोड़ रु. की तुलना में 2167 करोड़ रु. का योजनागत आवंटन निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

पायलट प्रशिक्षण

1158. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने हैदराबाद स्थित अपनी पायलट प्रशिक्षण अकादमी में एयर बस-320 के परिचालन में पायलटों को प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो पायलटों के लिए प्रवेश के क्या मानदंड हैं और उक्त प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क कितना है; और

(ग) प्रशिक्षण की अवधि कितनी है और क्या अकादमी में प्रशिक्षित सभी पायलटों को इंडियन एयरलाइंस में ही नौकरी दी जाएगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस ने दिनांक 1.7.2002 से हैदराबाद में अपने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पर ए-320 (सह-पायलेट) इंडोर्शमेंट के लिए पात्र पायलटों को प्रशिक्षण दिलाना शुरू कर दिया है।

(ख) पायलटों को प्रवेश देने संबंधी नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा यथा निर्धारित मानदंड निम्नानुसार हैं–

(i) वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस का होना जरूरी है।

(ii) मल्टी इंजिन लैंड (बहु इंजन विमान पर न्यूनतम 25 घंटों के उड़ान अनुभव सहित) (किसी अनुमोदित बहु इंजन सिम्युलेटर पर 10 घंटे का अनुभव पूरा किया जा सकता है।)

(iii) बहु इंजन विमान पर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग (आई.आर.) प्रशिक्षण के लिए नियत फीस 23 लाख रु. है।

(ग) प्रशिक्षण की समयावधि लगभग 22 सप्ताह की है। नागर विमानन महानिदेशालय की परीक्षा पास करने के बाद सिम्युलेटर तथा एयरक्राफ्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंडियन एयरलाइंस ने जो अपने आप इंडियन एयरलाइंस में खपाने की बाबत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करते हैं उनको नियोजन संबंधी अथवा किसी प्रीफेरेंशियल ट्रीटमेंट संबंधी कोई आश्वासन नहीं दिया है। तथापि, इन उम्मीदवारों के नाम पर जब कोई रिक्तियां होती हैं और वे विज्ञापित की जाती हैं तो नियुक्ति की बाबत अन्य दूसरे उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाता है बशर्ते कि वे पात्र और उपयुक्त पाए जाएं।

[हिन्दी]

कार्यालय खर्च

1159. **श्री रामदास आठवले :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा तथा उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रचार, विज्ञापन, स्वागत संबंधी जलपानों, उद्घाटनों, गोष्ठियों, सम्मेलनों, दौरों (विदेशी दौरों सहित) एसटीडी और आईएसडी कॉलों सहित टेलीफोन बिलों, बिजली बिलों (विशेषकर वातानुकूलित और कूलर बिलों) अन्य कार्यालय खर्चों के अंतर्गत अलग-अलग प्रत्येक मदवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त मदों के अंतर्गत खर्च में मितव्ययिता लाने हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खानों में कार्यरत कामगारों के लिए चिकित्सा परिचर्या

1160. **श्री अनन्त नायक :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के क्योंझर जिले में खानों में कार्यरत कामगारों के लिए अपर्याप्त चिकित्सा परिचर्या सुविधा के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन कामगारों के लिए मौजूदा ई एस आई औषधालयों का उन्नयन करने और अतिरिक्त ई एस आई अस्पतालों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2(12) के अनुसार खान कामगार क.रा.बी. योजना के दायरे में नहीं आते। तथापि, सचल मेडिकल डिस्पेंसरी (बरबिल), प्रसूति-सह-बाल कल्याण केन्द्र (गुरदा), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (जोरुरी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (बाउला), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सिलजोरा) उड़ीसा के क्योंझर जिले में स्थित लौह अयस्क, मैंग्नीज अयस्क, क्रोम अयस्क खानों में कार्यरत कामगारों को स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अन्य प्राधिकृत अस्पतालों में गंभीर रोगों जैसे हृदय रोग, कैंसर, टी.बी., कुष्ठ रोग, मानसिक और किडनी संबंधी रोगों के इलाज के लिए कामगारों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

रोहमारिया संरक्षण परियोजना

1161. **श्री एम. के सुब्बा :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोहमारिया संरक्षण परियोजना को मंजूरी दे दी है और बार-बार आने वाली बाढ़ों के कारण गांवों और कस्बों को काफी कृषि योग्य भूमि के संरक्षण के लिए (अनुमानत:) 406 करोड़ रुपए उपलब्ध करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं। 406.49 करोड़ रुपये की लागत वाली "डिब्रूगढ़ के ऊपरी धारा पर ब्रह्मपुत्र नदी से होने वाले मिट्टी कटाव से रोहमारिया क्षेत्र की सुरक्षा" नामक स्कीम पर जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग द्वारा असम राज्य सरकार को भेजी गई टिप्पणियों का राज्य सरकार ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

भू-जल संसाधनों से संबंधित लंबित योजनाएं

1162. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में योजना अयोग के आदेश पर पूर्वी राज्यों में भृ-जल संसाधनों का पता लगाने ओर उनका विकास करने हेतु बनाई गई केन्द्र प्रायोजित योजना पिछले आठ वर्षों से योजना आयोग के पास अनुमोदन हेतु लंबित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) योजना आयोग के आदेश पर जल संसाधन मंत्रालय ने 1992 में "पूर्वी राज्यों में भूजल के अन्वेषण और विकास" संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की थी। इस स्कीम पर व्यय वित्त समिति द्वारा 1994 में विचार किया गया था और यह सुझाव दिया गया था कि इस प्रस्ताव को पूर्ण योजना आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए। तद्नुसार, यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजा गया था। इस बीच पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के भूजल संसाधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से नौवीं योजना के दौरान "पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर जल प्रबंधन" संबंधी एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम का कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किया गया था इसलिए इस स्कीम पर जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आगे कार्रवाई नहीं की गई थी।

ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसिज का विभाजन

1163. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों की ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसिज को महत्वपूर्ण एवं गैर-महत्वपूर्ण सर्विसिज के रूप में विभाजित करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उक्त कार्यों को स्वयं करने से धन की हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इस कारण वार्षिक रूप से कुल कितनी हानि हो रही है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस समय ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं मुहैया नहीं कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में सड़क विकास परियोजनाएं

1164. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न सड़क विकास परियोजनाओं के लिए वर्षवार कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की आवधिक मरम्मत और उनके रख-रखाव के लिए कोई धनराशि संस्वीकृत की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोई धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) स्वर्णिम चतुर्भुज परियेजना के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 को चार लेनों वाला बनाने हेतु आवंटित पैकेजों, उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कोरिडोर परियोजनाओं, विस्तार-कार्यों, ठेकेदारों, धनराशि और कार्य की वर्तमान स्थिति की विस्तृत सूची क्या है;

(छ) वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य पैकेजों की सूची किलोमीटर-वार क्या है; और

(ज) राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-7 सहित इन परियोजनाओं के अंतर्गत बनाए जाने वाले उपमार्गों के पुलों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग योजनागत कार्य और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शामिल है, स्वीकृत कुल वर्षवार राशि इस प्रकार है–

(करोड़ रु.)

वर्ष	योजनागत कार्य	रा.रा.वि परियोजना	जोड़
1999-2000	59.28	176.11	235.39
2000 2001	65.99	कुछ नहीं	65.99
2001 2002	97.18	1519.63	1616.8

इसके अतिरिक्त, गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में अन्य सड़क विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा 155.50 करोड़ रु. के 255 राज्यीय सड़क कार्य अनुमोदित किए गए।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के आवधिक नवीकरण और अनुरक्षण के लिए स्वीकृत कार्यों और अव्ययित राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं–

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	व्यय	अव्ययित राशि
1.	1999-2000	148.77	137.02	11.75
2.	2000-2001	70.44	70.44	कुछ नहीं
3.	2001-2002	65.06	56.85	8.21

(च) और (छ) एक विवरण संलग्न है।

(ज) रा.रा. 7 पर इन परियोजनाओं के अंतर्गत बाइपासों और पुलों की आवश्यकता का आकलन, साध्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही किया जाएगा।

विवरण

(i) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना एवं उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम महामार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को चार लेन का बनाने के लिए अब तक आवंटित कार्य पैकेजों, खंडों, ठेकेदारों, धनराशि और कार्य की वर्तमान स्थिति के ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	खंड	स्वीकृत लागत	वर्तमान स्थिति		ठेकेदार का नाम
			निष्पादन	30.6.02 तक वित्तीय	
1	2	3	4	5	6
1.	रा.रा. 7 पर 33.015 से 48.600 कि.मी. तक हाथीपल्ली-होसूर खंड	47.00	90%	28.19	पटेल इंजीनियरिंग
2.	रा.रा. 7 के 199.200 से 207.600 कि.मी. तक सलेम बाइपास को चार लेन का बनाना	25.94	98%	26.72	श्री रंगनाथर एंड कं.
3.	रा.रा. 7 का 156.00 से 163.40 कि.मी. तक थोपूरघाट खंड	30.00	अप्रैल, 02 मे पूर्ण	–	मै. एस एम जी

1	2	3	4	5	6
4.	रा.रा. 7 का 180 से 199.20 कि.मी. तक बंगलौर-सलेम-मदुरै खंड (26/टीन एन)	82.49	17%	15.58	भगीरथ इंजीनियरिंग
5.	रा.रा. 7 का 248.1 से 259.6 कि.मी. तक बंगलौर-सलेम-मदुरै खंड (27/टीन एन)	21.40	27%	5.4	विजय इंजीनियिरिंग इंटरप्राइजेज
6.	रा.रा. 7 का होसूर-कृष्णगिरि खंड	213.00	12%	39.49	शक्ति कुमार एम. संचेती एंड भोला सिंह
7.	रा.रा. 7 पर करूर आर ओ बी	12.15	96%	8.9	पी.टी. संबर मित्र एंड जया व पुंज लॉयड
8.	रा.रा. 7 पर करूर बाइपास	34.96	99%	34.1	भगीरथ इंजीनियरिंग

(ii) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य पैकेजों की सूची

क्र.सं.	खंड	रा.रा. सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
1.	मदुरै से तिरुनेलवेली, 0 से 120.00 कि.मी.	7	120
2.	तिरुनेलवेली से कन्याकुमारी, 120 से 232.00 कि.मी.	7	112
3.	बंगलौर-सलेम-मदुरै खंड, 163.40 से 180 कि.मी.	7	16.6

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय द्वारा लाल किला खाली करना

1165. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से लाल किला खाली करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में रक्षा मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। लाल किला के, संलग्न विवरण में निर्दिष्ट भवनों तथा क्षेत्रों के कब्जा और नियंत्रण को, उनके ऐतिहासिक, पुरातत्वीय तथा वास्तु-संबंधी महत्व और साथ ही पुरातत्वीय मानदंडों के अनुसार उनके उचित परिरक्षण और अनुरक्षण को ध्यान में रखकर, सौंपने के लिए सेना प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

(ग) सेना प्राधिकारी इस पर सहमत हो गए हैं कि वे लाल किला के बाहर अन्यत्र अवसंरचना पुन: स्थापित करने के बाद, जूनियर कमीशंड अधिकारियों के आवास एवं गार्ड क्वार्टरों आदि के अलावा प्राचीरों एवं दीवार बंद क्वार्टरों को सुपुर्द कर देंगे।

विवरण

सेना प्राधिकारियों से लाल किला के निम्नलिखित भवनों एवं क्षेत्रों का कब्जा एवं नियंत्रण सौंपने का अनुरोध किया गया है

(क) प्रयोगशाला तथा तीन मंजिला आई. एन. ए. भवन

(ख) दिल्ली गेट से लाहौरी गेट तथा लाहौरी गेट से अंगूरी बाग बुर्ज तक के सामने की समुचित भूमि की पट्टी, किला दीवार तथा कक्ष

(ग) नौबत खाना एवं दीवान-ए-आम तथा तोरणपथ बाजार के चौकोर स्थानों के उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में भूमि

(घ) बैरकों तथा अन्य संरचनाओं का निर्माण करने से पूर्व अंग्रेजों द्वारा गिराए गए मूल ढांचों की आधार योजना का पता लगाने के लिए भवनों से सटी खुली भूमि।

बेरोजगारी दूर करने के लिए श्रमिक आधारित तकनीक

1166. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना में श्रमिक प्रधान प्रौद्योगिकी को बढ़ाना देकर बेरोजगारी दूर करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त किए जाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद शृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

1167. **श्री राजो सिंह :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कृषकों को व्यापक प्रशिक्षण देने का है ताकि वे अपने उत्पादों को बेचकर ज्यादा लाभ अर्जित कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति के विकास के लिए एक स्कीम चला रही है जिसका उद्देश्य खाद्य उपज के प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान करना है। स्कीम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में जनशक्ति के विकास हेतु स्कीम

स्कीम के निम्नलिखित छः भाग हैं :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति का विकास (खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र)।

(ii) अनाज प्रसंस्करण उद्योगों में जनशक्ति का विकास।

(iii) मांस प्रसंस्करण में जनशक्ति को प्रशिक्षण।

(iv) पारम्परिक मछुआरों को प्रशिक्षण।

(v) बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करना।

(vi) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

भाग-1

ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति का विकास (खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र)

उद्देश्य

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए इन उत्पादन सह-प्रशिक्षण केन्द्रों में स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का इस्तेमाल करके और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हुए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना तथा ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास करना।

पात्रता

केन्द्रीय या राज्य सरकार के संगठन, शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान, गैर सरकारी संगठन तथा सहकारिताएं, बशर्ते कि कार्यान्वयन एजेंसी अपेक्षित आवास, जनशक्ति और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने को तैयार हो।

सहायता का स्वरूप

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों को निम्नलिखित सीमा तक सहायता अनुदान उपलब्ध होगा :

एक उत्पाद लाइन केन्द्र (प्रसंस्करण कार्यों के किसी भी एक समूह के लिए)	स्थायी पूंजीगत लागत हेतु 2 लाख रु. और आवर्ती मूल पूंजी के रूप में 1 लाख रु.।	अनुदान
बहु उत्पादन लाइन केन्द्र (प्रसंस्करण कार्यों के एक से अधिक समूह के लिए)	स्थायी पूंजीगत लागत हेतु 7.50 लाख रु. और आवर्ती मूल पूंजी के रूप में 2 लाख रु.।	अनुदान
प्रशिक्षुओं के केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु।	0.50 लाख रु. तक एक बार दी जाने वाली सहायता। यह यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते आदि पर होने वाले वास्तविक खर्च के अध्यधीन है।	अनुदान

आशा की जाती है कि कच्चे माल एवं उपभोज्यों (परिरक्षकों/योगजों/पैकेजिंग) पर आवर्ती मूल पूंजी हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय को केन्द्र में प्रसंस्कृत होने वाले उत्पादों की बिक्री और कच्चा माल उगाने वालों द्वारा दिए जाने वाले प्रसंस्करण शुल्क से पूरा किया जाएगा।

भाग-2

खाद्यान्न प्रसंस्करण हेतु जनशक्ति का विकास

उद्देश्य

कच्चे माल/तैयार उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण, निवारक रखरखाव, स्वच्छता, स्वास्थ्यकर परिस्थितियों और संघटनात्मक योजनागत योग्यताओं के विकास हेतु आटा मिलिंग प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना।

पात्रता

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर

सहायता का स्वरूप

सहायता की मात्रा का निर्णय प्रस्ताव के गुण-अवगुणों के आधार पर लिया जाएगा।

भाग-3

मांस प्रसंस्करण में जनशक्ति का विकास

उद्देश्य

पारम्परिक मांस प्रसंस्करण कार्य में लगे व्यक्तियों, सेवारत कामगारों और बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

पात्रता

केन्द्रीय संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय/पशु चिकित्सा महाविद्यालय, आधुनिक मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र, पशु वधशालाएं, मांस निगम और गैर सरकारी संगठन आदि सहायता के लिए विचार करने हेतु पात्र हैं।

सहायता का स्वरूप

प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला प्रशिक्षुओं पर छात्रावास, आवास, प्रशिक्षण सामग्री की लागत और वजीफे के रूप में 4,000/- रु. तक की सहायता। प्रशिक्षण सभी को दिया जाएगा। लेकिन वजीफा केवल उन्हीं प्रशिक्षुओं को दिया जाएगा जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग से संबंध रखते हों।

भाग-4

मछली प्रसंस्करण में दक्षता के उन्नयन हेतु पारंपरिक मछुआरों को प्रशिक्षण

उद्देश्य

स्वास्थ्यकर परिस्थितियों को बढ़ाने और लागू करने हेतु मछली प्रसंस्करण यूनिटों में कार्यरत व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

सहायता का स्वरूप

केन्द्रीय/राज्य सरकार के संस्थानों को प्रशिक्षण की संपूर्ण लागत अनुदान के रूप में दी जाएगी।

भाग-5

बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करना

उद्देश्य

खाद्य प्रसंस्करण के डिग्री/डिप्लोमा कोर्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, प्रमुख संयंत्रों आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करना।

सहायता का स्वरूप

कॉलेज, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों आदि जैसे मानव संसाधन विकास संस्थानों को 50 लाख रु. तक का अनुदान दिया जाएगा।

भाग-6

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्देश्य

खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

सहायता का स्वरूप

ऐसे प्रशिक्षण का आयोजन करने वाले संस्थानों को अनुदान दिया जाएगा। सहायता की मात्रा प्रशिक्षुओं की संख्या और प्रशिक्षण की अवधि पर निर्भर करेगी।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन

1168. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के साथ किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, हां। वर्धा स्थित मौजूदा ग्रामीण औद्योगिकीकरण हेतु जमनालाल बजाज केन्द्र की रीवैम्पिंग के लिए एक तीन वर्षीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), दिल्ली, अप्रैल, 2001 में एक समझौता ज्ञापन में शामिल हुए हैं। परियोजना की अवधि 3 वर्ष (मई, 2001-अप्रैल, 2004) है। परियोजना के लिए कुल आवंटन 8.35 करोड़ रु. है।

प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का आयात

1169. **श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का आयात करने से स्वदेशी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) वे भारतीय कंपनियां कौन-सी हैं जो अपने प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के लिए विदेशी कंपनियों के ब्रांड का उपयोग कर रही हैं और किन नियमों के तहत वे ऐसा कर रही हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

धान का उत्पादन

1170. **श्री ए. नरेन्द्र : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में राज्यवार धान का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत निर्धारित धान की खरीद संबंधी राज्यवार लक्ष्य क्या है; और

(ग) अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत खरीद किए गए धान का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2000-01 के दौरान चावल के राज्यवार उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) विशिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए लाए गए निर्धारित विशिष्टताओं से एकरूप सभी धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा लाया जाता है। उत्पादकों को अपने उत्पाद को सार्वजनिक अधिप्राप्ति एजेंसियों अथवा खुली मंडी में जैसा उन्हें लाभकारी हो, बेचने की छूट है। इस कारण, मूल्य समर्थन नीति के अंतर्गत धान की अधिप्राप्ति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) अधिप्राप्त चावल (चावल में बदले गए धान समेत) की राज्यवार मात्रा दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

चावल के उत्पादन के अंतिम अनुमान

(000 टन में)

राज्य	मौसम	2000-01 (अंतिम)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	खरीफ	8130.3
	रबी	3317.8
	योग	11448.1

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	खरीफ	126.1
असम	आटम	557.8
	सर्दी	2759.7
	खरीफ	3317.5
	गर्मी	681.0
	योग	3998.5
बिहार	आटम	797.5
	सर्दी	4349.9
	खरीफ	5147.4
	गर्मी	269.2
	योग	5416.6
झारखंड	आटम	110.4
	सर्दी	1534.3
	खरीफ	1644.7
गोवा	आटम	96.6
	सर्दी	48.6
	खरीफ	145.2
गुजरात	खरीफ	1014.3
हरियाणा	खरीफ	2684.0
हिमाचल प्रदेश	खरीफ	124.9
जम्मू-कश्मीर	खरीफ	414.9
कर्नाटक	खरीफ	2689.0
	रबी	99.0
	गर्मी	946.0
	रबी/गर्मी	1045.0
	योग	3734.0
केरल	आटम	260.3
	सर्दी	336.4
	खरीफ	596.7
	गर्मी	154.6
	योग	751.3
मध्य प्रदेश	खरीफ	960.4
छत्तीसगढ़	खरीफ	3237.8
महाराष्ट्र	खरीफ	1879.2
	रबी	66.0
	योग	1945.2
मणिपुर	खरीफ	366.3
मेघालय	खरीफ	165.9
मिजोरम	खरीफ	102.1
	रबी	1.6
	योग	103.7
नागालैंड	खरीफ	205.8
उड़ीसा	आटम	464.0
	सर्दी	3708.0
	खरीफ	4172.0
	गर्मी	441.5
	योग	4613.5
पंजाब	खरीफ	9154.0
राजस्थान	खरीफ	155.7
सिक्किम	खरीफ	21.4
तमिलनाडु	आटम	1186.5

1	2	3
	सर्दी	5147.0
	खरीफ	6333.5
	गर्मी	884.4
	योग	7217.9
त्रिपुरा	आटम	84.8
	सर्दी	312.0
	खरीफ	396.8
	गर्मी	116.6
	योग	513.4
उत्तर प्रदेश	खरीफ	11540.1
	गर्मी	0.0
	योग	11540.1
उत्तरांचल	खरीफ	621.5
पश्चिम बंगाल	आटम	684.0
	सर्दी	7202.8
	खरीफ	7886.8
	गर्मी	4541.3
	योग	12428.1
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	खरीफ	30.0
दादरा व नागर हवेली	खरीफ	18.8
दिल्ली	खरीफ	5.5
दमन व दीव	खरीफ	3.2
पांडिचेरी	आटम	15.8
	सर्दी	32.1
	खरीफ	47.9
	गर्मी	13.2
	योग	61.1
अखिल भारत	आटम	4257.7
	सर्दी	25430.8
	खरीफ	43650.5
	कुल खरीफ	73339.0
	रबी/गर्मी	11532.2
	योग	84871.2

विवरण-II

वर्ष 2001-02 के दौरान चावल/धान की 18.7.2002 के अनुसार अधिप्राप्ति की स्थिति

आंकड़े हजार मीटरी टन में

	2001-02		
राज्य/संघ शा. क्षेत्र	चावल	धान	कुल चावल
1	2	3	4
(क) केन्द्रीय पूल को अंशदान			
आंध्र प्रदेश	5927	296	6124
अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
असम	—	—	—
बिहार	—	15	9
छत्तीसगढ़	547	1781	1734
हरियाणा	401	1575	1451
हिमाचल प्रदेश	11	—	11
कर्नाटक	137	—	137

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	94	266	271
महाराष्ट्र	30	148	135
उड़ीसा	1033	—	1035
पंजाब	936	9434	7225
राजस्थान	28	17	39
उत्तरांचल	211	39	237
उत्तर प्रदेश	1086	898	1685
पश्चिम बंगाल	48	—	48
छत्तीसगढ़	—	—	—
दिल्ली	—	—	—
पांडिचेरी	11	—	11
कुल (क)	10500	14469	20150
(ख) केन्द्रीय पूल को अंशदान न करना			
गुजरात	—	—	—
जम्मू-कश्मीर	—	—	—
तमिलनाडु	—	1272	865
कुल (ख)	—	1272	865
कुल (क + ख)	10500	15741	21015

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना का लक्ष्य

1171. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री राजो सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी अधिकारी को दोषी ठहराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जी, नहीं।

8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 2.80 मिलियन हैक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में स्कीम के तहत 4.23 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया और इस प्रकार 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उपलब्धि में कोई कमी नहीं आई। 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लक्ष्य की तुलना में उपचारित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

8वीं योजनावधि के दौरान क्रियान्वित वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना की भौतिक स्थिति

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य	8वीं योजना का लक्ष्य	विकसित वास्तविक क्षेत्र (1990-91 और 1991-92 के दौरान विकसित क्षेत्र सहित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	197150	176939
2.	अरूणाचल प्रदेश	2800	1970
3.	असम	60200	70221
4.	बिहार	137200	23189
5.	गोवा	3075	2100
6.	गुजरात	208025	292579
7.	हरियाणा	40600	20272
8.	हिमाचल प्रदेश	14000	34309

1	2	3	4
9.	जम्मू-कश्मीर	12050	14044
10.	कर्नाटक	250600	485109
11.	केरल	54025	88276
12.	मध्य प्रदेश	458375	660202
13.	महाराष्ट्र	455000	879886
14.	मणिपुर	1975	8682
15.	मेघालय	3925	2877
16.	मिजोरम	1675	18198
17.	नागालैंड	3625	14510
18.	उड़ीसा	136350	297000
19.	पंजाब	15950	18035
20.	राजस्थान	339950	547931
21.	सिक्किम	1675	7626
22.	तमिलनाडु	89025	172657
23.	त्रिपुरा	6175	7694
24.	उत्तर प्रदेश	208600	303683
25.	पश्चिम बंगाल	95250	73436
26.	दादरा और नागर हवेली	575	84
27.	अंडमान व नि.बा.द्वी.स.	825	1735
	अन्य	1525	0
	कुल	2800200	4223244

[अनुवाद]

मजदूर संघ के अधिकारों का उल्लंघन

1172. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 2002 के दि हिन्दू में ''ट्रेड यूनियन राइट्स वायलेटेड इन इंडिया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंटरनेशनल कॉनफैडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन्ज ने भारत के मजदूर संघ के अधिकारों के उल्लंघन की भर्त्सना की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मजदूर संघ अधिकारों का उल्लंघन न होने देना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ट्रेड यूनियन अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की यदि सूचना दी जाती है तो केन्द्र एवं राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र द्वारा इनकी जांच एवं निवारण हेतु कार्रवाई की जाती है।

विमानन क्षेत्र को नुकसान

1173. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई 11 सितम्बर, 2001 की घटना के बाद विमानन उद्योग को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है;

(ख) क्या उद्योग उबरने की राह पर अग्रसर है परन्तु अभी भी उसे लाभ प्राप्ति के चरण में पहुंचना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विमानन क्षेत्र को वित्तीय घाटे से उबारने में सहायता प्रदान करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के अनुसार एयरलाइन उद्योग को विश्वव्यापी दृष्टि से 2001 में 12 बिलियन अमरीकी डॉलर की हानि उठानी पड़ी। इन इतनी अधिक हानियों के आरंभिक कारण, विमानों से जाने में जनता के भय के परिणामस्वरूप कम यात्री यातायात

के कारण राजस्व में गिरावट का आना है। इसके अतिरिक्त, नये सुरक्षा उपायों, युद्ध जोखिम के लिए बीमा प्रीमियम की अतिरिक्त लागतों ग हवाई अड्डा तथा विमान दिक्चालन इन्फ्रास्ट्रक्चर की ऊंची लागतों का कारण हानियों में बढ़ोत्तरी हो गई। यद्यपि 11 सितम्बर, 2001 की घटना के बाद एयरलाइनें जनता को पूर्व की भांति वैमानिक सुविधा उपलब्ध कराने में सफल रही है। इस समय, यह भविष्वाणी नहीं की जा सकती है कि कि एयरलाइनें कब पूर्ण यातायात क्षमता को आकर्षित करने में सक्षम हो पाएंगी।

(ग) भारत सहित अधिकांश देश अस्थायी रूप से अपनी एयरलाइनों को युद्ध जोखिम कवर की गारंटी देती है। यात्रियों को पुन: आश्वासित करने के लिए विमानन सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया है। भारत सरकार ने विमानन सुरक्षा को कड़ा करने के लिए चरणबद्ध रूप से विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा सुरक्षा के लिए, एयरलाइनों में स्काई मार्शलों को लगाने, सैकेण्डरी लेडर प्वाइंट जांच तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लगाए हैं। एयरलाइनों ने भी अपनी अर्जन में सुधार करने के लिए विभिन्न लागत घटाने वाले उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

बागवानी को बढ़ावा देना

1174. **श्री वाई.जी. महाजन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किसानों को विशेष सुविधा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बागवानी हेतु महाराष्ट्र को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार बागवानी के विकास के लिए 8वीं योजना से विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित करती रही हैं। इन स्कीमों के तहत किसानों के लाभ के लिए विभिन्न क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे—अच्छी रोपण सामग्री की आपूर्ति, उन्नत किस्मों के साथ क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता सुधार उपाय, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, ड्रिप सिंचाई के तहत कवरेज, ग्रीन हाउस निर्माण प्लास्टिक मल्चिंग आदि। अक्टूबर, 2000 से इन क्रियाकलापों को कृषि में वृहत प्रबंध संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण के तहत शामिल कर लिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है—

वर्ष	धनराशि (रु. लाख में)	टिप्पणी
1999-2000	3573.80	बागवानी संबंधी स्कीमों के तहत
2000-01	8935.09	बागवानी और वृहत प्रबंध स्कीम के तहत
2001-02	9000.00	वृहत प्रबंध स्कीम के तहत

कृषि मजदूर

1175. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कार्यरत कृषि मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में एक विधेयक लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित और संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। कृषि में नियोजन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में से है।

कृषि कामगारों की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी करने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से तीन वर्षों के प्रथम चरण के दौरान 50 चुनिंदा जिलों में 10 लाख कृषि कामगारों को शामिल करने के लिए "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001" आरंभ की है। इस योजना में कृषि कामगारों को जीवन-सह-दुर्घटना बीमा, धन वापसी, पेंशन और अधिवर्षिता लाभ देने की परिकल्पना की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम गरीबी रेखा से नीचे या कुछ ऊपर आने वाले व्यक्तियों के लिए जनश्री बीमा योजना नामक एक समूह बीमा योजना भी चला रहा है। इसके अलावा सरकार भी कृषि कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना इत्यादि जैसी प्लान योजनाएं क्रियान्वित

कर रही है। चुने हुए समूहों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन,परिवार और प्रसूति लाभ शामिल किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि श्रमिकों की संख्या
1	2	3
	भारत	107,447,725
1.	आंध्र प्रदेश	13,818,754
2.	अरूणाचल प्रदेश	18,569
3.	असम	1,289,902
4.	बिहार	13,527,884
5.	छत्तीसगढ़	3,088,216
6.	गोवा	36,150
7.	गुजरात	4,987,657
8.	हरियाणा	1,276,143
9.	हिमालय प्रदेश	92,761
10.	जम्मू-कश्मीर	248,577
11.	झारखंड	2,861,939
12.	कर्नाटक	6,209,153
13.	केरल	1,653,601
14.	मध्य प्रदेश	7,380,878
15.	महाराष्ट्र	11,290,945
16.	मणिपुर	120,991
17.	मिजोरम	27,494
18.	मेघालय	172,975
19.	नागालैंड	33,852
20.	उड़ीसा	5,001,075
21.	पंजाब	1,498,976
22.	राजस्थान	2,529,225
23.	सिक्किम	16,939
24.	तमिलनाडु	8,665,020
25.	त्रिपुरा	278,334
26.	उत्तरांचल	258,752
27.	उत्तर प्रदेश	13,604,812
28.	पश्चिम बंगाल	7,350,988
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5,092
30.	चंडीगढ़	387
31.	दादर और नागर हवेली	14,743
32.	दिल्ली	13,559
33.	दमन और दीव	1,287
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पांडिचेरी	72,095

[अनुवाद]

सिंचित भूमि

1176. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सिंचित भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य क्या हैं;

(घ) नौवीं और दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितना आवंटन किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि का वस्तुत: उपयोग किया गया और सिंचाई के अंतर्गत कितनी अतिरिक्त भूमि लाई गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) वृहद एवं मध्यम सिंचाई कार्यक्रम तथा लघु सिंचाई कार्यक्रम के संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 11.14 मिलियन हेक्टेयर तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 8.00 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन के लक्ष्य की सिफारिश की है।

(ग) नौवीं योजना के दौरान अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन संबंधी लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है–

सिंचाई के स्रोत	सिंचाई क्षमता का सृजन (मिलियन हेक्टेयर में)	
	नौवीं योजना के लिए लक्ष्य	नौवीं योजना के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि
वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	9.81	4.14
लघु सिंचाई परियोजनाएं	7.24	6.06
कुल	17.05	10.20

(घ) और (ङ) नौवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षेत्र में किया गया आवंटन, संगत प्रत्याशित व्यय, नौवीं योजना के दौरान सिंचाई के अंतर्गत लाए गए अतिरिक्त क्षेत्र (अनंतिम) और वृहद एवं मध्यम तथा लघु सिंचाई कार्यक्रम संबंधी कार्यकारी दल द्वारा यथा अपेक्षित दसवीं योजना में अनुमानित परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान किए गए आवंटन, व्यय, सिंचाई विकास और दसवीं योजना में संस्तुत आवंटनों का राज्यवार ब्यौरा

(दसवीं योजना)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	नौवीं योजना में सिंचाई क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन (करोड़ रु. में)	नौवीं योजना के दौरान प्रत्याशित व्यय (करोड़ रु. में)	1997-2000 के दौरान प्रयुक्त अतिरिक्त सिंचाई क्षमता (अनंतिम) ('000 हेक्टे. में)	दसवीं योजना के लिए अनुमानित आवंटन (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5802.89	5223.39	466.39	21569.08
2.	अरूणाचल प्रदेश	204.78	0.00	8.61	340.00
3.	असम	565.11	155.35	9.24	2160.02
4.	बिहार + झारखंड	2175.00	2221.21	122.15	6182.58
5.	गोवा	264.33	250.07	2.52	412.69
6.	गुजरात	8321.55	12086.48	80.12	19007.58

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	1544.56	406.31	37.21	2971.86
8.	हिमाचल प्रदेश	231.55	263.74	6.63	1116.18
9.	जम्मू-कश्मीर	339.00	72.72	13.99	1435.76
10.	कर्नाटक	6000.00	8858.98	190.41	10525.15
11.	केरल	900.00	696.22	125.45	2327.00
12.	मध्य प्रदेश + छत्तीसगढ़	2698.66	2318.05	86.70	11141.80
13.	महाराष्ट्र	10537.64	10621.33	614.30	16707.81
14.	मणिपुर	266.00	234.32	22.20	773.75
15.	मेघालय	75.00	9.49	5.73	235.10
16.	मिजोरम	17.92	0.10	1.26	90.00
17.	नागालैंड	50.13	11.36	5.00	240.00
18.	उड़ीसा	3352.08	2123.73	363.21	9081.43
19.	पंजाब	491.07	655.75	81.13	3231.82
20.	राजस्थान	2051.84	1779.89	192.56	5942.24
21.	सिक्किम	10.00	0.00	2.18	151.00
22.	तमिलनाडु	1357.65	1048.88	8.31	2235.93
23.	त्रिपुरा	165.91	34.97	11.65	574.37
24.	उत्तर प्रदेश + उत्तरांचल	3090.12	4048.12	1050.91	12997.78
25.	पश्चिम बंगाल	1058.80	486.85	433.44	3590.50
	कुल राज्य	51571.59	53607.31	3939.30	135041.43
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	51.62	51.57	3.80	509.57
	कुल जोड़	51623.21	53658.88	3943.10	135551.00

बंगलौर तथा कर्नाटक के अन्य शहरों के बीच उड़ानें

1177. **श्री के. एच. मुनियप्पा :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के प्रमुख शहरों को बंगलौर के साथ जोड़ने हेतु इंडियन एयरलाइंस/निजी एयरलाइंस की उड़ानें शुरू करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में हवाई यातायात की संभावनाओं का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बंगलौर से कर्नाटक के अन्य प्रमुख शहरों तक इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं प्रारंभ करने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) इस समय निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार एलाइंस एयर और जेट एयरवेज द्वारा कर्नाटक में केवल मगलौर को बंगलौर से विमान सेवा से जोड़ा गया है–

एलाइंस एयर :

*चेन्नई-बंगलौर-मंगलौर और वापसी	सप्ताह में तीन उड़ानें

(*उपरोक्त उड़ानों को 15.6.2002 से 30.9.2002 तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है)

जेट एयरवेज

बंगलौर-मंगलौर-बंगलौर	दैनिक

बेड़े की प्रतिबद्धता के कारण इंडियन एयरलाइंस की इस समय कर्नाटक के बड़े शहरों को बंगलौर के साथ विमान सेवा संपर्क स्थापित करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

जेट एयरवेज ने बंगलौर को हुबली/बेलगाम/मैसूर के साथ विमान सेवा से जोड़ने के लिए मार्केट सर्वेक्षण किया था परंतु वाणिज्यिक/तकनीकी कारणों की वजह से इन मार्गों पर विमान प्रचालन व्यवहार्य नहीं पाया गया इसके अतिरिक्त एयरलाइनें मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करती हैं।

आवास आकलन संबंधी सर्वेक्षण

1178. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वर्ष 2005 तक कमरों की आवश्यकता का अनुमान लगाने हेतु आवास आकलन संबंधी सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन स्थलों सहित वर्गीकृत श्रेणी के होटलों में कमरों की वर्तमान उपलब्धता क्या है;

(ग) क्या ये कमरे पर्यटकों की वर्तमान मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार 2005 तक आवश्यकता पूर्ति कर देगी जैसा कि सर्वेक्षण द्वारा आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। आवास आकलन संबंधी सर्वेक्षण भारतीय पर्यटन परामर्शी और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड (टी ए एफ एस आई एल) के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है ताकि देश में कमरों की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके।

(ख) इस समय, होटलों की वर्गीकृत श्रेणी में 78565 कमरे हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन काल की व्यस्ततम अवधि के दौरान चुनिंदा स्थलों पर होटल कमरों की कमी रहती है।

(ङ) और (च) होटलों का निर्माण करना निजी क्षेत्र का कार्य है। भारतीय पर्यटन परामर्शी और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड (टी ए एफ एस आई एल) द्वारा किए गए आकलन से यह बताया गया है कि वर्ष 2005 तक 1,25,000 होटल के कमरों की आवश्यकता होगी जिसकी पूर्ति इस समय अनुमोदित होटल परियोजनाओं के पूरा होने से होगी। क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने होटल उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों की पेशकश की है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

1179. **श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एन.ए.आई.) सड़क सुरक्षा में रुचि रखने वाले मंचों तथा संगठनों को विभिन्न सड़कों संबंधी लागत-लाभ अध्ययन उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो जनहित में ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करने हेतु एन.एच.ए.आई. की क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या एन.एच.ए.आई. ने लागत लाभ अध्ययनों के बिना ही बाईपास सहित बहुत-सी परियोजनाएं चलाई हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी सभी परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की प्रस्ताव है; और

(ङ) जनहित से जुड़े निकायों के साथ सहयोग करने के बारे में नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए लागत लाभ अध्ययन संबंधी रिपोर्टें, ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर तथा मामला दर मामला आधार पर जांच के बाद अन्य इच्छुक संगठनों को भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास इस प्रयोजन के लिए गठित बाह्य स्टेक धारकों का एक परामर्शी समूह है। इस समूह में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लि. (आई.डी.एफ.सी.), भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (एफ.आई.सी.सी.आई.), ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन आदि तथा सड़क सुरक्षा कार्य में सक्रिय रूप से कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन जैसे अवसंरचना उद्योग से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संबंधित क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से स्थानीय जनता से सीधे जुड़े विषयों पर उनसे संपर्क भी करता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

1180. **श्री रामानन्द सिंह :**
प्रो. दुखा भगत :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से झारखंड और मध्य प्रदेश में जिला-वार कितने किसानों को लाभ हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छक्कमदेव नारायण यादव) : रवी, 1999-2000 मौसम से ही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कार्यान्वयनाधीन है। झारखंड और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की जिलावार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	जिले का नाम	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	2	3
झारखंड	बोकारो	0
	चतरा	188
	देवघर	0
	धनबाद	0
	दुमका	0
	पू. सिंहभूम	0
	गढ़वा	0
	गिरीडिह	0
	गोधा	0
	गुमला	0
	हजारीबाग	703
	कोडरमा	24
	लोहरदगा	0
	पकुर	0
	पालमू	0
	रांची	0
	साहिबगंज	0
	पश्चिमी सिंह भूम	0
मध्य प्रदेश	बालाघाट	30351
	बैतूल	8179
	भिंड	3578
	भोपाल	2076

1	2	3
	छतरपुर	25216
	छिंदवाड़ा	6523
	दमोह	20271
	दतिया	58
	देवास	11992
	धार	56383
	खंडवा	50093
	कटनी	5211
	गुना	4875
	ग्वालियर	1394
	होशंगाबाद	9802
	इंदौर	27839
	जबलपुर	2043
	झाबुआ	40948
	मंडला	10699
	मंदसौर	57520
	मुरैना	0
	नरसिंहपुर	6134
	पन्ना	19646
	रायसेन	7071
	राजगढ़	52949
	रतलाम	83240
	रीवा	13043
	सागर	13850
	सतना	27734
	सीहोर	5264
	सिवनी	17101
	शहडोल	1662
	शाजापुर	56177
	शिवपुरी	5100
	सीधी	3329
	टिकमगढ़	5489
	उज्जैन	63580
	विदिशा	25852
	खरगोन	124817
	बडवानी	36033
	दिन्दोरी	628
	हरदा	0
	नीमच	30379
	श्योपुर	0
	उमरिया	5599

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर एकाधिकार

1181. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :
श्री रामशकल :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर एकाधिकार जमा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें; और

(घ) स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु गैर सरकारी संगठनों को सरकार किन योजनाओं के तहत सहायता उपलब्ध कराती है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यवहारिक अनुभवप्रदान करके ग्रामीण उद्यमशीलता के विकास के वास्ते प्रशिक्षण दिया जाता है। पारम्परिक मांस प्रसंस्करण कार्यों और मछली प्रसंस्करण यूनिटों में लगे कामगारों को भी उनकी दक्षता को बढ़ाने के वास्ते प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) स्वदेशी उद्योग को बढ़ाने के वास्ते मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत अन्यों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परियोजना को मंजूरी

1182. **श्री आर.एल. जालप्पा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परियोजना हेतु समस्त आवश्यक मंजूरी दिए जाने में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पर्यावरणीय मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) मामले पर अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।

ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम

1183. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें कितनी उपलब्धि रही है;

(ख) ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के विचार से, विशेषकर दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कार्यक्रम की मजबूती प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयन जुलाई, 1970 में शुरू हुआ था तथा अप्रैल, 1998 में समाप्त हुआ था। चूंकि यह कार्यक्रम नौवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया था। अत: नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के तहत लक्ष्य तथा उपलब्धि का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस कार्यक्रम को दसवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

पत्तनों पर घातक दुर्घटनाएं

1184. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों पर घातक दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगाने तथा दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने हेतु उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए फैक्ट्रियों और गोदियों में कोई निरीक्षण कराए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ राज्यों ने अभी तक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्टरी एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट (डी जी एफ ए एस एल आई) द्वारा तैयार मॉडल नियमों तथा प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियमों को अधिसूचित नहीं किया है; और

(छ) यदि हां, तो शेष राज्य सरकारों को और देरी किए बिना कारखाना अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत सुरक्षा नियम बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) दुर्घटनाओं (घातक तथा गैर-घातक) की संख्या में वर्ष से कमी की प्रवृत्ति का पता चलता है। वर्ष 1956 में दुर्घटनाओं की संख्या 4709 थी जो पिछले वर्ष के दौरान घटकर 171 रह गई है। तथापि, घातक दुर्घटनाओं के मामले में कोई निश्चित रुझान नहीं देखा गया है। यह वर्ष 1999 2000 के दौरान 29 थी जो 2000-2001 में घटकर 23 रह गई थी किंतु पिछले वर्ष यह पुन: बढ़कर 29 हो गई। पत्तनवार ब्यौरा निम्नवत् है–

पत्तनों में घातक दुर्घटनाओं की संख्या

पत्तन का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
मुंबई	5	4	6
कोलकाता	2	4	4
कोचीन	1	0	0
कांडला	3	1	6
चेन्नई	4	8	5
मारमुगोवा	0	0	0
न्यू मंगलौर	1	0	1
पारादीप	1	1	1
तूतीकोरिन	6	0	2
विशाखापत्तनम	2	2	1
जवाहरलाल नेहरू पत्तन	4	3	3
कुल	29	23	29

(ग) गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय इन घातक दुर्घटनाओं की जांच-पड़ताल करता है तथा पत्तन प्रबंधकों को संबंधित नियोजकों पर अभियोजन चलाए जाने, चेतावनी आदेश (वार्निंग नोटिसेज)/कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने, कामगारों की कार्य परिस्थितियों/तकनीकी क्षमता को बेहतर बनाए जाने आदि के लिए तकनीकी सलाह दिए जाने आदि जैसी अनुवर्ती कार्रवाईयों के निदेश दिए गए। वर्ष 2001-02 के दौरान, गोदी सुरक्षा कानूनों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए गोदी कर्मकारों के नियोजकों के विरुद्ध पांच अभियोजन चलाए गए, संबंधित नियोजकों के लिए चौंतीस चेतावनियां जारी की गई हैं; चौबीस मामलों में पत्तन प्राधिकारियों तथा ट्रांसपोर्टरों को तकनीकी सलाह दी गई। घातक दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें से लगभग 60 प्रतिशत दुर्घटनाएं एजेंसी परिवहन के साधन के कारण हुईं। अत: कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफसली) ने 'पत्तनों में परिवहन उपकरण सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं' पर एक राष्ट्रीय अध्ययन कराया। इस अध्ययन के फलस्वरूप, कुछ पत्तन प्राधिकारियों ने परिवहन क्षेत्र में लगे कामगारों/आपरेटरों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया हैं। सभी प्रमुख पत्तनों में सुरक्षा संबंधी ऑडिट भी कराए गए हैं तथा पत्तनों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए सुझाव/सिफारिशें जारी की गईं। डीजीफसली द्वारा प्रशिक्षण संबंधी मॉड्यूल तैयार किए गए तथा पत्तन न्यास प्राधिकरणों एवं भारतीय पत्तन प्रबंधन संस्थानों के सहयोग से अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(घ) और (ङ) कारखानों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत कवर किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने-अपने कारखाना निरीक्षणालयों के माध्यम से अधिनियम का प्रवर्तन कराया जाता है।

कारखानों के नेमी (रुटीन) निरीक्षण के अलावा, कारखाना निरीक्षक दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने तथा उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए जांच-पड़ताल भी कराते हैं। कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय कारखानों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने के संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देता है। यह खतरों की पहचान करने, उनके उन्मूलन तथा नियंत्रण, कामगारों के लिए उपयुक्त वैयक्तिक बचाव उपकरणों के चयन, प्रचालन प्रक्रियाओं को सुरक्षित बनाने आदि के बारे में सलाह देता है। यह कारखानों में नियोजित व्यक्तियों के लाभार्थ अध्ययन तथा सर्वेक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आदि भी आयोजित करता है।

गोदियों तथा पत्तनों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत कवर किया जाता है। कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा सभी प्रमुख पत्तनों में संस्थापित गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों के जरिए पोतों, गोदियों, मालगोदामों, भंडार स्थलों, लिफ्टिंग मशीनों, लूज गियरों, परिवहन उपस्करों, मैकेनिकल हैंडलिंग प्लांटों आदि के नियमित निरीक्षण द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन कराया जाता है ताकि असुरक्षित कार्य दशाओं को नियंत्रित किया जा सके, गोदी कर्मकारों तथा अन्य संबंधितों द्वारा असुरक्षित कार्यों की रोकथाम की जा सके तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके जिसमें शिकायतें मिलने पर नोटिस, चेतावनियां जारी किया जाना आदि शामिल है।

(च) और (छ) कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत बनाए गए मॉडल नियमों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने राज्य कारखाना नियमों के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने के लिए उनके पास भेजा गया था। 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियम, 1997 को भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित किए जाने के लिए उनके पास भेजा गया था। सात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

डी जी फसली/श्रम मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त नियमों को अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कार्यालय खर्चे

1185. श्री रामदास आठवले : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा प्रचार, विज्ञापन, स्वागत, जलपान, उद्घाटनों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, यात्राओं (विदेशी यात्रा सहित) एस टी डी और आई एस डी कालों सहित टेलीफोन बिलों, विद्युत बिलों (विशेषकर वातानुकूलन और कूलर बिलों) तथा उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत अन्य कार्यालय खर्चों पर अलग-अलग कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत खर्चों में मितव्ययिता के लिए कोई अभियान चलाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) वर्तमान में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कोई विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। वैसे पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यालय व्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने कार्यालय व्ययों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाए हैं। कार्यालय व्ययों पर 10 प्रतिशत कटौती की गई है। केवल अनिवार्य मदों पर ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करने के लिए स्वत: विनियमन की शुरूआत की गई है। बाजार में हुए उतार-चढ़ाव के कारण बढ़े टैरिफ या बढ़ी कीमतों को छोड़कर आमतौर पर अन्य किसी भी स्थिति में व्यय में वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जाती।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विभिन्न शीर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-02	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	विज्ञापन/प्रचार	100.00	4.00	196.00	प्रसंस्कृत खाद्यों के संवर्धन के लिए किया गया व्यय।
2.	गोष्ठियां/सम्मेलन	39.83	60.02	41.20 (राज्य नोडल	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास

1	2	3	4	5	6
				एजेंसियों के सम्मेलन पर खर्च हुए 1.03 लाख रु. शामिल हैं)	संबंधी कार्यकलाप पर व्यय हुआ।
3.	दौरे (विदेशी दौरों सहित)	36.03	38.14	47.92	–
4.	टेलीफोन बिल (एस टी डी और आई एस डी सहित)	12.94	27.14	30.76	–
5.	बिजली के बिल केंद्रीय वातानुकूलित भवन)	20.81	21.12	24.47	–
6.	जलपान	2.79	3.24	4.50	–
7.	अन्य कार्यालय व्यय				
	(क) फर्नीचर आदि की खरीद/मरम्मत	5.14	4.01	6.01	–
	(ख) स्टाफ कार (मरम्मत/ पैट्रोल की खरीद)/नई कार की खरीद/वाहन किराए पर लेना	11.07	19.02	25.55	–
	(ग) लेखन सामग्री/स्टोर मदें/विविध	5.79	19.95	15.16	–
	(घ) जल प्रभार	3.89	5.13	3.57	–
	(ङ) कार्यालय उपकरणों की खरीद और रख-रखाव	25.26	31.47	19.61	–
	(च) पुस्तकालय	1.26	5.92	5.13	–
	(छ) कार्यालय भवन रखरखाव	11.70	22.06	22.00	–

[अनुवाद]

चेन्नै सर्किल का दो भागों में बंटवारा करना

1186. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बड़े क्षेत्र और बड़ी संख्या में स्मारकों का रखरखाव करने में प्रशासिनक/व्यवहारिक कठिनाइयों के आलोक में क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चेन्नै सर्किल को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस के ट्रैवल एजेंटों के लिए बीमा सुरक्षा

1187. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का अपने ट्रैवल एजेंटों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बीमा सुरक्षा हेतु प्रीमियम अदायगी में ट्रैवल एजेंटों का हिस्सा होगा; और

(घ) इसके लिए भुगतान का क्या तरीका अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (जेड एस आई) द्वारा लुप्तप्राय: प्रजातियों का सर्वेक्षण

1188. **श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1987 के दौरान भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (जेड एस आई) को लुप्तप्राय: प्रजातियों की स्थिति का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण कराने के लिए निर्देश दिया था जैसा कि 12 अप्रैल, 2002 के ''दि हिंदू'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या जेड एस आई आज तक भी कार्य पूरा करने के लिए कोई गंभीर प्रयास करने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा परियोजना को पूरा करने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने 1987 में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण को स्तनधारियों की 81, पक्षियों की 47, सरीसृपों की 15, जलथल की 3 एवं तितलियों, पतंगों एवं भृंगों की बहुत-सी लुप्तप्राय: प्रजातियों का स्थिति सर्वेक्षण करने एवं उसे पूरा करने के निर्देश दिए थे।

(ख) 11 लुप्तप्राय: प्रजातियों का स्थिति सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त 3 और लुप्तप्राय: प्रजातियों (चिन्कारा, कैट मरुस्थल, पश्चिमी ट्रागोपान) पर अध्ययन हाल ही में पूरा किया गया है। इसके अलावा, 9 प्रजातियों (बरगस लाटरो, कियांग, हिमालय मारमट, लायन टेल्ड मैकेकी, रीसस मैकेकी, हनुमान लंगूर, नीलगिरी थार, इराबाड़ी डॉल्फिन, बड़ी गिलहरी) पर अध्ययन जारी है।

(ग) और (घ) ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार प्रयास पहले से ही किए गए हैं और परियोजना सही ढंग से चल रही है।

आई टी डी सी के होटलों में अनियमितताएं

1189. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो (आई बी) ने भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) के होटलों विशेषकर अशोक होटल में चोरी सहित कई अनियमितों का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई बी ने विनिवेश मंत्रालय को ये तथ्य सूचित किए हैं कि अशोक होटल की संपत्ति पर लगभग 300 अनधिकृत क्वार्टरों का निर्माण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) न तो विनिवेश मंत्रालय और न ही पर्यटन विभाग ने भारत पर्यटन विकास निगम के कार्य के संबंध में आसूना ब्यूरो से कोई रिपोर्ट प्राप्त की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पथकर का संग्रहण

1190. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश में विस्तारित और सुधारे गए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर पथकर का संग्रहण करने हेतु योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर जनता से ऐसा पथकर संग्रहण करने हेतु क्या समय-सीमा रखी गई है;

(ग) क्या अन्य राज्यों में ऐसा ही पथकर शुल्क वसूल किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पथकर शुल्क उगाही के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास कोई अभ्यावेदन लंबित हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-5 और 4 लेन में उन्नत किए गए अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर, राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क दर) नियमावली, 1997 के अंतर्गत वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति कि.मी. दर के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क लगाया जाता है। प्रति कि.मी. के अनुसार ये निर्धारित दरें 1997 के मूल्य स्तरों पर अधिसूचित की गई थी और ये राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए शुल्क दर निश्चित करने के लिए वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इसी के समान शुल्क दरें हरियाणा और पंजाब राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के पानीपत-जालंधर खंड, उत्तर प्रदेश में रा.रा.-2 के दिल्ली-आगरा खंड, पश्चिम बंगाल में रा.रा.-2 के पलसित धनकुनी खंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में रा.रा.-2 के बरवा अड्डा-पानागढ़ खंड, उड़ीसा में रा.रा.-5 के भुवनेश्वर-जगतपुर खंड गुजरात में रा.रा.-8 के बडोदरा-सूरत खंड और हरियाणा और राजस्थान में रा.रा.-8 के गुड़गांव-आमेर खंड और उत्तर प्रदेश में रा.रा.-24 पर मुरादाबाद बाइपास पर भी लगाई जा रही है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक समान दर पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पुलों के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगा रहा है।

(ङ) और (च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अलग-अलग व्यक्तियों और ट्रांसपोर्टरों आदि से शुल्क की उगाही अथवा शुल्क की मात्रा के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। इन अभ्यावेदनों पर विधिवत रूप से विचार किया जाता है और उपयुक्त उत्तर भेजे जाते हैं।

ईपीएफ के लंबित मामले

1191. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ईपीएफ के कितने मामले निपटारे के लिए लंबित पाए गए;

(ख) उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारियों को असुविधा से बचाने के लिए उक्त मामलों का निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) दावों के निपटान में विलंग का मुख्य कारण अंशदाताओं द्वारा भरे गए फार्मों में त्रुटियां होना है।

(ग) अंशदाताओं को विश्वस्तरीय सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरंभ किया है जिसमें संगठन के सभी कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दावों के निपटान में लगने वाला समय घटाकर 2-3 दिन करने का विचार है तथा इससे अंशदाताओं को कहीं भी किसी भी समय सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

विवरण

31 मार्च की स्थिति के अनुसार लंबित कर्मचारी भविष्य निधि दावे

क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (अनंतिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7	161	5
बिहार	697	193	0
छत्तीसगढ़	*	*	95

1	2	3	4
दिल्ली	127	828	1730
गुजरात	8454	12084	4242
हिमाचल प्रदेश	299	264	22
हरियाणा	2561	2231	49
झारखंड	*	*	11
कर्नाटक	5308	6242	3742
केरल	163	314	38
महाराष्ट्र	22605*	25779	16174
मध्य प्रदेश	110	25	369
पूर्वोत्तर क्षेत्र	68	532	269
उड़ीसा	498	945	0
पंजाब	4186	1930	1790
राजस्थान	1150	560	232
तमिलनाडु	7341	8168	7104
उत्तरांचल	*	*	44
उत्तर प्रदेश	1738	6260	6565
पश्चिम बंगाल	1733	1217	2575
गोवा	*	*	8
कुल	57045	67733	45064

*नए गठित क्षेत्र

विमानपत्तन अवसंरचना विकास में गिरावट

1192. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने इस बात का संकेत दिया है कि भारत में 9वीं योजना अवधि के दौरान विमानपत्तन विकास तथा उन्नयन के लिए निवेश में 100 करोड़ का अंतर रहेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अंतर को पाटने के लिए निजी भागीदारी ने किस सीमा तक सहायता की है;

(घ) देश में विमानन क्षेत्र में यातयात वृद्धि तथा अवसंरचना विकास के बीच वर्तमान अंतर कितना है; और

(ङ) सरकार द्वारा 10वीं योजना अवधि में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) विश्व बैंक द्वारा जून, 1999 में किसी समय यथा तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी भागीदारी के संबंध में कंट्री फ्रेमवर्क रिपोर्ट का मसौदा बनाया था कि 9वीं योजना के दौरान हवाई अड्डा विकास तथा अपग्रेडेशन के लिए 1100 करोड़ रुपए का एक निवेश अंतराल होगा। निवेश अंतराल को हवाई अड्डों को लीज पर देने से और हवाई अड्डा राजस्व में वृद्धि करके वर्धित निजी सेक्टर भागीदारी से पाटे जाने की संभावना है। तथापि, चूंकि हवाई अड्डों के प्रबंधन में निजी भागीदार प्रारंभिक स्थिति में है, इस स्थिति में निवेश अंतराल को पाटने में यह किस हद तक सहायक सिद्ध होगी इसका उल्लेख करना कठिन है।

(घ) और (ङ) मौजूदा मांग की पूर्ति के लिए यात्रियों की हैंडलिंग तथा दूसरी हवाईअड्डा संरचना के संबंध में वर्तमान समग्र क्षमता को पर्याप्त माना जाता है। तथापि, दिल्ली, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, गोवा और गुवाहाटी हवाई अड्डों पर पीक आवर मांग ने क्षमता में वृद्धि कर दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले ही भावी यातायात मांग की पूर्ति के लिए इन हवाई अड्डों पर क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।

पर्यटन हेतु वित्त आयोग द्वारा धनराशि का आवंटन

1193. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त आयोग द्वारा आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ख) क्या पर्यटन के विकास हेतु कोई योजना तैयार की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों में उक्त योजना के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) अन्य राज्यों में चल रही गतिविधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) विकास की गतिविधियों की निगरानी करने वाले प्राधिकारी का नाम क्या है;

(च) क्या विकास की गतिविधियों में विलंब के कारण लागत में कोई वृद्धि हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं और धान की खेती

1194. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में सब्जी और फलों सहित गेहूं, धान, तिलहन, दलहन और अन्य मोटे अनाजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कितनी भूमि पर खेती की जाती है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में किसान गेहूं और धान की खेती करने के प्रति अनिच्छुक हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किसानों को गेहूं और धान की खेती करने को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान गेहूं, धान, तिलहन, दालों और मोटे अनाजों की खेती के तहत क्षेत्र का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सब्जियों और फलों के तहत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ख) से (घ) विवरण-I से यह स्पष्ट है कि अखिल भारतीय स्तर पर 1999-2000 की तुलना में 2000-01 के दौरान गेहूं और धान, दोनों के तहत क्षेत्र कवरेज में कमी आई है। तथापि, यह स्थिति विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग है क्योंकि मुख्यतया मौसम की दशाओं में विचलन के कारण कुछ राज्यों में गेहूं और धान दोनों के तहत क्षेत्र कवरेज में वृद्धि हुई है और कुछ अन्य राज्यों में कमी आई है। तथापि, 10वें दशक के दौरान गेहूं और धान दोनों के तहत क्षेत्र कवरेज में दीर्घकालीन वृद्धि हुई है। 10वें दशक के दौरान गेहूं और धान के तहत क्षेत्र कवरेज की वार्षिक सम्मिश्रित वृद्धि दर क्रमश: 1.67% और 0.62% थी।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण फसलों/ फसल समूहों के तहत राज्यवार क्षेत्र

राज्य	गेहूं		धान		तिलहन		दलहन		मोटे अनाज	
	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	13.5	10.6	4014.2	4027.7	2566.2	2675.6	1644.9	1797.1	1465.4	1451.0
अरूणाचल प्रदेश	3.9	3.8	122.7	119.4	25.5	24.8	4.9	6.2	55.4	54.2
असम	76.0	70.3	2646.0	2674.9	322.1	310.4	116.0	111.5	31.0	30.8
बिहार	2144.5	2107.5	5001.8	3671.4	216.1	171.0	865.3	780.0	886.5	693.6
झारखंड**		63.7		1481.0		50.1		116.3		175.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गोआ			56.7	57.2	1.3	1.8	10.2	10.8	1.2	0.7
गुजरात	482.1	286.1	664.4	653.0	2799.4	2695.0	700.4	634.7	1569.4	1574.1
हरियाणा	2317.0	2349.0	1083.0	1049.0	463.0	453.5	133.4	111.9	754.0	781.0
हिमाचल प्रदेश	370.6	378.2	80.2	81.5	19.4	18.9	31.5	35.1	341.0	341.7
जम्मू कश्मीर	245.7	276.8	250.6	244.1	75.9	70.4	28.8	31.2	355.8	355.7
कर्नाटक	261.3	266.0	1449.8	1482.0	1982.4	2197.8	1920.5	2061.0	4034.3	3981.0
केरल			349.7	347.5	9.5	8.8	24.0	22.1	5.2	6.2
मध्य प्रदेश	4661.5	2687.7	5354.2	1674.0	5916.2	5612.5	4938.0	3324.0	2649.9	2160.1
छत्तीसगढ़**		65.7		3597.6		275.5		563.4		342.3
महाराष्ट्र	1049.1	754.2	1519.8	1513.4	2739.6	2523.3	3597.7	3552.8	7470.0	7499.3
मणिपुर			157.1	160.6	2.6	2.3	0.0	0.0	4.3	3.6
मेघालय	4.3	4.3	106.4	102.6	9.3	8.7	6.2	4.6	19.4	19.7
मिजोरम			49.7	51.9	7.2	7.2	4.1	2.4	5.5	6.6
नागालैंड	5.0	3.4	148.5	146.1	43.0	36.3	17.0	17.4	45.0	43.6
उड़ीसा	5.9	8.8	4601.8	1433.7	342.5	277.3	684.0	604.3	196.0	197.8
पंजाब	3388.0	3408.0	2604.0	2611.0	104.7	87.4	66.0	59.0	198.0	202.0
राजस्थान	2650.2	2309.6	200.2	166.3	3635.4	2645.7	2473.1	2374.8	5629.8	6508.2
सिक्किम	8.1	7.2	15.9	15.2	10.0	10.0	6.7	6.1	47.6	47.6
तमिलनाडु	0.0	0.1	2163.6	2113.3	998.8	1056.0	860.4	745.9	804.4	1076.6
त्रिपुरा	1.3	1.1	232.2	241.1	6.2	6.3	7.5	10.1	1.3	1.6
उत्तर प्रदेश	9399.7	9169.5	6080.0	5838.8	1479.4	1395.4	2685.9	2679.3	2696.6	2413.9
उत्तरांचल**		379.0		312.7		22.0		28.5		288.1
पश्चिम बंगाल	364.2	426.0	6150.4	5435.2	502.9	599.6	275.4	322.3	59.2	57.1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			10.6	10.9	0.0	0.0	0.9	1.3	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दादरा और नगर हवेली	0.6	0.3	13.2	13.8	0.1	0.1	5.9	4.3	2.1	2.2
दिल्ली	33.5	31.4	8.1	6.1	2.7	4.8	0.4	0.6	11.5	12.0
दमन और दीव			1.5	2.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
पांडिचेरी			25.4	26.1	1.0	1.3	5.8	5.8	0.3	0.3
अखिल भारत	27486.0	25068.3	45161.7	44361.1	24282.4	23249.8	21116.2	20026.1	29340.1	30327.6

*9 तिलहनें शामिल हैं, यथा—मूंगफली, तिल, एरंड, रामतिल, सोयाबीन, सूरजमुख, तोरिया-सरसों, अलसी तथा कुसुम।

**नव गठित राज्यों के लिए अलग से आंकड़े केवल 2000-01 से ही उपलब्ध हैं।

विवरण-II

वर्ष 1998-1999 और 1999-2000 के लिये फलों और सब्जियों के तहत राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा

(हजार हैक्टेयर)

राज्य	सब्जियां		फल	
	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	249.3	230.1	378.6	449.2
अरूणाचल प्रदेश	16.7	16.9	29.7	44.1
असम	245.9	255.9	104.8	106.1
बिहार	616.6	626.0	303.6	309.3
दिल्ली	45.5	45.7	0.1	0.1
गोआ	7.6	7.6	11.6	12.3
गुजरात	189.9	201.0	163.0	176.2
हरियाणा	120.0	135.0	26.2	28.6
हिमाचल प्रदेश	45.8	40.6	207.1	196.6
जम्मू और कश्मीर	41.2	41.4	136.2	133.0
कर्नाटक	309.7	361.6	314.6	315.0
केरल	159.7	159.7	233.1	187.8
मध्य प्रदेश	234.0	258.7	63.1	67.4
महाराष्ट्र	341.2	385.3	436.1	539.9
मणिपुर	8.5	9.0	23.8	24.6
मेघालय	36.6	29.2	23.2	26.9
मिजोरम	8.4	8.3	16.4	13.0
नागालैंड	15.1	20.9	11.3	19.4
उड़ीसा	883.9	788.1	249.4	204.9
पंजाब	117.1	135.4	93.2	30.1
राजस्थान	99.3	98.7	21.2	20.0
सिक्किम	9.4	9.6	9.5	5.9
तमिलनाडु	206.7	209.1	213.5	232.0
त्रिपुरा	18.4	18.4	30.4	30.4

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश (पहाड़ी)	91.5	81.9	187.9	172.5
उत्तर प्रदेश (मैदानी)	640.7	688.9	305.2	315.1
पश्चिम बंगाल	1100.0	1122.3	128.0	130.2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.1	3.1	3.7	3.7
चंडीगढ़	0.4	0.1	0.1	0.1
दादरा और नगर हवेली	1.5	1.5	0.7	0.7
दमन और दीव	0.1	0.1	0.4	0.4
लक्षद्वीप	—	0.3	0.3	0.4
पांडिचेरी	2.2	2.6	0.8	0.9
अखिल भारत	5866.0	5993.0	3726.8	3796.8

अवमृदा जल (सब-साएल वाटर)
का खारा होना

1195. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में समुद्रतटीय क्षेत्रों में अवमृदा जल में खारेपन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो भू-जल को खारेपन से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य भूमि जल विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल तथा गुजरात के तटीय क्षेत्रों में उप-सतही मिट्टी के जल में लवणता पाई गई है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, भूमि जल को लवणता से बचाने के लिए आवश्यक उपाय संबंधित राज्य सरकारों को करने चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा विस्तृत तटीय भूमि प्रबंधन योजना तैयार करनी चाहिए तथा तद्नुसार विकासात्मक गतिविधियां विनियमित करनी चाहिए। तथापि, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में खारे पानी का प्रवेश रोकने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर भूमि जल के पुनर्भरण के लिए अध्ययन करने के वास्ते केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत कुछ स्कीमें भी चलाई हैं।

[हिन्दी]

विभिन्न कृषि प्रसंस्करण परियोजनाओं
के लिए ऋण

1196. **श्री राजो सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं और सहकारी क्षेत्र के विभिन्न कृषि प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए स्वीकृत/जारी ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान बिहार में वित्तपोषित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र से संबंधित स्वीकृत धनराशि और स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 2001-02 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता प्राप्त सहकारी एग्रो प्रसंस्करण ईकाई का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है। पिछले दो वर्षों (2000-01 और 2001-02) के दौरान बिहार में एन.सी.डी.सी. द्वारा किसी परियोजना को सहायता नहीं दी गई थी।

(ख) एन.सी.डी.सी. सार्वजनिक क्षेत्र को धन स्वीकृत नहीं करता है।

विवरण

एन.सी.डी.सी. के द्वारा 2001-02 के दौरान सहायता प्राप्त एग्रो प्रसंस्करण ईकाई का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	यूनिटों की संख्या	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1.	आंध्र प्रदेश	1	22.62	27.03
2.	गुजरात	1	2.58	6.33
3.	हरियाणा	1	0.28	0
4.	केरल	1	0.45	1.67
5.	कर्नाटक	9	70.37	62.20
6.	मध्य प्रदेश	1	1.40	0.10
7.	महाराष्ट्र	52	312.41	239.52
8.	उड़ीसा	1	1.76	0.81
9.	राजस्थान	1	6.35	6.35
10.	पश्चिम बंगाल	2	5.46	4.39
11.	दादर और नगर हवेली	1	25.20	0
	कुल	71	448.88	348.40

[अनुवाद]

सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत नयी योजनाएं

1197. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत नौवीं योजना के लिए नयी योजनाओं यथा सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना, श्रमिक सहकारी समितियों के लिए जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना, चयनित राज्यों में सहकारी समितियों के माध्यम से जलाशयों में मत्स्यपालन का विकास, ऊन प्रसंस्करण का विकास और औद्योगिक सहकारिता को स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना आयोग की आपत्तियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 9वीं योजना के लिए सहकारी क्षेत्र के तहत प्रस्तावित नई स्कीमें त्याग दी गई थीं क्योंकि योजना आयोग ने इस आधार पर इन स्कीमों का अनुमोदन नहीं किया कि इन क्रियाकलापों को पशुपालन एवं डेयरी व मास्त्यिकी विभाग, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, कपड़ा मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय आदि जैसे अन्य विभागों की समान स्कीमों के तहत पहले ही शामिल किया जा चुका है। इन स्कीमों को छोड़ देने से सहकारिता क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाग नहीं पड़ेगा क्योंकि इन क्रियाकलापों के लिए सहायता उपरोक्तानुसार विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों के तहत मिलती रहेगी।

सूखा राहत कार्य के लिए कर्नाटक को सहायता

1198. **श्री आर.एल. जालप्पा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च-अप्रैल, 2002 के दौरान कर्नाटक में गंभीर सूखे की स्थिति के अध्ययन हेतु एक दल को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने विशेष अनुदान की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य द्वारा कितनी राशि मांगी गई है; और

(च) सूखे का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। मार्च-अप्रैल, 2002 के दौरान कर्नाटक में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कोई दल नहीं भेजा गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) और (ङ) सूखे की स्थिति में केन्द्रीय सहायता हेतु राज्य सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तत्काल राहत उपाय करने के लिए राज्य को वर्ष 2002-03 के लिए आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से की पहली किश्त की 30.83 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त कर दी गई है।

एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण

1199. **श्री अजय सिंह चौटाला : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भज मार्ग में से पूर्वी, पश्चिमी एक्सप्रेस मार्गों का बड़ा भाग (80 प्रतिशत) दिल्ली और इसके आसपास होगा;

(ख) यदि हां, तो यह दिल्ली के किन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा;

(ग) यह एक्सप्रेस मार्ग किस एजेंसी द्वारा बनाया जाएगा और इसके कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर लगभग कितना व्यय होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) से (ग) यह प्रश्न शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से संबंधित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना मंडल ने दिल्ली के चारों ओर पश्चिमी और पूर्वी बाह्य एक्सप्रेसवे के लिए एक सरेखण निर्धारित किया है। पश्चिमी बाह्य एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित सरेखण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और हरियाणा से गुजरता है। जबकि पूर्वी बाह्य एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित सरेखण हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गुजरता है। सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति हो गई है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पश्चिमी बाह्य एक्सप्रेसवे का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के एक भाग के रूप में कार्यान्वयन करे बशर्ते कि 150 मीटर चौड़ी भूमि का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण किया जाए तथा उसे उपलब्ध कराया जाए।

(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर ही अनुमानित व्यय का पता चल पाएगा।

[हिन्दी]

फसल बीमा

1200. **श्री रामदास आठवले : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी किसानों की फसलों का बीमा अपने संसाधनों से करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि विकास कार्यों पर प्रभार

1201. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाभार्थी किसानों से खेतों में नालियों के निर्माण और जलमग्न क्षेत्र को खेती योग्य बनाने सहित कृषि विकास कार्यों के लिए दसवीं योजना में न्यूनतम 10 प्रतिशत का अनिवार्य प्रभार लगाने संबंधी केन्द्र सरकार के प्रस्ताव पर राज्यों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव पर समझौते के लिए किन अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) "निजी क्षेत्र और लाभग्राहियों की सहभागिता" संबंधी योजना अयोग के कार्य दल की सिफारिशों और वित्त मंत्रालय के सुझावों पर जल संसाधन मंत्रालय ने दसवीं योजना के दौरान खेत चैनलों, जल जमाव क्षेत्रों के सुधार और लघु सिंचाई टैंकों के नवीकरण/गाद हटाने जैसे घटकों के लिए लाभग्राही किसानों द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान घटक शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार के अंशदान द्वारा लाभग्राहियों को शामिल करने से सृजित परिसंपत्तियों में स्वामित्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रभारी राज्य सचिवों के 17 जून, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में अधिकांश राज्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि प्रस्तावित

10% लाभग्राही अंशदान नकद के बजाय श्रम के रूप में हो सकता है।

यू.पी.ओ.वी. में शामिल होने की पहल

1202. **श्रीमती श्यामा सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जून, 2002 के "द हिन्दू" में "मूव टू ज्वाइन यू.पी.ओ.वी. विल अफैक्ट फारमर्स राईट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले प्रमुख व्यक्तियों द्वारा केन्द्र सरकार के निर्णय की बड़े पैमाने पर आलोचना की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) "जीन कैम्पेन" एक गैर सरकारी संगठन ने यू.पी.ओ.वी. सममेलन, 1978 अधिनियम को स्वीकार करने के प्रस्ताव की आलोचना की है।

(ग) और (घ) यू.पी.ओ.वी. में शामिल होना हमारे किसानों के हित में है, क्योंकि यह अन्य बातों के साथ-साथ किसानों को गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई पौध किसमों के विकास के लिए अनुसंधान में अधिक निवेश को सुलभ कराएगा; पौध प्रजनक अधिकार के आपसी मान्यता के लिए अन्य देशों के साथ बड़ी संख्या में द्विपक्षीय समझौते में शामिल होने की आवश्यकता का निवारण करेगा, सम्मेलन में शामिल सभी देशों में न्यूनतम औपचारिकताओं तथा लागत आदि के साथ भारतीय पौध प्रजनकों को सुरक्षित संरक्षण सुनिश्चित करेगा।

नयी पर्यटन नीति

1203. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नयी पर्यटन नीति को स्वीकृत और अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नीति में पर्यटन विकास प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या नई नीति के अनुसार पर्यटन को बढ़ाने के लिए तीन वर्षीय विकास और विपणन योजना की बात की गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह किस सीमा तक पर्यटन को बढ़ाने में सहायक होगी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 देश में पर्यटन की वृद्धि और संवर्धन के लिए दिशा-निर्देश देती है। पर्यटन के संवर्धन के लिए नीति में निम्न योजनाएं शामिल हैं।

- पर्यटन को आर्थिक वृद्धि के एक मुख्य घटक के रूप में अवस्थित करना।
- रोजगार सृजन, आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष एवं गुणक प्रभावों को काम में लाने के प्रयास तथा ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- घरेलू पर्यटन को पर्यटन की वृद्धि के मुख्य उत्प्रेरक के रूप में बल प्रदान करना।
- फैलते विश्व यात्रा एवं व्यापार तथा एक गंतव्य के रूप में भारत की व्यापक अप्रयुक्त संभावनाओं का लाभ उठाते हुए, भारत को एक विश्व ब्रांड के रूप में अवस्थित करना।
- निजी क्षेत्र की सरकार के साथ गंभीर भूमिका को स्वीकार करना, जो एक सक्रिय सुविधाकारक एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।
- राज्यों, निजी क्षेत्र एवं अन्य एजेंसियों की भागीदारी से भारत की अद्वितीय सभ्यता, हेरिटेज एवं संस्कृति के आधार पर एकीकृत पर्यटन परिपथों का सृजन एवं विकास।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत में पर्यटक, शारीरिक बलवर्द्धन, मानसिक पुनर्योवन, सांस्कृतिक समृद्धता, आध्यात्मिक उन्नयन एवं "भारतमय" हो सके।

इन योजनाओं से पर्यटन पर वास्तविक रूप से बल दिए जाने की संभावना है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सड़क सुरक्षा कार्य

1204. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क सुरक्षा कार्य में लगे गैर-सरकारी संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुमारी राजश्री परमार मेमोरियल फाउंडेशन, पुणे जो एक गैर-सरकारी संगठन है, से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये अभ्यावेदन मुख्य रूप से रा.रा. 8 के सुरक्षा पहलुओं और जवाहर लाल नेहरू पत्तन को जोड़ने वाली सड़क के बारे में हैं। इन सुझावों पर एन एच ए आई के परामर्शी दल द्वारा चर्चा की गई है, जिसमें उक्त गैर-सरकारी संगठन का अध्यक्ष इस दल का एक सदस्य है। कुछ सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को क्षति

1205. **श्री वी. वेत्रिसेलवन :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषत: देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को हुई क्षति के कारण लगभग कितना घाटा हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार की सड़कों और पुलों की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय हुई;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों और पुलों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त धनराशि के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अतिरिक्त धनराशि देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को हुई क्षति की मरम्मत के लिए स्वीकृत किए गए अनुमानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। स्वीकृत अनुमानों की निधियां भी संबंधित राज्यों को जारी कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) राज्यीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत का कार्य संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त निधियों का अनुरोध किया है। निधियों की उपलब्धता के अधीन राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

(ङ) गत वर्ष तक घटित प्राकृतिक आपदाओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण

बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लिए स्वीकृत अनुमानों की राशि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	595.040	274.090
2.	असम	573.810	376.180	751.720
3.	बिहार	1495.720	967.430	1074.640
4.	छत्तीसगढ़	51.000	70.000	400.000
5.	गोवा	117.530	59.940	44.920
6.	गुजरात	0.000	513.934	238.230
7.	हरियाणा	0.000	172.370	27.870
8.	हिमाचल प्रदेश	874.080	770.760	517.910
9.	जम्मू और कश्मीर	61.780	14.920	33.080
10.	झारखंड	0.000	260.360	136.090
11.	कर्नाटक	312.670	270.000	300.280

1	2	3	4	5
12.	केरल	520.990	1003.760	801.620
13.	मध्य प्रदेश	633.000	150.000	501.000
14.	महाराष्ट्र	546.000	550.000	810.000
15.	मणिपुर	119.490	129.050	101.380
16.	मेघालय	93.590	127.650	10.260
17.	मिजोरम	125.220	166.520	101.990
18.	नागालैंड	56.250	117.050	53.360
19.	उड़ीसा	1246.000	600.000	1543.000
20.	पांडिचेरी	0.000	10.290	0.000
21.	पंजाब	5.860	0.000	56.070
22.	राजस्थान	234.600	502.550	499.860
23.	तमिलनाडु	123.790	122.500	306.380
24.	उत्तर प्रदेश	1085.490	968.640	1000.010
25.	उत्तरांचल	0.000	430.360	350.010
26.	पश्चिम बंगाल	1249.800	2525.460	1013.610

नोट : उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति की मरम्मत के लिए 33.18 करोड़ रु. की राशि खर्च की है।

सहकारिता आंदोलन

1206. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारिता आंदोलन के लिए इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस आंदोलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आ रही बाधाओं की पहचान कर ली है; और

(घ) इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार ने सहकारी आंदोलन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। सहकारी समितियां सदस्यों अर्थात् शेयरधारियों के संगठन हैं। तथापि, सरकार सहकारी समितियों के संवर्धन और विकास के लिए एक उत्प्रेरक एजेंट की भूमिका निभा रही है। भारत में सहकारी आंदोलन विश्व में सबसे बड़ा है जिसमें 5,00,000 से अधिक सोसायटियां हैं और प्राय: शत-प्रतिशत गांवों को कवर करते हुए लगभग 22 करोड़ की सदस्यता है। ऋण सहकारी समितियां कुल संस्थागत कृषि ऋण की लगभग 43% मात्रा अग्रिम के रूप में देती हैं। चीनी उत्पादन में सहकारी हिस्सा लगभग 56% है और कुल उर्वरकों का 30% सहकारी समितियों द्वारा वितरित किया जाता है। 55% हथकरघा और 28% खुदरा उचित दर दुकानें सहकारी क्षेत्र में हैं।

सहकारी समितियों की सफलता का स्तर मिला-जुला रहा है। कुछ ने अच्छा काम किया है जबकि अन्य उतनी सफल नहीं रही हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने सहकारी समितियों के स्वस्थ और सुदृढ़ विकास में आ रही बाधाओं को चिह्नित किया है। ये बाधाएं इस प्रकार हैं जैसे अवसंरचनात्मक बाधाएं, संसाधनों की कमी, व्यवसायिकता में कमी, प्रचालनात्मक अक्षमता, सदस्यों की सक्रिय भागीदारी न होना, विधायी तथा नीति संबंधी कठिनाइयां आदि। सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। विद्यमान बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के स्थान पर नया बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 बनाया गया है ताकि इन संस्थाओं को और अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता दी जा सके। सरकार ने राज्यों के साथ परामर्श करके एक राष्ट्रीय सहकारी नीति भी घोषित की है ताकि सहकारी आंदोलन के ठोस और स्वस्थ विकास के लिए एक सहायक वातावरण तैयार किया जा सके और इन्हें सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के बजाए सदस्यों द्वारा संचालित और जन सामान्य का आंदोलन बनाया जा सके।

अनु.जा./अनु.ज.जा. और अ.पि.व. को प्रतिनिधित्व

1207. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और इसके स्वायत्त निकायों और कार्यालयों

में भा.प्र.से., संबद्ध सेवाओं, ग्रुप-एक या प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन नौकरियों में अनु.जा./अनु.ज.जां. और अ.पि.व. के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रथम श्रेणी के राजपत्रित पदों के लिए अनु.जा./अनु.ज.जा. और अ.पि.व. के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समितियों के रजिस्ट्रार का कार्यकरण

1208. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों और बहुराज्यीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अपना दायित्व सक्षमता से निभाने में असफल रहे हैं और परिणामत: केन्द्रीय भंडार में कई घोटाले और अनियमितताएं हुई और सुपर बाजार बंद हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रजिस्ट्रारों और केन्द्रीय रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पशुओं की बलि

1209. **श्रीमती निवेदिता माने** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पशुओं की बलि पर रोक लगाने के लिए कोई कानून बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्नातकों द्वारा कृषि निदानालयों को चलाया जाना

1210. **श्री राम पाल सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि के प्रोत्साहन के लिए और कृषि संबंधी गतिविधियों को चलाने हेतु कृषि स्नातकों को दो माह का प्रशिक्षण देकर उन्हें कृषि निदानालयों को चलाने की अनुमति देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना नामक स्कीम की परिकल्पना कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भुगतान आधार पर किसानों को तकनीकी और विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बेरोजगार प्रशिक्षित कृषि स्नातकों की व्यापक क्षमता को काम में लाते हुए कृषि विस्तार में विद्यमान सरकारी मशीनरी को सुदृढ़ करने और उसमें सहायता देने के विचार से कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातकों के लिए स्व रोजगार स्कीम के रूप में की गई थी।

स्कीम में कृषि स्नातकों और कृषि से संबद्ध विषयों में स्नतकों की सहायता के लिए प्रति वर्ष लगभग 5000 कृषि क्लीनिकों/कृषि व्यापार उद्यमों की स्थापना करना अभिप्रेत है। जो स्कीम से लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें बैंकों के माध्यम से प्राथमिकता वाले क्षेत्र की ऋण दरों पर जिन बैंकों से धनराशि दी जाएगी उन्हें बदले में नाबार्ड द्वारा पुन: वित्त पोषित किया जाएगा। उन्हें 2-3 महीनों का नि:शुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिससे कि वे अपना आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यम लगाने में समर्थ हो सकें। प्रशिक्षण लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ग) यह स्कीम पहले से ही चल रही है और संपूर्ण 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जारी रहेगी। प्रशिक्षण के लिए पात्र कृषि स्नातकों से आवेदन मंगाने के किसानों के प्रत्युत्तर में समग्र देश से अब तक 12,083 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 36 प्रशिक्षण संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रथम बैच में 618 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

लद्दू और भारवाही पशुओं हेतु भार सीमा

1211. **डा. (श्रीमती) अनिता आर्य :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लद्दू और भारवाही पशुओं के मामले में भार सीमा निर्धारण के बारे में कोई नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये नियम सभी राज्यों को भेज दिए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारवाही तथा लद्दू पशु क्रूरता रोकथाम नियम, 1965 (9 दिसंबर, 1968 तक यथा संशोधित) नामकसय नियम बनाए हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) कांस्टेबल से ऊपर के पद के पुलिस अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा पशु कल्याण बोर्ड द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

विवरण

(क) भारवाही पशुओं के लिए अधिकतम भार सीमा

क्र.सं.	पशुओं का प्रकार	वाहन का प्रभार	अधिकतम भार सीमा (कि.ग्रा. में)
1	2	3	4
1.	छोटा बैल अथवा छोटा भैंसा	दो पहियों वाला वाहन–	
		(क) यदि बाल बीयरिंग के साथ लगा है	–1000
		(ख) यदि न्यूमेटिक टायर लगे हैं	–750
		(ग) यदि न्यूमेटिक टायर नहीं लगे हैं	–500
2.	मध्यम आकार का बैल अथवा मध्यम आकार का भैंसा	दो पहियों वाला वाहन–	
		(क) यदि न्यूमेटिक टायर लगे हैं	–1400
		(ख) यदि न्यूमेटिक टायर लगे हैं	–1050
		(ग) यदि न्यूमेटिक टायर नहीं लगे हैं	–700

1	2	3	4
3.	बड़ा बैल अथवा बड़ा भैंसा	दो पहियों वाला वाहन–	
		(क) यदि बाल बीयरिंग के साथ लगा है	–1800
		(ख) यदि न्यूमेटिक टायर लगे हैं	–1350
		(ग) यदि न्यूमेटिक टायर नहीं लगे हैं	–900
4.	घोड़ा अथवा खच्चर	दो पहियों वाला वाहन–	
		(क) यदि न्यूमेटिक टायर लगे हैं	–750
		(ख) यदि न्यूमेटिक टायर नहीं लगे हैं	–500
5.	टट्टू	दो पहियों वाला वाहन–	
		(क) यदि न्यूमेटिक टायर लगे हैं	–600
		(ख) यदि न्यूमेटिक टायर नहीं लगे हैं	–400
6.	ऊंट	दो पहियों वाला वाहन	–1000

(ख) लद्दू पशुओं के लिए अधिकतम भार सीमा

	पशुओं का प्रकार	अधिकतम भार सीमा (किलोग्राम में)
1.	छोटे बैल अथवा भैंसा	100
2.	मध्यम आकार के बैल अथवा भैंसा	150
3.	बड़ा बैल अथवा भैंसा	175
4.	टट्टू	70
5.	खच्चर	200
6.	गधा	50
7.	ऊंट	250

(ग) पशु द्वारा चलाए जा रहे वाहन के लिए यात्रियों की संख्या चालक एवं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अलावा 4 है।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि उत्पाद का निर्यात

1212. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका नये अमरीकी कृषि अधिनियम के अंतर्गत कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए 100 मिलियन डालर उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका द्वारा अपने कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए इतनी अधिक धनराशि व्यय करने से भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान से होकर बहने वाली सिंधु नदी पर गुजरात का दावा

1213. **श्री के. येरननायडू :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पाकिस्तान से होकर बहने वाली सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर अपना दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात का दावा गुजरात के कच्छ जिले की स्थिति के कारण बनता है जो कि सिंधु बेसिन का एक भाग माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) गुजरात सरकार ने गुजरात को सिंधु-बेसिन का एक भाग मानते हुए गुजरात के कच्छ क्षेत्र को सिंधु नदी का जल उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि सिंधु जल संधि के अनुसार ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इस संधि में सिंधु नदी के जल को दूसरी ओर मोड़ने का प्रावधान नहीं है।

पशुओं की दुर्दशा

1214. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी में रखे गए पशुओं की दुर्दशा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनकी दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालु) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी में रखे गए पशुओं में से काफी पशु बीमार थे। चूंकि संस्थान में पशुओं का अनुरक्षण व उनके स्वास्थ्य की देखभाल गुड लेबोरटरी प्रैक्टिसिज (जी.एल.पी.) संबंधी मैनुअल में दिए प्रावधानों के अनुसार नहीं थी, अत: सभी पशुओं का उनके स्वास्थ्य के अनुकूल सुविधाओं के अनुसार पुनर्वास कर दिया गया है।

नौकायन पर्यटन

1215. **डा. वी. सरोजा :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस "नौकायन पर्यटन" की संभावना का दोहन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है जो पर्यटन की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में उभर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मुख्य नदी तटों पर क्या-क्या अवसंरचनात्मक आदि अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) तथापि, "नौकायन पर्यटन" की संभावना पर विचार करते हुए, सरकार ने दो राष्ट्रीय समितियां गठित की हैं—भारत के मुख्य बंदरगाहों में "नौकायन पर्यटन" की संभावनाओं का पता लगाने और नौकायन पर्यटन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति और भारत में नौकायन पर्यटन की मार्केटिंग तथा नौकायन पर्यटन का संवर्धन करने के लिए नीतियां, कार्रवाई मुद्दे तैयार करने के लिए पर्यटन महानिदेशक की अध्यक्षता में दूसरी समिति।

असम में बाढ़ नियंत्रण

1216. **श्री एम.के. सुब्बा :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के कुछेक उन गांवों तथा कस्बों का पता लगाया है जो हर बार ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से होने वाला भूमि कटाव के संकट को झेलते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संकट का मुकाबला करने हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे लागू करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह कटाव मुख्य रूप से डिब्रूगढ़ जिले के अंतर्गत रोमारिया, लोहित मुख क्षेत्र, सोनितपुर जिले के अंतर्गत विश्वनाथपानपुर और सिंगरी क्षेत्र, लखीमपुर जिले के अंतर्गत मतमारा, धेमाजी जिले में करेंग छपारी और अर्ने छपारी, जोरहाट जिले के अंतर्गत दैनिग हतीतल-नियामाती क्षेत्र और भरियाहोल्ला क्षेत्र, देसांगमुख, सिबसागर जिले में अफ्फल मितिंगगांव और दिखोमुख, मोरियागांव जिला के अंतर्गत भूरागड, लाहोरीघाट बोरालीमारी और भायंग, कामरूप जिले के अंतर्गत पलासवारी, गुपी-पानीखेती चिमनिया और फुतुरी क्षेत्र, नालवारी जिले के अंतर्गत मकलमुआ और होलीघाट, बारपेटा जिले के अंतर्गत चकाचौंरी-जादरपुर क्षेत्र, धुवरी जिले के अंतर्गत धुत नगर और फकीरगंज का निचला प्रवाह, धुवरी जिले के अंतर्गत दक्षिण सेलमारा और गोलपाड़ा जिले के अंतर्गत गोलपाड़ा नगर क्षेत्र में है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र, बराक और इसकी सहायक नदियों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। उपर्युक्त मास्टर योजनाओं में बाढ़, कटाव और जल निकास संकुलता समस्या संबंधी कार्य शुरू करने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम में हरंग जल निकास स्कीम तथा पगलादिया बांध परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

धार्मिक केन्द्र भरहुत

1217. **श्री रामानन्द सिंह :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना जिले का भरहुत क्षेत्र बौद्ध धर्म का धार्मिक केन्द्र था और इसके अवशेष वहां अब भी मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बौद्ध धर्म की विख्यात मूर्तियां ब्रिटिश राज के दौरान इंग्लैंड ले जाई गई थीं जो अब भी ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद हैं और इनमें से कुछ मूर्तियां कोलकाता के संग्रहालय में भी मौजूद हैं;

(ग) भारत सरकार ने इन मूर्तियों को वापिस लाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बौद्ध धर्म के इस केन्द्र को पुन: महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। भरहुत दूसरी शताब्दी ई.पू. में एक बौद्ध धार्मिक केन्द्र था। टीलों के रूप में स्थलावशेष एवं संरचनागत अवशेष अभी भी विद्यमान हैं और वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं।

(ख) और (ग) सरकार को उन प्रसिद्ध बौद्ध मूर्तियों की प्रामाणिक जानकारी नहीं है जिन्हें ब्रिटिश काल में लंदन ले जाया गया था। 19वीं शताब्दी में बौद्ध स्तूप के द्वार तथा रेलिंगों के हिस्से इंडियन म्युजियम, कोलकाता ले जाए गए थे जहां वे अब प्रदर्शन के लिए रखे हैं।

(घ) यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और इसके परिरक्षण हेतु उचित ध्यान दिया जाता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : मैं श्री सैयद शाहनवाज हुसैन की ओर से वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2002 जो 16 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5840/2000]

[अनुवाद]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5841/2000]

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) का.आ. 467(अ) जो 29 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (सैयद राजा और नौबतपुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(दो) का.आ. 468(अ) जो 29 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 873(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 484(अ) जो 3 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलोर-सेलम-मदुरै खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(चार) का.आ. 490(अ) जो 7 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से सिकंदरा (कानपुर खंड) के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(पांच) का.आ. 493(अ) जो 7 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तमिलनाडु राज्य में वनग्राम से नुम्बई गांव के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के चेन्नई-रानीपेट खंड को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(छह) का.आ. 498(अ) जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से जसवंत नगर (इटावा) के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को चार लेन वाला बनाने तथा अनुरक्षण करने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(सात) का.आ. 442(अ) जो 18 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-मनोर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(आठ) का.आ. 443(अ) जो 18 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उदयपुर-रतनापुर खंड को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(नौ) का.आ. 558(अ) जो 22 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (दिल्ली-जालंधर खंड) के भाग का उपयोग करनेवालों से प्राप्त किए जाने वाले शुल्क की दर निर्धारित करना है।

(दस) का.आ. 519(अ) जो 17 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तमिलनाडु राज्य में वेनियामबाडी और वेल्लूर तालुक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के कृष्णागिरी-रानीपेट खंड को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(ग्यारह) का.आ. 524(अ) जो 17 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तमिलनाडु राज्य में मेवल्लूरकुप्पम से धामल गांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के चेन्नई-रानीपेट खंड को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(बारह) का.आ. 525(अ) जो 17 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कर्नाटक राज्य में हरिहर और महाराष्ट्र की सीमा के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के चेन्नई-रानीपेट खंड को 4 लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(तेरह) का.आ. 527(अ) जो 17 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 18 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 443(अ) का शुद्धि-पत्र (केवल हिन्दी संस्करण) अंतर्विष्ट है।

(चौदह) का.आ. 554(अ) जो 22 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के आगरा-ग्वालियर खंड को 4 लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(पंद्रह) का.आ. 560(अ) जो 23 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 539(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ. 561(अ) जो 23 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 367(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ. 562(अ) जो 23 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के अनुरक्षण, आदि के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(अठारह) का.आ. 584(अ) जो 31 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के अनुरक्षण, आदि के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(उन्नीस) का.आ. 624(अ) जो 11 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1029(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ. 578(अ) जो 30 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1017(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ. 579(अ) जो 30 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीयराजमार्ग संख्या 8 के जयपुर बाईपास (फेज-II) (जोन-डी) के विकास के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(बाईस) का.आ. 580(अ) जो 30 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (हरमारा से चांदवाजी जयपुर बाइपास फेस-II, जोन-डी) जयपुर तथा झरखंड राज्य में गोरहार से बरवा-अड्डा तक बाईपास के निर्माण आदि के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(तेईस) का.आ. 623 (अ) जो 11 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 और 56 को जोड़ने के लिए लखनऊ बाईपास के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन करना है।

(चौबीस) का.आ. 634(अ) जो 14 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (उदयपुर-रतनपुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(2) उपर्युक्त मद (1) में (एक) से (आठ) तक उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5842/2002]

(3) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 31 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 400(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5843/2002]

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

कार्यमंत्रणा समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 19 जुलाई, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 जुलाई, 2002 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

इम्पीरियल लाइब्रेरी (इंडेंचर्स वैलीडेशन) निरसन विधेयक*—पुर:स्थापित

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इम्पीरियल लाइब्रेरी (इंडेंचर्स वैलीडेशन) अधिनियम, 1902 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इम्पीरियल लाइब्रेरी (इंडेंचर्स वैलीडेशन) अधिनियम, 1902 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

श्री जगमोहन : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्य काल' प्रारंभ करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्य काल' प्रारंभ करेंगे। माननीय सदस्यगण कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सभी सदस्यों को मुद्दे उठाने की अनुमति दूंगा जिन्होंने नोटिस दिए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही चलाने के लिए बाध्य हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री सोमनाथ चटर्जी...

(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.4.2002 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, क्या आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ऐसे वातावरण में, मैं कैसे बोल सकता हूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री योगी आदित्यनाथ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश और बिहार में प्रतिवर्ष सैकड़ों मौतें मस्तिष्क ज्वर से होती हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती कमिशनरी प्रमुख हैं।...*(व्यवधान)* इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में सैकड़ों मौतें मस्तिष्क ज्वर से होती हैं। यह बीमारी अक्सर वर्षाकाल के बाद फैलती है और 16 साल से नीचे के बच्चे इसकी चपेट में आते हैं।...*(व्यवधान)* पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक मात्र मेडिकल कॉलेज है, जहां पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और नेपाल की तराई की बहुत बड़ी आबादी इस पर निर्भर करती है। अब तक गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 25 से अधिक मौतें मस्तिष्क ज्वर से हो चुकी हैं। मैं पूर्व में भी इस बात को भारत सरकार के संज्ञान में ला चुका हूं कि मस्तिष्क ज्वर फैलने से पहले ही इन क्षेत्रों में वैक्सीन लगाई जाए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मस्तिष्क ज्वर का जो तांडव इन क्षेत्रों में फैलने जा रहा है, उसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को अपने संसदीय क्षेत्र की रेल यातायात संबंधी समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में टूंडला रेलवे स्टेशन के आसपास के कस्बे जैन बाहुल्य क्षेत्र हैं।...*(व्यवधान)* ये लोग शिखर जी तीर्थस्थल के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए इस स्थान पर नीलांचल एक्सप्रैस के रुकने की व्यवस्था की जाए।...*(व्यवधान)* बरहन एवं जलेसर रोड रेलवे स्टेशन पर मुरी, कटिहार एवं संगम एक्सप्रैस को दोनों तरफ से रोका जाए तथा आरक्षण की व्यवस्था की जाए।...*(व्यवधान)* अवध एक्सप्रैस को एतमादपुर में रोका जाए एवं आगरा में अवध एक्सप्रेस की पूरी कोच आरक्षित की जाए। तमिलनाडु एक्सप्रैस एवं राजधानी एक्सप्रैस को आगरा कैंट पर रोका जाए एवं जोधपुर हावड़ा में आगरा एवं टूंडला में आरक्षण दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपका मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया अब इस पर बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री जी. एम. बनातवाला...

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, संविधान का बहुत अधिक दुरुपयोग हो रहा है। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। विधान सभा भंग हो गई है...*(व्यवधान)* समयपूर्व चुनावों की संस्तुति की गई है किंतु जब तक वहां स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक समयपूर्व चुनाव कराया जाना संभव नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब 'शून्य काल' के अंतर्गत उठाए जाने वाले मुद्दे समाप्त होते हैं और मैं अब सभा को अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

अपराह्न 2.½ बजे

(इस समय सरदार बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाइए। मैं आपको सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनूंगा। आप अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप बोलेंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रेस्पांस भी मिलेगा। इसलिए आप अपनी जगहों पर वापस जाएं और अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोगों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया है कि बिल पास करना है। आपने जो कुछ कहना है, उसे मैं सुनूंगा, गवर्नमेंट का रिस्पांड भी सुनूंगा। पहले आप अपनी-अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.05 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) महाराष्ट्र के गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 के भाग नौ के अंतर्गत अलग जनजाति के रूप में माने जाने की आवश्यकता

श्री चिंतामन वनगा (दहानू) : महाराष्ट्र में गोंड जनजाति, अनुसूचित जनजाति है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन कर इस जनजाति को संपूर्ण बम्बई राज्य में पहचाना गया। आदेश के अनुसार, गौंड समुदाय क्रम संख्या 9 पर था। 1956 में राज्य का पुनर्गठन होने पर सूची में संशोधन किया गया। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित) आदेश 1956 के अनुसार गौंड और राजगौंड जनजातियों को संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाना गया। अनुसूचित जाति व जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 पारित कर 1956 के आदेश में परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के भाग नौ में महाराष्ट्र के लिए सूची शामिल की गई। संशोधित सूची में, गौंड समुदाय को राजगौंड समुदाय के साथ मिला दिया गया तथा महाराष्ट्र राज्य के संबंध में इसे गौंड राजगौंड जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। गौंड और राजगौंड जनजातियां दो भिन्न जनजातियां हैं और महाराष्ट्र राज्य में कहीं पर भी गौंड राजगौंड जनजाति नहीं हैं।

राज्य सरकार तथा कई अन्य संगठनों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिए किंतु आज तक सरकार ने इस भूल को नहीं सुधारा है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के भाग IX में हुई गलती को सुधारा जाए तथा गौंड समुदाय को पृथक् जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

(दो) विभिन्न प्रकाशनों में स्त्रियों के अशिष्ट रूपण के प्रतिषेध की दृष्टि से स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नियम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : वर्ष 1986 में संसद द्वारा स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य, विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखन, चित्रकारी व आकृतियों इत्यादि के द्वारा स्त्री के अशिष्ट रूपण को रोकना था।

समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं में बड़े पैमाने पर अशिष्ट चित्र एवं चित्रकारियां विस्तृत अश्लील दर्शन के साथ छप रही हैं। ऐसी अशिष्ट सामग्री को छपने से पहले एवं उसके बाद जब्त करने की जरूरत है। इस अधिनियम की धारा 5 प्रवेश करने, खोजने और जब्त करने का अधिकार प्रदान करती है। तथापि, यह धारा अधिनियम की धारा 10 द्वारा शासित है। इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से, कम उद्देश्य हेतु नियम बनाने अपेक्षित हैं। किंतु यह नहीं किया गया है।

अशिष्ट प्रकाशन को रोकने हेतु भारत सरकार नियम बनाने के लिए कदम उठा सकती है चूंकि अशिष्ट प्रकाशन से युवाओं का मस्तिष्क दूषित होता है और यह समाज के स्थापित नैतिक स्वरूप के विपरीत जाता है।

*सभा-पटल पर रखे माने गए।

[हिन्दी]

(तीन) राजस्थान में अजमेर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : महोदय, अजमेर जिला औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर विगत तीन-चार वर्षों से घोर अकाल की विभीषिका छाई हुई है। फसलें बरबाद हो गई हैं। लोग रोजगार की तलाश में घरबार छोड़कर अन्यत्र जाने को विवश हैं। बेकारी दिन-दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के बावजूद भी औद्योगिक दृष्टि से अजमेर का समुचित विकास नहीं हुआ।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर को विशेष परिस्थितिवश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाए तथा यहां पर विशेष उद्योग स्थापित किए जाएं।

(चार) हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य में और अधिक आंगनवाड़ी खोले जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, महिला व बाल विकास विभाग के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पिछड़ा, पहाड़ी, बिखरी आबादी एवं छोटे-मोटे गांवों वाला सीमावर्ती प्रदेश हैं प्रदेश की 90 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गांवों में निवास करती है। प्रदेश में 20 हजार से अधिक गांव हैं, लेकिन अभी तक 20 हजार में से केवल 7123 ग्रामों में ही आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित हो सके हैं, जो कि पूर्णतया संचालित हैं। परंतु, अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक गांव आंगनवाड़ी केन्द्र की सुविधा से वंचित हैं। इसलिए प्रदेश सरकार के कल्याण विभाग ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 2866 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने की प्रार्थना मंत्रालय से की है, किंतु लगभग तीन वर्ष व्यतीत होने के उपरांत आज तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। मेरा राज्य मंत्री महोदय से आग्रह है कि प्रदेश के नागरिकों की न्यायोचित मांग पर आधारित राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में 2866 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

(पांच) राजस्थान में जोधपुर में रेल उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जोधपुर की जनता रेलवे पुलों के न होने की वजह से काफी परेशान है। जोधपुर शहर की आबादी काफी ज्यादा है। जोधपुर शहर काफी फैला हुआ शहर है। जोधपुर से तीन रेल मार्ग निकलते हैं लेकिन रेलवे के पुल नहीं के बराबर हैं। जोधपुर से मुम्बई रेल मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र का ओवर ब्रिज, बासनी गांव का अंडर ब्रिज एवं सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र का ओवर ब्रिज बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार जोधपुर जयपुर रेल मार्ग पर रसाला रोड एवं कल्याण सिंह प्याऊ के पास ओवर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता है। जोधपुर, जैसलमेर रेल मार्ग पर भदवासीयां फाटक, मंडोर मंडी एवं मंडोर नागौर मार्ग पर ओवर ब्रिज के निर्माण की अति आवश्यकता है। मैं रेल मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उपरोक्त ओवर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज का शीघ्र ही निर्माण कराया जाए।

[अनुवाद]

(छह) देश में पान मसाले की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : हाल ही में, चिकित्सा विशेषज्ञों ने यह पाया है कि तंबाकू एवं पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ऐसी चीजों के सेवन से कैंसर तथा हृदयाघात हो सकता है।

महोदय, भातर में तंबाकू और पान मसाला चबाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और कुछ राज्यों में यह युवा एवं प्रौढ़ लोगों की आदत बन चुका है। महिला श्रमिक भी इसका सेवन करती हैं। खासतौर पर खेतों इत्यादि या निर्माण कार्य में काम करने वाले पुरुष और महिला श्रमिक इसका उपयोग करते हैं। संपूर्ण देश में बच्चों में दिन-प्रति-दिन इन चीजों के बढ़ते सेवन की आदत को देखते हुए महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने पान मसाला जैसी चीजों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि समाज के बड़े भाग के जीवन को बचाने के लिए, जो इन चीजों के सेवन का आदी हो चुका है, इन चीजों को प्रतिबंधित करने एवं इन चीजों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने का प्रस्ताव तुरंत लाया जाए।

(सात) केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के विनिवेश संबंधी प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री जार्ज ईडन (एर्णाकुलम) : कोचीन शिपयार्ड देश के प्रमुख जलपोत बनाने वाले उद्योगों में से एक है। यह केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है। यह मुख्य भूमि के पश्चिमी तट में अंतरराष्ट्रीय समुद्रतट के निकट स्थित है। केरल राज्य हेतु, यह केन्द्रीय सरकार के बड़े निवेशों में से एक है। इस शिपयार्ड में सशस्त्र बलों के लिए वायुयान

वाहकों सहित सभी प्रकार के जलपोत बनाने की क्षमता है। इस शिपयार्ड में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और यहां जाने-माने तकनीकविद् अपनी संवाएं दे रहे हैं किंतु यह सत्य है कि भारतीय जहाजरानी निगम लि., पोत निर्माण या उसके रखरखाव का कोई भी आदेश नहीं दे रहा है। इस समय, इस यार्ड में केवल कुछ पोतों के रखरखाव का कार्य ही किया जा रहा है। हालांकि यह शिपयार्ड केन्द्रीय सरकार की एक लाभप्रद इकाई है।

अब, विनिवेश सूची में इस शिपयार्ड का नाम भी डाल दिया गया है और यह निर्णय जनता की इच्छा और राज्य के हित के विरुद्ध है अत: मैं केन्द्र सरकार के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं।

मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि कोचीन शिपयार्ड के विनिवेश के विचार को त्याग दें और भारतीय जहाजरानी निगम लि. को निर्देश दें कि वह कोचीन शिपयार्ड को अपना आदेश दे।

(आठ) गुजरात के साबरकांठा लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संपर्क सड़क बनाए जाने की अनुमति दिए जाने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : गुजरात के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र साबरकांठा के अंतर्गत आने वाले गांव—ढंता, अंबाजी, आमीरगुढ़, खेड़ब्रह्मा इत्यादि रीछ अभयारण्य घोषण के कारण जिले की मुख्य सड़कों और राज्य राजमार्गों से जुड़ने वाली संपर्क सड़कों से वंचित हैं। पर्यावरण एवं वन विभाग ऐसे गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए पक्की सड़क के निर्माण की भी अनुमति नहीं देता है। अत: वनों में रहने वाले लाखों लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत कठिनाइयां आती हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि इन गांवों में संपर्क सड़कों को उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम/वन अधिनियम में संशोधन किया जाए।

[हिन्दी]

(नौ) बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में आयोजित होने वाली श्रावणी मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : महोदय, बिहार राज्य के अंतर्गत भागलपुर जिला के सुलतानगंज से प्रतिवर्ष विश्वविख्यात श्रावणी मेला के अवसर पर देश के विभिन्न भागों से लाखों कांवरिये पवित्र गंगा जल लेकर बैजनाथ धाम, 90 कि.मी. पैदल यात्रा करते हैं। इस महायात्रा में सभी उम्र के श्रद्धालु महिला-पुरुषों की अपार भीड़ की सुविधा तथा असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों से सुरक्षा हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति अति आवश्यक है।

अतएव मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित करते हुए सुलतानगंज अजगैबीनाथ घाट पर शक्तिशाली पॉवर लाइट तथा बैजनाथ धाम तक सड़क के किनारे वेपर लाइट लगाने हेतु एन.ओ.पी.सी. कहलगांव को आवश्यक निदेश दिए जाएं।

(दस) हैदराबाद से संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप के लिए एयर इंडिया की और अधिक उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री चाडा सुरेश रेड्डी (इनमकोण्डा) : यह पता चला है कि एयर इंडिया अपने हवाई बेड़े में, पट्टे पर आठ हवाई जहाज लेकर उसमें विस्तार करने की योजना है। यह भी पता चला है कि इस वृहद हवाई बेड़े से, देश के विभिन्न स्थानों से अमरीका और यूरोप के लिए सीधी उड़ानें प्रारंभ हो पाएंगी। हमारे राज्य आंध्र प्रदेश के बहुत से विशेषज्ञ अमरीका और यूरोप के कई भागों में कार्य कर रहे हैं। अत: हैदराबाद से इन स्थानों का जुड़ना न केवल आवश्यक है बल्कि यह लाभप्रद भी है।

इसलिए आपके माध्यम से मेरा नागर विमानन मंत्री से यह अनुरोध है कि वे संबंधित देशों से बातचीत को अंतिम रूप देते समय हैदराबाद से अमरीका तथा यूरोप के लिए पर्याप्त संख्या में सीधी उड़ानें सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

(ग्यारह) देश में चमड़ा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, आगरा जूता से संबद्ध उद्योग उत्तर भारत का प्रमुख केन्द्र है। यह कुटीर उद्योग पारम्परिक उद्योग के रूप में विकसित होकर आज यहां विश्व स्तर का चमड़े का सामान बनाने वाला केन्द्र विख्यात हो चुका है। हजारों छोटी फैक्टरियां और सैंकड़ों की संख्या में बड़ी फैक्टरियां यहां चल रही हैं, जिनमें प्राय: पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ही अधिक कार्यशील हैं। गत 24 मई को यहां पर एक फैक्टरी में अचानक अग्निकांड ने 42 लोगों की जान ले ली और इतने ही घायल कर दिए। घटना

[श्री रामजीलाल सुमन]

की जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उन्हें देखकर इन फैक्टरियों में काम करने वालों की दशा सुधारने की सबसे पहले आवश्यकता है। जांच समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्र और राज्य सरकार को चाहिए कि एक सोशल सिक्यूरिटी फंड की स्थापना करें, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों के योगदान के साथ फैक्टरी मालिकों, निर्यातकों व श्रमिकों की हिस्सेदारी हो ताकि इन कर्मचारियों के हितों का संरक्षण संभव हो।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि इस कमजोर वर्ग के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए पहल करें और उपरोक्त फंड के निर्माण की घोषणा करें।

[अनुवाद]

(बारह) तमिलनाडु में विरुदनगर-राजापलयम बड़ी लाइन परियोजना को सेनगोट्टा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एस. मुरूगेसन (तेनकासी) : विरुदनगर, क्विलेन मार्ग का आमान परिवर्तन स्वागत योग्य कदम है। यह न केवल केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा बल्कि इससे इस पिछड़े क्षेत्र के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। चालू वित्त वर्ष में, विरुदनगर-राजापलयम का आमान परिवर्तन का कार्य मंजूर हो गया है। सेनगोट्टा, राजापलयम कोर्टालम से मात्र 50 कि.मी. की दूरी पर है और सेनेगोट्टा से प्रसिद्ध झरने एवं पर्यटक स्थल मात्र 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं। हर साल हजारों पर्यटक कोर्टालम आते हैं किंतु देश के अन्य भागों से पर्यटक पर्याप्त रेल सुविधाओं के अभाव में यहां पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि विरुदनगर-राजापलयम से आमान परिवर्तन परियोजना को सेनगोट्टा तक बढ़ाया जाए। इस परियोजना से न केवल क्षेत्र की असीम संभावनाओं से विकास शीघ्र होगा बल्कि इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

(तेरह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पनहाला हिल स्टेशन में एच.पी.टी. रिले स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : कोल्हापुर पनहाल हिल पर बना वर्तमान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर प्रसारण केन्द्र को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर प्रसारण केन्द्र में बदलने संबंधी मामला सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पिछले 15 वर्षों से लंबित है। कोल्हापुर पनहाला हिल स्टेशन पर बना मौजूदा कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर रिले केन्द्र 15 कि.मी. के दायरे वाले क्षेत्रों तक ही पहुंच पाता है। कोल्हापुर जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। कोल्हापुर, महाराष्ट्र के सबसे प्रगतिशील जिलों में से एक है जिसकी आबादी, जनगणना के अनुसार 30 लाख है और पहाड़ी क्षेत्र लगभग 10 तहसीलों में फैला हुआ है। कोल्हापुर छत्रपति शाहू महाराज और महान फिल्म निर्माता स्वर्गीय श्री वी. शांताराम की प्रमुख कर्मभूमि है। तथापि, आज यहां के स्थानीय कलाकारों एवं लोक-कलाकारों के पास दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अवसर बहुत कम हैं। प्रसार भारती के पास पनहाला हिल स्टेशन पर आकाशवाणी कोल्हापुर की आधारभूत संरचना है। इस उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर प्रसारण केन्द्र से पड़ौसी जिलों—सांगली, सतारा, रत्नागिरी और बेलगांव इत्यादि तक दूरदर्शन के कार्यक्रमों की पहुंच हो जाएगी।

इसलिए, महोदय मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि पनहाला हिल स्टेशन पर कोल्हापुर के लिए एक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर प्रसारण केन्द्र की तुरंत स्वीकृति दी जाए।

(चौदह) बिहार के भोजपुर जिले में आरा में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : महोदय, बिहार राज्य का भोजपुर जिला बहुत पुराना जिला है। इसकी आबादी लगभग 21 लाख है। इसका पुराना नाम शाहबाद था। इसी जिले के वीर कुंवर सिंह ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर भाग लिया था। इसका मुख्यालय 'आरा' में है। यह शहर शैक्षणिक व्यावसायिक और कृषि की दृष्टि से काफी आगे है। यहां वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है। अनेक महाविद्यालय के साथ व्यावसायिक दृष्टि से काफी संपन्न है। जैनियों का पवित्र तीर्थस्थल है।

किंतु, इस जिले में अभी तक भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। फलस्वरूप इस जिले के मेधावी और गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए दूसरे जिले, प्रांतों में जाना पड़ता है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि इस जिले के मुख्यालय 'आरा' में यथाशीघ्र एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के आदेश देने की कृपा करें।

[हिन्दी]

(पंद्रह) टेलीविजन कार्यक्रमों का बेहतर प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए शिमला के खड़ा पत्थर में उच्च शक्ति डिश एंटीना लगाए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, कुछ समय पूर्व शिमला-दूरदर्शन केन्द्र का आधुनिकीकरण हुआ है। इसका लाभ स्थानीय जनता तक ही सीमित रहा है। वास्तव में शिमला

केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रम का अवलोकन दुर्गम क्षेत्रों में इसलिए संभव नहीं क्योंकि जब तक भौगोलिक दृष्टि से महतवपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ज्यादा शक्ति के ट्रांसमीटर व डिश-एंटिना स्थापित नहीं किए जाते, तब तक शिमला केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम दूर-दराज के क्षेत्रों में संभव नहीं होगा। इस स्थिति का दुष्प्रभाव भोली-भाली जनता व कृषक, बागवान वर्ग पर पड़ रहा है।

मान्यवर मेरा केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि शिमला जिले में स्थित खड़ा पत्थर नामक ऊंचे स्थान पर अधिक शक्ति का डिश एंटिना लगाया जाये, जहां पहले ही माइक्रोवेव का टॉवर लगा है। इससे वहां के वंचित कृषक बागवान वर्ग को टी.वी. अवलोकन का पूरा लाभ मिल सकेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 23 जुलाई, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 जुलाई, 2002/
1 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह
बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।